खण्ड–484, अंक–3
गुरुवार 16 फाल्गुन, शक संवत् 1934
(07 मार्च, 2013 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2013)

(खण्ड 484 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2013

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य...	1-6
भारतीय जनता पार्टी के सांसद योगी आदित्यनाथ के साथ उ0 प्र0 पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने सम्बन्धी नियम-56 की सूचना को सर्वप्रथम सुनने की मांग...	7
प्रश्नोत्तर	7-61
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	61-63
उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग का मुख्यालय इलाहाबाद से लखनऊ स्थानान्तरण करने को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	63
जनपद रायबरेली की मुंशीगंज गन्ना मिल को पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	63
जनपद आगरा के संजय पैलेस मार्केट में शहीद स्मारक के सामने खराब पड़े रंगीन फव्वारों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	64
फिरोजाबाद नगर में जाम की भीषण स्थिति के निराकरण हेतु भूमिगत केबिलों के माध्यम से विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	64
कानपुर कैंट में श्याम नगर से जाने वाले बाईपास की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	64-65
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के क्षतिग्रस्त मोदीनगर-हापुड़ मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	65
जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव में यमुना नदी पर बने कंजौली घाट पुल को दोनों तरफ से सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	65-66
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र कैन्ट में पानी की निकासी हेतु नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	66
जनपद कासगंज के विकास खण्ड अमांपुर एवं सहावर की जर्जर विद्युत तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	66
मथुरा-वृन्दावन में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के रुके हुये कार्यों को आरम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	66-67
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना स्थित किसान सहकारी मिल, अनूपशहर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने एवं दोषियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	67-68

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में पकरी के पुल का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	68
जनपद लखनऊ की तहसील बिजनौर के ग्राम सेवई में श्री मुन्ना लाल की भूमि को बंजर घोषित कर ग्राम प्रधान द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	68-69
जनपद फतेहपुर के निर्वाचन क्षेत्र हुसैनगंज के विकास खण्ड ऐरायॉ के कतिपय जर्जर एवं गड्ढायुक्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	69
जनपद आजमगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद की कतिपय सड़कों की सामान्य मरम्मत व नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	69-70
जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को राजाज्ञा के अनुसार बोनस का लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	70
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	70-71
जनपद बागपत में दो समुदायों के मध्य टकराव की सूचना को उठाने का प्रयास ...	71
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	71-72
सत्र के दौरान जनपद पीलीभीत के मुख्य विकास अधिकारी एवं सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा विभिन्न समितियों की बैठकें बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	72
जनप्रतिनिधियों के प्रति अन्य व्यवस्था में काम करने वाले लोगों द्वारा सम्मानजनक व अपेक्षित व्यवहार न किये जाने सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	72-77
मा0 विधायकों का वेतन एवं भत्ते मुख्य सचिव के वेतन एवं भत्ते से कम होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	77-80
प्रदेश में विधान सभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न...	80-81
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के वित्तीय वर्ष 2006-2007 एवं 2007-2008 का आर्थिक चिट्ठा एवं आय-व्ययक खाता (सदन के पटल पर रखा गया)...	81
परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-1045/30-4-2012-4 (5)-2009 दिनांक 7 दिसम्बर, 2012 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	81

विषय	पृष्ठ-संख्या
उ0 प्र0 राज्य पर्यटन निगम लि0 लखनऊ सैंतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	81
उ0 प्र0 पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी अवध पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (सदन के पटल पर रखा गया)...	82
उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी बृज दर्शन परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	82
उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी हस्तिनापुर परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	82
उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी पश्चिमांचल परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	82
उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी सत्यदर्शन परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	82-83
उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी त्रिवेणी परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	83
उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी गंगा सरयू परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	83
उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी गढ़मुक्तेश्वर पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	83
उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी संगम परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	83
उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी ताज शिल्प पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	84

विषय	पृष्ठ-संख्या
उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी बुन्देलखण्ड परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	84
उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी बृज परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	84
उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी ज्ञानोदय परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	84
उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी मध्यांचल परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	84-85
उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी शाहजहांपुर परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	85
उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी सिद्धार्थनगर परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	85
उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी हिण्डन पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	85
उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी ताज विरासत परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	85
उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी पांचाल परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	86
उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी विठूर परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	86

विषय	पृष्ठ-संख्या
उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी अध्यावसायी परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	86
उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी अभ्यारण्य परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	86
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मिर्जापुर के गांव राजेशपुर, सिंगारपुर व ढ़ाई से हेतमपुर मार्ग तथा विकास खण्ड कलान के गांव तुलसी नगला व विकास खण्ड जलालाबाद के गांव रुस्तमपुर के जगदम्नि मंदिर ढकियान के पास पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक श्री बृजेश कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)..	86-87
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना के अन्तर्गत बेन्द्रो रमनिका मार्ग एवं उस पर स्थित पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक श्री लवकुश मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	87
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	87-96
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य), अनुदान संख्या-95, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत)	96-152
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-23, गन्ना विकास विभाग (गन्ना), अनुदान संख्या-24, गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत)... ...	152-187
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	187-190
लखनऊ-हरदोई रोड स्थित ग्राम बरावन कला में दबंगों द्वारा बन्द की गयी सरकारी नाली की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्त प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य... ...	190-191
जनपद रायबरेली के ग्राम दौलतपुर स्थित आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण पाण्डुलिपियों, पुस्तकालय एवं आवास को सांस्कृतिक धरोहर घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी सूचना पर संस्कृति मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	191

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मथुरा की एक मात्र चीनी मिल न चलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	191
जनपद प्रतापगढ़ में रामपुर के ग्राम देउम तथा थरिया में लिफ्ट कैनाल बनाकर सई नदी का पानी डाले जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत) ...	192
बहराइच-रूपईडीहा 4 लेन हाई-वे का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती माधुरी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)...	192
अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं हेतु प्रदेश में तकनीकी शिक्षा केन्द्रों में बढ़ोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में डा0 मो0 मुस्लिम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	192
जनपद जौनपुर विधान सभा क्षेत्र 372 केराकत के अन्तर्गत विकास खण्ड डोभी में बजरंगनगर बाजार के बीचो बीच लगे बिजली के पोल एवं तार बाजार के बाहर स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाब चन्द्र द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	192-193
विधान सभा क्षेत्र तिलहर जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के थानाध्यक्ष द्वारा गरीब जनता व किसानों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	193
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् में कार्यरत नियमित कार्य प्रभारित कर्मचारियों की मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रित सदस्यों को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र भड़ाना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	193
जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के कार्य को तत्काल पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभू दयाल बाल्मीकि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	193
जनपद इलाहाबाद के कोरांव क्षेत्रान्तर्गत तहसील मेजा में अग्निशमन केन्द्र के भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजबली जैसल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	194-195
नत्थियां	196-209

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 07 मार्च, 2013

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-341

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र 'टेनी', श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
7. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
8. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
9. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
10. अजीमुलहक पहलवान, अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
11. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
12. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
13. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
14. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
15. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
16. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
17. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
18. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
19. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
20. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
21. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
22. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
23. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
24. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
25. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
26. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
27. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
28. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
29. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
30. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
31. अली यूसुफ अली, श्री — रामपुर
32. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
33. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
34. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
35. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
36. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
37. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
38. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
39. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
40. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
41. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
42. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
43. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
44. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
45. आशीष यादव, श्री — बदायूं
46. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
47. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
48. इकबाल, श्री — बिजनौर
49. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
50. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
51. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
52. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
53. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती

54. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
55. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
56. उदयराज, श्री उन्नाव
57. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
58. उमाकान्ती, श्रीमती बलिया
59. उमाशंकर, श्री बलिया
60. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
61. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
62. ओम कुमार, श्री बिजनौर
63. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
64. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
65. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
66. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
67. काली चरन सुमन, श्री आगरा
68. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
69. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
70. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
71. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी
72. कैलाश, श्री गाजीपुर
73. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
74. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
75. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
76. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
77. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
78. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
79. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
80. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
81. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
82. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
83. गोमती यादव, श्री लखनऊ
84. गोरख पासवान, श्री बलिया
85. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
86. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
87. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
88. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
89. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
90. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
91. जगपाल, श्री सहारनपुर
92. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
93. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
94. जफर आलम, श्री अलीगढ़
95. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
96. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
97. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
98. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
99. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
100. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
101. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
102. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
103. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
104. तसलीम, श्री बिजनौर
105. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
106. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
107. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
108. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
109. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
110. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
111. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
112. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
113. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
114. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
115. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
116. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
117. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली

118. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
119. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
120. धर्मराज, श्री बाराबंकी
121. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
122. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
123. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
124. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
125. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
126. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
127. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
128. नारद राय, श्री बलिया
129. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
130. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
131. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
132. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
133. पीतमराम, श्री पीलीभीत
134. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
135. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
136. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
137. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
138. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
139. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
140. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
141. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
142. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
143. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
144. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
145. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
146. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', सुश्री देवरिया
147. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
148. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
149. बदलू खां, श्री उन्नाव
150. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
151. बाबू खां, श्री हरदोई
152. बाबूलाल, श्री गोण्डा
153. बावन सिंह, श्री गोण्डा
154. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
155. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
156. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
157. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
158. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
159. बैजनाथ, श्री मऊ
160. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
161. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
162. भगवत प्रसाद, श्री अलीगढ़
163. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
164. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
165. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
166. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
167. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
168. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
169. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
170. मनबोध, श्री देवरिया
171. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
172. मनीष रावत, श्री सीतापुर
173. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
174. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
175. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
176. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
177. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
178. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
179. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
180. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
181. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
182. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
183. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
184. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
185. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
186. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर

187. मुहम्मद गाजी श्री बिजनौर
188. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
189. मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
190. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
191. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
192. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
193. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
194. मोहम्मद रिजवान श्री मुरादाबाद
195. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
196. यासर शाह, श्री बहराइच
197. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
198. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
199. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
200. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
201. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
202. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
203. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
204. रणजीत सुमन, श्री एटा
205. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
206. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
207. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
208. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
209. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
210. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
211. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
212. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
213. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
214. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
215. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
216. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
217. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
218. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
219. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
220. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
221. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
222. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
223. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
224. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
225. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
226. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
227. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
228. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
229. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
230. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
231. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
232. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
233. राम करन आर्य, श्री बस्ती
234. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
235. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
236. राम गोविन्द, श्री बलिया
237. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
238. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
239. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
240. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
241. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
242. राम मगन, श्री बाराबंकी
243. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
244. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
245. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
246. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
247. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
248. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
249. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
250. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
251. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
252. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत

253. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
254. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
255. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
256. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
257. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
258. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
259. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
260. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
261. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
262. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
263. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
264. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
265. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
266. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
267. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
268. विजय सिंह, श्री रामपुर
269. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
270. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
271. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
272. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
273. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
274. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
275. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
276. वीरपाल राठी, श्री बागपत
277. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
278. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
279. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
280. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
281. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
282. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
283. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
284. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
285. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
286. शाकिर अली, श्री देवरिया
287. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
288. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
289. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
290. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
291. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
292. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
293. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
294. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
295. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
296. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
297. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
298. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
299. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
300. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
301. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
302. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
303. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
304. संजय कपूर, श्री रामपुर
305. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
306. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
307. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
308. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
309. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
310. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
311. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
312. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
313. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
314. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
315. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
316. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
317. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर

318. सियाराम सागर, डा0 बरेली
319. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
320. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
321. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
322. सुधाकर, श्री मऊ
323. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
324. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
325. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
326. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
327. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
328. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
329. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
330. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
331. सुल्तान बेग, श्री बरेली
332. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
333. सैय्यद कासिम हसन, श्री फतेहपुर
334. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
335. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
336. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
337. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
338. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
339. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
340. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
341. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) तथा कारागार मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

भारतीय जनता पार्टी के सांसद योगी आदित्यनाथ के साथ उ0 प्र0 पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने सम्बन्धी नियम-56 की सूचना को सर्वप्रथम सुनने की मांग

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल -

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल रात को लगभग साढ़े आठ बजे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद योगी आदित्यनाथ को जबरन ट्रेन से उतारा गया है। उनके साथ बदसलूकी की गई है मारपीट की गई है। रात को साढ़े तीन बजे तक गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा यह कार्य किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद के साथ जबरन ट्रेन में दुर्व्यवहार किया गया, किसी प्रकार का सम्मन नहीं, किसी प्रकार का वारंट नहीं, पुलिस अधिकारी की ओर से किसी प्रकार का ज्ञापन नहीं, वैधानिक रूप से टिकट के साथ यात्रा करते हुए, दिल्ली से गोरखपुर जाते हुए, उनके साथ दुर्व्यवहार इस शासन में हुआ है। यात्रा करने से उन्हें रोका गया है बिना बताये स्टेशन पर उन्हें जबरन पांच घण्टे तक गिरफ्तार करके रखा गया है।

श्री अध्यक्ष -

माननीय डॉक्टर साहब, आपने नियम-56 में दिया है, इसको मैंने स्वीकार किया है, आप नियम-56 के समय में अपनी बात को कह लीजिएगा। कृपया बैठ जाएं।

प्रश्नोत्तर

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में किसान मित्र योजना चालू कराये जाने की मांग

*01-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसान मित्र योजना बन्द होने से 5000 किसान मित्र बेरोजगार हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या उनके भविष्य को देखते हुए सरकार किसान मित्र योजना को पुनः चालू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, धर्मार्थ कार्य मंत्री (श्री आनन्द सिंह)-

मानदेय के आधार पर संचालित किसान मित्र योजना को उपयोगी न पाये जाने के कारण नीतिगत निर्णय लेते हुए शासनादेश संख्या : 1380/12-2-2010-165/2007, दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न भी देख लें और उत्तर भी, मान्यवर, हमने यह पूछा था कि जो किसान मित्र बेरोजगार हुए हैं यह मान्यवर, करीब 51 हजार 976 हैं, यह पचास हजार की फीगर गलती से पांच हजार छप गई है। मैंने प्रश्न लगाया था 50 हजार से ज्यादा किसान मित्र बेरोजगार हुए हैं। मान्यवर, इस सरकार की प्राथमिकता में किसान आता है, यह बजट भाषण से भी स्पष्ट है और वैसे भी समय-समय पर यह लोग इस बात को दोहराते रहते हैं। मैंने यह पूछा था कि

जो किसान मित्र बेरोजगार हो गये हैं उन्हें रोजगार देने के लिए क्या इस योजना को दोबारा चालू करेंगे? मान्यवर, उसके सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया है। मैं आपके माध्यम से दो छोटे-छोटे सवाल माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं पहला यह कि किसान मित्रों की इस योजना की समाप्ति से 51 हजार 976 किसान जो हर ग्राम पंचायत में नियुक्त थे वह बेरोजगार हुए और उससे कृषि की उपज पर भी प्रभाव पड़ा है। किसान मित्र योजना इसलिए चालू की गई थी ताकि किसानों की कृषि उपज को बढ़ाया जा सके। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो किसान बेरोजगार हुए हैं क्या उनको किसी अन्य योजना में लाकर समायोजित करेंगे ? दूसरा यह कि जो कृषि उपज को बढ़ाने के लिए किसान मित्र योजना थी क्या कृषि उपज को बढ़ाने के लिए कोई और वैकल्पिक व्यवस्था आप करेंगे, यह दो छोटे-छोटे सवाल मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं ?

श्री कुंवर आनन्द सिंह-

माननीय खन्ना जी को याद होगा उस वक्त असेम्बली में थे या नहीं थे लेकिन मैं नहीं था। यह स्कीम आपके द्वारा चलायी गयी थी और यह 1998-99 में शुरू हुई थी। आपने एक पैसा मानदेय नहीं दिया। आपने वर्ष 2000 में काम कराया एक पैसा मानदेय नहीं दिया, 2002 में काम कराया एक पैसा मानदेय नहीं दिया, 2003 में भी आपकी सरकार ने एक पैसा मानदेय नहीं दिया। रोजगार का सवाल उठना ही था उसके बाद आपके साथी आ गये, 6-6 महीने सरकार चलाने की करार थी। तो आपने पांच साल बेगार करवाया, आज आपको उनका दर्द याद आ रहा है इतने साल के बाद। यकायक उभर आया मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग जरूर देख रहे हैं, नई स्कीम दे रहे हैं। उनको नहीं दे रहे हैं, हम स्कीम दे रहे हैं जिसमें वो भी एडजस्ट हो सकते हैं। उसके बाद माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार आयी उन्होंने कहा कि इन लोगों को कम से कम साइकिल का भत्ता तो दे दो, दो सौ रुपयो दे दिया गया। उसके आगे 275 रुपयो कर दिया गया। उसके बाद फिर इसकी शक्ल बदली और 50029 ग्राम पंचायतों में किसान मित्रों की संख्या निर्धारित की गयी, कोई मानदेय नहीं दिया गया। वर्ष 2006-2007 में पांच-पांच प्रगतिशील किसानों का चयन करते हुए 40,000 की संख्या निर्धारित की गयी, कोई मानदेय नहीं दिया गया। वर्ष 2007-2008 में पहली बार 52,000 ग्राम पंचायतों में योजना संचालित की गयी। 1000 रुपयो प्रतिमाह मानदेय तथा 200 रुपये नियत भत्ता दिया गया। मैं प्रतिपक्ष के नेता जी को बताना चाहूंगा कि 2008-09 में स्कीम चला, पूरा पैसा नहीं दिया तथा 2009-2010 में थोड़ा सा देकरके स्कीम आपने बंद कर दी। आपने चलायी, आपने बंद कर दी। मुझसे आप पूछते हैं कि क्यों बंद कर दी? हमने फाइल देखी, कुछ कारण नहीं लिखा है, बस बंद कर दी गयी, आइन्दा से नहीं चलायी जायेगी, यह शब्द लिखा हुआ है। तो इसमें श्रीमन्, जो बेरोजगारी की बात आयी, रोजगार मिला कब था जो बेरोजगारी हो गयी? डेढ़ साल इनको मानदेय मिला, बाकी तो बेगार था।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी, पूरा जवाब आ गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आज के जो वर्तमान में मुख्य मंत्री हैं यह उस समय सांसद थे पिछले साल फरवरी की बात है। चुनाव चल रहा था पड़रौना में एक आम सभा हुई। पड़रौना के आम सभा

में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि किसान मित्र योजना पुनः चालू की जाएगी। मान्यवर, वह घोषणा तो सांसद के तौर पर की गयी थी लेकिन चूंकि आज वह प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं और वह चुनाव के समय घोषणा की गयी थी तो मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो तत्कालीन सांसद और वर्तमान मुख्य मंत्री जी की जो पड़रौना में घोषणा है, उस घोषणा को ध्यान में रखते हुए क्या किसान मित्र योजना फिर से चालू करेंगे ?

श्री कुंवर आनन्द सिंह-

मान्यवर, कहना यह है कि आपकी पार्टी को घोषणाओं के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। आप फर्जी घोषणा में यहां बैठे हुए हैं। जो स्थिति है वह मैं आपको दे रहा हूं। मैंने पहले ही कहा कि इनके लिए हम लोग कुछ न कुछ प्रबन्ध करने की बातचीत कर रहे हैं। हमको 5000 तकनीकी सहायक चाहिए, हम उनको कह रहे हैं कि वह इसमें आयें, जो लायक होंगे, लिए जायेंगे। बी0टी0एम0 हर जिले में लिये जा रहे हैं। बी0टी0एम0 में और एस0एम0एस0 में जहां-जहां हो रहा है, हमने कह रखा है कि इनमें से जो आयें वह लिये जांए। हमारे पास वह आये थे, वह कह रहे थे कि हम आयेंगे तो 52000 ही आयेंगे, नहीं तो नहीं आयेंगे। अब 52000 वहां बचे कहां हैं ? यह तो एक दबाव डालने की कोशिश है। 52000 में तमाम नौकरी में चले गये। 50 हजार में तमाम बी0टी0एम0 में आ गये, 52 हजार में आधे बेरोजगारी भत्ता पाने लगे उतना ही जितना हम देते थे तो कौन से 52 हजार ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पूरी राम कथा तो हो गई। इन्होंने शुरू किया उन्होंने बन्द किया, यह सारी बातें आ गई। मान्यवर, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने एक आशा की किरण दिखाई है कि उन्हें वैकल्पिक रूप से योजनाओं में समाहित किया जायेगा। मान्यवर, उन्होंने अन्धेरे में हल्की सी एक रोशनी दिखाने की कोशिश की है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने कहा कि बहुत से लोग बहुत सी वैकल्पिक व्यवस्था में शामिल हो गये हैं, कोई इसके पात्र नहीं रहे हैं, ठीक है। क्या माननीय मंत्री जी के पास इस समय यह आंकड़ा है कि उन 52 हजार में या 50 हजार आपने कुछ कहा उनमें कितने लोग वैकल्पिक रूप में समायोजित हो गये हैं और कितने बाकी हैं और जो बाकी हैं उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कोई रूप रेखा बनाई है ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी सूचना है आपके पास ?

कुंवर आनन्द सिंह-

प्रमोद भाई ने पूछा कितने लोग शामिल हो गये? 52 हजार की फिगर कहां से आई ?

श्री प्रमोद तिवारी-

आपने बताई।

कुंवर आनन्द सिंह-

नहीं हमने नहीं बताई, आपने बताई। माननीय सदस्य ने बताई। 2010 की बताई। आज कितनी है फिगर आप बतायें तो मैं बताऊं कितने समायोजित हुए। 51 हजार की फिगर आपने बताई

और कहा कि 2010 में स्कीम खत्म हो गई। हमने तो कहा आपने खत्म कर दी। स्कीम खत्म कर दी, 52 हजार में कौन कहां कितने बैठे हैं, इसका रिकार्ड मेरे पास कहां ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर संख्या बतायें ?

श्री अध्यक्ष-

चलिये अब बैठिये, हो गया। उन्होंने कह दिया वैकल्पिक व्यवस्था में। अब पूरा जवाब आ गया। जब वह कह रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था हम कर रहे हैं, उसमें जो कुछ होगा वह करेंगे, अब वह संख्या कहां लिये बैठे हैं। मेरी बात मानिये, बैठिये। आप इतने सीनियर मैम्बर हैं।

प्रदेश व बिहार की सीमा विवाद का न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण

*01-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश व बिहार की सीमा पर विवादित भू-भाग पर फसल की बुवाई और कटाई को लेकर प्रतिवर्ष विवाद होता है और कई बार कृषकों को जान भी गंवानी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके स्थायी समाधान हेतु नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

उत्तर प्रदेश व बिहार की सीमा से सटे जनपद गाजीपुर, कुशीनगर, देवरिया, सोनभद्र व चन्दौली जनपदों में विगत 08-10 वर्षों में फसल की बुवाई और कटाई को लेकर कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है। इसके अतिरिक्त जनपद बलिया के हांसनगर/नैनीजोर क्षेत्र, नौरंगा क्षेत्र तथा उमरपुर दियरा क्षेत्र सीमा विवाद से प्रभावित है जिसमें खेत की बुवाई/फसल की कटाई के समय कभी-कभी विवाद हो जाता है।

दोनों प्रान्तों के जिलाधिकारियों द्वारा सीमा पर लगे स्तम्भों के चिन्हीकरण कराने तथा मौके पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु समय-समय पर बैठक करके नीति निर्धारण कर मजिस्ट्रेट्स, पुलिस तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में विवाद का शान्तिपूर्ण निस्तारण कर दिया जाता है। वर्तमान समय में इस भूमि के विषय में विभिन्न सक्षम न्यायालयों में स्वत्व व कब्जे का वाद भी विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

अध्यक्ष महोदय मैंने जो प्रश्न किया था माननीय मंत्री जी को उससे इंकार नहीं है। और मेरी यह पूरी जानकरी है कि इस विभाग के चलते भूतकाल में कई बार लाठियां चली हैं और गोलियॉं चली हैं लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। इसलिये मैंने यह सवाल किया था कि इसके स्थायी समाधान हेतु क्योंकि कृषक हमारे देश का बैक बोन है, वह हमारे रीढ़ की हड्डी हैं। उनको सुरक्षा देना, उनको प्रोत्साहन देना, ऐसे विवाद न उत्पन्न होना और उसका स्थाई समाधान देना, यह सरकार का दायित्व है। इसीलिये मैंने पूछा था। आपने कहीं नहीं यह बताया कि इसके स्थाई समाधान हेतु क्या वर्तमान सरकार ने, भूतकाल की छोड़ दीजिये, वर्तमान सरकार ने और वह भी सक्षम राजस्व मंत्री जी ने क्या

कोई नीति बनाई है ताकि इसका एक स्थाई समाधान हो जाय और समय समय पर विवाद उत्पन्न न हो, कोई दुःखद घटना घटित न हो। शांति से लोग अपना बुवाई और कटाई कर सकें।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय चौधरी साहब ने जो प्रश्न पूछा है अनुपूरक के माध्यम से कि क्या कोई नीति बनाई है ? उसके पहले मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि यह सतत् विवाद इन दोनों प्रदेशों के बीच पहले से लम्बे अरसे तक चला आता था कि धुर धारा का सिद्धान्त लागू था बार्डर फिक्स करने के लिए, मिड स्ट्रीम, नदी की मध्य धारा से बायीं तरफ उत्तर प्रदेश और नदी की दायीं धारा की तरफ बिहार। जब नदी धारा बदल देती थी तो दो तरह की स्थितियां होती थीं। जो जमीन नदी से कटकर नदी में विलीन हो जाती थी वह नक्शे पर दूसरे ढंग से दर्ज हो जाती थी, नक्शे पर शिकस्त लिख दिया जाता था। जैसे अगर कोई मौजां है रामपुर, तो रामपुर शिकस्त लिख दिया गया और अगर नदी की धारा बदल जाने से नई जमीन बढ़ जाती थी तो उसको नौबरार दर्ज कर दिया जाता था। परमानेंट जो नक्शा होता था उसके आगे उस नक्शे को ड्रा करके नौबरार कर देते थे क्योंकि राजस्व विभाग की जो व्यवस्था है वह लगान वसूलने के लिए मूल रूप से यह विभाग बनाया गया वही स्ट्रैक्चर चलता रहा। तो लगान वसूलने के लिए नौबरार और शिकस्त के हिसाब से जो शिकस्त हो जाता था तो वह लोग कहते थे कि मेरा बालू पानी में चला गया तो हमसे लगान नहीं लिया जाए, माफ कर दिया जाए। जिनका नौबरार हो जाता था उनको लगान मिल जाती थी। इससे किसानों के मध्य जो भूमि पर खेती करने के अधिकार को लेकर संघर्ष होता था इसमें तमाम लोगों की जानें गईं 13 लोगों की हत्यायें भूमि विवाद में हुई हैं। एक हत्या 1968 में हुई जिसमें एक व्यक्ति की बोटी काटकर गंगा जी में बहा दी गईं। बहुत दुखद घटनाक्रम से गुजरा है वह इलाका, इस भूमि विवाद को लेकर। आप जानते भी हैं और अवगत कराना चाहूंगा कि चन्दू लाल त्रिवेदी जी की अध्यक्षता में त्रिवेदी एबार्ड गया उसमें यह हुआ कि बार्डर फिक्स हुआ, अब नदी चाहे कहीं जाए लेकिन बार्डर तय हो गया, बार्डर फिक्स हो गया, अब न यू0पी0 का कोई गांव बिहार में जाएगा और न बिहार का कोई गांव यू0पी0 में आएगा और फिक्स लाइन तय करके उस पर उन्होंने खम्भे गढ़वा दिए और उसी के अनुसार तय हो गया।जब वह रिकार्ड ट्रांसफर हो गए, परमानेन्ट सेटेलमेंट हो गया कि बिहार ने यू0पी0 को दे दिया और यू0पी0 ने बिहार को दे दिया कि अब अपने-अपने राजस्व का इंतजाम आप स्वंय करें। अब यह जो प्रश्न इन्होंने पूछा है यह प्रश्न त्रिवेदी एबार्ड के बहुत बाद का है, यह इसलिए हो रहा है कुछ नदी की धारा के कारण और कुछ लोगों की बदमाशी के कारण, जानबूझकर लोगों ने वहां के पिलर्स उखाड़ लिए, तो पिलर्स उखाड़ने के कारण जब बाढ़ आती है तो जमीन की कोई मेढ़ नहीं होती है आप भी जानते हैं कि मेढ़ नहीं होती है और खेत अंदाज से जोते जाते हैं और वह चिन्हित करने के लिए फिर बिहार के लोग कहेंगे कि हमारा है उत्तर प्रदेश के लोग कहेंगे कि हमारा है। पहले मीटिंग हुई है मेरी यह राय है कि पहले जो मीटिंग जिलाधिकारी के स्तर पर होती थीं वह हों, इसको नये सिरे से करायेंगे। 6-7 सालों से हुई नहीं हैं। पिछली बार 2006 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मैं राजस्व मंत्री था तो बिहार के अधिकारियों को बलिया में आमंत्रित करके हमने मीटिंग कराई थी। तब से अब तक शान्तिपूर्वक चल रहा है लेकिन इसका स्थाई समाधान हो इसके लिए हमने विचार किया है और यह राय सदन के सामने रखने में कोई संकोच नहीं है कि उच्च

स्तर पर, मंत्री के स्तर पर बिहार राज्य के राजस्व मंत्री के साथ स्वंय बैठक करके और उसके पहले अधिकारियों के स्तर पर बैठक करके, इसका परमानेंट हल ढूंढा जाए और बजट आड़े नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश की ओर जितने खम्भे लगाए जाने हैं जो त्रिवेदी एबार्ड के हिसाब से हैं बार्डर फिक्स करने में, तो वह कार्यवाही नये सिरे से फिक्स करके उसको परमानेन्टली हल किया जाए यह हमने प्रयास किया है। और यही इसका सर्वोत्तम हल निकल सकेगा। यह मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

श्री विजय कुमार दुबे-

मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र 329 खड्डा बिहार की सीमा से लगे हुए हैं एक तरफ नेपाल सीमा एक तरफ बिहार सीमा, इस विवाद को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए बिहार के राजस्व कर्मी और हमारे कुशीनगर के राजस्व कर्मी 15 दिन सीमा पर समय दिए और सीमांकन की नापी होने के बाद, यह लगभग दो साल पहले हुआ था, और जो बार्डर फिक्स करने के पिलर लगाया गया पिलर का वहां पर आवंटन किया गया लेकिन बार-बार हम लोग जिला प्रशासन से कहते रहे कि इस विवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए जो पिलर पड़े हैं, वह एक-एक करके खत्म भी हो रहे हैं, गायब भी हो रहे हैं, उनको सीमा पर गाड़ दिया जाये लेकिन आज तक जिला प्रशासन द्वारा उन्हें गड़वाया नहीं गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो पिलर वहां पर पड़े हैं, उन पिलर को गाड़ कर और सीमा विवाद को समाप्त करने का कार्य कब से होगा ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने शायद सुना नहीं, मैंने यही उत्तर दिया था कि जो पिलर किसी वजह से उखड़ गए हैं, उनको पुनः लगवा दिया जायेगा ताकि उन लोगों के बीच में डिस्प्यूट नहीं रहेगा, मैंने यही उत्तर दिया था और उसके लिए पहले अधिकारियों की बैठक करके और मान्यवर, मैं पहली बार, यह कभी हुआ नहीं है, मैं इस प्रयास में हूं कि राजस्व मंत्री के स्तर पर तय करके ताकि फाइनली सेटल कर दें, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा।

श्री दलवीर सिंह-

श्रीमन्, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, हरियाणा की सीमा मथुरा, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, नोयडा इन सब जिलों से लगी हुई है। दीक्षित एवार्ड घोषित हुआ था और जो आप बता रहे हैं, यही नीति निर्धारित की गई थी लेकिन हरियाणा की सरकार यदि हमारी जमीन कट कर उधर चली जाती है, चाहे वह बागपत की हो, चाहे मथुरा की हो, चाहे मुजफ्फरनगर, चाहे अलीगढ़ की हो, चाहे नोयडा की हो, अपने क्षेत्र के किसानों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर देते हैं और हमारी साइड में अगर उधर की जमीन आ जाती है, लेकिन हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी उसे अभिलेखों में दर्ज नहीं करते हैं। आयेदिन गोलियां चलती हैं, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे और कहीं हो, वहां की सरकार उनका फेवर करती है, लेकिन हमारी सरकार हमारा फेवर नहीं करती है, न हमारे अधिकारी हमारा फेवर करते हैं। वह फसल को जबरदस्ती काट ले जाते हैं, एक महीने बाद यह झगड़ा शुरू होगा। मान्यवर, खैर तहसील का पलवल क्षेत्र जो पड़ता है, कई बार गोली चल गयी, कई लोग मारे गये। दीक्षित एवार्ड ने जो घोषणा की थी, जो पिलर वाली बात आप कर रहे हैं, उस सम्बन्ध में क्या माननीय मंत्री जी प्रभावी एक्शन करेंगे, हरियाण सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में ? मैं यह जानना चाहता हूं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह प्रश्न चूंकि बिहार की सीमा से था, यह प्रश्न जो आपने पूछा है इसका विस्तृत उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं लेकिन मैं माननीय सदस्य को अवगत करा दूं कि यह जो दीक्षित एवार्ड 1974 में लागू हुआ था और सैद्धान्तिक रूप से जो बात प्रश्न के उत्तर में मैंने कही है, उससे आप सहमत हैं। बार्डर से जुड़े हुए जितने माननीय सदस्य हैं, इस सदन के, उनकी एक बैठक इस सत्र के समाप्त होने के बाद किसी दिन आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी उपयुक्त जगह पर रख लेता हूं। आप लोगों से बात पहले हो जाए और सब जनप्रतिनिधियों से बात होने के बाद आवश्यकतानुसार जो कदम आगे उठाने आवश्यक होंगे, वह उठाये जायेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय नेता लोकदल से यह कहना चाहता हूं कि यदि वह हमारी कुछ अतिरिक्त मदद कर सकें कि बार्डर के जो माननीय सदस्यगण हैं, उनसे सम्पर्क करके एक सूची आप रख लें, जिससे सत्र के दौरान भी हम लोग घण्टे भर की बैठक करके इस समस्या का हल निकाल लेंगे और उसमें तय कर लेंगे कि आगे क्या कदम उठाया जाना है। सरकार की ओर से मैं पूर्णतः आपको आश्वस्त करता हूं कि सरकार भी अपने किसानों के हित-रक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेगी और हम अपने प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत सख्त हिदायत देंगे कि किसानों के हितों का उत्तर प्रदेश में रक्षण हो।

श्री तेजपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तेजपाल सिंह जी, यह बिहार से सम्बन्धित है। पहले उमेश पाण्डेय पूछ लें, उसके बाद पूछा लेना।

श्री उमेश पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा 353-मधुवन, जनपद-मऊ से सटा हुआ जनपद गोरखपुर है, माननीय अध्यक्ष जी, सीमांकन का मामला है और 3 हजार एकड़ किसानों की जमीन का विवाद है, 3-3 लोगों की जानें जा चुकी हैं और इसी सदन में मैंने इस क्विशचन को लाने का काम किया हूं।

श्री अध्यक्ष-

सवाल बिहार के बार्डर का है तो बिहार से अगर मिलता है तो पूछिए। श्री अध्यक्ष-अब गोरखपुर और मऊ की बात इसमें कहां से आ गयी। यह प्रश्न ही नहीं है। आपका लिखा जाएगा। आप सवाल लगाइयेगा उसका उत्तर आएगा। केवल बिहार से संबंधित सवाल पूछें।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसे आप बिहार और हरियाणा प्रदेश के लिए कर रहे हैं तो नेपाल के बार्डर से सटा जो हमारा क्षेत्र है नदियों की कटान की वजह से भी वहां पर यह समस्या आती है। क्या वहां के मामले में भी आप ऐसी ही बैठक बुलाकर इस समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

नहीं यह प्रश्न नैपाल का नहीं है। बिहार का पूछें। रूबी प्रसाद जी क्या आपका क्षेत्र बिहार से सटा है।

श्रीमती रूबी प्रसाद-

मान्यवर, बिहार, झारखण्ड, छतीसगढ़ और मध्य प्रदेश।

श्री अध्यक्ष-

तो बिहार के बारे में पूछो।

श्रीमती रूबी प्रसाद-

मान्यवर, बार्डर पर किसानों की जो जमीनें होती हैं तो उसमें अन्य प्रदेशों के लोग उनकी जमीनों से रोड निकाल लेते हैं तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं। कई किसान हमसे शिकायत किये हैं। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि क्या उन किसानों की जमीन का सीमांकन करायेंगे ? हमारे उत्तर प्रदेश का जो किसान है उसकी जमीन उसको मिलनी चाहिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, दिखवा लेंगे।

श्री तेजपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप सीमांत प्रांतों की जो योजना बनाने जा रहे हैं उसमें हमारे क्षेत्र में राजस्थान और हरियाणा दोनों लगते हैं तो हम तो केवल आपके माध्यम से यह पूछना चाहते हैं कि और दूसरे जो प्रान्त लगते हैं उनको भी उस योजना में लागू करेंगे या नहीं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मूल रूप से जो समस्या जानकारी में आयी है वह हरियाणा और बिहार के बार्डर से आयी है। राजस्थान के बार्डर से अपराधियों ने आकर आपके यहां अपराध करके भाग जाने की सूचनायें तो हैं लेकिन उसमें किसानों के बार्डर डिस्प्यूट के कोई मामले प्रमुखता से नहीं आये हैं। इसलिए मैं इस बारे में कोई राय व्यक्त नहीं कर सकता। अगर कोई समस्या है तो आप हमें लिखकर दे देंगे तो हम उसका परीक्षण करा लेंगे।

जनपद आगरा के भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में पंजीकरण प्रक्रिया आरम्भ करने सम्बन्धी अध्यादेश जारी करने की मांग

*02-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अवध विश्वविद्यालय ने शोध में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा (प्रदेश स्तरीय) 30 जून, 2012 को सम्पन्न करायी थी तथा जिसका परिणाम भी आ चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार की जानकारी में है कि पंजीकरण प्रक्रिया सम्बन्धी नियम जारी न हो पाने के कारण डा0 भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, आगरा सहित प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में

शोध के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बन्द है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि निजी विश्वविद्यालयों में अधिक फीस होने के कारण विद्यार्थी प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शोध हेतु पंजीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक पंजीकरण प्रक्रिया सम्बन्धी अध्यादेश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

पी0एच0डी0 उपाधि अध्यादेश, 2012 पर अनुमोदन की कार्यवाही प्रचलित है।

उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य विश्वविद्यालयों में पी0एच0डी0 में प्रवेश हेतु संयुक्त पात्रता प्रवेश परीक्षा पी0एच0डी0 2012 आयोजित की गयी जिसमें निजी विश्वविद्यालय सम्मिलित नहीं है।

पी0एच0डी0 उपाधि अध्यादेश, 2012 पर अनुमोदन की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 धर्मपाल सिंह-

अध्यक्ष जी, देश में विनियमन 2009 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का लागू है। इस विनियमन 2009 के अनुसार देश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन लागू है। अध्यक्ष जी, नेट और स्लैट, एम0फिल0 और पी0एच0डी0 2009 विनियमन के अनुसार, यदि अनुमति हो तो एक पैरा पढ़ दूं। मान्यवर, इस 91 के अनुसार समस्त विश्वविद्यालय, मानद विश्वविद्यालय एवं कालेज, राष्ट्रीय महत्व की संस्थायें एम0फिल0 एवं शोध छात्रों का प्रवेश अपने स्तर पर विश्वविद्यालय, मानद विश्वविद्यालय एवं कालेज की संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। माननीय अध्यक्ष जी, 2009 में इस विनियमन में यह कहा गया है कि जो भी पी0एच0डी0 के लिए पंजीकरण होगा वह प्रवेश परीक्षा के द्वारा होगा इसमें यह भी कहा गया है कि पूरे देश में विश्वविद्यालय और कालेज अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित करेंगे लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे नहीं माना। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कम्बाइंड प्रवेश परीक्षा यूनिवर्सिटियों की आयोजित कर दी। जो अवध विश्वविद्यालय ने 03 जून को परीक्षा आयोजित की। उसका परिणाम भी आ गया। माननीय अध्यक्ष जी 01 अगस्त को उसकी पात्रता प्रमाण-पत्र भी जारी कर दिये। आज 09 महीने हो गये उस परीक्षा में करीब 90 हजार नौजवान बैठे और उसमें से करीब 32 हजार ने इस परीक्षा को पास कर लिया। आज वह 32 हजार नौजवान जो पी0एच0डी0 के लिए पंजीकरण कराना चाहते हैं। इस प्रदेश में मारे-मारे घूम रहे हैं, जो शोध अध्यादेश राज्य सरकार को जारी करना था, वह आज तक जारी नहीं हुआ। मा0 मंत्री जी ने जवाब दिया कि वह अभी प्रचलित है। मान्यवर, प्रदेश में हो क्या रहा है, जो निजी विश्वविद्यालय हैं उनके यहां पी0एच0डी0 के लिए पंजीकरण खुला हुआ है और इनके यहां पंजीकरण की फीस करीब तीन लाख रुपये है और सरकारी विश्वविद्यालयों में पंजीकरण बन्द है। मा0 मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि यह प्रचलित है। माननीय अध्यक्ष जी, जो शोध अध्यादेश सरकार ने बनाया होगा, उसे प्रदेश के विश्वविद्यालयों में भेजा गया होगा कमेण्ट के लिए। वह विश्वविद्यालय अपने कार्यकारी परिषद् से पास कर के उस अध्यादेश को वापस उन्होंनें

सरकार को भेजा होगा और सरकार ने उसमें अगर कोई कमी रही होगी, उसे देखते हुए फिर उसमें संशोधन कर के मा0 राज्यपाल महोदय के यहां भेजा होगा। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह चार स्टेज हैं तो कौन सी स्टेज पर यह अध्यादेश विचाराधीन है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हम आपका प्रश्न नहीं समझ पायें।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मैं दोबारा से प्रश्न स्पष्ट कर देता हूं, जो शोध अध्यादेश है सरकार ने एक समान शोध अध्यादेश बना लिया, उसके बाद उस पर कमेण्ट के लिए प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में उसे भेजा जाता है। हर विश्वविद्यालय की अपनी कार्यकारी परिषद् होती है, वह कार्यकारी परिषद् से पास कर के दोबारा सरकार के पास भेजते हैं। सरकार को लगे कि उसमें कोई कमी है तो उसे दूर कर के उस अध्यादेश को मा0 राज्यपाल के पास भेजती है यानी कुलाधिपति के पास। तो मान्यवर मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन चार स्टेजों में यह अध्यादेश कहां पर यानी किस स्टेज पर पेण्डिंग है या विचाराधीन है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आपने जो स्टेज बताईं हैं, वह स्टेज लगभग ठीक बताई हैं, पूरी तौर पर तो नहीं ठीक बताई हैं, लेकिन ठीक है। मान्यवर, यह सही है, यूजीसी ने जो गाईड लाइन्स जारी किये, उस गाइड लाइन के हिसाब से 2012 में पी0एच0डी0 के लिए परीक्षाएं हुईं, लेकिन उसमें जो ड्राफ्ट गर्वनमेण्ट ने यू0जी0सी0 की गाइड लाइन के हिसाब से डिफरेण्ट यूनिवर्सिटीज को भेजा वह डिफरेण्ट यूनिवर्सिटीज ने फिर उस पर अपने कमेण्ट के साथ भेजा है, उसको फाइनल करने की प्रक्रिया चल रही है और मान्यवर, बहुत जल्दी वह प्रक्रिया पूरी कर के, फाइनल कर के सब पर लागू करवा देंगे।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 32 हजार नौजवान भटक रहे हैं । क्या मा0 मंत्री जी को पता है कि जो कम्बाइन्ड टेस्ट हुआ इसके अलावा भी सरकार ने मेरठ, लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालय को अलग से परमीशन दे दी, अपनी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की ? क्या आपकी जानकारी में है ? अगर आपने इन तीनों विश्वविद्यालयों को परमीशन दे दी और मा0 अध्यक्ष जी कानपुर, झांसी और बरेली ने अपने आप अध्यादेश बना कर शोध परीक्षार्थियों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केवल अब तीन विश्वविद्यालय बचे हैं, डा0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, जौनपुर और काशी विश्वविद्यालय। क्या इन्हें सरकार परमीशन दे देगी कि वह अपना शोध अध्यादेश पास कर के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दें ?

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं इनको कि यह जो आर्डिनेन्स या अध्यादेश की बात हो रही है, इस पर भ्रम नहीं होना चाहिए। यह आर्डिनेन्स यूनिवर्सिटीज के अपने आर्डिनेन्स हैं, यह सरकार की ओर से आर्डिनेन्स नहीं हैं और

यूनिवर्सिटीज अपना आर्डिनेन्स इस बारे में दे सकें, इसके लिए जो गाइड लाइन्स यूजीसी ने तय की थीं, उन्हीं गाइड लाइन्स पर एक कामन ड्राफ्ट बनाकर कि कोई वैरियेशन न हो, सारी यूनिवर्सिटीज को भेजा गया, उनके कमेण्ट आ गये और श्रीमन् उसके आगे की जो स्थिति है, उसका परीक्षण हो रहा है और हम उसको जल्दी फाइनल करा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

प्रदेश में गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित होने के उपरान्त बोनस घोषित करने की मांग

*03-श्री धर्मपाल सिंह, श्री दलवीर सिंह एवं श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2013-14 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार ने 1350/-रु0 प्रति कुन्तल घोषित किया है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश सरकार प्रदेश के किसानों को उस पर 100 रु0 प्रति कुन्तल बोनस घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

जी हां।

जी हां।

इस प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे मा0 कृषि मंत्री जी से, इनके उत्तर से सरकार का किसान विरोधी चेहरा स्पष्ट हो गया है, इन्होंने कहा कि हम सौ रुपये प्रति कुन्तल किसान को खरीद पर बोनस नहीं देंगे, विचाराधीन नहीं है। मान्यवर, प्रश्न नं0-1 यह विचाराधीन क्यों नहीं है। प्रश्न नं0-2 मान्यवर जब केन्द्र सरकार गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित कर देती है तो ये परम्परा रही है कि प्रदेश सरकार बोनस दिया करती है। मान्यवर, हमने 100 रुपये प्रति कुण्टल बोनस की मांग की है। मध्य प्रदेश सरकार 250 रुपये प्रति कुण्टल बोनस दे रही है, गुजरात सरकार 250 रुपये प्रति कुण्टल बोनस दे रही है। मा0 अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि इस बोनस देने की परम्परा को ये क्यों तोड़ना चाहते हैं।

कुंवर आनन्द सिंह-

श्रीमन्, किसान विरोधी चेहरा तो अभी साबित हो गया है कि 5 साल काम कराके, उनको बिना एक कौड़ी दिये भगा दिया तो हमदर्दी किसानों से आपको है वो तो दिखा। एक नीति होती है प्रदेश बना के भेजता है, उसमें बहुत लोग होते हैं। वाइस चांसलर्स होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, मंत्री लोग होते हैं और एक हम यहां से जोड़कर भेजते हैं। आप ही के पास भेजते हैं। हमने 2200 रुपये भेजे, अभी क्या है और आपने उसको काट के 1350 रुपये दिये हैं हमने पूरे प्रदेश में दिया है तो श्रीमन्, हमारा फोकस 1350 तो है जो आया है। हम कोशिश करेंगे कि ये 1350 किसानों तक सही रूप में पहुंच जाये।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्री जी बहुत अनुभवी हैं, वरिष्ठ हैं, सब कुछ हैं तो बात को तो घुमा दिया इन्होंने। मान्यवर, अगर आप इसे पढ़ें तो ये 1350 रुपये समर्थन मूल्य है, अधिकतम नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से प्रश्न पूछ रहा हूं कि ये समर्थन मूल्य है कि इसके नीचे न आये, ऊपर की कोई सीमा नहीं है। जो आप इंगित कर रहे थे भारत सरकार को। मान्यवर, दो राज्य इन्होंने गिना दिये हैं। एक राज्य का पड़ोस का मैं भी गिना देता हूं, हरियाणा। अगर हरियाणा दे सकता है, मध्य प्रदेश दे सकता है और आप कहते हैं कि आप किसानों के साथी हैं, किसानों के हितैषी हैं, हैं भी मान ली आपकी बात तो क्या उदारतापूर्वक आपने जो भेजा था, उतना हुआ नहीं। यानी आप भी चाहते थे कि उतना हो जाये तो जब आप भी चाहते थे कि उतना हो जाये और वो हुआ नहीं, आपको करने का अधिकार भी है तो क्या मैं आपके माध्यम से मा0 कृषि मंत्री जी से अनुरोध पूर्वक, विनयपूर्वक, आग्रहपूर्वक, उदारतापूर्वक जान सकता हूं कि क्या वो किसानों के हित में हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र

(भारतीय जनता पार्टी के कतिपय मा0 सदस्यों द्वारा बीच में बोलने पर)

अरे, रुको भाई। तुम गिना लेना अपने, हमको अपने गिनाने दो। गिना तो रहा हूं, तुम बीच में ही टोके दे रहे हो। जब ये राज्य महाराष्ट्र, गुजरात और बताओ गोवा कह दें तुम्हारा। जो भी हो मान्यवर, हमारा भी, इनका भी, तुम्हारा तो कहीं हैं ही नहीं (बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों की ओर देखते हुये) मान्यवर, हमारा, इनका जहां-जहां जिसका है, वो सब छोड़ के किसानों के हित में आग्रहपूर्वक निवेदन है, विनयपूर्वक निवेदन है कि ये मिनिमम है। मैक्सिमम तो राजा साहब आपकी जितनी कृपा हो जाये, उतना हो जायेगा तो मैं आग्रह करूंगा कि किसानों का बढ़ा हुआ बिजली का दाम, सिंचाई का दाम, खाद का दाम, मजदूरी का दाम सब देखते हुये उदारतापूर्वक विचार कर लीजिये कुछ बोनस देने के बारे में।

श्री दलवीर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, इसी के साथ मेरा भी सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, उत्तर दे रहे हैं, सुन लीजिये।

कुंवर आनन्द सिंह-

मान्यवर, किसका जवाब दूं, उनका कि इनका।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, तिवारी जी का।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, ये तो लाजवाब हैं, इनसे तो पूछा ही नहीं जा सकता।

कुंवर आनन्द सिंह-

इन्होंने कहा कि दे सकते हैं। मिनिमम है हम मैक्सिमम दे सकते हैं। इन्होंने बनाया पांच, सात, मैं कहता हूं कि किसी भी सूबे में एक बार इनको बिठा दीजिये, उसके बाद ये दाम दे दें तो मैं

जानूं। कुछ छोड़ा है, किसके दाम दे दें। हम किसानों की हर संभव सहायता करेंगे। कल मैं अपने बजट में उसको बताऊंगा। किसान को कोई कष्ट नहीं होने पायेगा, ये मेरी गारण्टी है लेकिन वित्तीय साधन भी हमें देखने ही होंगे।

(मा0 सदस्य पूरन प्रकाश द्वारा बीच में खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अभी मंत्री जी बोल रहे हैं। बीच में नहीं खड़ा होना चाहिये।

श्री पूरन प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, किसानों का आनाज बराबर के राज्यों में जा रहा है, हमारे प्रदेश की जितनी भी मण्डियॉं हैं, वह खाली पड़ी रहती हैं, किसान वहां तभी जायेगा, जब उसे वहां फायदा हो रहा हो। हमारे प्रदेश की जितनी भी मण्डियां चाहे वह कोसी मण्डी हो, चाहे मथुरा मण्डी हो, चाहे गोवर्धन मण्डी हो वहां एक भी किसान नहीं पहुंच रहा है। किसान के लिए यह इतना महत्वपूर्ण है, किसानों से सम्बन्धित है और मा0 मंत्री जी ने कह दिया कि भई इधर देख लें, उधर देख लें, इससे काम नहीं चलेगा मान्यवर, यह किसानों से सम्बन्धित मामला है और राष्ट्रीय लोक दल घोषणा करता है कि जो जवाब आया है सरकार की तरफ से उसके विरोध में हम तो मान्यवर, वाक आउट करते हैं।

(श्री प्रमोद तिवारी द्वारा मा0 सदस्य से कहा गया कि हमेशा वॉक ऑउट करके अपने नेता के साथ जाया जाता है।)

श्री अध्यक्ष-

कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, चलिए आइये।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, इतना गंभीर मामला है, किसानों का और प्रदेश सरकार मजबूर कर रही है।

श्री दलवीर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 धर्मपाल सिंह जी, मा0 प्रमोद तिवारी जी ने अपनी-अपनी सरकारों के गुण बखान कर दिया। कांग्रेस वालों ने अपने प्रदेश की कह दी, भाजपा वालों ने अपने प्रदेश की कह दी। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि डीजल के दाम बढ़ गए, बिजली के दाम सरकार बढ़ाने जा रही है, सभी चीजों के दाम बढ़ गए हैं, खाद के दाम बढ़ गए हैं। मा0 मंत्री जी कह रहे थे कि हमारे पास बफर स्टाक है, इसी तरह से रेट और बढ़ा दीजिए आपकी खाद को कोई लेने आएगा ही नहीं। किसानों की स्थिति यह है कि आखिर जाएं तो जाएं कहां, सरकार से ही निवेदन कर सकते हैं, अन्य सरकारों की भांति, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी जिले हैं बार्डर से लगे हुए, जैसे अभी हमारे सदस्य मा0 पूरन प्रकाश जी कह रहे थे मथुरा, अलीगढ़ इत्यादि से जितना भी गेहूं है, सब हरियाणा को चोरी होकर बॉर्डर में सब वहां पर बिकने जाता है, जिससे की प्रदेश को भी हानि होती है। बहुत सौभाग्य का विषय है कि इसी से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न है, है तो अतारांकित लेकिन किसानों से जुड़ा हुआ है, उसमें मैंने मा0 राजस्व मंत्री से जानना चाहा था।

श्री अध्यक्ष-

आप सवाल पूछिए, इस पर अतारांकित कहां पूछ रहे हैं ?

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, यह उसी से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा तो नहीं चलता है मा0 सदन।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं मा0 कृषि मंत्री जी से कि कृषि बीमा योजना के तहत, मैंने जानना चाहा था कि सभी किसानों को आच्छादन कार्ड जारी होने चाहिए थे। इसका प्राविधान भी है, क्या सरकार किसानों के लिए इसकी व्यवस्था करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

यह मूल्य का मामला है इसमें आच्छादन कार्ड कहां से आ गया। इसमें आप सीधे सवाल पूछिए कि क्या दाम बढ़ायेंगे ? बोनस देंगे कि नहीं, हां, नहीं में उत्तर ले लीजिए, प्रश्न समाप्त।

श्री दलवीर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारी राष्ट्रीय लोक दल की मांग है कि आप 200/- कम से कम किसानों का पैसा बढ़ायेंगे कि नहीं बढ़ायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यही सवाल हो गया, अब बैठिए।

कुंवर आनन्द सिंह-

श्रीमन्, मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि इस पर अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, यह किसान विरोधी सरकार है। स्थिति यह है कि कम-से-कम समर्थन मूल्य से ज्यादा बोनस नहीं देने के कारण, किसानों को मजबूर होना पड़ रहा है, हरियाणा में गेहूं बेचने के लिए, किसानों को मजबूर होना पड़ रहा है, राजस्थान में गेहूं ले जाने के लिए हमारी पार्टी इस जनविरोधी फैसले पर सदन से बर्हिगमन करती है।

(तत्पश्चात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के सदस्यों ने सदन से बर्हिगमन कर दिया।)

श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं, पूर्ववर्ती सरकार की तरफ। पूर्ववर्ती सरकार से मेरा आशय है कि मा0 राजनाथ सिंह जी मुख्य मंत्री थे, राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्य मंत्री थे, कल्याण सिंह जी थे, मुख्य मंत्री उस कार्यकाल में, जो सरकारी दर थी, उसमें 100 रुपये बढ़ा कर के दिया गया। अभी आपने कहा कि फिलहाल हम विचार नहीं कर रहे हैं, फिलहाल तो कोई गेहूं की फसल है भी नहीं मान्यवर, अभी तो खेत में खड़ी है। उस फसल को आने में अभी दो महीने

बाकी हैं। आज मत करिए विचार आप, लेकिन गेहूं की फसल के आने तक आप विचार कर लीजिए और जनहित में , किसान हित में और प्रदेश हित में, निश्चित रूप से जो दर निर्धारित है, उस दर से अधिक बढ़ा कर 100 रुपये करें, 200 रुपये करें, वह तो आपकी इच्छा की बात है। मान्यवर, इसका आश्वासन आप दे देंगें।

कुंवर आनन्द सिंह-

मान्यवर, इसमें आश्वासन की कोई बात नहीं होती है यह सरकार किसान हितैषी है। हम हर वह काम करेंगे जिससे किसानों को भला हो। इसमें आश्वासन की कोई बात नहीं है। लेकिन जो कमी होगी हम पूरा करेंगें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर मंत्री जी भी असहाय हैं और सरकार भी असहाय है। यह सरकार उद्योगपतियों के हित में सोचने वाली सरकार है किसानों के हित में सोचने वाली नहीं है। अगर आप किसानों के हित में नहीं सोच सकते हैं, तो आपको बैठने का अधिकार नहीं है। मान्यवर इसलिए हम लोग कुछ समय के लिए सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(श्री हुकुम सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ यह नारे लगाते हुए सदन त्याग कर चले गये।)

(कुछ क्षणों बाद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन में वापस आ गये।)

कुंवर आनन्द सिंह-

मान्यवर रूठने का लुफ्त तब है, रूठिये, मान जाइये, रूठते हैं आप लेकिन रूठना आता नहीं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इनको आप कवि सम्मेलन में भेज दीजिए, यह काम कृषि मंत्री वाला कोई और कर लेंगे।

प्रदेश में पालीथीन की पन्नियों के उपयोग पर प्रतिबन्ध की मांग

*04-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पालीथीन की पन्नियों एवं लिफाफों के उपयोग से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो क्या इन पन्नियों एवं लिफाफों के उपयोग पर कड़ाई एवं स्थायी प्रतिबन्ध लगाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

40 माइक्रान्स से कम मोटाई वाली पॉलीथीन की पन्नियों एवं लिफाफों के प्रयोग से पर्यावरण को सम्भावित नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए ही पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबन्ध और प्रहस्तन) नियम-2011 प्रख्यापित है जो कि प्रदेश में भी लागू हैं एवं जिसके अन्तर्गत कोई व्यक्ति किसी अप्रयोज्य या पुनः चक्रित या कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक से बने किसी

कैरी बैग का जो मोटाई में 40 माइक्रान्स से कम है, विनिर्माण, भण्डार, वितरण या विक्रय नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी प्लास्टिक के उपयोग व निस्तारण हेतु उ0 प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2000 प्रख्यापित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर यह जो कहा जा रहा कि इस मोटाई की पतली पॉलिथीन का प्रयोग नहीं हो रहा है, मान्यवर, अभी प्रश्न प्रहर समाप्त होने में लगभग पैंतिस मिनट का समय शेष है। आप कृपया किसी कर्मचारी को किसी परचून की दुकान पर भेजकर, कोई सामान मंगवा लें फिर आप पायेंगे कि आपका उत्तर सही नहीं हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैने नहीं कहा है कि नहीं हो रहा है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर आप उत्तर देख लें पूरे उत्तर से स्पष्ट है कि इस पर रोक लगी है, फिर भी यह मिल रही है। मान्यवर यह मान नहीं रहे हैं कि उसकी बिक्री नहीं हो रही है। इससे पर्यावरण पर खराब प्रभाव पड़ रहा है। मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके कारण तो पर्यावरण में कठिनाई है ही अंडर ग्राउण्ड वाटर शहरों में नहीं जा पा रहा है, नदियां प्रदूषित हो रही हैं। दुर्भाग्य से,जो इन जानवरों को कुछ खिलाने वाला नहीं है जानवरों पर बीमारी फैल रही है अगर किसी का पेट चीरेंगे पोस्टमार्टम करेंगे तो उसमें से आधा प्लास्टिक निकलेगा। यह प्लास्टिक जो आम आदमी के लिए जहर बन गया हो और जहर है, इस प्लास्टिक को रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कार्यवाही, जो अपने खड़े होकर कहा कि रोकने की बात हमने नहीं करी नियम की बात करी है, कानून की बात करी है, कानून तो है लेकिन हम रोक नहीं रहे हैं यही आपने कहा। आपने जो कहा है कि कानून है उसको रोक नहीं रहे हैं तत्काल ऐसे प्लास्टिक बैग के ऊपर जो 40 माइक्रान से कम हैं और जो पर्यावरण के लिए और समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है उसको तत्काल रोकने के लिए आदेश देंगे और एक दो दिन बाद अगर जब पुनः हम इस प्रश्न को नियम-56 में या किसी नियम में लायेंगे उसको कड़ाई से पालन करेंगे तब दो दिन के बाद यह बताने की स्थिति में होंगे कि आज प्रदेश में पालीथीन का प्रयोग नहीं हो रहा है। इन दो प्रश्नों का उत्तर दिलवा दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैंने शुरू में जैसा कहा, माननीय महाना जी ने जो कहा कि उत्तर में मैने कहा कि इसका प्रयोग नहीं हो रहा है ऐसा मैंने कहा नहीं और मैं पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने नियमों का उल्लेख किया और इस सम्बन्ध में जो निर्देश हैं उनका उल्लेख किया लेकिन यह मैंने नहीं कहा कि इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। यह मिथ्या भाषण करके और एक बात कह कर निकल जाने से यह प्रदेश का भला, हित नहीं होने वाला है। हम और आप दोनों लोग इस बात के लिए आये हुए हैं दोनों को अपने-अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है। मिथ्या सूचना सदन को नहीं देनी चाहिए।

हमको भी पता है और आपको भी पता है और उस प्रत्येक को पता है जो इस पर लम्बी चर्चाएं होती हैं और यह कितना खतरनांक है अपने आपमें। तो वह जहर है ही लेकिन उसके सम्पर्क में आ करके दूसरी खाद्य वस्तुएं या दूसरी चीजें जो आगे के प्रश्न में पुनः एक प्रश्न है आगे वह जहरीली हो जाती है और उसके जलाने में अनजाने में जो लोग काम कर रहे हैं, वह अत्यन्त जहरीली गैस जो डायोक्सीन बनती है वह अत्यन्त जहरीली गैस है और कैंसर के कारको में जो कैंसर के पैदा करने वाले फैक्टर्स हैं उसमें सबसे बड़ा फैक्टर यह है जिसके कारण कैंसर पैदा हो रहा है, कैंसर बढ़ रहा है, अन्य कारणों में यह है।

एक दूसरी कठिनाई जो आपने कही वह मैं स्वीकार करना चाहता हूं और हम सबकी समस्या है जो सीवर लाइने चोक हो जाती हैं उनकी दिक्कत है, जो मवेशी खास तौर से गायें, उनको खाकरके और जो तमाम बड़ी मात्रा में मर जाती हैं और उनके आपरेशन के लिए यद्यपि सरकार ने प्रबन्ध किया है लेकिन कितनी गायों का आपरेशन होगा, नहीं हो सकेगा क्योंकि पूरा पेट खोलना पड़ता है यहां से। आपने देखा हो नहीं देखा हो मैंने तो अपने घर पर जानवर को देखा पूरा ड्रम की तरह से खुलता है। जहां गर्दन खत्म होती है उसके पीछे वह आपरेट करके और उसमें एक गुच्छा इतना बड़ा निकलता है। तो यह बहुत ही खतरनांक है इसमें दो राय नहीं है। और नियम जो बनाये गये हैं, प्राविधान जो बनाये गये हैं, इन प्राविधानों का पालन जिस स्तर पर होना चाहिए उसमें जो कठिनाई है वह भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कठिनाई यह है कि अगर कोई फैक्ट्री हो बड़ी तो उसको तो चेक करना आसान है लेकिन यह छोटी मशीनें रखकर घरों, छोटे छोटे मोहल्लों में, छोटे घरों में जैसे पत्तल बनाने वाली छोटी मशीन आती है उस तरीके की मशीने रखकर जो प्रयोग हो रहा है और जो चोरी छिपे दूसरे प्रदेशों से भी आ रहा है, दूसरा माल कहकर आता है और कवर्ड में चला आता है, बहुत खतरनांक स्थिति है और इसका मुकाबला करने के लिए बहुत संगठित तरीके से इस पर प्रहार होना जरूरी है । हम अपनी ओर से आप से यह कहना चाहते हैं कि इस पर प्रभावी नियंत्रण हो इसके लिए यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सकेगा सिर्फ निर्देश नहीं बल्कि उसके परिणाम प्राप्त हो सकें उसका असिस्मेंट हम लोग कर सकें और उसका असिस्मेन्ट क्या है जो उदाहरण माननीय महाना जी ने दिया कि अभी किसी को भेजिये जिस पन्नी में वह सामान लेकरके आयेगा, नहीं आयेगा तो नहीं है और आयेगा तो है। दूसरी खतरनांक बात उसमें एक और है अपने आप में जो वह पालीथीन खतरनांक है वह तो है ही। वह कई गुना खतरनांक और जहरीली हो जाती है उसके रंगीन बनने से जो रि-साइक्लिंग में और 40 माइक्रोन से पतली वाली बन रही हैं वह उससे दुगनी जहरीली हैं उसमें और कई तरह के जहरीले तत्व हैं इन पर रोक लगाई जाये इसके लिए दण्ड के प्राविधान हैं। लेकिन मान्यवर, इसमें 5 वर्ष तक उसके सजा का प्राविधान है आलरेडी उस ऐक्ट के सेक्शन 15 में है कि पनिश्बिल विथ इमप्रिसमेन्ट फॉर टाइम विच मेक इट टू फाइव इयर आर फाइन आफ वन लेक रुपीज आर विथ बोथ यह प्राविजन तो है लेकिन इन प्राविजन को लागू करने में जो मैंने आपको बताया व्यवहारिक कठिनाई जो आ रही है कि छोटे-छोटे घरों में लोगों ने रख लिये हैं और 4 किलो बनाया, 5 किलो बनाया, जाकर बाजार में दे आये। इस पर अभियान चलाकर और बहुत सख्त इन प्रावधानों को लागू करके रोकने की आवश्यकता है, इसको हम स्वीकार करते हैं और इस पर प्रभावी कार्यवाही करायेंगे, यह हम आश्वस्त करते हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, जैसे आप इस पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि प्रभावी कार्यवाही करायेंगे, मैं उसका स्वागत करता हूं। यह भी कहा कि समयबद्ध रूप से सख्ती करेंगे, कानून है उसका पालन करायेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जैसे पालीथीन बैग्स पर सख्ती होगी तो इसके साथ-साथ उसके विकल्प के रूप में या तो जूट के बैग या फिर कागज के बैग यह दो तो है उसके विकल्प। तो बैन लगाने से पहले उसके विकल्प के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जूट की जो सारी प्रक्रिया है, फैक्टरीज के संबंध में, तो उसमें प्रोत्साहन जूट बैग बनाने में, उसके टैक्सेशन को कम करने के लिये या उसके विकल्प के लिये जो दूसरी बातें हैं, उसके बारे में सरकार कोई योजना बनायेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यद्यपि जो उन्होंने सुझाव दिया है या जो बात कही है, मूल प्रश्न से उसका सीधा संबंध नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज एक और बात से अवगत कराना चाहता हूं कि कागज बनाने में वनों की कटाई और उसका पल्प बनाने में जितने प्रोसीजर्स हैं, उसमें केमिकल का यूज, पानी का नुकसान इन सारी चीजों को अगर मिला दें तो जितना पर्यावरण का नुकसान इस पालीथीन से हो रहा है, उससे ज्यादा पर्यावरण को हानि कागज बनाने में और कागज के लिफाफे बनाने में उससे कम नहीं है। मैं जानकारी के लिये कह रहा हूं और सरकार की किसी नीति की बात नहीं कर रहा हूं। हम लोग अनजाने में कागज की बात जो कर देते हैं, वह पर्यावरण को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है, कम नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। इसलिये कोई विकल्प इस ढंग से सोचना पड़ेगा और उसकी कास्ट, क्योंकि मूल्य जो भी बढ़ेगा, जो मूल्य आयेगा, वह आम उपभोक्ता को देना पड़ेगा। इसलिये इस विषय पर व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित हो जाये कि जहरीले तरीके को खत्म करके कैसे इसको सेफ तरीके से भी किया जाये और हम उन विकल्पों को लागू कर सकें, जो सामान्यजन की पहुंच के भीतर हों और संस्कृति ऐसी विकसित कर सकें कि यूज एंड थ्रो के बजाय हम परमानेंट एक झोला लेकर जायें, यह संस्कृति विकसित हो, कई संस्थाओं ने कई स्तर पर ऐसा प्रयास भी किया है, हम लोगों को भी सामाजिक स्तर पर इस प्रयास में शामिल होना पड़ेगा और इन चीजों में शामिल होकर ही इसका हल निकाला जा सकता है। यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। सरकार इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लेती है, जो प्रबन्ध हो सकेंगे, उसमें आपका सहयोग लेकर करेंगे।

प्रदेश में स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित शुल्क

*05-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमों के शुल्क मदवार निर्धारित न होने के कारण प्रबन्धतंत्र द्वारा छात्र/छात्राओं से मनमाने ढंग से शुल्क वसूला जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार आने वाले शिक्षण सत्र के लिए स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में चलने वाले सभी पाठ्यक्रमों के शुल्क का मदवार निर्धारण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को सरकारी अनुदान देकर फीस कम करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/2002, दिनांक 2-7-2003 द्वारा स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निर्धारित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

वर्तमान नियमों में व्यवस्था नहीं है।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं इसके अनुपूरक के रूप में यह बात रखना चाहता हूं कि इस प्रश्न के पीछे प्रदेश के लगभग 25 लाख छात्र-छात्राओं का विषय है और हजारों-लाखों की संख्या में इन बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों का विषय है। मान्यवर, स्ववित्त पोषित महाविद्यालय और जैसा माननीय मंत्री जी ने जिस जी0ओ0 को पढ़ा है, वह 02-07-2003 को जारी हुआ है। इस 2003 के जी0ओ0 में यह तय किया गया है कि स्नातक स्तर पर जो शुल्क की सीमा है, वह 5 हजार प्रति छात्र-छात्रा होगी और छह हजार रुपयो स्नातकोत्तर विषयों की फीस होगी। माननीय मंत्री जी व्यवहारिक स्थिति यह है कि स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में छः हजार, आठ हजार, दस हजार से कम में स्नातक का एडमीशन नहीं होता और 10 हजार से 25 हजार प्रति छात्र स्नातकोत्तर छात्रों से प्रवेश शुल्क की व्यवस्था है। मान्यवर, मदवार हमने क्यों कहा है कि आपने इसमें बोल दिया कि पांच हजार स्नातक का और छह हजार स्नातकोत्तर का अब इसमें होता यह है कि स्ववित्त पोषित जो विद्यालय हैं। यह परीक्षा, नामांकन, प्रयोगात्मक शुल्क, बिजली शुल्क के नाम से छात्र-छात्राओं से तमाम पैसा वसूलते हैं। आए दिन इस पर धरना प्रदर्शन होता है आज भी फिरोजाबाद में आप जिलाधिकारी के माध्यम से आप पता कर लें।

श्री अध्यक्ष-

सवाल तो पूछें ।

श्री मनीष असीजा-

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि लाखों छात्र-छात्राओं के हित के लिए क्या यह मदवार शुल्क निर्धारित करने का कार्य करेंगे जिससे कि आपने जो 5 हजार और 6 हजार तय किया है उसका पालन किया जाए क्योंकि व्यवहारिक स्तर पर 8 हजार से 25 हजार रुपए वसूला जा रहा है। और 25 लाख छात्र-छात्राएं इस प्रदेश के प्रभावित हो रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी स्ववित्त पोषित जो महाविद्यालय हैं वह जो फीस छात्रों से मिलती है उसी के आधार पर वह अपना संचालन करते हैं अन्य कोई आधार उनके पास होता नहीं है। सभी लोग इससे भिज्ञ हैं कि अलग-अलग विद्यालयों में अलग-अलग एक्टिविटी होती हैं कुछ में वह एक्टिविटी होती हैं कुछ में वह एक्टिविटी नहीं होती हैं। कुछ ऐसी आप्शनल एक्टिविटी होती हैं जिसमें छात्र शामिल होते हैं कुछ में नहीं शामिल होते हैं। तो परीक्षा या अन्य दूसरे तरह के जो शुल्क हैं उसके

बारे में न तो कोई निर्देश है और ऐसा करके प्रत्येक के लिए आदर्श स्थिति बनाना संभव नहीं है। परीक्षाओं को लेने के लिए भी अलग-अलग व्यवस्था है जो ट्यूशन फी लेने का इंतजाम है इस सम्बंध में पहले से जारी निर्देश हैं उसका कहीं उल्लंघन होगा और उल्लंघन करने की शिकायत प्राप्त होगी तो हम उसकी जांच कराएंगे और उसमें नियमानुसार कार्यवाही कराएंगे। जो व्यवस्था है वह ट्यूशन फी की है आपने स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए पूछा है सिर्फ स्नातक और स्नातकोत्तर की बात ही नहीं है स्ववित्त पोषित के अन्तर्गत जो तकनीकी जो प्रोफेशनल या और कालेज भी हैं यह उन सबके लिए व्यवस्था है यह व्यवस्था पहले से प्रभावी है उसके उल्लंघन की अगर कोई शिकायत मिलेगी तो हम निश्चित रूप से जांच कराएंगे।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो अवगत कराया है उस सम्बंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आपका इसी के साथ एक जी0ओ0 और है कि जितना शिक्षण शुल्क आप लेंगे तो स्ववित्त पोषित विद्यालय की जो सकल आय है उसका 75 से 80 प्रतिशत शिक्षकों को वेतन के रूप में देना पड़ेगा। यह शिक्षणेत्तर गतिविधियों के लिए पैसा वसूल नहीं कर रहे हैं हकीकत यह है कि यह विद्यालय इस वक्त कमाई का अड्डा बने हुए हैं। हमारे पास आप का ही दिया हुआ आंकड़ा है। कि राजकीय 137 महाविद्यालय हैं सहायता प्राप्त 331 हैं और स्ववित्त पोषित 3,085 हैं प्रदेश में 3553 महाविद्यालय हैं उसमें 3085 तो हैं स्ववित्त पोषित और वहां पर राजकीय सहायता प्राप्त या शासकीय महाविद्यालय नहीं हैं उसके कारण लाखों छात्र पढ़ने से वंचित होते हैं वह मजबूरी में इन स्ववित्त पोषित विद्यालयों में पढ़ने के लिए जाते हैं। उसके मालिकान इसका ब्लैकमेल करते हैं छात्र-छात्राओं का उत्पीड़न होता है। अगर आप इसको संवेदना के साथ देखेंगे तो इसका निराकरण होगा । यह 2003 का जी0ओ0 है आज 2013 आ गया तो इस दौरान आपकी यूनीवर्सिटी का शुल्क जो था शिक्षण शुल्क पहले 300 रुपये था अब यह 1500 रुपए हो गया है। आगरा में अम्बेडकर विश्वविद्यालय का और स्नातकोत्तर का था 400 अब हो गया है 2200 तो व्यवहारिक रूप से देखें तो स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की फीस छात्र-छात्राओं का हित और शिक्षकों का हित इसकी दृष्टि से इसको पुनरावलोकन कर लें और इस पर एक दूसरी नीति बनाकर प्रदेश के लाखों छात्रों का हित करने की मैं मंत्री जी से मांग करता हूं और यह मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि वह इस पर सकारात्मक उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष-

क्या आप चाहते हैं कि फीस बढ़ा दी जाए ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं उत्तर दे रहा हूं। यह अन्तर्विरोध मैं समझ पाने में समर्थ नहीं हुआ कि जो 5 हजार रुपए स्नातक और 6 हजार रुपए स्नात्कोत्तर के लिए जो निर्देश हैं उसे माननीय सदस्य घटाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो पूछा वह बहुत साफ है।

श्री अध्यक्ष-

जब माननीय मंत्री जी खड़े हो करके जवाब दे रहे हैं तो जवाब सुनिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अलग से दे दूंगा आप अगला अनुपूरक पूछ लीजिएगा। मान्यवर, एक तरफ तो उन्होंने यह कहा कि चार सौ से तेइस सौ हो गया, मुझे उनकी समस्या का हल करना है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य की इच्छा यह है कि पांच हजार की बात को चार सौ से और तेइस सौ का जो अनुपात है उसी अनुपात में बढ़ा दिया जाए और इसके लिए नया शासनादेश जारी किया जाए। अगर मान्यवर, ऐसी मंशा है तो वह बतायें।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, मेरी यह इच्छा नहीं है, मैं तो आपको वास्तविक बात बता रहा हूं यहां खड़े होने का मतलब यह नहीं है कि एक एंगिल से जो सच है उसको बताने से मैं छिपा दूं। मैंने तो आपको यह बात बताने की कोशिश की है कि वर्ष 2003 से इतने महत्वपूर्ण विभाग और इतने सारे छात्र-छात्राओं के भविष्य की दृष्टि से जो नियम है वह लम्बित है। आप मुझे यह कहकर फंसाना चाहते हैं कि मैं बढ़ाऊं कि घटाऊं। मान्यवर, बढ़ाना घटाना नहीं है आप इसका सही से अध्ययन कीजिए, 3553 विद्यालय हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप फंसते जाओगे, कृपया बैठ जाओ।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, फंसेंगे नहीं। मान्यवर, इसमें क्या फंसना, हमारी तो नीयत साफ है। 3553 तो विद्यालय हैं, नये विद्यालय हैं नहीं, छात्रों का भी शोषण न हो और विद्यालय भी चल पायें क्योंकि सरकारी विद्यालय कम हैं इसलिए स्ववित्त पोषित विद्यालय भी चलें, शिक्षकों का भी हित हो। कायदे से तो हमने हर हल्के प्वाइन्ट पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो स्ववित्त पोषित की व्यवस्था आई है, यह शासन की असफलता के कारण आई है। माननीय सदस्य ने स्वयं बताया कि 35 सौ विद्यालयों में 3 हजार विद्यालय स्ववित्त पोषित हैं। यह इसलिए है कि जितने लड़के इण्टर कालेज से पढ़ करके निकल रहे हैं सरकार उनके लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने में जो सरकार नितान्त असफल है, उस असफलता को दूर करने के लिए पर्याप्त रूप से सरकारी महाविद्यालयों को खोलने का काम करेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, पहले मैं डॉक्टर साहब के सवाल का जवाब दे देता हूं। सरकार ने प्रयास किया है और अभी आपने माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण में उसका उल्लेख देखा, जब उच्च शिक्षा का बजट आयेगा तो विस्तार से हम बतायेंगे। मान्यवर, हमने तो 36 नये सरकारी महाविद्यालयों को इसी बजट में खोलने का प्रावधान किया, 02 नये सरकारी विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है हम उसकी स्थापना कर रहे हैं और उच्च शिक्षा के उन्नयन के लिए सरकार कृतसंकल्प है, सारे कदम उठा रहे हैं।

प्रदेश में गिरते हुए उच्च शिक्षा स्तर को बढ़ाने एवं नये विश्वविद्यालय खोले जाने की मांग

*06-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के गिरते स्तर को बढ़ाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार प्रदेश में नये विश्वविद्यालय खोलने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

उच्च शिक्षा के उन्नयन के लिए राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक अनुश्रवण समिति गठित है जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय बिन्दुओं पर विचार करती है। विश्वविद्यालयों एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों का नैक से मूल्यांकन तथा राज्य विश्वविद्यालयों के विभागों में सेंटर आफ एक्सीलेंस स्थापित किये जाने की योजना क्रियान्वित है। राज्य विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों का परिवर्धन किया जा रहा है एवं न्यून सकल नामांकन अनुपात दर वाले जनपदों में राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन, इलाहाबाद तथा बस्ती मण्डल के जनपद सिद्धार्थनगर में एक-एक नये राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रदेश में जो उच्च शिक्षा है, उसका जो स्तर गिरता जा रहा है, जो अभी पिछली काफी देर की बहस में पता भी चला और साबित भी हुआ और इसका संज्ञान सारे सदन को हुआ। हम उसमें यह जानना चाहते हैं कि अगर 4 हजार महाविद्यालय हैं उनके जो शिक्षण का स्तर है। वह जो गिर रहा है उसमें सरकार की क्या योजना है, सरकार क्या कर रही है ? इसके बारे में जो उत्तर मिला है उसमें बताया गया है कि कुलपतियों की एक अनुश्रवण समिति गठित है जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय बिन्दुओं पर विचार करती है। प्रश्न के प्रथम पार्ट में दो-तीन जिज्ञासा है कि यह कुलपतियों की समिति कब गठित हुई थी ? इसमें कौन-कौन से कुलपति हैं ? इन्होंने कभी कोई बैठक करके सुझाव दिये हैं, वह सुझाव क्या हैं और उस सुझाव पर क्या कार्रवाई हुई है ? ये चार बता दें उसके बाद सेकेण्ड फेज में और पूछ लेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इन चारों प्रश्नों का उत्तर एक कार्यवाही से जायेगा और उस कार्यवाही की पूरी कापी मैं उन तक भिजवा दूंगा। उनका जो मूल प्रश्न है उच्च शिक्षा के स्तर के बारे में, जिस पर माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है और जिस पर सदन के सभी सदस्यों की चिंता होना स्वभाविक है। यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। लेकिन मान्यवर, यह स्थिति क्यों हुई इस पर तो सोचना पड़ेगा ? विगत पांच वर्षों में, पिछली सरकार के जमाने में उच्च शिक्षा के साथ क्या हुआ और तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री जी के साथ क्या हुआ ? यह सदन से जानने से बाकी तो है नहीं। श्रीमन्, मैं खाली लोकायुक्त के जांच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रास्ते में उनकी गाड़ी रोक करके मुख्य मंत्री आवास में लौटाये

जाने की बात नहीं कर रहा हूं। रास्ते में गाड़ी रोक करके और दोनों ओर पुलिस के अधिकारी बैठ करके गाड़ी लौटाकर सीधे सी0एम0 हाउस में तत्कालीन मंत्री जी पहुंचाये गये। उनकी डिग्गी में क्या लदा है, उसका क्या वजन है और उस वजन का क्या अर्थ है ? यह प्रदेश को बताने में कोई संकोच नहीं है। जितने लोग डिग्री कॉलेजेज का प्रबन्धन देखते हैं, सबको पता है कि नये विषय की मान्यता लेने का तथा सीटें बढ़ाने का क्या मानदण्ड था ? जो इण्टरमीडिएट में लोग पास हो गये उनकी कुछ सीटें बढ़ानी थी, तो उन सीटों को बढ़ाने का क्या मानदण्ड था ? उन मानदण्डों का कितनी सख्ती से पालन हुआ कि अगर कोई गुरू महाराज भी आ जांए, पिताश्री भी आ जांए तो कोई छूट का प्राविधान उसमें नहीं था, एक व्यक्ति के लिए भी कोई छूट नहीं थी। जो नियम सख्ती से कम से कम लागू करने का काम हुआ उसके कारण उच्च शिक्षा इन पांच सालों में बुरी तरह से जिस गति को प्राप्त हुई, उससे यह सदन पूरी तरह से भिज्ञ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने जो प्रयास किया वह मैं बता दे रहा हूं। हमने प्रयास यह किया कि अपनी पीठ ठोंक लेने से कि हम सर्वोत्तम हैं इससे काम चलने वाला नहीं है। अभी महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी इस पर चिंता व्यक्त किया। सभी जगहों पर हम एक ओर कहते हैं कि हमारी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थायें हैं, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी हमारी ऐसी नहीं है जो दुनिया की 200 यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आये, जहां हमारे रिर्सच का वर्क हो सके, जहां की प्रतिभा को कह सकें कि हम ऐसे छात्रों को यहां से पैदा करते हैं जो दुनिया में नई चीजें दे सकें। इसके लिए हमने कदम उठाये हैं, वह मैं बताना चाहता हूं। कदम यह है कि नेशनल एस्सिमेंट एण्ड एक्रीडिशन काउंसिल यू0जी0सी0 की एक पैरेंटल बॉडी है उसकी बाध्यता इस सरकार ने अबकी कर दिया है कि जो राज्य विश्वविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय, अनुदानित और स्व-वित्त पोषित महाविद्यालयों को ''नैक'' से मूल्यांकन कराने के निर्देश दिये गये हैं। उनके लिए बाध्यता यह की गयी है कि अगर 6 साल उनकी स्थापना के हो गये तो करने की बाध्यता होगी, या दो बैच उनके पास-आउट हो गये तो करने की बाध्यता उनकी होगी। ताकि इसका एसिस्मेंट टाइम टू टाइम एक आडिट एसिसमेंट होता चले कि सचमुच में उनका कोई स्तर है या नहीं है ? अब यह ऑप्शनल नहीं है, पहले ऑप्शनल था। सेण्टर फॉर एक्सीलेंस अगर डेवलप करना है तो उसके लिए हमने 8 करोड़ रुपयो बजट में प्राविधानित भी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उल्लेख किया। आगे उच्च शिक्षा का बजट आ रहा है उसमें पूछ लीजिएगा। तो इन चीजों को उत्तम करने के लिए, शिक्षा के स्तर के उन्नयन के लिए मान्यवर, सरकार ने ये सारे कदम उठाये हैं। हम कोई ढपोरशंखी नहीं हैं कि मान्यवर, प्रबन्ध नहीं किये हैं खाली घोषणा करते चले जा रहे हैं। काम करने वालों की सरकार है, उच्च शिक्षा को महत्व देने वालों की सरकार है। माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं इसको देख रहे हैं और पूरी गंभीरता से इस पर प्रयास हो रहे हैं, यह मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न ऑवर है, सीधा सवाल होना चाहिए, सीधा जवाब आना चाहिए। हमारा कहना यह है कि भाषण करने के लिये बजटों पर लोग भाषण दिया करें चाहे उत्तर देने वाला हो या सवाल करने वाला हो। यह कोई बात नहीं हैं कई कई प्रश्न आते हैं नम्बर नहीं आता। फिर प्रश्न लगते हैं तो उस पर कार्यवाही उस दिन नहीं होती है। हम टू द प्वाइंट नटशैल में सवाल करते हैं कि जो आपने नैक का बताया, वह इसमें आपने लिखा, वह ठीक है, हम एग्री हैं लेकिन वह

जो रिपोर्ट गई उन लोगों ने दी आपने कहा कि हम भेज देंगें। हम अपने लिये व्यक्तिगत नहीं मांग रहे हैं। हम तो व्यक्तिगत आपसे कमरे में बात कर लेते। हम सदन के लिये, सबके लिये मांग रहे हैं कि उन्होंने कभी कोई रिपोर्ट दी ? वह रिपोर्ट क्या थी। उस पर पिछली सरकार ने या नई सरकार ने कोई कार्यवाही की, यह हम जानना चाहते हैं । फिर जो आपने पिछली सरकार का वर्णन किया वह हकीकत है हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं लेकिन उस सरकार ने राज्यपालों के अधिकार समाप्त करके मान्यता देने का अधिकार अपने पास लिया था। चूंकि आपने प्रश्न किया इसलिये मैं उसमें यह प्रश्न जानना चाहता हूं कि क्या वह अधिकार फिर राज्यपाल को देंगे आप, और तीसरा, दो विश्वविद्यालय खोल रहे हैं पूर्वांचल में देवरिया, गोरखपुर बलिया आपका भी जिला है आजमगढ़, वहां कोई एक और विश्वविद्यालय देवरिया में खोलेंगे ? यह तीन सवाल और मान्यवर।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, प्रश्न इन्होंने दूसरे पूछे हैं और पुनः दूसरा पूछ लिया।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

नहीं मान्यवर।

श्री अम्बिका चौधरी-

एक मिनट आप सुनेंगें तो हम उत्तर देंगे।

एक मिनट। ठीक है, मान्यवर, उनका सुन लीजिये।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

शैक्षणिक आपने लिखा है। शैक्षणिक कमेटी बनाई है। उस कमेटी ने कोई मीटिंग करके कोई रिकमेन्डेशन दी है हम बस वह आपसे पूछ रहे हैं। वह आपने इसमें लिखा है, हम बाहर का नहीं पूछ रहे हैं। आपने लिखा है कि विचार करती है उस बिन्दु पर तो आपने शैक्षणिक प्रशासन की बात कही। मैं सिर्फ शैक्षणिक पर पूछ रहा हूं कि क्या उस कमेटी ने कोई मीटिंग करके सुझाव अगर दिये तो वह क्या सुझाव थे और क्या उस सुझाव पर अमल हुआ, मैं बस यह पूछ रहा हूं। आपने कह दिया कि बाहर का सवाल है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं नहीं समझ पाया इसलिये कह दिया। अब समझ गया हूं। मान्यवर, वह प्रोफेसर मुज्जमिल जो रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति हैं उनकी अध्यक्षता में मान्यवर, लखनऊ, कानपुर, आगरा, कानपुर, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं यह लोग हैं और इनकी कमेटी हमने बनाई है जो इस पर विचार के लिये है। अभी कमेटी की कोई संस्तुति नहीं आई है, जब वह कमेटी अपनी संस्तुति देगी तो हम सदन को अवगत करा देंगे।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री हुकुम सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

अध्यक्ष जी, अभी दूसरा सवाल बाकी है। आपने जो बात की उसमें पिछली सरकार का जो जिक्र किया उसमें मान्यता प्रदान करने का काम राज्यपाल से शासन ने ले लिया था क्या वह फिर से राज्यपाल को जायेगा। तीसरा पूर्वांचल में हमारे देवरिया में कोई एक विश्वविद्यालय और खोलेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, राज्यपाल का नाम न लिया जाय तो बेहतर होगा क्योंकि राज्यपाल महोदय का नाम लेकर यदि कोई तथ्यात्मक बात कही जायेगी तो हो सकता है कि कठिनाई हो जायेगी और कहीं आपको लगे कि उनका अवमान हो रहा है। और हम उनका अवमान नहीं करना चाहते हैं , इसलिये बताना चाहता हूं कि बेहतर है कि राज्यपाल महोदय का नाम न लिया जाय। सरकार से सरकार की जिम्मेदारी पूछ लीजिये। मैं बता रहा हूं। मैंने राज्यपाल महोदय का कोई उल्लेख नहीं किया और मैं अगर यह बताने की बात करूं मैं यह बताऊं कि कौन सी फाइल राज्यपाल महोदय के यहां कब गई और कब तक रुकी, कब आयेगी तो मान्यवर, यह मर्यादा के विपरीत होगा। यह कॉग्रेस के सदस्य कर सकते हैं मैं मर्यादा तोड़ने वालों में से नहीं हूं, मैं मर्यादा नहीं तोडूंगा।

(माननीय हुकुम सिंह व माननीय अखिलेश प्रताप सिंह के एक साथ खड़े होने पर)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपने तीन बार मुझे बुला लिया। मुझे भी सवाल करने देंगें कि नहीं।

श्री अध्यक्ष-

अखिलेश जी, आप बैठें।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया, मैं तो उनकी प्रशंसा करता हूं लेकिन कुछ आपने निश्चित रूप से अपने विस्तृत उत्तर में कई तथ्यों के विपरीत बात कही है और मैं उसमें लाना चाहता हूं । आपने यह कहा कि कोई मंत्री जा रहे थे उनकी गाड़ी वापस कर दी उनको फिर वापस भेजा गया। मैं सही बता दूं। उनको वापस नहीं भेजा गया था, केवल गाड़ी भेजी गई थी। दूसरी बात मान्यवर, जो काम किसी राज्य सरकार ने अच्छा किया तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। पिछले 5 साल के कार्य काल में बिना दिक्कतों के, बिना रोड़े अटकाये सीधे सीधे विश्वविद्यालय स्थापित कर दिये गये तो उसमें आपको क्या दिक्कत है। काफी संख्या हो गई मान्यवर। मेरठ में 8 विश्वविद्यालय हैं और यह 8 विश्वविद्यालय कैसे बने अगर वह नीति न अपनाई गई होती तो वहां दो -तीन ही रहते आज 8 हो गये। अब चिन्ता यह है कि जो बाकी बने हैं या पहले भी बने हैं मान्यवर, उनका स्तर बहुत नीचा, घटिया किस्म का है। जो हमारे सरकारी भी हैं, हमारे सरकारी विश्वविद्यालयों में भी अध्ययन नहीं हो रहा है और इसीलिये आपने चिन्ता व्यक्त की कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के दो सौ विश्वविद्यालयों में हमारा कहीं भी नाम नहीं है। आपने योजना बता दी, यह करेंगे, वह करेंगे, वह होता रहेगा लेकिन प्रदेश स्तर पर जो आपने कमेटी गठित की उसकी एक भी बैठक न होना एक भी विश्वविद्यालय का एक साल के अन्दर एक बार भी निरीक्षण न होना, यह सिद्ध करता है कि आगे भी कोई कार्यवाही नहीं होनी है। क्या आप यह आश्वासन देंगे कि जितने विश्वविद्यालय पिछले पांच साल में बने हैं जिनको मान्यता मिली है उसका निरीक्षण तुरन्त करने के बाद वह मान्यताओं के अनुरूप खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। अगर खरे नहीं उतरते हैं तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 हुकुम सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है इसका संज्ञान सरकार लेती है यह निश्चित रूप से गम्भीर बात है और हम निश्चित रूप से इस बात का प्रयास करेंगे कि जिन उद्देश्यों के लिए

विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए सदन ने सहमति दी थी, जिन प्रश्नों को मुझे स्वयं याद है मैंने और हुकुम सिंह जी ने संशोधन दिया था और चिन्ता व्यक्त की थी वह चिन्तायें अभी भी बदस्तूर हैं, जिसकी ओर आपने इंगित किया है उसको हम गम्भीरता से दिखवायेंगे और यह सुनिश्चित करेगी सरकार कि जिन उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय बने थे उन उद्देश्यों से उनका भटकाव तो नहीं है वह उस स्तर पर कायम है या नहीं।

श्री सतीश महाना-

एक मिनट दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त।

प्रदेश में खाद्य सामग्री की सुरक्षा हेतु बायोप्लास्टिक के प्रयोग की योजना बनाये जाने की मांग

*07-श्री जाकिर अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फूड ग्रेड क्वालिटी की प्लास्टिक में ही पानी तथा अन्य खाद्य सामग्री सुरक्षित रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार पारम्परिक प्लास्टिक के उपयोग पर रोक तथा बायोप्लास्टिक के प्रयोग की कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999 में पुनः चक्रित प्लास्टिक विनिर्माण और उपयोग नियम, 1999 यथा संशोधित अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबन्ध और प्रहस्तन) नियम, 2011 प्रख्यापित है जिसके नियम-5 (ख) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, खाद्य सामग्री को भण्डार करने, वहन करने, वितरण करने या पैकेजिंग करने के लिए पुनः चक्रित प्लास्टिक या कंपोस्ट योज्य प्लास्टिकों से बने कैरी बैगों का उपयोग नहीं करेगा, इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी प्लास्टिक के उपयोग व निस्तारण हेतु उ0 प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2000 प्रख्यापित किया गया है। वर्तमान में बायोप्लास्टिक के प्रयोग की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

उद्यान विभाग में कार्यरत दैनिक कर्मचारियों के बोनस भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी

01-प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान विभाग में कार्यरत दैनिक कर्मचारियों को बोनस भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-22 अप्रैल, 1998 के क्रम में निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा दिये गये निर्देश का अनुपालन सभी जनपदों एवं मण्डलों में हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

उद्यान मंत्री (श्री पारस नाथ यादव)-

जी हां।

शासन के पत्र संख्या-5141/58-1-97-249/97, दिनांक 22-4-1998 जो निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, (मै0क्षे0) उ0 प्र0 लखनऊ को सम्बोधित तथा विभाग के अन्य समस्त अधिकारियों को पृष्ठांकित है, उसमें उल्लिखित श्रम अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-3622/36-3-51 (एम0डब्लू0)-85, दिनांक 31-10-1996 द्वारा आच्छादित दैनिक श्रमिकों को बोनस/तदर्थ बोनस भुगतान किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे जिसका तत्समय नियमानुसार अनुपालन कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के श्रीमती शुभराजी देवी डिग्री कालेज में अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति में दोषी प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही

02-श्री सन्त प्रसाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती शुभराजी देवी डिग्री कालेज, तिवारीपुर बढ़यापार, गोरखपुर में वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति कालेज के प्रबन्धक द्वारा अपने स्वयं के खाते में जमा करा ली गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार कालेज के प्रबन्धक के विरुद्ध गबन का मुकदमा दर्ज करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

जी नहीं।

श्रीमती शुभराजी देवी डिग्री कालेज, तिवारीपुर बढ़यापार, गोरखपुर में अनुसूचित जाति के छात्रों की वर्ष 2011-12 की छात्रवृत्ति की धनराशि रु0 5,62,840/-कालेज के प्रबन्धक द्वारा संस्था के खाते में अन्तरित करा ली गयी है जबकि यह धनराशि छात्रों के खातों में अन्तरित की जानी चाहिए थी।

प्रकरण में जांच कर प्रबन्धक व अन्य दोषियों के विरुद्ध जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर के पत्र संख्या-4429/स0क0/छात्रवृत्ति/2012-13 दिनांक 26-02-2013 द्वारा थानाध्यक्ष, थाना सिकरीगंज, जनपद गोरखपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

03-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक ददरौल के ग्राम सप्तयरा में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण कराये जाने की मांग

04-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सप्तयरा, ब्लाक ददरौल, जनपद शाहजहांपुर में कई वर्षों से चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

ग्राम सप्तयरा, तहसील सदर, ब्लाक ददरौल में धारा-4 (2) के प्रकाशन दिनांक 25-5-2007 से चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है।

उक्त ग्राम में मार्च, 2014 तक चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण कराने की कार्य योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में जनेश्वर मिश्र ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों के चयन विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

05-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा रूधौली जनपद बस्ती में जनेश्वर मिश्र ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों के चयन विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 01-11-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार पत्र में प्रस्तावित ग्रामों का चयन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

दिनांक 29-11-2012 को चयन कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

दैनिक आपदा से प्रभावित गरीब परिवारों की दयनीय स्थिति विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

06-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दैवीय आपदा से प्रभावित गरीब, पीड़ित परिवारों की दयनीय स्थिति विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-9-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने हेतु पत्र में वर्णित सुझावों पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जी नहीं।

भारत सरकार के पत्र दिनांक 16 जनवरी, 2012 में दी गयी गाइड लाइन्स के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है।

प्रदेश में कृषक दुर्घटना बीमा योजना का बीमा आच्छादन कार्ड सभी को दिये जाने सम्बन्धी जानकारी

07-श्री दलवीर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत कृषकों को बीमा आच्छादन कार्ड दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश के सभी जिलों में बीमा कार्ड कृषकों को दिये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जी नहीं।

उक्त योजना हेतु बीमा कम्पनियों का चयन प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश में कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाये जाने की मांग

08-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने तथा कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या सरकार कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में बन्द पड़ी कताई मिलों को चलाये जाने की मांग

09-श्री उमाशंकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले बजट सत्र, 2012-13 में बन्द पड़ी कताई मिलों को चालू कराने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो अब तक कितनी कताई मिलों को चालू किया गया है और चालू करने की वरीयता क्रम को किस आधार पर रखा गया है और अभी कितनी ऐसी कताई मिलें हैं जो बन्द पड़ी हैं ? क्या सरकार की जनपद बलिया स्थित कताई मिल माधोपुर को इस वित्तीय वर्ष में चालू कराने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

अभी किसी मिल को चालू नहीं किया जा सका है। वरीयता क्रम का भी निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि मिलों के पुनर्वासन का प्रकरण मा0 बी0आई0एफ0आर0/ए0ए0आई0एफ0आर0 में विचाराधीन है। उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम की सभी 03 मिलें, उ0 प्र0 राज्य कताई क0लि0 की 02 मिलें तथा उ0 प्र0 स्टेट यार्न क0लि0 की सभी 03 मिलें विधिक रूप से बन्द हैं। उक्त के अतिरिक्त उ0 प्र0 सहकारी कताई मिल संघ की सभी 11 मिलें विधिक रूप से बन्द हैं, ये मिलें कोर्ट रिसीवर के कब्जे में हैं।

जी नहीं।

यह प्रकरण मा0 बी0आई0एफ0आर0/ए0ए0आई0एफ0आर0 के समक्ष विचाराधीन है।

जनपद मिर्जापुर में ठण्ड से हुई मृत्यु के पीड़ितों को राहत धनराशि उपलब्ध कराये जाने का कथित प्रकरण

10-श्री रमेश चन्द्र-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में वर्तमान वर्ष में कितने व्यक्तियों की ठण्ड लगने से मृत्यु हुई है, उनमें से कितने पीड़ित परिवारों को सरकार द्वारा राहत

धनराशि उपलब्ध करायी गयी है एवं कितने शेष हैं ? क्या सरकार शेष पीड़ित परिवारों को राहत धनराशि उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जनपद मिर्जापुर में वर्तमान वर्ष में ठण्ड लगने से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है इसलिये पीड़ित परिवारों को राहत धनराशि उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानान्तरण की नीति एवं उसके अनुपालन की मांग

11-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार की तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये 05 वर्ष के भीतर स्थानान्तरण की कोई नीति निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ स्थित कार्यालय में उसका अनुपालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो कब तक इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रयोग की गयी पालीथीन को नष्ट करने व रिसाइक्लिंग किये जाने की योजना की जानकारी

12-श्री जाकिर अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रयोग की गयी पालीथीन को नष्ट करने या फिर उसकी रिसाइक्लिंग किये जाने की कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबन्ध और प्रहस्तन) नियम, 2011 प्रख्यापित किये गये हैं। उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपरोक्त नियम के अन्तर्गत कार्यवाही सम्पादित करायी जाती है।

जनपद आगरा के मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित फतेहाबाद रोड से ग्राम अरतौनी परिक्रमा मार्ग क्षतिग्रस्त की मरम्मत कराये जाने की मांग

13-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित फतेहाबाद रोड से नगला गाडे तक, बरारा रोड से गांव सहारा परिक्रमा मार्ग, नेशनल हाइ-वे 2 रोड से

ग्राम अरतौनी परिक्रमा मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

समयान्तराल के कारण सड़कें मरम्मत योग्य हैं।

मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं अन्य आवश्यक प्राथमिकताओं के दृष्टिगत मण्डी समिति का जिलाधिकारी से अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त होने पर मार्गों के मरम्मत हेतु विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की अवध शुगर मिल्स हरगांव से निकलने वाले प्रदूषित पानी से पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव हेतु कार्यवाही की मांग

14-श्री रामहेत भारती-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अवध शुगर मिल्स, हरगांव सीतापुर से निकलने वाले जहरीले व प्रदूषित पानी के कारण कस्बा हरगांव सहित आसपास के सैकड़ों गांवों में पीने के पानी में आर्सेनिक की अधिकता होने के कारण मानव जीवन के साथ-साथ पशुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जल निगम, सीतापुर द्वारा हरगांव से एकत्रित पानी के नमूनों में आर्सेनिक नहीं पाया गया तथा हरगांव एवं आस-पास के ग्रामों में आर्सेनिक युक्त पानी पीने या चारा खाने के कारण पशुओं में बीमारी या आर्सेनिक की विषाक्तता के कोई लक्षण अभी तक नहीं पाये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर की तहसील सदर तथा लहरपुर के ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण कर आवंटित चकों को कृषकों को कब्जे दिये जाने सम्बन्धी जानकारी

15-श्री रामहेत भारती-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील सदर तथा लहरपुर के जिन गांवों में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है वहां आवंटित चकों पर कृषकों को कब्जे दे दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां। आवंटित चकों पर कृषकों को कब्जे दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की तहसील लहरपुर के ग्राम बहिया बहिरामपुर में अग्नि पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता की मांग

16-श्री रामहेत भारती-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील लहरपुर के ग्राम बहिया बहिरामपुर विकास खण्ड बेहटा में दिनांक 12 जून, 2012 को अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों को दैवी आपदा के अन्तर्गत आवास दिये जाने एवं पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-12-2012 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र की उच्च शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले पात्रों की फीस प्रतिपूर्ति हेतु अवमुक्त धनराशि सम्बन्धी जानकारी

17-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र की उच्च शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले बी0पी0एल0 व सामान्य वर्ग के छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति हेतु वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 में सरकार द्वारा आवंटित/अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

राज्य सरकार द्वारा पूर्वदशम् तथा दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति की सहायता दी जाती है। इस योजना के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा विस्तृत नियमावली/गाइड लाइन्स जारी की गयी है। वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम रु0 1.00 लाख निर्धारित थी। वित्तीय वर्ष 2012-13 में उक्त आय सीमा बढ़ाकर 2.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित कर दी गयी है। उक्त दोनों वार्षिक आय सीमाओं में बी0पी0एल0 श्रेणी के माता-पिता/अभिभावक समाहित हैं।

2-प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद सोनभद्र में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति मद में वर्ष 2010-11 में रु0 22 लाख 300/-, वर्ष 2011-12 में रु0 12 लाख 25 हजार की धनराशि आवंटित की गयी थी। वर्ष 2012-13 में उक्त योजना में सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए रु0 23 लाख 55 हजार की धनराशि आवंटित की गयी है। पुनः स्पष्ट किया जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति दिये जाने के सम्बन्ध में अलग-अलग

नियमावली/गाइड लाइन्स जारी करते हुए शासनादेश निर्गत किये गये हैं और तद्नुसार कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद की तहसील रूदौली में अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता एवं इन्दिरा आवास उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

18-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील रूदौली जनपद फैजाबाद में अप्रैल, 2012 में भीषण अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता एवं आवास प्रदान किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-04-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी फैजाबाद से मांगी गयी आख्या शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब और अब तक कितने परिवारों को आर्थिक सहायता एवं इन्दिरा आवास उपलब्ध कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

मा0 सदस्य का पत्र दिनांक 24-4-2012 मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-4 में प्राप्त हुआ है।

जी हां।

राज्य आपदा मोचक निधि से 28 परिवारों को 98,700/-रुपये का गृह अनुदान/अहेतुक सहायता प्रदान की गई है।

दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु भारत सरकार के शासनादेश दिनांक 16-01-2012 में कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद की तहसील रूदौली के ग्राम कादिरपुर की भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

19-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की रूदौली तहसील के ग्राम कादिरपुर की भूमि संख्या 75 रकबा 0.202 हे0 पर से अवैध कब्जा हटवाने तथा रास्ता बन्द कराने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के क्रम में मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/ एम0/पी0जी0-10114725/2012 जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त भूमि से कब्जा हटवाकर दोषियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जनपद फैजाबाद की तहसील रूदौली के ग्राम कादिरपुर की गाटा संख्या-75/0.202 हे0 के आंशिक भाग पर रज्जब अली पुत्र सलमान व हासिम अली पुत्र अब्दुल रहमान द्वारा रकबा 0.028 हे0 भूमि पर लगभग 15 वर्ष पूर्व से पक्का मकान बनाकर कब्जा किया गया है, जिसकी बेदखली हेतु तहसीलदार रूदौली के न्यायालय में ज0वि0 अधिनियम की धारा-122बी के अन्तर्गत बेदखली का वाद संख्या-207, ग्राम सभा बनाम रज्जब अली व वाद संख्या-208, गांव सभा बनाम हासिम अली, निवासी कादिरपुर विचाराधीन है जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 02-3-13 को अर्थदण्ड एवं बेदखली का आदेश पारित किया गया है। चकमार्ग किसी के द्वारा खोदा नहीं किया गया है, बल्कि यथावत् है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में सरकारी एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

20-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पदों को भरेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही प्रचलित है। शिक्षणेत्तर पदों को भरे जाने पर रोक है।

प्रश्न नहीं उठता।

21-श्री मनीष असीजा-

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में जनेश्वर मिश्र ग्रामीण विकास योजना के ग्रामों के चयन विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

22-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा संचालित जनेश्वर मिश्र ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रूधौली, जनपद बस्ती के ग्रामों के चयन विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 01-11-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

ग्रामों का चयन दिनांक 29-11-2012 को कर लिया गया है। मण्डी समिति के प्रस्ताव हेतु जिलाधिकारी बस्ती को पत्र भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नये विश्वविद्यालयों के गठन करने का निर्णय

23-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित विश्वविद्यालयों पर बढ़ते अत्यधिक बोझ के कारण गिरते हुये शैक्षिक स्तर, लम्बित परीक्षायें एवं परिणाम, डिग्री एवं प्रवेश की समस्या तथा शिक्षक-कर्मचारियों की कमी से निजात दिलाने के लिये नये विश्वविद्यालयों के गठन पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

सम्प्रति उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन, इलाहाबाद तथा बस्ती मण्डल के जनपद सिद्धार्थनगर में एक-एक नये राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की अनेकों क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

24-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में पथौली रोड से ग्राम सुचैता होकर सौ फुटा रोड तक, नगला बिन्दु ग्राम पंचायत बरौली गुजर परिक्रमा मार्ग से बरौली गुजर तक, गढ़ी रद्दू ग्राम पंचायत बिसेरा कला से ठेरई तक मण्डी परिषद् द्वारा बनायी गयी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

सम्पर्क मार्ग पथौली रोड से ग्राम सुचैता होकर सौ फुटा रोड तक मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित नहीं है तथा सम्पर्क मार्ग नगला बिन्दु ग्राम पंचायत बरौली गुजर तक का चौड़ीकरण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा चुका है। गढ़ी रद्दू, ग्राम पंचायत बिसेरा कला से ठेरई तक सम्पर्क मार्ग समयान्तराल के कारण मरम्मत योग्य है।

मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं अन्य आवश्यक प्राथमिकताओं के दृष्टिगत मण्डी समिति का जिलाधिकारी से अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त होने पर मार्गों के मरम्मत हेतु विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की अनेकों क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

25-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्राम इस्लामपुर से ब्रम्हनगर, कुशवाहों के नगला तक शमशाबाद रोड से श्यामों चौराहों से लोधई बजहेरा नहर तक ककरारी रोड से नगला ककरारी, नगला शीसिया तक मण्डी परिषद् द्वारा बनाई सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद आगरा में सम्पर्क मार्ग इस्लामपुर से ब्रह्मनगर कुशबाहों के नगला तक एक सम्पर्क मार्ग शमशाबाद रोड से श्यामों चौराहे से लोधई बजहेरा नहर तक का निर्माण मण्डी परिषद् द्वारा नहीं

कराया गया है। ककरारी रोड से नगला ककरारी, नगला शीसिया तक सम्पर्क मार्ग समयान्तराल के कारण मरम्मत योग्य है।

मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं अन्य आवश्यक प्राथमिकताओं के दृष्टिगत मण्डी समिति का जिलाधिकारी से अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त होने पर मार्गों के मरम्मत हेतु विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में

26-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्राम ककरारी में परिक्रमा मार्ग कालीचरन के घर से मन्दिर तक, जगनेर रोड नगला परमाल से नगला कारे एवं नगला परमाल से नगला जयराम तक नहर की माइनर ग्राम पंचायत मिढाकुर से नगला भालरा एवं नगला गूजरा तक मण्डी परिषद् द्वारा बनायी गयी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

समयान्तराल के कारण सड़कें मरम्मत योग्य है।

मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं अन्य आवश्यक प्राथमिकताओं के दृष्टिगत मण्डी समिति का जिलाधिकारी से अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त होने पर मार्गों के मरम्मत हेतु विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के ग्राम नकहरा में स्थित ए0बी0सी0 कम्पनी से निकलने वाला प्रदूषित पानी को रोकने के उपाय

27-श्री रमेश चन्द्र-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के विकास खण्ड सीटी के ग्राम नकहरा में स्थित ए0बी0सी0 कम्पनी से निकलने वाला दूषित पानी लोहदी नदी में गिरने से नदी का पानी प्रदूषित हो गया है ? क्या यह सही है कि उक्त दूषित पानी पीने से कई जानवरों की मृत्यु भी हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दूषित पानी को लोहदी नदी में गिरने से रोकने हेतु कोई कारगर कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीटी के अन्तर्गत ग्राम-नकहरा में मे0 ए0बी0सी0 इण्डस्ट्रीज वर्ष 2001 से स्थापित एवं संचालित है। उद्योग में उलेन कार्पेट एवं दरी के फिनिशिंग, पैकिंग एवं डिस्पैच का कार्य किया जाता है। उद्योग में मात्र घरेलू प्रयोजन से बहिश्राव जनित होता है जिसका निस्तारण सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट में किया जाता है, यह उद्योग जल प्रदूषणकारी नहीं है तथा क्षेत्रीय

कार्यालय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र के स्तर से उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत सशर्त सहमति आदेश दिनांक 04-01-2013 को निर्गत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31-12-2014 तक है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी बायूविहार के डूगर पप्पू कुण्डौल के घर तक क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

28-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में फतेहपुर सीकरी रोड बायूविहार से ग्राम सुचैता तक, जगनेर रोड मलपुरा नहर माइनर बरारा, मिढाकुर तक, ग्राम पंचायत कुण्डौल में परिक्रमा मार्ग होती हुई होतीलाल के घर से डूगर पप्पू कन्ट्रोल के घर तक मण्डी परिषद् द्वारा बनायी गयी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

समयान्तराल के कारण सड़कें मरम्मत योग्य हैं।

मण्डी समिति का जिलाधिकारी से अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त होने पर मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं अन्य आवश्यक विकास कार्यों की प्राथमिकताओं के दृष्टिगत मार्गों के मरम्मत हेतु विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली में मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र की ग्राम सभा हिन्दवारी में मैदान पर अवैध कब्जों से मुक्त कराये जाने की मांग

29-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली में मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा हिन्दवारी में कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा अवैध तरीके से खेल-कूद के मैदान पर कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम सभा में खेलकूद के मैदान को अवैध कब्जे से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

ग्राम सभा हिन्दवारी के आराजी संख्या-366/2 रकबा 0.099 हे0 खेल के मैदान के नाम अंकित है। जिस पर अवैध रूप से कब्जा कर गेहूं की फसल बोई गयी है। गेहूं की फसल को कुर्क कर लिया गया है। गेहूं की फसल पकने पर उसे कटवा कर नियमानुसार नीलाम कर पैसे को सरकारी खजाने में जमा कराकर अवैध कब्जा मुक्त करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम को केन्द्रीकृत किये जाने की मांग

30-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एन0सी0टी0ई0 के द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जाते हैं को सुविधा की दृष्टि से केन्द्रीकृत कर उनकी प्रवेश/परीक्षा/पाठ्यक्रम/परिणाम आदि हेतु अलग विश्वविद्यालय की स्थापना करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन संचालित राज्य विश्वविद्यालयों का क्षेत्राधिकार अलग-अलग है।

लखनऊ की बादशाहनगर कालोनी में ठेकेदार द्वारा अनुरक्षण कार्य का मलवा छोड़ने से गन्दगी व जलमग्न की समस्या का निराकरण कराये जाने की मांग

31-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग की बादशाहनगर कालोनी, लखनऊ में ठेकेदार द्वारा जो भी अनुरक्षण कार्य कराया जाता है उसका मलबा वहीं छोड़ देने के कारण कालोनी में गंदगी व जलभराव है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी से मलबा हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन बादशाहनगर राजकीय कालोनी में अनुरक्षण, मरम्मत, परिवर्तन/परिवर्धन एवं जीर्णोद्धार इत्यादि कार्यों का सम्पादन विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराया जाता है। इन कार्यों से दिन-प्रतिदिन मलबा निकलना स्वाभाविक है। इस निकलने वाले मलबे को यथा आवश्यक निस्तारित करा दिया जाता है। मलबे के कारण कालोनी में गन्दगी अथवा जल भराव की स्थिति नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

लखनऊ की बादशाहनगर कालोनी में पीने के पानी हेतु सम्स का निर्माण को तोड़े जाने से रोकने की मांग

32-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग की बादशाहनगर कालोनी, लखनऊ में तीन चार वर्ष पूर्व पीने के पानी हेतु लगभग 50-60 लाख रु0 खर्च कर सम्स का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उसे तोड़कर पुनः नये सम्स का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें सरकार को लगभग 150 लाख रु0 का नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्स को तोड़े जाने पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। राज्य सम्पत्ति विभाग की बादशाहनगर राजकीय कालोनी, लखनऊ में वित्तीय वर्ष 2006-07 में पीने के पानी हेतु 2 लाख लीटर की संचयन क्षमता के सम्स के निर्माण हेतु शासनादेश सं0-6079/32-4-2006-8वीएन/2005, दिनांक 10-1-2007 द्वारा रु0 6.50 लाख एवं द्वितीय चरण में शासनादेश संख्या-8214/32-4-07-8वीएन/2005, टी0सी0-7, दिनांक 29-11-2007 द्वारा रु0 8.78 लाख अर्थात् कुल रु0 15.28 लाख की धनराशि का आवंटन किया गया। इस धनराशि से वर्ष 2008 में सम्स का निर्माण कराया गया था एवं वर्तमान में यह सम्स उपयोगी अवस्था में है।

पुराने सम्स को तोड़कर कोई निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है। वर्तमान में तोड़ने का कोई प्राविधान नहीं है। नये सम्स का निर्माण अध्यासियों को बेहतर जलापूर्ति उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2011 में किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के ग्राम बालापुर कम्युनिस्ट नगर से राजकीय उद्यान विभाग के फार्म के मध्य रास्ते का निपटारा विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

33-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के ग्राम-बालापुर कम्युनिस्ट नगर स्थित राजकीय उद्यान विभाग के फार्म के मध्य होकर निकलने वाले रास्ते के विवाद निपटारे हेतु मार्ग के दोनों तरफ बैरीकेटिंग/चहारदीवारी निर्माण कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/12-13/क-एस0नं0 157045/2064, दिनांक 27-01-2013 उन्हें तथा प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारसनाथ यादव-

जी हां।

ग्रामवासियों के लिए ग्राम बालापुर कम्युनिस्ट नगर से विशेश्वरगंज तथा इकौना जाने के लिए डामर की चौड़ी सड़क बनी हुई है। ग्रामवासियों के विरोध के कारण ही बालापुर प्रक्षेप पर अभी तक फेसिंग का कार्य नहीं हुआ है। यदि बीच से रास्ता दिया जाता है तो राजकीय प्रक्षेत्र दो भागों में बंट जायेगा तथा आलू बीज उत्पादन के लिए अच्छी भूमि कम हो जायेगी। बीचो-बीच रास्ता देने से ग्रामवासियों तथा आने-जाने वाले लोग एवं जानवरों से प्रक्षेत्र को अधिक नुकसान होगा। किसानों के लिए ही आलू बीच उत्पादन करने वाले इस प्रक्षेत्र पर बीचो-बीच रास्ता देने से प्रक्षेत्र का बड़ा भू-भाग प्रक्षेत्र के भू-क्षेत्रफल से कम हो जाएगा जो राजकीय हित में उचित नहीं होगा। प्रक्षेत्र में तीनों ओर से रास्ता है। ग्रामवासियों को विशेश्वरगंज एवं इकौना जाने के लिए रास्ता उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के महानगर की राजकीय सचिवालय कालोनी के पेड़ों की छटनी कराये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

34-सुश्री अनुप्रिया पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में महानगर की राजकीय सचिवालय कालोनी स्थित सी-टाइप के आवासों के सामने लगे पेड़ों की छटनी/कटिंग, सुरक्षा एवं

दुर्घटना की दृष्टि से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राज कुमार सिंह, उप सचिव, उ0प्र0 शासन, राज्य सम्पत्ति अनुभाग-4 का पत्र संख्या-906/32-4-12-53/10, दिनांक 23-05-2012 अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड-1, सिविल, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। श्री राज कुमार सिंह, उपसचिव, उ0 प्र0 शासन, राज्य सम्पत्ति अनुभाग-4 का पत्र संख्या-906/32-4-12-53/10, दिनांक 23-5-2012 प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, 21/475, इन्दिरानगर, लखनऊ को सम्बोधित है और उक्त पत्र की प्रति अधिशासी अभियन्ता अनुरक्षण खण्ड-3 (सिविल) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को पृष्ठांकित है। इस पत्र के द्वारा बटलर पैलेस कालोनी स्थित आवास संख्या-सी-55 में लगे रबर प्लान्ट के पेड़ को कटवाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

जहां तक जनपद लखनऊ में महानगर की राजकीय सचिवालय कालोनी स्थित सी-टाइप के आवासों के सामने लगे पेड़ों की छटनी/कटिंग सुरक्षा एवं दुर्घटना की दृष्टि से कराये जाने का प्रश्न है, इस कार्य को यथा आवश्यकतानुसार करा दिया गया है।

जनपद बहराइच के कतिपय शुगर मिलों द्वारा छोड़े जा रहे प्रदूषित जल की रोकथाम हेतु कार्यवाही

35-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच की पारले शुगर मिल परसेन्डी तथा सिम्भावली शुगर मिल चिलवरिया मिलों द्वारा कारखाने का प्रदूषित पानी सड़कों के आस-पास तथा किसानों के खेतों में जमा हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन चीनी मिलों द्वारा छोड़े जा रहे प्रदूषित जल की जांच कराई गयी है ? यदि हां, तो कब तथा उन जांच रिपोर्टों के आधार पर उक्त चीनी मिलों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच स्थित मे0 पारले शुगर मिल परसेंडी का निरीक्षण उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 15-12-2012 को कराया गया। उद्योग में उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु पूर्ण उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किया गया है। निरीक्षण के समय लिये गये उत्प्रवाह के नमूने में प्रचालकों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप पाये गये। उद्योग द्वारा शुद्धिकृत उत्प्रवाह को जली राख पर छिड़काव गार्डनिंग एवं बायो कम्पोस्टिंग में प्रयोग कर लिया जाता है। उद्योग का उत्प्रवाह सड़कों पर निस्तारित नहीं किया जाता है।

मे0 सिम्भावली शुगर मिल्स, चिलवरिया का निरीक्षण उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 15-12-2012 को कराया गया। उद्योग में उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु पूर्ण उत्प्रवाह शुद्धिकरण

संयंत्र की स्थापना की गयी है। निरीक्षण के समय जनित उत्प्रवाह का नमूना लेकर विश्लेषित कराया गया जिसमें प्रचालकों की मात्रा बोर्ड मानक के अनुरूप पायी गयी। निरीक्षण के समय पाया गया कि उद्योग द्वारा शुद्धिकृत उत्प्रवाह को जली राख पर छिड़काव, गार्डनिंग में प्रयोग कर लिया जाता है। उद्योग का कोई उत्प्रवाह किसानों के खेतों/सड़कों पर निस्तारित होने की सम्भावना नहीं पायी गई।

जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ में महिला डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

36-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ में महिला डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 07-06-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

वर्तमान में सरकार की प्राथमिकता न्यून सकल नामांकन दर वाले जनपदों के मुस्लिम बाहुल्य/असेवित विकास खण्डों में सहशिक्षा के राजकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाने की है। इसके अन्तर्गत जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड भगतपुर टाण्डा के ग्राम भोजपुर में राजकीय महाविद्यालय (सहशिक्षा) की स्थापना की जा रही है। फलतः मुरादाबाद की तहसील कांठ में राजकीय महिला महाविद्यालय स्थापित किये जाने का अवसर नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ के ग्राम पैगम्बरपुर में भूमि कब्रिस्तान दर्ज करने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

37-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद की तहसील कांठ के ग्राम पैगम्बरपुर में सुखवासी लाल के गाटा संख्या-188 व 199 का प्रयोग कब्रिस्तान के रूप में होने के कारण कब्रिस्तान दर्ज करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 05-12-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जनपद मुरादाबाद के तहसील-कांठ के ग्राम-पैगम्बरपुर सुखवासी लाल में स्थित गाटा संख्या-188 रकबा 0.097 हे0 व गाटा सं0-199 रकबा 0.032 हे0 भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रेणी-5 (2) बंजर अंकित है परन्तु वर्तमान में कब्रें स्थापित हैं। गाटा संख्या-188 रकबा-0.097 हे0 व गाटा सं0-199 रकबा 0.032 हे0 में कब्र बनी है। बन्दोबस्ती अभिलेखों में यह भूमि श्रेणी-5 (2) बंजर अंकित है। जिन्हें परिवर्तित किया जाना विधिक रूप से सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

38-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[4थे बुधवार के अता0प्र0सं0-188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बहराइच की कतिपय शुगर मिल्स द्वारा मानक के अनुरूप लगायी गयी चिमनी से प्रदूषण की जांच

39-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच की पारले शुगर मिल, परसेन्डी तथा सिम्भावली शुगर मिल, चिलवरिया द्वारा लगाये गये चिमनी तथा उसमें लगे प्रदूषण नियंत्रण उपकरण वर्तमान कानूनों के अनुरूप हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इन चीनी मिलों द्वारा फैलाये जा रहे वायु प्रदूषण की जांच करायी है ? यदि हां, तो कब तथा उन जांच रिपोर्टों के आधार पर क्या सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

मे0 पारले शुगर मिल, परसेन्डी, बहराइच में स्थापित 32 टन/घण्टा ब्वायलर पर वेन्चुरी स्क्रबर एवं 45 टन/घण्टा ब्वायलर पर 50 मी0 ऊंची चिमनी के साथ इलेक्ट्रोइस्टेटिक प्रिसीप्रीटेटर (ई0एस0पी0) की व्यवस्था की गयी है। निरीक्षण के समय दिनांक 7-1-2013 को स्टैक मानीटरिंग रिपोर्ट के अनुसार सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एस0पी0एम0) की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पायी गयी है।

मे0 सिम्भावली शुगर मिल, चिलवरिया में स्थापित 70 एवं 80 टन/घण्टा क्षमता के ब्वायलरों पर 52 मीटर ऊंची चिमनी के साथ मल्टीसाइक्लोन एवं इलेक्ट्रोइस्टेटिक प्रिसिप्रीटेटर (ई0एस0पी0) की स्थापना की गयी है। उद्योग के निरीक्षण के समय दिनांक 28-12-2012 को किये गये स्टैक मानीटरिंग रिपोर्ट के अनुसार सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। उपरोक्त दोनों उद्योग में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित चार्टर के प्राविधानों के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच की कतिपय शुगर मिलों हेतु कृषि भूमि का स्टाम्प शुल्क औद्योगिक रेट पर वसूलने के कार्यवाही की मांग

40-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच की पारले शुगर मिल, परसेन्डी तथा सिम्भावली शुगर मिल, चिलवरिया कृषि भूमि पर स्थापित की गयी हैं ? क्या उन मिलों द्वारा उक्त कृषि भूमि का भू-उपयोग बदलवाकर औद्योगिक करवाया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो

क्यों ? क्या उक्त भूमि की रजिस्ट्री का स्टाम्प शुल्क कृषि भूमि के अनुसार दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि का स्टाम्प शुल्क औद्योगिक रेट से वसूलने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जी हां।

पारले शुगर मिल परसेन्डी हेतु दिनांक 30-8-2007 को आकृषिक घोषित किया गया है।

सिम्भावली शुगर मिल, चिलवरिया हेतु दिनांक 6-7-1995 को आकृषिक घोषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

पारले शुगर मिल परसेन्डी से सम्बन्धित बैनामे में स्टाम्प शुल्क औद्योगिक दर से दिया गया है।

सिम्भावली शुगर मिल, चिलवरिया के प्रकरण में किसान सहकारी चीनी मिल, चिलवरिया, बहराइच द्वारा किसानों से जो भूमि क्रय की गयी थी उक्त भूमि को वर्ष 1995 में लेखपत्र संख्या-1510/95 के द्वारा सिम्भावली शुगर मिल लिमिटेड, चिलवरिया के पक्ष में बैनामा/विक्रय हुआ है, जिसका मूल्यांकन संयुक्त गन्ना आयुक्त (लिक्विडेटर) उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित मूल्य रुपयो 66,91,300/- पर रुपये 8,36,500/-का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य लेखपत्र संख्या-1845/95, 1846/95, 2044/95, 3255/95 के द्वारा सिम्भावली शुगर मिल लिमिटेड, चिलवरिया के पक्ष में तत्कालीन मूल्यांकन दर के अनुसार निर्धारित कृषिक दर से स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा अचल सम्पत्ति मूल्यांकन दर सूची में आवासीय कृषि योग्य एवं व्यवसायिक भूमि की दरें निर्धारित थी जबकि औद्योगिक भूमि की दरें निर्धारित नहीं की गयी थीं। एक प्रकरण महालेखाकार, लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या-424/95-96, दिनांक 14-5-1996 द्वारा उठायी गयी आडिट आपत्ति से सम्बन्धित विलेख (श्रीकान्त बहक, सिम्भावली शुगर मिल लिमिटेड, चिलवरिया), कलेक्टर को संदर्भित किया गया। जहां पर स्टाम्प वाद संख्या-2082 योजित हुआ जिसका निस्तारण न्यायालय के आदेश दिनांक 28-9-1998 के अन्तर्गत किया गया ''जिसमें कोई कमी स्टाम्प शुल्क नहीं पायी गयी, नोटिस वापस ली जाती है।'' का आदेश पारित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में रानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना के अन्तर्गत पूर्व से संचालित महामाया गरीब अर्थिक मदद योजना के पात्रों को शामिल कर लाभ दिये जाने की मांग

41-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शुरू की गयी रानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना के अन्तर्गत पूर्व से संचालित महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना का लाभ उठा रहे पात्रों को ही शामिल किया गया है ? क्या सरकार उक्त योजना की पात्रता रखने वाले अन्य नागरिकों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए योजना का लक्ष्य बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अन्तर्गत पूर्व में संचालित उ0प्र0 मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के पात्र तथा अर्ह लाभार्थियों को भी सत्यापन के पश्चात् सम्मिलित किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन कराये जाने की व्यवस्था है। इस सत्यापन में जो पात्र और अर्ह व्यक्ति पाये जाते हैं उन्हें इस योजना के अन्तर्गत लाभ दिया जाना अनुमन्य है। इस प्रकार नये लाभार्थियों को भी इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

छात्राओं के उच्च शिक्षा हेतु शासकीय महिला महाविद्यालय खोलने की योजना अन्तर्गत जनपद बलिया में गैंग रूप से पीड़ित के नाम राजकीय महिला डिग्री कालेज खोले जाने की मांग

42-श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छात्राओं की उच्च शिक्षा हेतु शासकीय महिला महाविद्यालय खोलने की कोई योजना है ? यदि हां, तो बलिया जनपद स्थित फेफना विधान सभा के अन्तर्गत दिनांक 16-12-2012 की जनपद बलिया की दिल्ली गैंगरेप की पीड़िता के नाम पर उसके पैतृक गांव में उच्च शिक्षा हेतु राजकीय महिला डिग्री कालेज खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

छात्राओं की उच्च शिक्षा हेतु पृथक से राजकीय कन्या महाविद्यालय स्थापित किये जाने की कोई योजना संचालित नहीं है, बल्कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्राथमिकताओं के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हित न्यून सकल नामांकन दर वाले 36 जनपदों में नये माडल राजकीय महाविद्यालय (सहशिक्षा) के स्थापना की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा चिन्हित न्यून सकल नामांकन दर वाले 36 जनपदों में जनपद बलिया सम्मिलित नहीं है।

जनपद बलिया में औद्योगिक नगर बसाने की योजना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री उपेन्द्र तिवारी

43-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में औद्योगिक नगर बसाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या उसके लिए कोई स्थान चिन्हित किया गया है ? यदि हां, तो कहां और उसे कब तक मूर्त रूप दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं,

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

जनपद मथुरा के कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र पर रिक्त स्थानों को भरे जाने की मांग

44-श्री पूरन प्रकाश-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि जनपद मथुरा के राया स्थित कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र मानक के अनुरूप स्वीकृत अधिकारियों एवं वरिष्ठ शोध सहायकों के पदों पर नियुक्ति न होने के कारण अत्यन्त खराब स्थिति में पहुंच गया है जिससे किसानों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरकर इनको सुचारु रूप से संचालित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

(9) नौ।

जी नहीं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा कांठ से राजकीय महिला डिग्री कालेज स्थापित कनरे विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

45-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ की नगर पंचायत-कांठ में राजकीय महिला डिग्री कालेज स्थापित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र 07-06-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

वर्तमान में सरकार की प्राथमिकता न्यून सकल नामांकन दर वाले जनपदों के मुस्लिम बाहुल्य/असेवित विकास खण्डों में सहशिक्षा के राजकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाने की है। इसके अन्तर्गत जनपद-मुरादाबाद के विकास खण्ड-भगतपुर टांडा के ग्राम-भोजपुर में राजकीय महाविद्यालय (सहशिक्षा) की स्थापना की जा रही है। फलतः मुरादाबाद की विधान सभा क्षेत्र कांठ की नगर पंचायत-कांठ में राजकीय महिला महाविद्यालय स्थापित किये जाने का अवसर नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ के ग्राम नजराना में ग्राम समाज की भूमि पर कब्रिस्तान दर्ज करने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

46-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नजराना तह0-कांठ, जनपद-मुरादाबाद में ग्राम समाज के गाटा सं0-299 का प्रयोग कब्रिस्तान के रूप में होने के कारण उक्त गाटा सं0-299 में

कब्रिस्तान दर्ज करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र 05-12-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जनपद-मुरादाबाद के तहसील-कांठ के ग्राम-गजराना में स्थित गाटा संख्या-299 रकबा 0.450 हे0 पर श्रेणी-5(2) बंजर अंकित है, परन्तु गाटा संख्या-299 रकबा 0.450 हे0 में से 0.206 हे0 पर कब्रें स्थापित है। गाटा संख्या-299 रकबा 0.450 हे0 में से 0.206 हे0 में कब्र बनी है। बन्दोबस्ती अभिलेखों में यह भूमि श्रेणी-5(2) बंजर अंकित है, जिन्हे परिवर्तित किया जाना विधिक रूप से सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में अधोमानक प्लास्टिक के उपयोग पर रोक एवं बायोप्लास्टिक के प्रयोग की योजना सम्बन्धी जानकारी

47-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अधोमानक प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण तथा जन-जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त के प्रयोग पर रोक लगाने तथा बायोप्लास्टिक के प्रयोग की कोई योजना सरकार बनाएगी ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

अधोमानक प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण तथा जन जीवन के सम्भावित खतरे को दृष्टिगत रखते हुए ही पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999 में पुनः चक्रित प्लास्टिक विनिर्माण और उपयोग नियम, 1999 यथा संशोधित अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबन्ध और प्रहस्तन) नियम, 2011 प्रख्यापित है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी प्लास्टिक के उपयोग व निस्तारण हेतु उ0प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2000 प्रख्यापित किया गया है। वर्तमान में बायोप्लास्टिक के प्रयोग की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ की बादशाह नगर कालोनी के मन्दिर के पीछे बची भूमि पर हो रहे निर्माण को अन्यत्र बनवाये जाने की मांग

48-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनी बादशाहनगर, लखनऊ में स्थित एक ब्लाक के पार्क जिसमें मन्दिर स्थित है, में मंदिर के पीछे एक नये ब्लाक का

निर्माण लगभग पूर्ण हो रहा है तथा मन्दिर के आगे दो अण्डर ग्राउण्ड सम्स का निर्माण होने के बाद पार्क की शेष बची जमीन पर भी ब्लाक का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार मंदिर के सामने थोड़े से बचे पार्क में हो रहे निर्माण को रोककर उसे अन्य स्थान पर बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

राज्य सम्पत्ति विभाग की बादशाहनगर कालोनी स्थित मन्दिर, मन्दिर के साथ आवास, सीवेज पम्पिंग स्टेशन एवं दो अण्डर ग्राउण्ड सम्स आदि के निकट रिक्त पड़ी भूमि पर श्रेणी-3 के 44 आवासों का निर्माण कराया जा रहा है।

प्रश्नगत स्थल पर मंदिर, मंदिर के साथ आवास, सीवेज पम्पिंग स्टेशन एवं दो अण्डर ग्राउण्ड सम्स (एक नग पूर्व में निर्मित तथा एक नग योजना के अन्तर्गत) पूर्व से निर्मित है। निर्माणाधीन आवासों की योजना पर रु0-418.73 लाख धनराशि का व्यय किया जा चुका है। अतः निर्माण स्थल को बदले जाने का औचित्य नहीं बनता।

लखनऊ में राजकीय कर्मियों को समुचित आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रश्नगत आवासों का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में सड़कें पिच करने का कथित प्रकरण

49-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में वर्ष 2012-13 में मण्डी परिषद् की कौन-कौन सी सड़कें पिच करने हेतु प्रस्तावित हैं ? क्या सरकार उक्त सड़कों के डामरीकरण हेतु विधायकों से भी प्रस्ताव लेने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में वर्ष 2012-13 में मण्डी परिषद् की कोई भी सड़कें पिच करने हेतु प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील मोहम्मदी के ग्रामों में अग्नि पीड़ित कृषकों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने का विवरण

50-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील-मोहम्मदी के अन्तर्गत किन-किन ग्रामों में 2010-11 व 2011-12 में आग लगने से किसानों की गेहूं व गन्ना की फसलों को नुकसान हुआ है ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि संभावितों को क्षतिपूर्ति दी गयी है ? यदि हां, तो क्षतिपूर्ति पाने वालों का नाम व पता क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

वर्ष 2010-11 में तहसील-मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम बाईकुंआ परगना पसगवां में पांच कृषकों तथा ग्राम सेमरावां में एक कृषक तथा ग्राम कस्वा में दो कृषकों की आग लगने से गेहूं की फसल जल गई थी। वर्ष 2011-12 में ग्राम बेहड़ा जोरावर में एक कृषक, कैमहरा में एक कृषक व सिकन्दरिया पोस्ट लिधियाई में एक कृषक की आग लगने से गेहूं की फसल जल गई थी। किसी भी कृषक की आग लगने से गन्ने की फसल नहीं जली।

जी हां।

क्षतिपूर्ति पाने वालों का नाम व पता की सूची संलग्न है।*

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा में कृषकों को कृषि मण्डी की स्थापना कराये जाने की मांग

51-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील-धौरहरा में कृषि उत्पादों का सही मूल्य कृषकों को दिलाने के लिए सरकार उप कृषि मण्डी की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब की स्थापना की जानी प्रस्तावित है।

अनुमानतः एक वर्ष में।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के कतिपय चीनी मिलों से निकलने वाले प्रदूषित जल को हो रही क्षति की क्षतिपूर्ति कराये जाने की मांग

52-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में स्थापित खम्भारखेड़ा शुगर मिल तथा गुलरिया चीनी मिल से निकलने वाले प्रदूषित विषैले जल से पशुओं की मृत्यु की घटना प्रकाश में आयी है ? यदि हां, तो क्या चीनी मिलों से या बीमा कम्पनी से कोई मुआवजा राशि पशुमालिकों को दी गयी है ? यदि हां, तो किसको-किसको दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

फरवरी, 2008 में जनपद-लखीमपुर खीरी में स्थापित खम्भारखेड़ा शुगर मिल से निकलने वाले प्रदूषित जल से 12 पशुओं की मृत्यु के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुयी थी, जिसके सम्बन्ध में जिला पशु चिकित्साधिकारी सदर पशु चिकित्सालय, खीरी द्वारा दिनांक 26-02-2008 को करायी गयी पशुओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पशुओं की मृत्यु का कारण अज्ञात जहरीले तत्व के भैंसों के शरीर में जाने से होना पाया गया है तथा सभी 12 मृत भैंसों का विसरा संरक्षित कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ भेजा गया था, जिनकी जांचोपरान्त संयुक्त निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ के पत्र दिनांक 30-04-2008 के अनुसार विसरा परीक्षण में कोई रसायनिक विष होना नहीं पाया गया है।

---

* (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ-196 पर।)

उपरोक्त के अतिरिक्त खम्भारखेड़ा शुगर मिल एवं गुलरिया चीनी मिल से निकलने वाले प्रदूषित विषैले जल से पशुओं की मृत्यु की कोई सूचना पशु चिकित्साधिकारी, लखीमपुर खीरी से प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील व विकास खण्ड-जंगल कौड़िया के ग्राम सभा बुढ़ेली में तहसीलो का बन्दोबस्त कराये जाने की मांग

53-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर की तहसील व विकास खण्ड-जंगल कौड़िया के अन्तर्गत ग्राम सभा बुढ़ेली में वर्ष 1962 के बाद बन्दोबस्त नहीं हुआ है, जबकि आस-पास के ग्रामों व तहसीलों का बन्दोबस्त हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम सभा का भी बन्दोबस्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

ग्राम सभा बुढ़ेली में बन्दोबस्त कराने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, गोरखपुर से जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-4क(2) के अन्तर्गत प्रस्ताव निदेशालय को प्राप्त हुआ है, जिसके परीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के हरिजन प्राइमरी पाठशाला उदयगंज के सहा0 अध्यापक स्व0 कमलेश्वर प्रसाद की मृत्यु उपरान्त मृतक आश्रितों के समायोजन विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

54-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 कमलेश्वर प्रसाद सहायक अध्यापक, हरिजन प्राइमरी पाठशाला बरफखाना, उदयगंज लखनऊ की मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र अजय श्रीवास्तव को अनुकम्पा के आधार पर विभाग में किसी भी पद पर समायोजित करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/ 102986/096/12-13, दिनांक 13-12-12 तथा पत्र सं0 वि0प0/ ज0हि0/102987/095/12-13, दिनांक 13-12-12 प्रमुख सचिव, समाज कल्याण उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 वि0प0/ज0हि0/102987/095/12-13, दिनांक 13-12-12 शासन को प्राप्त हुआ है तथा पत्र सं0 वि0प0/ज0हि0/102986/096/12-13, दिनांक 13-12-12 शासन को प्राप्त नहीं हुआ है।

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों में सेवा काल में शिक्षकों का निधन हो जाने पर उनके आश्रितों पर मृतक आश्रित भर्ती नियमावली, 1974 लागू नहीं है। यह पद सरकारी नहीं है एवं इसमें नियुक्ति विद्यालय के प्रबन्ध समिति द्वारा की जाती है। अतः स्व0 कमलेश्वर प्रसाद, सहायक अध्यापक के पुत्र को उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत अनुकम्पा के आधार पर समाज कल्याण विभाग में किसी पद पर समायोजित किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा तहसीलदार सदर द्वारा मुआवजा पाने के हक में फर्जी नाम खतौनियो में दर्ज करने का कथित प्रकरण

55-श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसीलदार सदर, आगरा द्वारा भूमि गाटा संख्या 771, 774, 776 मौजा ककरैठा तहसील सदर जिला आगरा को केवल मुआवजा पाने के हक हकूक दस्तावेज 09-06-2004 के आधार पर बिना मालिकाना हक देखे हुए वाद संख्या 817ए व 817बी के द्वारा दिनांक 22-06-06 को मूल भू-स्वामियों का नाम काटकर खतौनियों में फर्जी नाम दर्ज कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि प्रमुख सचिव, राजस्व के आदेश दिनांक 17-02-06 एवं 10-10-08 के आधार पर फर्जी नाम निरस्त करके खतौनियों में पुनः मूल भू-स्वामियों के नाम दर्ज हुए हैं ? यदि हां, तो प्रमुख सचिव, राजस्व के आदेशों की अवहेलना कर दिनांक 19-09-12 को पुनः फर्जी नाम को दोबारा खतौनियों में दर्ज कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पीस पार्टी को लखनऊ में कार्यालय हेतु भवन उपलब्ध कराये जाने की मांग

56-डा0 मो0 अयूब-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पीस पार्टी को लखनऊ के कार्यालय हेतु कोई भवन आवंटित नहीं किया गया है ? क्या यह सही है कि इस हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा दिसम्बर, 2012 में दिया गया प्रार्थना-पत्र जनवरी, 2013 में निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पीस पार्टी को कार्यालय हेतु भवन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

श्रेणी-5 का आवास उपलब्ध होने पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा कार्यरत दैनिक वेतन कर्मियो को विनियमित करने सम्बन्धी जानकारी

57-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 08, सितम्बर, 2010 के अनुपालन में दिनांक 29 जून, 1991 के पूर्व से कार्यरत दैनिक वेतन कर्मियों को विनियमित करने हेतु निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा पत्रांक-डी0एच0-1401-11/स्था0-3/च0श्रे0-58बी, दिनांक 10 जनवरी, 2013 के अनुसार विनियमित करने का निर्देश निर्गत कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त आदेश के क्रम में कुल कितने कर्मी विनियमित किए गए तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि शेष को कब तक विनियमित कर दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

जी हां।

दैनिक वेतन कर्मियों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपदों/मण्डलों से सूचना प्राप्त होने के उपरान्त, पदों की उपलब्धता होने पर पात्रता क्षेत्र में आने वाले कर्मियों के विनियमितीकरण की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी। इसके लिए कोई निश्चित समय-सीमा बताया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भिक्षावृत्ति की रोक-थाम के उपाय

58-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिये बने ''उ0प्र0 भिक्षावृत्ति प्रतिरोध अधिनियम, 1997'' को परिवर्तित कर भिक्षावृत्ति को अपराध की श्रेणी से हटाने एवं इस समस्या/कुरीति को दूर करने के लिये उक्त अधिनियम में संशोधन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

प्रदेश में ''उ0प्र0 भिक्षावृत्ति प्रतिरोध अधिनियम, 1997'' नहीं, अपितु ''उ0प्र0 भिक्षावृत्ति प्रतिशेध अधिनियम, 1975'' लागू है, जिसमें फिलहाल संशोधन का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रचलित अधिनियम में प्रश्नगत प्रयोजन हेतु पूर्व से ही अपेक्षित व्यवस्थायें सन्निहित हैं।

प्रदेश में मुस्लिम लड़कियो की भांति निर्धन हिन्दू व उच्च वर्गों की लड़कियों को भी अनुदान दिये जाने की मांग

59-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मुस्लिम लड़कियों की भांति निर्धन हिन्दू या अन्य वर्गों की लड़कियों को भी अनुदान देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों के छात्र/छात्राओं को पूर्वदशम तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की योजना संचालित है। यह सभी योजनायें अल्पसंख्यक विभाग की योजनाओं के समान ही है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु रु0 10,000/- का अनुदान समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु रु0 10,000/- का अनुदान दिये जाने की योजना संचालित है।

मुस्लिम लड़कियों की भांति निर्धन हिन्दू या अन्य वर्ग की लड़कियों को अनुदान दिये जाने का कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-अमोघपुर दबंगों द्वारा भूमि पर अवैध कब्जा

60-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-अमोघपुर में सरकारी जमीन पर बारात घर बनाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या उक्त जमीन पर कुछ दबंगों ने अतिक्रमण कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटवाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम अमोघपुर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार सदर चन्दौली के यहां ज0वि0 अधिनियम की धारा-122बी का वाद संख्या-59/2013 सरकार बनाम रामसूरत मौजा अमोघपुर दाखिल है, जो विचाराधीन है। वाद के निस्तारण के बाद ही कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर में मण्डी परिषद् द्वारा गांवों के सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु प्रस्ताव मांगने का कथित प्रकरण

61-श्री रामहेत भारती-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में मंडी परिषद् द्वारा गांवों के सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में क्षेत्रीय विधायकों से प्रस्ताव मांगे गये है ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र हरगांव के किन-किन मार्गों के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा उनमें से कितने मार्गों का निर्माण कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के भूमि संरक्षण इकाई महोली में किसानों के भूमि का समतलीकरण का भौतिक सत्यापन कराये जाने की मांग

62-श्री रामहेत भारती-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में भूमि संरक्षण इकाई महोली तथा सीतापुर में वित्तीय वर्ष 2012-2013 में किन गांवों में तथा किन किसानों के खेतों का समतलीकरण कराया गया है ? क्या सरकार कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

जनपद सीतापुर में वर्ष 2012-13 में भूमि संरक्षण इकाई महोली के 05 गांवों में 95 किसानों तथा भूमि संरक्षण इकाई सीतापुर के 12 गांवों में 226 किसानों के खेतों का समतलीकरण कराया गया है (सूची संलग्न)[†]।

कृषि विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

यमुना एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर औद्योगिक व्यवसायिक प्रयोजन हेतु भूमि अधिग्रहण का विचाराधीन प्रस्ताव

63-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा से नोएडा को जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर औद्योगिक, व्यावसायिक आदि प्रयोजनों के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहीत किये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

वर्तमान में कुल 41 अर्जन प्रस्ताव (कुल क्षेत्रफल लगभग 6569 हेक्टेयर) भू-अर्जन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु विचाराधीन है।

अर्जन के पश्चात् इन ग्रामों की अर्जित भूमि पर सुनियोजित औद्योगिक विकास हेतु उद्योग, संस्थागत, आवासीय, व्यवसायिक एवं रिक्रियेशनल ग्रीन की योजनायें लायी जानी प्रस्तावित हैं।

जनपद उन्नाव के तहसील हसनगंज के ग्राम धौरा में कब्रिस्तान के नाम दर्ज भूमि का अनाधिकृत कब्जे का कथित प्रकरण

64-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-धौरा, परगना-मोहान, तहसील-हसनगंज, जनपद-उन्नाव में कब्रिस्तान के नाम दर्ज गाटा सं0-334, 421 तथा 3123 पर कतिपय लोगों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा करके निजी उपयोग में लाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनधिकृत कब्जे को हटवाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†] छापी नहीं गयी।

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व तहसील कानपुर के ग्राम बिसायकपुर में भूमि पर अवैध कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही

65-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर क्षेत्र के ग्राम बिसायकपुर बांगर परगना व तहसील कानपुर, जनपद-कानपुर नगर में तालाब की भूमि गाटा संख्या-338, 634, 652 एवं 654 पर अनधिकृत रूप से कतिपय लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तालाब को अनधिकृत कब्जे से मुक्त कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

ग्राम विसायकपुर बांगर परगना व तहसील सदर जिला कानपुर नगर के नगर क्षेत्र में भूमि गाटा संख्या-338, 634, 652 एवं 654 में से गाटा सं0-634 तालाब के रूप में प्रयोग न होकर समतल है। इसका रकबा 0.061 हे0 है जिसके 360 वर्ग मीटर पर पार्षद नगर योजना के 6 प्लाट काटे गये है। शेष 250 वर्ग मीटर भूमि रास्ते के रूप में प्रयोग की जा रही है।

गाटा सं0-652 रकबा 0.307 हे0 की 19 विस्वा पर ग्राम के निवासी श्री गजराज द्वारा मकान बनाया गया है। शेष रकबा रास्ते के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। गाटा सं0 654 रकबा 0.082 हे0 तथा गाटा सं0-652 के शेष रकवे से 120 फिट रोड का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है एवं सहन के रूप में ग्रामवासियों द्वारा प्रयोग की जा रही है।

उपरोक्त गाटा संख्याओं में से गाटा सं0-634 के 360 वर्ग मीटर पर के0डी0ए0 द्वारा प्लाट काटे गये हैं, जो आवंटित हैं एवं गाटा सं0-652 के रकबा 19 विस्वा पर मकान व बाउन्ड्री बनाकर कब्जा किया गया हैं शेष भूमि खाली है। कब्जे वाली भूमि को खाली कराने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण को निर्देशित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

66-श्री जय प्रकाश अंचल-

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राजस्व परिषद् के समूह ख व ग के कर्मियों की संशोधित नियमावली के प्रस्थापन का विचाराधीन प्रकरण

67-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राजस्व परिषद् के समूह ख एवं ग के कार्मिकों की संशोधित नियमावली के प्रख्यापन का प्रकरण शासन स्तर पर वर्ष 1998 से लम्बित होने के कारण परिषद् के कार्मिकों की पदोन्नति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो उक्त सेवा नियमावली सरकार प्रख्यापित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

राजस्व परिषद् में दिनांक 20-09-2007 तक पदोन्नति की गयी है। अतः पदोन्नति बाधित नहीं है।

शासन स्तर पर नियमावली में संशोधन का प्रकरण लम्बित नहीं है, बल्कि नई सेवा नियमावली के प्रख्यापन का प्रकरण विचाराधीन है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक ददरौल के ग्राम सपत्यारा में चकबन्दी कार्य पूर्ण कर किसानों को भूमि का कब्जा दिलाये जाने की कार्य योजना

68-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक ददरौल के ग्राम सपत्यारा में कई वर्षों से चकबन्दी चल रही है ? यदि हां, तो उक्त चकबन्दी का कार्य पूरा कराकर कब तक किसानों को उनकी भूमि पर कब्जा दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

ग्राम सपत्यारा, तहसील सदर, ब्लाक ददरौल में धारा-4(2) के प्रकाशन दिनांक 25-5-2007 से चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है।

दिनांक 15-4-2013 से चक सीमांकन का कार्य प्रारम्भ कर जुलाई, 2013 तक किसानों को उनकी भूमि पर कब्जा दिये जाने की कार्य योजना है।

उपरोक्तानुसार।

[12-20 बजे] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 07 मार्च, 2013 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 16 सूचनायें स्वीकार की जाती हैं।

पहली सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी की-इन्होंने उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग का मुख्यालय इलाहाबाद से लखनऊ स्थानान्तरण को रोके जाने के सम्बन्ध में है।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने अपनी सूचना सदन के समक्ष पढ़कर सुनाई)

दूसरी सूचना श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह जी की-इन्होंने जनपद रायबरेली की मुंशीगंज गन्ना मिल को पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में है।

(श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह ने अपनी सूचना सदन के समक्ष पढ़कर सुनाई)

तीसरी सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की-इन्होंने जनपद आगरा के संजय पैलेस मार्केट में शहीद स्मारक के सामने खराब पड़े रंगीन फव्वारों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री मनीष असीजा की-इन्होंने फिरोजाबाद नगर में जाम की भीषण स्थिति के निराकरण हेतु भूमिगत केबिलों के माध्यम से विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की-कानपुर कैंट में श्याम नगर से जाने वाले बाईपास की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया ने अपनी सूचना सदन के समक्ष पढ़कर सुनाई)

छठवीं सूचना श्री सुदेश शर्मा की-जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के क्षतिग्रस्त मोदीनगर-हापुड़ मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(पं0 सुदेश शर्मा ने अपनी सूचना सदन के समक्ष पढ़कर सुनाई)

सातवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट की-जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव में यमुना नदी पर बने कंजौली घाट पुल को दोनों तरफ से सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री गुटियारी लाल दुवेश की-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र कैन्ट में पानी की निकासी हेतु नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(श्री गुटियारी लाल दुवेश ने अपनी सूचना सदन के समक्ष पढ़कर सुनाई)

नौवीं सूचना श्री ममतेश शाक्य की-जनपद कासगंज के विकास खण्ड अमांपुर एवं सहावर की जर्जर विद्युत तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में है।

(श्री ममतेश शाक्य ने अपनी सूचना सदन के समक्ष पढ़कर सुनाई)

दसवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की-मथुरा-वृन्दावन में जे0 एन0 एन0 यू0 आर0 एम0 के रुके हुये कार्यों को आरम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री दिलनवाज खां की-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना स्थित किसान सहकारी मिल, अनूपशहर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने एवं दोषियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना श्री शारदा प्रताप शुक्ला जी की-जनपद लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में पकरी के पुल का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना श्री उदयराज जी की-जनपद लखनऊ की तहसील बिजनौर के ग्राम सेवई में श्री मुन्नालाल की भूमि को बंजर घोषित कर ग्राम प्रधान द्वारा अवैध कब्जा किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौदहवीं सूचना श्री मोहम्मद आसिफ जी की-जनपद फतेहपुर के निर्वाचन क्षेत्र हुसैनगंज के विकास खण्ड ऐरायां के कतिपय जर्जर एवं गड्ढायुक्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

पन्द्रहवीं सूचना श्री आलमबदी की-जनपद आजमगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद की कतिपय सड़कों की सामान्य मरम्मत व नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

सोलहवीं सूचना डा0 धर्म सिंह सैनी-की जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को राजाज्ञा के अनुसार बोनस का लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :-

श्री विजय बहादुर यादव, श्री सन्त प्रसाद, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत (रिपीट), श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री मो0 आसिफ जाफरी, डा0 पूर्णमासी देहाती।

(सदन की सहमति से संलग्न स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग का मुख्यालय इलाहाबाद से लखनऊ स्थानान्तरण करने को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

महोदय, उ0प्र0 आबकारी मुख्यालय इलाहाबाद को शासन की नीतियों के विरुद्ध मनमाने ढंग से लखनऊ स्थानान्तरित किये जाने के विरुद्ध हजारों कर्मचारियों, उनके परिवारों तथा कर्मचारी संगठनों में भारी रोष व्याप्त है। समय-समय पर ''लखनऊ पुवास प्रेम'' के कारण अधिकारीगण इसको स्थानान्तरित करने में जुट जाते हैं।

7 फरवरी, 2003 को प्रमुख सचिव, आबकारी ने शासनादेश संख्या-2708ई-1/तेरह-2002-13/99 ने शिविर कार्यालय हेतु नवीन भवन किराये पर लिये जाने तथा उसमें 43 अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति को औचित्यहीन बताते हुये निरस्त कर दिया था। सन् 2008-09 में पुनर्प्रयास भी विफल हो गया।

इलाहाबाद उ0प्र0 प्रांत तथा अवध प्रांत की राजधानी रहा है। यहां आबकारी, राजस्व परिषद्, शिक्षा, पुलिस, स्टाम्प-रजिस्ट्रेशन, इलाहाबाद महालेखाकार का मुख्यालय तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। इसमें हजारों कर्मचारी कार्यरत हैं तथा उनका निवास, परिवार, बच्चों का पठन प्रभावित हो रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल उ0प्र0 आबकारी मुख्यालय, इलाहाबाद से लखनऊ स्थानान्तरण को रोके जाने की मांग करता हूं।

जनपद रायबरेली की मुंशीगंज गन्ना मिल को पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

जनपद रायबरेली की मुंशीगंज स्थित गन्ना मिल गत कई वर्षों से बन्द पड़ी है। लाखों किसानों का सपना टूट गया है और अब निर्धनता की कगार पर पहुंच गये हैं। गन्ना किसानो का भुगतान भी शेष है और न ही विवादास्पद मामलों का निस्तारण किया गया है। यह लोक महत्व का विषय है। मिल की ताला बन्दी होने से हजारों परिवार के जीविकोपार्जन के तार जुड़े हैं एवं प्रारम्भ करने हेतु किसान सरकार की ओर टिकटिकी लगाये अपेक्षा कर रहे हैं। जन मानस का निश्चित मत है कि तात्कालिक प्रभाव से गन्ना मिल प्रारम्भ हो ताकि पेराई सत्र का पूरा लाभ किसानों को मिल सके।

अतः इस लोक महत्व के संदर्भ को दृष्टिगत रखते हुए मैं माननीय सदन से मांग करता हूं कि उपरोक्त वर्णित चीनी मिल को अविलम्ब प्रारम्भ करवाने की कृपा करें।

जनपद आगरा के संजय पैलेस मार्केट में शहीद स्मारक के सामने खराब पड़े रंगीन फव्वारों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आगरा के संजय पैलेस मार्केट में शहीद स्मारक के सामने खराब पड़े रंगीन फव्वारों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

आगरा के संजय पैलेस मार्केट में शहीद स्मारक के सामने बहुत पहले 20 वर्ष पूर्व रंगीन फव्वारे लगाए गए थे। जो विगत लगभग 15 वर्षों से जंग लग कर खराब पड़े हैं तथा फव्वारों के स्थान पर कूड़ा डालकर डलावघर बना दिये गया है। वहां फव्वारों की आवश्यकता नहीं है तथा उसका रख-रखाव भी सम्भव नहीं है। कूड़ा पड़ा होने के कारण जनता में बहुत रोष है। वहां फव्वारों की व्यवस्था को हटाकर समतल करके सड़क बना दी जाये जिससे शहीद स्मारक जाने के लिए जनहित में सुन्दर व चौड़े रास्ते का निर्माण हो सके।

अतः मैं लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से उक्त महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण कराने की मांग करता हूं।]

फिरोजाबाद नगर में जाम की भीषण स्थिति के निराकरण हेतु भूमिगत केबिलों के माध्यम से विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा-

[महोदय, नगर फिरोजाबाद एक बहुत सघन आबादी वाला पुरानी बसावट युक्त एक औद्योगिक शहर है, जिसकी गली-गली एवं घर-घर में कांच-चूड़ी का व्यापार होता है।

चूंकि नगर फिरोजाबाद T.T. Zone क्षेत्र में स्थित है एवं यहां कांच-चूड़ी के प्रसिद्ध उद्योग के कारण समूचे नगर में अत्यन्त तीव्र एवं सघन औद्योगिक गतिविधियां संचालित होती हैं। इन व्यापारिक गतिविधियों के संचालन में प्रयुक्त होने वाले रिक्शा, हाथ ठेला एवं यातायात के अन्य साधनों के कारण नगर की पुरानी तंग गलियां, बाजार एवं प्रमुख क्षेत्र जाम की अत्यन्त भीषण समस्या से ग्रसित रहते हैं तथा गलियों एवं सड़कों में लगे बिजली के खम्भों के कारण यह समस्या और अधिक विकराल हो जाती है। साथ ही ओवरहेड लाइन में आये दिन आने वाले विद्युत फाल्टों के कारण T.T. Zone क्षेत्र में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किये गये मानकानुसार विद्युत आपूर्ति भी नहीं हो पाती है तथा राजस्व की भी हानि होती है।

मैं T.T. Zone क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अपने औद्योगिक नगर फिरोजाबाद को अत्यन्त भीषण जाम की समस्या के निराकरण एवं राजस्व की बढ़ोत्तरी हेतु वृन्दावन की भांति अंडरग्राउण्ड केबिल के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था कराने की मांग करता हूं।]

कानपुर कैंट में श्याम नगर से जाने वाले बाईपास की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र कानपुर कैण्ट में श्याम नगर चौराहे से आगे उत्सव गेस्ट हाउस से मोहिनी वाटिका, रामपुरम्, मंगला विहार होते हुए बाईपास तक चौड़ाई लगभग डेढ़ सौ फुट लम्बाई लगभग 01 कि0मी0 मार्ग अत्यन्त जर्जर अवस्था में है। उक्त मार्ग पर चलना अत्यन्त कठिन हो

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गया है। जरा सी बारिश में पूरे मार्ग पर पानी भर जाता है, जिससे स्थिति और भी भयावह हो जाती है। इस मुख्य मार्ग से जुड़े हुए सैकड़ों मोहल्ले तथा हजारों गलियां हैं। इस मार्ग पर शहर के कई प्रतिष्ठित विद्यालय स्थित हैं जिसमें पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों को आने-जाने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यह मार्ग कानपुर रेलवे स्टेशन, कानपुर बस अड्डा एवं कानपुर के प्रमुख अस्पतालों का मुख्य मार्ग है।

इस मार्ग के जर्जर होने से स्थानीय निवासियों में भयंकर आक्रोश व्याप्त है। आये दिन कोई न कोई दुर्घटना इन मार्गों पर घटित होती रहती है। आये दिन स्थानीय नागरिकों द्वारा धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है जिससे शांति व्यवस्था की स्थिति खराब होने का खतरा बना हुआ है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के क्षतिग्रस्त मोदीनगर-हापुड़ मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुदेश शर्मा-

मेरे विधान सभा क्षेत्र-मोदीनगर, जनपद-गाजियाबाद में मोदीनगर से हापुड़ मार्ग जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मोदीनगर से भोजपुर तक अत्यन्त जीर्ण-क्षीर्ण है, उसे जनहित में शीघ्र बनवाया जाय तथा इसी मार्ग में भोजपुर से हापुड़ तक जो सड़क बनायी जा रही है उसकी गुणवत्ता अत्यन्त खराब है। इसकी जांच करायी जाय। यह प्रकरण जनहित से सम्बन्धित है।

अतः मैं चाहूंगा कि जनहित में उक्त सड़क की मरम्मत करवाने व गुणवत्ता की जांच त्वरित कराये जाने की मांग करता हूं।

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव में यमुना नदी पर बने कंजौली घाट पुल को दोनों तरफ से सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि हमारे जनपद-मथुरा में मेरे बल्देव विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेतु निगम के द्वारा यमुना के ऊपर कन्जौली घाट पुल का निर्माण शासन द्वारा कुछ पिछले वर्ष में पूर्ण करके जनता के आने-जाने के लिए शुरू कर दिया था परन्तु दो वर्ष बीत चुके हैं अभी तक यह कंजौली घाट पुल जो कि दोनों तरफ से मुख्य मार्गों से जुड़ना है जिसमें बल्देव मार्ग से कंजौली घाट पुल का एक साइड तथा कंजौली घाट पुल से रेपुरा जाट (नेशनल हाईवे-2 मथुरा-आगरा) सम्पर्क मार्ग दूसरी साइड को जोड़ता है। इस कंजौली घाट पुल की दोनों ओर की सड़के मुख्य सम्पर्क मार्गों को जोड़ने वाली सड़कें टूटी एवं जर्जर पड़ी है। जिससे इस नये पुल से गुजरने में जनता को भारी असुविधा हो रही है। कंजौली घाट के पुल से दोनों और सड़क मार्ग रेपुरा जाट एवं बल्देव मार्ग के सड़क की मरम्मत अभी तक न हो पाने के कारण जनता में भारी आक्रोश है। आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस जनहित व लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से उक्त मार्ग की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र कैन्ट में पानी की निकासी हेतु नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गुटियारी लाल दुवेश-

कृपया अवगत कराना चाहूंगा कि आगरा शहर के अन्तर्गत मेरी विधान सभा क्षेत्र आगरा कैण्ट ताजमहल के निकट, नगला परसोती, नगला भरती, सरायं ख्वाजा, सेवला सराय, नगला प्यारे में पानी की निकासी न होने के कारण गन्दा व दूषित पानी सड़कों एवं आस-पास के घरो में पानी भर जाता है जिसके कारण वहां पर निवास करने वाली जनता को गन्दे पानी के भराव के कारण संक्रमण पैदा होने से आये दिन लोग भयंकर बीमारी से पीड़ित रहते हैं एवं जल भराव के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु अत्यधिक कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। मैं जिलाधिकारी व नगर आयुक्त से कई बार मिल कर बात की एवं पत्र भी भेजा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, गन्दे जल भराव के पानी की निकासी न होने के कारण वहां की जनता आये दिन धरना प्रदर्शन करती रहती है। किन्तु आज तक नाला निर्माण न हो सका जिससे क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय लोगों में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने हुए जनहित में अतिशीघ्र नाला निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।

जनपद कासगंज के विकास खण्ड अमांपुर एवं सहावर की जर्जर विद्युत तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ममतेश शाक्य-

कृपया अवगत कराना चाहूंगा कि जनपद-कासगंज, विधान सभा क्षेत्र अमांपुर के अन्तर्गत वि0ख0-सहावर व अमांपुर में बिजली के जर्जर तारों के टूटने से आये दिन विद्युत व्यवस्था खराब रहती है। तार टूटने से आये दिन आगजनी जैसी घटनायें व गंभीर दुर्घटनायें होने की सम्भावनायें बनी रहती हैं। बिजली न मिलने से किसान मंहगे डीजल से अपने निजी पम्प सेटों से सिंचाई करने को मजबूर है एवं विद्युत आपूर्ति न होने से स्थानीय जनता एवं क्षेत्रीय किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिससे सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उपरोक्त दोनों विकास खण्डों में जर्जर विद्युत तारों को बदलवाने एवं विद्युत व्यवस्था को सही कराने की मांग करता हूं।

मथुरा-वृन्दावन में जे0एन0यू0आर0एम0 के रुके हुये कार्यों को आरम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर-

[मान्यवर, मथुरा-वृन्दावन में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 का कार्य जिसमें की सीवर, ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट तथा बी0एस0यू0पी0 के अन्तर्गत गरीबों के लिए मकान बनाये जाने हेतु कार्य

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की प्रगति लगभग 'शून्य' है। केन्द्र सरकार के जे0एन0एन0यू0आर0एम0 मिशन का कार्य उत्तर प्रदेश के 07 शहरों में लागू हुई थी, जिसका कार्य आधा-अधूरा तथा अधोमानक हुआ है। प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को गतिशील बनाने में कोई रुचि नहीं ले रही है और न ही इस हेतु भारत सरकार से पैसा ले पा रही है। केन्द्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजनान्तर्गत उ0 प्र0 नगर विकास विभाग का सीवर, ड्रेनेज, रिवर साइड डेवलपमेन्ट तथा अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु काफी पैसा केन्द्र से मिलना अभी बाकी है। केन्द्र सरकार द्वारा इस मद में धन स्वीकृति के बावजूद भी उ0 प्र0 सरकार द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के तहत 07 शहरों में विशेषकर मथुरा-वृन्दावन में सीवर, ड्रेनेज, रिवर साइड डेवलपमेन्ट तथा अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर के डी0पी0आर0 को अपडेट करके अभी तक नहीं भेजा गया है। यदि डी0पी0आर0 भेजने के मामले में विलम्ब हुआ तो उ0 प्र0 को छोड़कर अन्य प्रदेश जे0एन0एन0यू0आर0एम0 हेतु आवंटित धन ले जायेंगे तथा उ0 प्र0 फिर से इस योजना हेतु पैसा लेने से वंचित रह जायेगा। अतः इस गम्भीर विषय पर नगर विकास विभाग तथा आवास विभाग को उन 06 शहरों के अलावा मथुरा-वृन्दावन शहर के सीवर, ड्रेनेज एवं पेयजल का डी0पी0आर0 नगर विकास विभाग से तथा रिवर साइड डेवलपमेन्ट एवं अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर का डी0पी0आर0 मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण के माध्यम से आवास विभाग, उ0 प्र0 शासन से मंगाकर केन्द्र सरकार को तत्काल भिजवाने हेतु आदेशित करने का कष्ट करें जिससे कि लगभग 1,550 करोड़ रुपये की धनराशि मथुरा के विकास हेतु व अन्य छः शहरों के लिए हजारों करोड़ रुपये केन्द्र सरकार के नगर विकास विभाग से आ सके।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना स्थित किसान सहकारी मिल, अनूपशहर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने एवं दोषियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिलनवाज खां-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र स्याना, जनपद बुलन्दशहर में किसान सहकारी मिल, अनूपशहर द्वारा किसानों का लाखों मूल्य का गन्ना घटतौली के कारण तथा मिल के अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से गन्ना किसानों के साथ छल करके उनको आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है और उनको लूटा जा रहा है। इस लूट में लिप्त है-दी किसान सहकारी मिल, अनूपशहर तथा मिल के प्रबन्धक से लेकर चीनी मिल गन्ना अधिकारी जिनका कर्तव्य कृषकों का हित करना होता है वही इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। दिनांक 22-2-2013 को एस0डी0एम0 अनूप शहर के सामने घटतौली पकड़ी गयी। घटतौली को लेकर श्री रामपाल सिंह पुत्र श्री जमादार सिंह, निवासी चरोरा, थाना-जहांगीराबाद, जनपद बुलन्दशहर की शिकायत पर आई0पी0सी0 की धारा-418 के अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या-66 थाना जहांगीराबाद, जनपद बुलन्दशहर संख्या-27/13 द्वारा दी किसान सहकारी मिल, अनूपशहर के प्रबन्धक, केन्द्र लिपिक एवं गन्ना विकास अधिकारी (सी0सी0ओ0) के विरुद्ध एस0डी0एम0 अनूपशहर के सामने प्राथमिकी दर्ज कराई गई। परन्तु अभी तक इन

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिकारियों एवं सम्बन्धित लिपिक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इससे गन्ना किसानों में रोष व्याप्त है। वह इसको लेकर कभी भी आन्दोलित हो सकते हैं।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में पकरी के पुल का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा प्रसाद शुक्ला-

[मान्यवर,

मैं सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। ग्राम-पकरी, आलमबाग, लखनऊ का पुल जिसे अंग्रेजों द्वारा 86 वर्ष पूर्व बनाया गया था। पकरी ग्राम नहर के निकाले जाने पर पकरी ग्राम दो भागों में विभाजित हो गया था नहर के बाई तरफ मुख्य ग्राम तथा नहर के दाई ओर पकरी खेड़ा ग्राम विभाजित हो गया था। चूंकि गांव दो भागों में विभाजित हो रहा था जिससे किसानों की जमीन नहर के दायी तरफ बहुतायत थी और किसानों को अपने कृषि कार्य करने के लिए कोई रास्ता न होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने पकरी के पुल का निर्माण कराया था जिसे बहुजन समाज पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार ने तोड़ दिया है। जिस पर टैम्पों, टैक्सी, मोटरसाइकिल, साइकिल, जीप, कार आदि का आना जाना बन्द हो गया है। जिससे चौक, अमीनाबाद, राजाजीपुरम्, तालकटोरा, आर0डी0एस0ओ0, नटखेड़ा, आलमबाग, अवध हास्पिटल चौराहा, गीतापल्ली कैंट विधान सभा क्षेत्र तथा सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र के आशियाना एवं एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड, पराग चौराहा से होते हुए बिजली पासी किला बिजनौर जाने वाले लोगों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त मोहल्लों के लोगों को अवध हास्पिटल चौराहे से या बगला बाजार पुल से आठ-आठ किलोमीटर का चक्कर लगा कर जाना पड़ता है, इसके पीछे पूर्ववर्ती ब0स0पा0 सरकार का भेदभाव साफ झलकता है, क्योंकि डा0 राममनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय तथा लोक बन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय एल0डी0ए0 कालोनी के बरगवां ग्राम में स्थित है तथा सी0एम0एस0 स्कूल, राजाबिजली पासी डिग्री कालेज, लखनऊ पब्लिक स्कूल और अन्य तमाम विद्यालय जहां छोटे-छोटे बच्चों को आवागमन रहता है, वही लोकबन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय में मरीजों का आना-जाना शामिल है, इसलिए पकरी के पुल का पुनः बनाया जाना नितांत अवश्यक है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ की तहसील बिजनौर के ग्राम सेवई में श्री मुन्ना लाल की भूमि को बंजर घोषित कर ग्राम प्रधान द्वारा अवैध कब्जा किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदय राज-

[मान्यवर,

मैं आपका ध्यान ग्राम सेवई परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ की गाटा संख्या 786 व 796 की तरफ ले जाना चाहता हूं। श्री मुन्ना लाल पुत्र श्री अगनू द्वारा वर्ष 1982 के पूर्व तक भूमि

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का लगान जमा किया जाता रहा है। किन्तु 1982 के पश्चात् इसे बंजर घोषित कर दिया गया तथा राजस्व अभिलेखों में बंजर घोषित करने का कोई आदेश भी अंकित नहीं है। यह सब कैसे तथा किसके द्वारा किया गया है। सूचना के अधिकार के अन्तर्गत भी पूर्ण जानकारी नहीं दी जा रही है।

उक्त के कारण कास्तकार की भूमि पर ग्राम प्रधान व अन्य लोगों द्वारा अवैध कब्जा भी किया जा रहा है। कास्तकार एक दलित वर्ग का व गरीब होने के कारण कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है कि वर्ष 1982 के पूर्व यह किसके नाम अंकित थी और कैसे बंजर घोषित हो गयी इसकी एक उच्च स्तरीय जांच अत्याधिक आवश्यक है। ताकि श्री मुन्ना लाल पुत्र श्री अगनू को न्याय मिल सके।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए नियम 301 में उठाने हेतु आपकी स्वीकृति चाहता हूं।]

जनपद फतेहपुर के निर्वाचन क्षेत्र हुसैनगंज के विकास खण्ड ऐरायां के कतिपय जर्जर एवं गड्ढायुक्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद आसिफ-

[मान्यवर,

मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद फतेहपुर के निर्वाचन क्षेत्र हुसैनगंज के विकास खण्ड ऐराया में नौबस्ता मार्ग अल्लीपुर से कासिमपुर कटरा तक 2 कि0मी0, नौबस्ता मार्ग से कुम्भीपुर बाजार तक 4 कि0मी0 तथा मोहम्मदपुर गौंती के पुल से टांडा मोड़ तक 3.3 कि0मी0 के रोड अत्यधिक जर्जर एवं गढ्ढायुक्त हो गये हैं। इन मार्गों पर साइकिल एवं मोटर साइकिल से भी चलना मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मेरा माननीय महोदय से अनुरोध है कि जनमानस की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में उपरोक्त मार्गों की तत्काल मरम्मत कराने की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद की कतिपय सड़कों की सामान्य मरम्मत व नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलमबदी-

[श्रीमान्,

मैं आपके द्वारा मा0 मंत्री जी लोक निर्माण विभाग का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि-

मैं आपके सेवा में अपने क्षेत्र की उन सड़कों की सूची भेज रहा हूं जो आज के समय क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं। यातायात में जनता को अति कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

निम्नलिखित ये सड़कें निर्माण खण्ड-2 के अन्तर्गत आती हैं। विभाग ने इसके सामान्य मरम्मत व नवीनीकरण 2013 व 2014 में कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव भेज रखा है।

आपसे निवेदन है कि इसके मरम्मत के इस्टीमेट के अनुसार विभाग को धन स्वीकृति कराने का कष्ट करें कि बरसात से पहले इन सड़कों पे यातायात बहाल हो सके।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1-बुडहान पट्टी सम्पर्क मार्ग, 2-कप्तागंज दुर्गवासा मार्ग के कि0मी0 6 से खलीफतपुर सम्पर्क मार्ग, 3-लखमनपुर सम्पर्क मार्ग रानीपुर बाजार से, 4-सुफीपुर, एकमा डगरी सम्पर्क मार्ग, 5-कोइनहा कप्तानगंज मार्ग कि0मी0 7 से ओरा, 6-ओरा से रैसिंगपुर तक, 7-अल्लीपुर सम्पर्क मार्ग, 8-जमीनबारी, चकबारी सम्पर्क मार्ग, 9-पूरब पट्टी सम्पर्क मार्ग, 10-चन्द्राभारी सम्पर्क मार्ग, 11-शिवराजपुर सम्पर्क मार्ग, 12-मिर्जापुर विजहर अहमदाबाद सम्पर्क मार्ग, 13-नेवादा से सेन्टरवां सम्पर्क मार्ग।

जनहित में मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि बरसात से पहले इस कार्य को पूर्ण कराने का कष्ट करें। इसके लिए क्षेत्र की जनता आपकी आभारी रहेगी।]

जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को राजाज्ञा के अनुसार बोनस का लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 धर्म सिंह सैनी-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त जू0हा0 स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को बोनस राजज्ञा सं0/बे0आ0-1-233/दस-10-36(एम) 08(वेतन आयोग) अनुभाग-1 लखनऊ दि0 26 फरवरी, 2010 के प्रस्ताव सं0 3 के अनुरूप लाभ नहीं दिया जा रहा है। उक्त के सम्बन्ध में अनेको बार उ0प्र0 सीनियर बेसिक, शिक्षक संघ सहारनपुर द्वारा उच्च अधिकारियों से मांग की गयी है तथा वित्त नियंत्रक इलाहाबाद को मार्ग दर्शन हेतु वित्त एवं लेखाधिकारी सहारनपुर द्वारा भी पूर्व में लिखा दिया गया है कि बोनस न दिये जाने के कारण अध्यापकों में सरकार के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अशासकीय सहायता प्राप्त जू0हा0 स्कूलों में कार्यरत अध्यपकों को बोनस दिलाये जाने की मांग करता हूं।]

[12.30 बजे] प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत यह व्यवस्था दी गयी है कि दो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न और 20 तारांकित प्रश्न लगेंगे और अतारांकित की उसमें कोई संख्या निर्धारित नहीं है। लेकिन यह देखने में आ रहा है कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न स्वीकृत होने के बाद भी नहीं लग रहे हैं। और तारांकित प्रश्नों की संख्या भी दिन ब दिन घटती जा रही है और यह भी देखने में आ रहा है कि जो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और उस पर अनुपूरक होना चाहिए अवसर मिलना चाहिए वह प्रश्न भी अतारांकित में बदल दिये जा रहे हैं। तो इस तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अगर यह प्रक्रिया जारी रही तो इस विधान सभा के बजट समाप्ति के पहले ही प्रश्न आना बंद हो जायेंगे। कम से कम तारांकित और अल्पसूचित। तो मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जो नियमावली बनी है उसके अनुसार यह संचालित हों।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य आप जानते हैं कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों की एक प्रक्रिया है। अगर उसके अंतर्गत वह स्वीकार होते हैं तो उन्हें लगना चाहिए। इसको मैं दिखवा लूंगा लेकिन अगर उस प्रक्रिया के अंतर्गत वह नहीं सिद्ध होते हैं तो अस्वीकार हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि तारांकित और अतारांकित का तो वह भी एक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। अगर वह तारांकित के नियम के अंतर्गत आते हैं तो वह तारांकित हो जाते हैं लेकिन अगर किसी अतारांकित सवाल पर जो जवाब मिलता है आप उससे असंतुष्ट हैं तो उसको फिर तारांकित में लगा सकते हैं कि अतारांकित प्रश्न संख्या इतने-इतने के संदर्भ में यह उत्तर आया है इसके बारे में पूछ सकते हैं। यह प्रक्रिया है। चाहें तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।

(श्री सतीश महाना के खड़े होने पर उनका माइक आफ था।)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, कल मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ था तो आपने कहा था कि कल इसको दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

दिखवाने का मौका नहीं मिला।

[12.32 बजे] जनपद बागपत में दो समुदायों के मध्य टकराव की सूचना को उठाने का प्रयास

श्री वीरपाल राठी-

माननीय महाना जी, एक मिनट दे दो। मान्यवर, बागपत जनपद के अंदर दो सम्प्रदायों के अंदर टकराव हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आप यह अभी कहां कह रहे हैं। आप किस नियम में बोल रहे हैं।

श्री वीरपाल राठी-

मान्यवर, जीरो आवर में बोल रहा हूं। अभी यह सूचना मिली है।

श्री अध्यक्ष-

इस पर नोटिस देना चाहिए। अरे कल दे दीजिएगा। सूचना के तहत बोलिये। आज रूक जाइये । कल आप दीजिएगा।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 07 मार्च, 2013 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 04 सूचनायें प्राप्त हुईः-

पहली सूचना श्री अगयस रामसरन वर्मा की विधान सभा के वर्तमान सत्र के दौरान, जनपद पीलीभीत के मुख्य विकास अधिकारी एवं सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा विभिन्न समितियों की बैठकें बुलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री सतीश महाना की जनप्रतिनिधियों के प्रति अन्य व्यवस्था में काम करने वाले लोगों द्वारा सम्मानजनक व अपेक्षित व्यवहार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की मा0 विधायकों का वेतन एवं भत्ते मुख्य सचिव के वेतन एवं भत्ते से कम होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की प्रदेश में विधान सभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है।

[12.34 बजे] सत्र के दौरान जनपद पीलीभीत के मुख्य विकास अधिकारी एवं सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा विभिन्न समितियों की बैठकें बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी नियम-300 के अन्तर्गत औचित्य के इस प्रश्न पर मुझे अवगत कराना है कि विधान सभा उत्तर प्रदेश में वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक अधिवेशन का सत्र प्रारम्भ होने का दिनांक पहले 12 फरवरी, 2013 से होने की सूचना प्रकाशित की गई थी, तद्उपरान्त 14 फरवरी, 2013 को आय-व्ययक अधिवेशन प्रारम्भ हो सका। यह भी सूचित किया गया कि यह आय-व्ययक 2013-2014, 22 मार्च तक चलेगा, लेकिन इस अवधि में मान्यवर, जनपद पीलीभीत के जो अधिशासी अभियन्ता बाढ़ हैं, उन्होंनें बाढ़ की समस्याओं से सम्बन्धित एक बैठक 16 फरवरी को आहूत की, इसी तरीके से 13 फरवरी को सिंचाई बन्धु की एक बैठक आहूत की गई। मान्यवर, मुख्य विकास अधिकारी पीलीभीत ने भी 21 फरवरी, 2013 को एक एकीकरण समिति की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आहूत की थी। इससे हम लोगों के विशेषाधिकार का हनन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें विशेषाधिकार का कहां हनन हो रहा है? यह सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधे तारीख बताइये।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

मान्यवर, 21 फरवरी, 2013 को ।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी पहले से एक परम्परा रही है कि जब विधान सभा चलती है, तो जिलों की उन कमेटियों की बैठक नहीं बुलाई जाती है, जिसमें विधायकों को रहना होता है और पहले से उनको जानकारी रहती है, तो इसको दिखवा लें, ऐसी परिस्थिति न उत्पन्न हो।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, ठीक है।

[12.35 बजे] जनप्रतिनिधियों के प्रति अन्य व्यवस्था में काम करने वाले लोगों द्वारा सम्मानजनक व अपेक्षित व्यवहार न किये जाने सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना श्री सतीश महाना जी की है, महाना जी, यह कहां नियम-300 बनता है?

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं बता रहा हूं, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मान्यवर, यहां पूरे सदन में हमारे सभी सम्मानित सदस्य बैठे हुए हैं। मान्यवर, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबके मन में आपका आदर है, मैं उस बात को पढ़ देता हूं कि आज सभी सदस्यों का जो सम्मान और प्रोटोकाल और शिष्टाचार होना चाहिए वह नहीं है, अगर यह सदन का एक भी सदस्य खड़ा होकर कह दे कि आपका नहीं बनता है तो मान्यवर, मैं मान लूंगा, क्योंकि यह पूरे सदस्यों से सम्बन्धित है। मैंनें आज तक विगत 22-23 वर्षों में इस विषय को कभी नहीं उठाया । उस दिन हम लाबी में बैठे हुए थे और सभी राजनैतिक दलों के सम्मानित सदस्य वहां पर थे, जो नौजवान पहली बार चुनकर आये हैं, सभी लोग थे और मान्यवर सभी लोगों की एक ही पीड़ा थी, जब मैंने उनको कहा कि यह विषय मैंने नहीं उठाया तो उन्होनें कहा कि हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह सब कहने की क्या जरूरत है कि हम सभी के कहने पर यह विषय उठा रहे हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, पिछले सत्र में भी यह इश्यू आया था, मैं इसको विस्तार में इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी इस मामले में संवेदनशील थे और उन्होंनें पिछली बार जिस प्रकार से अपनी बात कही थी, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूं, उसके बारे में मैं जितना विस्तार से बताऊंगा तो अपमान कहीं न कहीं हमारा ही होने वाला है। मान्यवर, हम अगर किसी का आदर सम्मान कर रहे हैं, तो कम से कम उसके समान शिष्टाचार की तो कम से कम अपेक्षा करते हैं। बहुत सारे हमारे सम्मानित सदस्य हैं मान्यवर, जो अगर किसी अधिकारी को फोन करते हैं, जो हमारा सीयूजी नम्बर है 876595... मेरे ख्याल से यह देखते ही वह उठाना बन्द कर देते हैं, कदाचित अगर आप वोटिंग करवा लेंगे प्राइवेट तो आपको मेरे ख्याल से 403 में से मा0 मंत्रीगणों को छोड़ कर अधिकांशतः इस पक्ष में होंगे जो बात मैं कह रहा हूं। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हम चुनकर आते हैं, इन्डीवीजुअल हमारे नाम से हमारी अपनी कोई हैसियत है या नहीं है, हम इन्डीवीजुअल स्तर के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन जिस समय लोकतंत्र के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत हम विधायक के रूप में इस सदन के अन्दर बैठने हेतु चुने जाते हैं मान्यवर उस समय हमारे अधिकार भी हैं, वह अधिकार उस विधायक के हैं, उस व्यक्ति के नहीं हो सकते हैं, हम अगर किसी के साथ अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं तो उसको इस बात का अधिकार हो सकता है कि वह हमारे साथ पलट कर उसी प्रकार का व्यवहार करे, लेकिन हम सामान्य शिष्टाचार की अपेक्षा तो कम से कम करते ही करते हैं। मान्यवर, समय-समय के ऊपर शासन के द्वारा यहां से एक भेज दिया जाता है और पिछली बार मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था । जिससे मैं सहमत था और आज भी हूं। इन्होंने कहा था कि ये लिखकर देने से किसी प्रकार का हम एक संदेश देना चाहते हैं। मान्यवर, उस संदेश का कितना प्रभाव हुआ। ये मैं कुछ ही शब्दों में कहूंगा, विस्तार में नहीं जाना चाहता कि कितना प्रभाव हुआ लेकिन सिर्फ एक विचार के लिये मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि मान्यवर, ये जो उत्तर प्रदेश शासन के संसदीय कार्य अनुभाग का जो संकलन है। इसमें बहुत सारे संकलन हैं और उसके बाद भी पत्र जारी किये गये हैं वर्तमान सरकार में, वे भी पत्र हैं। सिर्फ पत्र लिख देने से हम अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर लेते हैं। हमारा सम्मान हो जाता है क्या। मैंने उस दिन कहा था कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान अपने आप मिलना चाहिये। कम से कम इस सदन में उपस्थित सदस्य अपने आपको सम्मान का पात्र समझ सकें। मान्यवर, इसमें मैं एक दिन देख रहा था। मैं किसी को कम या किसी को ऊपर नहीं आंकना चाहता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सब की अपने अपने स्थान जिम्मेवारियां हैं लेकिन प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल होता है मान्यवर। अगर हम आपका आदर नहीं कर सकते, अगर हम अपने से बड़े का आदर नहीं कर सकते तो हम किसी का भी नहीं कर सकते। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सहायक पूर्तिता अधिपत्र देखा जाये तो महामहिम राज्यपाल मान्यवर, प्रदेश में सबसे पहले नम्बर पर आते हैं। देश में तो खैर महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी हैं, वो सब लोग हैं। प्रदेश में महामहिम राज्यपाल जी हैं, फिर आदरणीय मुख्य मंत्री जी। मान्यवर, अगर 4 नम्बर से स्टार्ट करें तो जो मा0 सदस्य, विधान सभा के और विधान परिषद के हैं, ये आते हैं। मा0 महापौर अपने क्षेत्र में, उपाध्यक्ष, नेता विरोधी दल इत्यादि-इत्यादि। उसके बाद मान्यवर, सबसे ऊपर सदस्य, विधान परिषद् और विधान सभा के आते हैं और मा0 मुख्य सचिव जी का नाम उसके नीचे है। मैं किसी का नाम ऊपर या नीचे नहीं कहना चाहता हूं। सबसे नीचे जो मान्यवर, इसमें लिखा हुआ है वह डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े अधिकारी का लिखा हुआ है और उससे भी जो छोटे होते हैं थानेदार। अगर वो भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं। मैं पूछ रहा था मा0 सदस्य से कि कहीं जाते हो तो क्या कोई दरोगा या सिपाही खड़ा हो जाता है। मान्यवर, मैं कहां तक अपना अपमान खोलूंगा और बोलूंगा तो अपने तथा मा0 सदस्यों के बारे में निगेटिव ही बोलूंगा। मैं सिर्फ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अगर औचित्य में नहीं आता तो आपसे निवेदन है कि इसको निरस्त न करियेगा। मैं अपना प्रश्न वापस ले लूंगा। मैं इतनी बात कह करके आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जवाब चाहूंगा।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, पिछले सत्र में भी यह प्रश्न आया था और जिम्मेदारी दोनों की है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है दूसरे हाथ का इस्तेमाल भी होना चाहिये। हमने अपने सम्मान को कितना कायम रखने की कोशिश की है। इसे भी देखने की जरूरत है और जो हमारा अपना, विधायकों का, मंत्रियों का, जिम्मेदारों का जो स्तर था, उसमें भी कही गिरावट आयी है। हमने अपने अधिकारों को कहां तक बढ़ा लिया है, अपनी ख्वाहिशात को, अपने मुतालबों को वो भी देखने की जरूरत है लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता, हरगिज नहीं होता कि कोई अधिकारी, चुने हुये लोकतांत्रिक व्यवस्था में आये हुये प्रतिनिधियों का अपमान करे। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने तो ये जुमला पहले भी कहा था कि ''मानो तो गंगा मइया, न मानो तो बहता पानी''। अगर शर्म-ओ-हया हो तो सदन की इस कार्यवाही से सबक लें और अगर शर्म-ओ-हया न हो तो किसी सर्कुलर से कोई फायदा नहीं होता। क्या सख्ती करें, ये आप ही राय दे दें, इससे ज्यादा कोई बात हो सकती है जो आप कह चुके हैं। अब अगर सीख लेना चाहें, इस प्रोसीडिंग्स से। मान्यवर, आप भी बहुत चिन्तित रहे हैं और हम हो सकता है कि सत्ता में हैं। हमें उतना दुख न होता हो लेकिन जब हम विपक्ष में जाते हैं तो जिन चीजों का सामना

करना पड़ता है हम भी महसूस करते हैं। इसमें सत्ता और विपक्ष का कोई भेद ही नहीं है। अगर कोई काम नाजायज है तो अधिकारी को नहीं करना चाहिये चाहे किसी पक्ष का हो। जायज है तो सुनना चाहिये और सिर्फ बात सुन लेने में किसी का कोई सम्मान नहीं जाता। आमतौर पर तो हमने ये देखा है मान्यवर। शुरू की सियासत में जहां डण्डे दरोगा ने मारे थे, वही सरकार आयी तो उसने सैल्यूट लगाया तो उसके जूते की आवाज से हम इतना खुश हुये कि हम पुराने डण्डों की आवाज भूल गये, ये सच है। बहुत दुख है, बहुत अफसोस की बात है और इस तरह काफी कमजोर हुआ है हमारा अपना सिस्टम। मगर इसमें कहीं न कहीं जिम्मेदारियां उन लोगों की हैं। कम से कम मैं ये उत्तर दे रहा हूं। मैं नहीं कामियाब हो सका उस हद तक। पिछले सत्र में भी आपने ये सवाल उठाया तो हमने ये नहीं कहा कि नहीं, आप गलत हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं लेकिन उन कुर्सियों पर वो लोग भी आये हैं जिन्होंने हमेशा उन भ्रष्ट अधिकारियों, जो बदअखलाख...गलत बर्ताव करने वाले अधिकारी हैं, हम और आप सब रहे हैं वहां, उनकी बाकायदा पीठ ठोकी है, उनकी हिम्मत अफजाई की है, उनके हौसलें बढ़ाए हैं जिन लोगों ने, दरअसल बुराई का हौसला अगर थोड़े से वक्त के लिए अगर बढ़ाया जायेगा तो उसके नतीजे बहुत देर तक आएंगे। अच्छाई बहुत देर में लोग समझते हैं और अच्छाई के असरात भी बहुत देर में आते हैं। मैं बहरहाल, इस पर अफसोस जाहिर करता हूं, बहुत बुरी बात है और दरख्वॉस्त करता हूं, दरख्वास्त ही कर सकता हूं कि हमारा सम्मान करें।

(मा0 सदस्य श्री रघुनंदन भदौरिया के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिए। मा0 नेता भारतीय जनता पार्टी आप इन सदस्य को समझा दें, बीच-बीच में बहुत व्यवधान करते हैं। इनको आप समझा दें। कुछ नहीं, आपका न हम सुनेंगे और न लिखा जायेगा। आप बैठिए। नहीं, अब आपका कुछ नहीं सुनेंगे, जो कुछ कहना हो, वह लिख कर दे दीजिए। इनका न लिखा जायेगा, न सुना जायेगा।

(श्री सतीश महाना के खड़े होने पर)

इनका कुछ नहीं लिखा जायेगा और न ही यह कार्यवाही का अंग माना जायेगा, आपको जो बताया है, लिखकर दें, वे खड़े हैं, आपके दल के नेता हैं, डिप्टी लीडर हैं और आप खड़े हो गए .... मा0 महाना जी, आप इन्हीं को नेता चुन दीजिए, क्यों आप लोग आगे बैठते हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, गलत नहीं है, उनकी पीड़ा सही है, मैं उनकी पीड़ा से सहमत हूं।

*श्री रघुनंदन सिंह भदौरिया-

मान्यवर, अगर कोई समस्या हो जाती है और फोन नहीं उठाया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

तो लिख कर देते क्यों नहीं हैं, उसमें लिखकर देने का भी प्राविधान है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रघुनंदन सिंह भदौरिया-

मान्यवर, पब्लिक कहती है कि जब विधायक का फोन नहीं उठता है तो पब्लिक का क्या उठेगा? मा0 अध्यक्ष जी, यह अधिकारियों की बात है और यही हो रहा है, यह सही है, मैं सही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब हो गया बैठिए, बहुत ज्यादा चीखिए मत, चीखिए मत, अब बैठिए। जब आपके नेता बात उठा रहे हैं तो उसमें आप क्यों हल्ला कर रहे हैं? वे खड़े हैं और आप पीछे हल्ला कर रहे हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैंने एक निवेदन किया था कि आप उसको निरस्त नहीं करिएगा, मैं उसको वापस ले लूंगा, मान्यवर, केवल कुछ लोगों की वजह से, सब लोग अपमानित न हो, केवल इतनी बात कहकर मैं आपने औचित्य के प्रश्न को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 खन्ना साहब आप बोलेंगे।

(श्री हुकुम सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप ही बोल लें।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा मान्यवर, एक मिनट में बात खत्म कहना चाहता हूं, मा0 खन्ना जी, आपसे मस्ट हैं। मान्यवर, एक संवैधानिक बिन्दु है और मेरा यह दायित्व है, मैं आपके सामने इसको रखूंगा। मान्यवर, यह कार्यपालिका विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है। अगर इनका बहुमत होगा, सरकार बनी रहेगी और बाकी अधिकारी भी, मान्यवर, जो कार्यपालिका में हैं, वह भी इस सदन के प्रति उत्तरदायी हैं। मान्यवर, जो शक्ति आपको मिली है, वह सदन की शक्ति है और अध्यक्ष होते हुए जो निर्देश आप देते हैं, मान्यवर, वह निर्देश किसी व्यक्ति का नहीं, वह निर्देश सदन का है। अब कार्यपालिका के सामने यह प्रश्न आता है कि अगर आपके निर्देश का पालन न करें, तो सदन का अपमान है मान्यवर, करें और उस करने में कोई और संस्था अवरोध पैदा करें मान्यवर, तो यह प्रश्न विचारणीय है। आपने कुछ समय पूर्व एक निर्देश दिया था यहां पर, कार्यपालिका को और कार्यपालिका ने ससम्मान उसका पालन किया। अब उसी निर्देश के विरुद्ध न्यायालय से स्थगन आदेश मिल गया। मान्यवर, यह पहले भी कई बार प्रकरण आए और यह प्रयास किया गया कि दोनों संस्थाओं में आपस में अंतर्विरोध पैदा न हो, लेकिन मैं यह प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपका निर्देश होकर, कार्यपालिका ने उस निर्देश का पालन कर लिया, फिर स्थगन आदेश नहीं होना चाहिए था और स्थगन आदेश अगर हुआ है, मान्यवर, वह इस सदन का अपमान हुआ है। मैं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सारे-के-सारे विस्तार से आपके सामने प्रश्न रखना चाहता हूं, मेरा आग्रह है कि आज, कल, जब भी आप चाहें, कुछ समय इसके लिए दे दें। मान्यवर, इस पर विचार होना चाहिए, वरना इस सदन का कोई महत्व नहीं रह जायेगा। जब आपकी तरफ से निर्देश होता है और उसका पालन कार्यपालिका करती है, तो आखिर कार्यपालिका को आप कन्टेपेन्यू में भेजेंगे क्या फिर ? एक तरफ सदन का आदेश, दूसरी तरफ किसी न्यायालय का आदेश, मान्यवर, यह देखने की बात है, बजाय इसके कि हममें समन्वय बना रहे मान्यवर, यह अंतर्विरोध नहीं पैदा होना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि आप अपने विवेक से, या कार्यमंत्रणा में ले जाकर इसके लिए समय निर्धारित कर दें, ताकि यह बात आ सके।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, हम सभी दलीय नेताओं से और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से बैठकर, बात करके, इस पर कोई निराकरण निकालने की आवश्यकता मैं, स्वयं महसूस करता हूं।

[12.50 बजे] मा0 विधायकों का वेतन एवं भत्ते मुख्य सचिव के वेतन एवं भत्ते से कम होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, दो मिनट बोलने का अवसर दे दें।

श्री अध्यक्ष-

वेतन-बढ़ोत्तरी पर विचार चल रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद-194 हम लोगों को विशेषाधिकार दिये हैं। इस हाउस में बैठने के बाद हम लोगों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं। मान्यवर, इसमें वारेण्ट आफ प्रिसीडेन्स बने हैं उसमें हम विधायकों को एक स्थान दिया गया है। यह बात अभी महाना जी ने भी रखी है। यह उत्तर प्रदेश का भी है और केन्द्र सरकार का भी है। इसमें 22 अ पर सांसद के बाद विधायक का नम्बर है और उसे मुख्य सचिव से ऊपर माना गया है। मान्यवर, एक तरफ विधायकों को अधिकारियों से ऊपर दर्जा दिया गया है। संविधान निर्माताओं, केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। वहीं दूसरी तरफ अधिकारी हम लोगों को अपने से छोटा मानते हैं। उनका पद, प्राधिकार और प्रतिष्ठा हम से ज्यादा है मान्यवर, यह बहस जरूरी है।

श्री अध्यक्ष-

आप नियमों में लाकर इस पर बहस करायें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसमें पद प्राधिकार, प्रतिष्ठा और वेतन यह सब कुछ एक लाइन में आता है। यह सब विधायकों को ऊपर करता है और इसमें अधिकारियों को नीचे कर दिया गया है। इससे निश्चित रूप से हमारा सम्मान बढ़ा दिया गया है। लेकिन यह अधिकारी प्रतिष्ठा में प्राधिकार में और पद में अपने को हमसे बड़ा मानते हैं और हमारा टेलीफोन भी नहीं उठाते हैं। वह कहते हैं कि तुम हमसे नीचे हो। मान्यवर इसमें हमको ऊपर का दर्जा उनसे दिया जाय। जब व्यवहार में यह आयेगा। और

जब तक हम ऊपर नहीं होंगे और वह प्रदर्शित नहीं होगा तो कैसे हम ऊपर होंगे मान्यवर यह प्रदर्शित होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

यह वेतन-भत्तों में आप बढ़ोत्तरी की बात कर रहे हैं, जरा जनता की ओर भी देखिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर यह आवश्यक है और मेरा अनुरोध है कि सरकार इसमें आवश्यक कार्यवाही करे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर माननीय अध्यक्ष जी आप कृपा कर इसमें न बोलें क्योंकि आप तो यही कहेंगे कि जो पहली बार चुनने पर हम लोगों को वेतन मिलता था वह लागू कर दिया जाय। मान्यवर जो अधिकारियों की बात कही गयी है मुख्य सचिव और दूसरे अधिकारियों की बात कही गयी है मान्यवर उनके दायित्वों में और हमारे दायित्वों में फर्क है। हम जन-प्रतिनिधि हैं। मान्यवर कुछ जगह ऐसी हैं जहां हम जन-प्रतिनिधियों का सम्मान ज्यादा है। वह लोग किसी मोहल्ले में या कालोनी में चले जायें तो कोई उनको सलाम करने वाला नहीं होगा। जब वह रिटायर हो जायेंगे तो कोई उनको स्टूल देने वाला नहीं होगा। लेकिन आप किसी मोहल्ले में चले जायेंगे तो आपको रिसीव करने वाले लोग आ जायेंगें और जब आप वापिस जायेंगे तो पूरी महफिल आपको छोड़ने बाहर आ जायेगी। अगर आप वाकई में जन प्रतिनिधि हैं आपकी मेहनत और व्यवहार से आपको सम्मान मिलता है इसलिए इसमें फर्क प्रदर्शित होता है। मेजों की थपथपाहट। यही वजह है कि एक इंजीनियर साहब यहां बैठे थे उनका हिसाब किताब पिछली सरकार में भी प्रदर्शित होता था। बगैर मशीन के गिनती कर लेते हैं। और मशीन से तेज गिनती कर लेते हैं मगर इतने बड़े अधिकारी रहने के बाद भी अधिकारी के पद पर रहकर उन्होंने न जाने कितने विधायकों को दुतकारा होगा। लेकिन रिटायर होने के बाद सारी जिन्दगी एक लालच एक ख्वाहिश और एक अरमान रहा होगा कि काश मैं भी इस सदन में बैठता जो सदन मुझसे सवाल करता है और देखिये आ गये क्या भाग्य पाया है तो ऐसी डबल तकदीर लेकर के आप नहीं आये हैं। डबल तकदीर के लिए आपने शादी भी नहीं की, बच्चे होते उन्हें पढ़ाते लिखाते अधिकारी बनाते और वह जब रिटायर होते तो आपको फिर चुनाव लड़ाते। तो जो सम्मान आपके पास है वह सम्मान अधिकारियों के पास अगर होता तो इस सदन में सब अधिकारी बैठे होते हम और आप गांव और मुहल्लों से निकले हुए लोग प्रतिनिधित्व नहीं करते और हम और आप देश और प्रदेश नहीं चलाते। आज भी किसी अधिकारी को यह गलतफहमी न रहे कि वह व्यवस्था चलाते हैं। व्यवस्था वहां से चलती है या यह व्यवस्था यहां से चलती है और यह सम्मान हमेशा कायम रहेगा। हम किसी हीन भावना के शिकार नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। जहॉ तक वेतन का सवाल है और सहूलियतों का है, दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को वह सहूलियतें हासिल हैं जो यहां के बड़े से बड़े अधिकारी को हासिल नहीं है। मसलन उनका आफिस होता है उसकी मेन्टीनेंस होती है, उनका स्टाफ होता है, प्राइवेट सेक्रेट्री होता है, गाड़ी होती है, अच्छी उनकी सैलरीज होती है और तभी वह लोगों का बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। मगर क्योंकि हमारे इतनी लम्बी आजादी के बाद भी हम घोटालों से नहीं बच सके और गया तो हमारे ही पास पैसा, देश का पैसा देश में रहा है या विदेश में रहा है रहा तो देशवासियों के पास, विदेशियों के पास बहुत कम गया तो पैसा हमारा हमारे ही पास

है। अब कोई हिसाब लेने वाला आयेगा तो हिसाब भी हो जायेगा वह कब आयेगा यह आप ही तय करेंगे। सहूलियतें तो बढ़नी ही चाहिए अब अगर मैं यह कहूं कि वैसे ही एक आफिस, वैसी ही एक गाड़ी तो वह जो हमारे उनका जिक्र नहीं करूंगा, गैलरी में बैठे हुए हैं आपको याद होगा बस जिक्र ही हुआ था कि एक गाड़ी मिल जाय और उसमें हम नियम बनाने जा रहे थे, बहुत सख्त थे वह घोषणा जिस तरह से हुई थी उसकी तफसील नहीं आई थी अगर वह आती तो केवल उस व्यक्ति को सबसे सस्ती गाड़ी लेने का अधिकार होता जिसके पास गाड़ी नहीं है और शायद इस सदन में एक दो सदस्यों के अलावा कोई नहीं होंगे जिनके पास अपनी गाड़ी न हो लेकिन कितना विरोध हुआ उसका उतनी मंहगी गाड़ी नहीं लेकिन 6-7 लाख की गाड़ी, ऐसा व्यक्ति जिसके पास हो ही नहीं और उसके लिए जो किश्तों का तरीका रखा था वह बात फिर बढ़ नहीं सकी। मैं भी उसके पक्ष में नहीं हूं आज भी नहीं हूं वेतन की बात है, वेतन पर विचार हो रहा है। हां, हम सबको मिलकर अध्यक्ष जी से जरूर निवेदन करना चाहिए वह जितनी मुखालिफत करते हैं मीटिंग में वह न करें। मान्यवर, यह भी बात तय हो जाय कि जितना बड़ा परिवार है उतना वेतन बड़ा होना चाहिए। अब यह साध्वी जी बैठी हैं इन्हें वेतन की क्या जरूरत है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, खन्ना साहब का हक क्यों मार रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यही मैं कहने जा रहा हूं। खन्ना जी, का वेतन कितना हो और खन्ना जी अगर पूरा वेतन लें तो फिर खन्ना जी असल बात भी बतायें। यह बाकी वेतन खर्च किसपे करते हैं। मुझे खन्ना जी से सहानुभूति है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे हमसफर रहते हैं हम सब मिलकर उनके लिए कोशिश भी करें और सिफारिश भी करें। मान्यवर, यह अग्राह्य करने योग्य है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर अनुमति हो तो एक बात कह दें ।

श्री अध्यक्ष-

1.20 के बाद जीरो आवर खत्म हो जायेगा। जब सब लोग उसी में संलिप्त हो रहे हैं तो आप क्यों डरते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक बहुत अरसे से इस सदन में एक चर्चा का विषय रहा, मैं उस विषय पर कभी जवाब नहीं देता । लेकिन जब यह कहा जाता है कि खर्चा कहां पर करेंगे तो मान्यवर, इतनी महंगाई का जमाना है कि तीन सेटअप हैं, एक घर, एक कार्यालय और एक लखनऊ आवास । मान्यवर, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरा बैंक एकाउन्ट भी दिखवा लीजिये और खर्चा कहां होता है, मैं सब बता दूंगा, सब रहते हैं हमारे यहां। लेकिन उसको हंसी में न लें। जो महंगाई का आलम है, मैनें इसी सदन में मान्यवर, आज से 10 साल पहले यह कहा था कि हमारा वेतन खुद हमें बढ़ाने का अधिकार मत दें, लेकिन प्राइस इंडेक्स से जोड़ दें। अगर आप कार्यवाही निकलवाकर देख लेंगे तो मैंने यह बात कही थी। प्राइस इंडेक्स से जोड़ दें, यह अच्छा तो नहीं लगता कि हम विधायक लोग खुद अपनी तनख्वाह

के बारे में बात करें और खुद बढ़ायें। जब मैं पहली बार आया था तो लोग इस बात के ऊपर बायकाट करते थे कि अरे अपने वेतन की बात करते हैं, सुविधाओं की बात करते हैं। हम उस परम्परा में पले बढ़े हैं। कहना नहीं चाहिये बहुत सी बातें। लेकिन आज यह जरूरत है, हमारी आवश्यकता है कि जितना वेतन, जितना पैसा मिलता है, उसमें हम आने वालों को एक प्याला चाय तक नहीं पिला सकते और यह सच्चाई है। मान्यवर, हमारी आवाज भले ही अखबारों के माध्यम से कितना ही खराब संदेश दे लेकिन यह सच्चाई है कि पैसा जितना मिलता है, उसमें आदमी ईमानदारी से कैसे रहे, क्या करे कि एक प्याला चाय तक किसी को नहीं पिला सकता। उसको इतने हल्के से न लिया जाय, हम गैलरी के इन लोगों से भी कह देना चाहते हैं। लेकिन आप बाकी सारी विधानसभाओं से भी तुलना कर लें मान्यवर। आज आवश्यकता इस बात की है कि जिस लेविल पर मंहगाई बढ़ी और इसको प्राइस इंडेक्स से जोड़ दिया जाय, हमारा कतई अधिकार हमसे छीन लिया जाये कि हम अपना वेतन भत्ता बढ़ायें, हमसे मांग छीन ली जाये लेकिन मान्यवर, प्राइस इंडेक्स से जरूर जोड़ दिया जाये, यह मैं आपसे विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कोई शक नहीं कि खन्ना जी ने जो प्रश्न उठाया था, उसे थोड़ा हल्का जानबूझकर किया है और वह बात जब आपने कही है तो मेरी भी हिम्मत बढ़ी है कि चाहे समाचार-पत्रों में कुछ भी निकले, इलेक्ट्रानिक मीडिया कुछ भी कहे, वह भी अपनी तनख्वाहें देखें, मीडिया के लोग भी पत्रकार बन्धु भी, उनकी अपनी सेलरीज क्या हैं और विधायकों की क्या है और यह बिल्कुल सही है कि अगर इस पर विचार नहीं होता तो ईमानदार रहना मुश्किल है। हम खुद भी यह मौके न दें कि ऐसी जरूरतें अगर किसी के तीन बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, चार बच्चे हैं और उनकी शिक्षा की बात है। आज ही तो बात उठाई थी कि कितना महंगा हो गया है एजूकेशन सिस्टम हमारा। कैसे आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कैसे शिक्षा दे सकते हैं। कैसे उनका एडमीशन हो सकता है किसी अच्छे कालेज या यूनिवर्सिटी में और वह हास्टल में रहकर पढ़ सकता है इस तनख्वाह में। मगर शायद संसदीय कार्य मंत्री के यह शब्द भी बहुत बुरे शब्दों में छपेंगे और यह कहा जायेगा कि अपनी तनख्वाहें बढ़ाने और प्रदेश को लूटने का मंसूबा बन रहा है तो ऐसे में मान्यवर, इस पर विचार होना चाहिये, गंभीर विचार होना चाहिये और सरकार विचार कर रही है, कितना वेतन बढ़ेगा, इस पर तो अभी कोई निर्णय नहीं है लेकिन मैं खुद भी इस पक्ष में था पहले भी था कि वाकई यह बड़ी तजलील लगती है हर बार जब मामूली सा वेतन बढ़ता है अखबारों को एक मौजू मिल जाता है कई दिन तक जूता लेकर हमारे सर की सिंकाई करने का। और जो महाभ्रष्ट होता है वह भी हमें आइना दिखाता है इसमें इंडेक्स वाली बात सही है। इस पर आप रहें माननीय मुख्य मंत्री जी रहें, सीनियर लीडर्स रहें इस पर आपकी अध्यक्षता में और आपकी मौजूदगी में वार्ता होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

प्रदेश में विधान सभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

माननीय प्रमोद तिवारी जी आज बहुत समय हो गया इसलिए इसको आज स्थगित करिए।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण विषय पर था मैं इसे स्थगित कराए देता हूं इसे फिर कर लूंगा लेकिन मैं बहुत गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो कुछ भी कहा है मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं मुझे इस बात की चिन्ता नहीं है कि इसको कौन किस रूप में लेगा लेकिन जरा व्यवहारिक हो लिया जाय और व्यवहारिकता के आधार पर कार्य कर लिया जाय और इसे मैं आज स्थगित करने का अनुरोध करता हूं। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि जो बात मैं कहता था उसको कहने वाले और सुनने वाले बढ़ रहे हैं। इसको यहीं तक मत रखिएगा जब समिति बनाइएगा तो उसमें वेतन के साथ विधायक निधि और जो सुविधाएं हैं उसको भी रख लीजिए क्योंकि वह तो अपने लिए हम नहीं लेंगे वह तो हम अपने क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। जब समिति बने तो उसमें संसदीय कार्य मत्री जी तीन बिन्दु जरूर जोड़ लीजिएगा। हैण्डपम्प विधान सभा क्षेत्र विकास निधि और कुछ सड़क और गांव की बात भी उसमें कर लीजिएगा। मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। इनके घर रामपुर जाने का रास्ता शाहजहांपुर से है तो शादी-वादी की बात सोच समझकर करना।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के वित्तीय वर्ष 2006-2007 एवं 2007-2008 का आर्थिक चिट्ठा एवं आय-व्ययक खाता†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के वित्तीय वर्ष 2006-2007 एवं वर्ष 2007-2008 के आर्थिक चिट्ठा एवं आय-व्यय खाता को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा-63 (5)(क) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

[01.06 बजे] परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-1045/30-4-2012-4 (5)-2009 दिनांक 7 दिसम्बर, 2012†

परिवहन मंत्री (श्री दुर्गाप्रसाद यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-1045/30-4-2012-4(5)-2009, दिनांक 7 दिसम्बर, 2012 को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-212(3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 लखनऊ सैंतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011††

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 लखनऊ के सैतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† छापा नहीं गया।

†† छापा नहीं गया।

[01.07 बजे] उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी अवध पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011††

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी अवध पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी बृज दर्शन परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011††

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी बृज दर्शन परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी हस्तिनापुर परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011††

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी हस्तिनापुर परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी पश्चिमांचल परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011†

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी पश्चिमांचल परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी सत्यदर्शन परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011†

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी सत्यदर्शन परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 को

---

†† छापा नहीं गया।

† छापा नहीं गया।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी त्रिवेणी परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011†

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी त्रिवेणी परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी गंगा सरयू परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011†

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी गंगा सरयू परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी गढ़मुक्तेश्वर पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011†

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी गढ़मुक्तेश्वर पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी संगम परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011†

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी संगम परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

† छापा नहीं गया।

उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी ताज शिल्प पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011†

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी ताज शिल्प पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी बुन्देलखण्ड परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011†

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी बुन्देलखण्ड परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी बृज परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011†

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी बृज परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी ज्ञानोदय परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011†

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी ज्ञानोदय परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी मध्यांचल परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011†

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी मध्यांचल परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 को

† छापा नहीं गया।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी शाहजहांपुर परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011†

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी शाहजहांपुर परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी सिद्धार्थनगर परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011†

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी सिद्धार्थ परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी हिण्डन पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011†

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी हिण्डन पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी ताज विरासत परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011†

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी ताज विरासत परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

† छापा नहीं गया।

उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी पांचाल परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011†

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी पांचाल परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी बिठूर परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011†

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी बिठूर परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी अध्यावसायी परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी अध्यावसायी परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी अभ्यारण्य परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी अभ्यारण्य परिपथ पर्यटन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

[01.15] जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मिर्जापुर के गांव राजेशपुर, सिंगारपुर व ढ़ाई से हेतमपुर मार्ग तथा विकास खण्ड कलान के गांव तुलसी नगला व विकास खण्ड जलालाबाद के गांव रुस्तमपुर के जगदम्नि मंदिर ढकियान के पास पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक श्री बृजेश कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-27 में कुछ नहीं है। मद संख्या-28 श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य जी याचिका प्रस्तुत कीजिए।

---

† छापा नहीं गया।

*श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मिर्जापुर के गांव राजेशपुर, सिंगारपुर व ढ़ाई से हेतमपुर मार्ग तथा विकास खण्ड कलान के गांव तुलसी नगला व विकास खण्ड जलालाबाद के गांव रूस्तमपुर के जगदम्नि मंदिर ढकियान के पास पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक श्री बृजेश कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

[1.16 बजे] जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना के अन्तर्गत बेन्द्रो रमनिका मार्ग एवं उस पर स्थित पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक श्री लवकुश मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री दीपक पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना के अन्तर्गत बेन्दो रमनिका मार्ग एवं उस पर स्थित पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक श्री लवकुश मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-30, 31, व 32 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-34 कार्य-स्थगन।

[1.19 बजे] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब मद संख्या-34 कार्य-स्थगन बहुत कम समय बचा है इसलिए एक सूचना ले ले रहा हूं। माननीय मौर्या जी आप लोगों के जो कार्य-स्थगन हैं, एक सूचना मैं ले ले रहा हूं। यह है- श्री हुकुम सिंह, श्री श्यामदेव राय चौधरी, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री विजय बहादुर यादव, श्री संगीत सिंह सोम और श्री बजरंग बहादुर सिंह की।

सूचना मैं पढ़ दे रहा हूं।

आज दिनांक 07-03-2013 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से प्रथम 2 सूचनाओं को शलाका के आधार पर ग्राह्यता हेतु स्वीकार किया जायेगा। अन्य सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री हुकुम सिंह, श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा), डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री विजय बहादुर यादव, श्री संगीत सिंह सोम तथा श्री बजरंग बहादुर सिंह की भारतीय जनता पार्टी के सांसद तथा गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ को दिल्ली से गोरखपुर जाते हुए गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतार कर बंधक बनाकर किसी अज्ञात स्थान पर ले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राजबली जैसल, श्री फेरन लाल अहिरवार, श्री शाह आलम उर्फ गूड्डू जमाली, श्री राजेश त्रिपाठी तथा डा0 धर्मसिंह सैनी की जनपद सीतापुर के खैराबाद स्थित मलुही ग्राम में दिनांक 5 मार्च, 2013 को ग्राम प्रधान श्री भोला की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीसरी सूचना श्री सतीश महाना की प्रदेश के लगभग 16 जनपदों में से विशेषतया कानपुर में बने श्रमिक आवासों को न्यूनतम दर पर अध्यासियों को आवंटित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री विजय कुमार दुबे की जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र के नेबुआ नौरंगिया थाना अन्तर्गत दिनांक 15 दिसम्बर, 2012 को दो नौजवान व्यवसायी मुस्तफा अन्सारी एवं अनिल गुप्ता के अपहरण एवं हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की जिला कारागार देवरिया में दिनांक 1 मार्च, 2013 को दवा तथा भोजन के अभाव में श्री राजहंस तिवारी की हुई मौत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री प्रदीप माथुर, प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री गजराज सिंह, श्री प्रदीप चौधरी, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री दलजीत सिंह, श्री विजय कुमार दुबे, श्री गयादीन अनुरागी, श्री दिलनवाज खां, कु0 कौशल सिंह, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप तथा श्री मो0 मुस्लिम की प्रदेश में राजस्व विभाग के अन्तर्गत विगत 20-25 वर्षों से कार्यरत सामयिक संग्रह कर्मचारियों को नियमित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री दलवीर सिंह, श्री पूरन प्रकाश, श्री तेजपाल सिंह तथा श्री वीरपाल राठी की जनपद मथुरा के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान वार्ड के जिला पंचायत सदस्यों के विरुद्ध आये दिन प्रशासन द्वारा उत्पीड़न की कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड रुदौली व मवई की ग्राम पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों द्वारा राज्य वित्त आयोग व तेरहवीं वित्त आयोग की अवमुक्त धनराशि को खर्च न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

नवीं सूचना श्री सुरेश शर्मा, श्री त्रिलोकी राम तथा श्री भगवती प्रसाद की ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के निदेशक/मुख्य अभियन्ता द्वारा अपनी नियुक्ति सम्बन्धी मूल दस्तावेज लोक सेवा आयोग से गायब कराकर सेवानिवृत्ति की आयु में अवैधानिक ढंग से लाभ उठाये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं :-

1-श्री जय प्रताप सिंह, श्री सुरेश राणा, श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री रामचन्द्र यादव, श्रीमती विमला सिंह सोलंकी, श्रीमती कृष्णा पासवान, साध्वी सावित्री बाई फूले तथा श्री संगीत सिंह सोम।

2-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

3-श्री अगयश राम सरन वर्मा,

4-श्री संगीत सिंह सोम,

5-श्री प्रमोद तिवारी,

6-श्री उमाशंकर,

7-श्री बब्बन सिंह चौहान,

8-श्री ममतेश शाक्य,

9-श्री रोशन लाल वर्मा,

10-श्रीमती रूबी प्रसाद,

11-डा0 धर्मपाल सिंह,

12-श्री रामहेत भारती तथा

13-श्री राजेश त्रिपाठी।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी, पहली सूचना सुन लेते हैं और बाकी पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर देते हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरी सूचना कल ले लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री विजय कुमार दुबे-

मान्यवर, इसको कल ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

पहली सूचना पर डा0 अग्रवाल साहब अपनी बात रख लीजिए।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय जिसका सीधा सम्बन्ध संवैधानिक व्यवस्था से है। जिस लोकतंत्र में हम लोग काम करते हैं, जिस लोकतंत्र के प्रति हम सबको गर्व का अहसास होता है, पूरी दुनिया जिसका सानी मानती है, मैं उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश के अधिकारी जिस प्रकार का आचरण कर रहे हैं उस संदर्भ में लाना चाहता हूं। अध्यक्ष जी मैं यह विषय यहीं तक सीमित रखना चाहता हूं अब यह विषय कहीं और चला जाए तो हम लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश का सदन है और यहां विधायकों के सन्दर्भ में बातचीत होती है लेकिन दूसरा एक सत्य यह भी है कि वह जो सांसद हैं वह भी अपने उत्तर प्रदेश के नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिये संघर्षरत् रहते हैं और जो प्रश्नगत विषय हैं वह उत्तर प्रदेश के अन्दर गुजरते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के द्वारा जो असंवैधानिक आचरण एक जनप्रतिनिधि के साथ किया गया है उस सन्दर्भ में हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद है। लोक सभा की कार्यवाही चल रही है। वह लोक सभा गये हुए थे। उन्होंने लोकसभा से वैशाली में अपना रिजर्वेशन करवाया और दिल्ली से अपने लोक सभा क्षेत्र गोरखपुर जा रहे थे। यह एक तथ्य है, हर लोक सभा के सदस्य का यह एक संवैधानिक अधिकार है कि वह लोकसभा में भी जाय और समस्याएं उठने पर अपने क्षेत्र में भी जाय। उनके टिकट का आरक्षण दिल्ली से लेकर गोरखपुर तक ही था, गोरखपुर जा रहे थे वो। क्यों जा रहे थे, मैं इस विषय पर भी जा सकता हूं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन जाना नहीं चाहता। जा इसलिये रहे थे क्योंकि कुछ स्थितियां ऐसी पैदा हुईं कि उन्हें यह लगा होगा कि हम इसका मूल्यांकन करेंगे और गोरखपुर जा करके हमें कोई अगला कदम उठाना होगा तो हम उठायेंगे। जिस ट्रेन से वह जा रहे थे उस ट्रेन का जिस नाम पर उन्हें रोका गया है, उस शहर से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह शहर कहीं भी उस ट्रेन के रास्ते में नहीं आता। रात को जब वह उस ट्रेन से गुजरते तो वह उस शहर में कहीं उतरने वाले नहीं थे। अगर चाहते भी तो उतर नहीं सकते थे। अब प्रश्न यह है कि एक सांसद दिल्ली से चलता है, गाजियाबाद पहुंचता है रात को साढ़े आठ बजे उत्तर प्रदेश के अधिकारी ट्रेन में घुसते हैं एक वैधानिक टिकट के साथ यात्रा करने वाले सांसद के साथ यह आचरण है इसका प्रतिफल कल हम लोगों ने लखनऊ में देखा है। टिकट लेकर वैधानिक रूप से यात्रा करते हैं, अधिकारी उनके पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि आपको आगे नहीं जाने दिया जायेगा, आपको यहीं रोका जाता है। एक सांसद और प्रतिनिधि के रूप में वह उन अधिकारियों से पूछते हैं कि क्या आपके पास मुझे रोकने का कोई वैधानिक अधिकार है ? क्या आपको किसी ने कोई आदेश पत्र दिया है जिसके तहत आप मुझे रोक रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, साढ़े आठ बजे उनको रोका जाता है और रोकने वाले अधिकारी के पास किसी भी प्रकार का कोई सरकारी आदेश पत्र नहीं होता है और हम लोगों ने गोरखपुर में देखा है कि पुलिस की वर्दी पहन कर 9-9 डकैतों ने किस प्रकार पूरे गोरखपुर में सात घरों में डकैती की थी। एक अधिकारी अगर अपना अधिकृत परिचय नहीं देता, एक अधिकारी सरकारी अनुज्ञा पत्र नहीं दिखाता। उन सांसद को उतारने का अधिकार किसी अधिकारी को नहीं था।जब सांसद यह कहते हैं कि तुम्हारे पास अनुज्ञा पत्र नहीं है, मैं नहीं उतारूंगा। अध्यक्ष महोदय, कल जिन लोगों ने टी0वी0 देखा होगा उन्हें इस बात का एहसास होगा। उनके साथ छीना झपटी की जाती है, उनको खींचा जाता है और अध्यक्ष महोदय उनके हाथों में चोट आई हुई है। अध्यक्ष महोदय, छीना झपटी और खींच करके उनको जबरन उतारने की प्रक्रिया में उनके हाथों पर चोट के निशान हैं, आज भी हैं, आठ घंटे में गायब नहीं होते। मैं इसलिये कह रहा हूं क्योंकि आवश्यक है। वह नीचे स्टेशन पर उतारे जाते हैं, दो घंटे तक कोई उत्तर प्रदेश का अधिकारी उनको बताने की स्थिति में नहीं था कि उनको क्यों उतारा गया। 10.30 बजे रात उनको बताया जाता है कि आपको एक संदेह में उतार लिया गया। 3.30 बजे रात तक उन्हें वहीं बैठाये रखा जाता है। प्रश्न बहुत ही साफ है, अगर आप किसी भी नागरिक को जो नागरिक के अधिकार हैं, वहीं सांसद के अधिकार है। अगर आप किसी नागरिक को किसी यात्रा से रोकना चाहते हैं तो आपको उसे यात्रा से रोकने की एक प्रक्रिया है। एक आदेश पारित होगा सिटी मैजिस्ट्रेट का वह आदेश लेकर कोई अधिकारी जायेगा, उस आदेश को दिखाया जायेगा उस आदेश को दिखाने के बाद उनसे कहा जायेगा कि आप उतरे। यदि वह आदेश नहीं पारित हुआ है, पारित हुआ है फिर भी कोई लेकर नहीं गया है तो किसी को किसी भी नागरिक से, सांसद तो बहुत दूर की बात है, ट्रेन से उतारने का अधिकार नहीं था। जबरन उनको खींच करके उनके हाथों को चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं था। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह विषय यहां लाया हूं इसे यहीं तक रखना चाहता हूं शेष आगे के लिये। मैं इसलिये कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय क्योंकि जब सांसद के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस का ऐसा आचरण होगा तो उससे प्रेरणा ले करके लखनऊ की पुलिस वाले क्या कर सकते हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता, कल आपने भी देखा होगा उस नौजवान की हत्या के लिये, जिसने आत्महत्या की है, पुलिस का यह आचरण ही

जिम्मेदार है। हम सब बड़ी गलतफहमी में पुलिस के बारे में होते हैं। इसमें मैं चाहूंगा कि सरकार का बहुत स्पष्ट अभिमत सामने आना चाहिए।

*श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'-

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सांसद योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी कैसे हुई, क्यों हुई, अनियमित हुई, इन सब बातों पर डा0 साहब ने प्रकाश डाला मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। मेरा प्रश्न यह है कि भारत का संविधान, यह हमको एक संवैधानिक अधिकार भी देता है और मौलिक अधिकार भी देता है कि अगर हम स्वतंत्र देश के नागरिक है तो हमें कहीं भी आने जाने की छूट है। अगर हम वैधानिक तरीके से वहां आना चाहते हैं या जाना चाहते हैं। और यही काम सांसद आदित्यनाथ जी भी कर रहे थे वैधानिक टिकट के साथ वह जा रहे थे अब प्रश्न यह होता है कि किसी संभावना पर,अगर हम किसी बहुत अच्छे उद्देश्य को लेकर भी यात्रा कर रहे हैं तो कॉज ऑफ एक्शन कब एराइज होता है कोई कॉज आया नहीं,उत्पन्न हुआ नहीं..

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य जो बातें आप कह रहे हैं वह सारी बातें डा0 साहब ने कह दी हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'-

आप कार्यवाही देख लें मैं उससे इतर बात कह रहा हूं कि उनकी गिरफ्तारी का कारण कैसे उत्पन्न हो गया कोई भी नागरिक अगर कहीं जा रहा है तो उसको गिरफ्तार करने का, शारीरिक चोट पहुंचाने का किसी भी संस्था को अधिकार नहीं है। इसलिए मैं इसकी कड़ी निन्दा करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

सारी बातें आ चुकी हैं बैठिए।

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'-

इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और संविधान के बाहर जाकर इन्होंने अपने अधिकार के बाहर जाकर जो उपयोग किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए ताकि यह व्यवस्था बनी रहे कि संवैधानिक आचरण अगर हमारा होता है कोई भी सरकार होती है तो वह हमारे मौलिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करे।

श्री अध्यक्ष-

अरे बैठिए। सब आ गया है। संसदीय कार्य मंत्री जी आप इस पर कुछ कहेंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ऐसा हुआ है तो इसमें मालूमात की जाए कि क्यों हुआ है। अब सम्मानित व्यक्तियों के साथ ही तो होता है, छोटे आदमियों को कहां पुलिस पूछती है जो विधायक है, सांसद हैं, नेता हैं, उन्हीं के सम्मान में पुलिस जाती है, उनसे निवेदन करती है, चलिए, अच्छी जगह बैठिए, चाय पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। ऐसा ही कुछ हुआ होगा, बहुत सीनियर लीडर हैं, सम्मानित हैं मान्यवर, यह जानकारी लेने की जरूरत है कि कौन से ऐसे कारण थे और कोई अवमानना नहीं होना चाहिए अगर हुई है तो गलत है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मैंने डाक्टर साहब को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'-

आपने मेरा नाम नहीं लिया मैंने भी तो बोला था।

श्री अध्यक्ष-

लिख दो भई इनका नाम, सबसे ऊंचे लिख दो। जब आपने बोला तो उसमें लिखा है। अब कोई बोर्ड टांग दिया जाए विधान सभा की किसी दीवार पर।

मौर्या जी आप बहुत जल्दी कह लें क्योंकि आज बहुत बड़ा बजट है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जनपद सीतापुर के खैराबाग स्थित ग्राम मलुही जहां के ग्राम प्रधान श्री भोला की परसों शाम हत्या कर दी गई। मान्यवर, लगातार जो जनप्रतिनिधियों की हत्याओं का सिलसिला चल रहा है। अभी कुंडा के बलीपुर के ग्राम प्रधान..

श्री अध्यक्ष-

अभी इसी पर बोलिए। कहां कुंडा ले जा रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं इस पर आपके माध्यम से बस इतना कहना चाहता हूं कि ऐसे गम्भीर मामलों पर, जो भी हत्यारे हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। एफ0आई0आर0 दर्ज हो चुकी है जो भी हत्यारे हैं, सभी नामजद एफ0आई0आर0 में चिन्हित हैं ऐसे अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसको दिखवा लें।

सतीश महाना जी यह बहुत लम्बा है। श्री विजय कुमार दुबे जी जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र के नेबुआ नौरंगिया थाना अन्तर्गत दिनांक 15-12-2013 को दो नौजवान व्यवसायी मुस्तफा अंसारी एवं अनिल गुप्ता के अपहरण एवं हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। अगली सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की है-जिला कारागार देवरिया में दिनांक 01-03-2013 को दवा तथा भोजन के अभाव में श्री राजहंस तिवारी की हुई मौत से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस पर भी मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(श्री विजय कुमार दुबे कुछ कहने का प्रयास करते हुए वेल में आने लगे)

आप चाहे बीच में आयें या कहीं आयें, इससे क्या मतलब, जब आपका पढ़ दिया और उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट हो गया, देखिए, आप लोग जो यह करते हैं, हमारे पास भी अधिकार हैं, आपको रोकने के, आप इस गलतफहमी में मत रहिए। हम अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करते तो आप जब चाहें कूद कर आ जायें ? जब आपका मैंने पढ़ दिया, सरकार का ध्यान आकृष्ट हो गया, क्या आप सिंचाई के बजट पर नहीं बोलोगे ? अभी सबसे पहले कूद कर बोलने के लिए आओगे।

*श्री विजय कुमार दुबे-

अध्यक्ष जी, 15-12-2012 को दो व्यवसायियों मुस्तफा अंसारी और अनिल गुप्ता का अपहरण हुआ, दोनों ट्रैक्टर की खरीद-बिक्री करते थे। मान्यवर, वह दोनों केवल दोस्त नहीं थे, 20-12-2012 को नेबुआ नौरंगिया थाने में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज हुआ। 9 जनवरी, 2013 को नामजद मुकदमा दर्ज किया गया और इस बीच मुख्य अभियुक्त को पकड़ कर पूछताछ करके थाने द्वारा छोड़ दिया गया। मान्यवर, बार-बार स्थानीय पुलिस की केवल ड्यूटी ही नहीं समाप्त हुई, मानवीय संवेदना भी पूरी तरह समाप्त थी लिहाजा मजबूर होकर 27-01-2013 को नौरंगिया चौराहे पर हम लोगों ने जाम किया और हफ्ते बाद दोनों का कंकाल मिलता है। परिवारवालों ने कपड़ों से पहचान किया तो डी0एन0ए0 टेस्ट का बहाना करके उनको लाश नहीं दी गयी, अन्तिम क्रिया-क्रम करने के लिए। मान्यवर, मेरी आपके माध्यम से मांग है, माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे है, उनसे मांग है कि ऐसे लापरवाह थानाध्यक्ष के विरुद्ध ऐसी कठोर कार्यवाई की जाए कि आगे आने वाले दिनों में दूसरे ऐसे लोगों को नसीहत मिले और मेरा मानना है कि इन दोनों नौजवानों के आश्रित परिवारों का आय का सम्पूर्ण स्रोत समाप्त हो गया। मान्यवर, मानवीय संवेदना के दृष्टिगत माननीय मुख्य मंत्री जी से हाथ जोड़कर मैं निवेदन करूंगा कि उनके परिवार को भी कम से कम 20-20 लाख रुपयो दिया जाए। कैसे उस परिवार की बच्चियों की शादी होगी, कैसे उस परिवार के बच्चे आगे पढ़ेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आप बैठिए।

श्री विजय कुमार दुबे-

अध्यक्ष जी, यह बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि मंत्री जी इस घटना पर कार्यवाही का आश्वासन दें।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' अपनी बात कहते हुए वेल में आने का प्रयास करने लगे)

श्री अध्यक्ष-

जब आपको बता दिया, आपका नाम पढ़ दिया, विषय पढ़ दिया और सरकार का ध्यान भी आकृष्ट कर दिया, बार-बार आप ऐसा ही करते हैं। आप इनको नियंत्रित करिए। यह मेरी अन्तिम चेतावनी है, आपके लिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, इस पर कुछ कहेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, असल में सदस्यों की बड़ी परेशानी होती है, उन्हें भी कहीं जवाब देना होता है तो गंभीरता से लिया जायेगा और जो कमी आप महसूस कर रहे हैं, उस कमी को दूर किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' लगातार बोलने का प्रयास करते रहे)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना पर मैंने ध्यान आकृष्ट कर लिया है, क्या बजट नहीं चलेगा। लल्लू जी, आपकी सूचना जिला कारागार देवरिया में 01.03.2013 को दवा तथा भोजन के अभाव में श्री राजहंस तिवारी की हुई मौत से उत्पन्न स्थिति पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लिया है। अब आपको नहीं बोलने दिया जायेगा।

अगली सूचना श्री प्रदीप माथुर जी, रीता बहुगुणा जोशी जी, विवेक कुमार सिंह जी की- प्रदेश में राजस्व विभाग के अन्तर्गत विगत 20-25 वर्षों से कार्यरत सामयिक संग्रह कर्मचारियों को नियमित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसे मैं आज स्थगित करता हूं।

अगली सूचना श्री दलवीर सिंह, श्री पूरन प्रकाश, श्री तेजपाल सिंह, श्री वीरपाल राठी की जनपद मथुरा के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान वार्ड के जिला पंचायत सदस्यों के विरूद्ध आये दिन प्रशासन द्वारा उत्पीड़न की कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' अपनी बात कहने का प्रयास करते हुए वेल में आ गए)

आप चाहे जहां बैठिए, अब कार्यवाई होगी। आप पीछे चलिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आज इसके लिए कार्यवाई की जरूरत है। रोज आकर ऐसा करते हैं। बात मानना चाहिए।

(श्री प्रमोद तिवारी ने श्री अजय कुमार 'लल्लू' को वेल से वापस बुला लिया)

वह भोजन से मरे हैं मैंने इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लिया। आप जो लिखे हैं वह मैंने पढ़कर सुना दिया। हम अब नहीं सुनेंगे। आपको बैठना हो तो बैठिये नहीं तो आप सदन में जाना चाहो तो जाइये। जो आप कहेंगे वह मैंने कह दिया। आपकी बात मैंने कह दी। सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया। सातवीं सूचना श्री दलवीर सिंह, श्री पूरन प्रकाश, श्री तेजपाल सिंह, श्री वीरपाल राठी की जनपद मथुरा के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान वार्ड के जिला पंचायत सदस्यों के विरूद्ध आये दिन प्रशासन द्वारा उत्पीड़न की कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

*श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद मथुरा के जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 16-3-2013 में मथुरा में होना है। जिसके लिये दिनांक 9-3-2013 को नामांकन कराया जायेगा। यह चुनाव पारदर्शिता से निष्पक्ष कराने की नियत प्रदेश सरकार की नहीं लग रही है। इसका मुख्य कारण जब पूरे प्रदेश में 21-2-2013 को प्रदेश के 31 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव कराये गये थे एवं मथुरा का चुनाव घोषित करने के बाद रोक दिया गया था। कारण यह बताया गया कि दिनांक 21-2-2013 जिले में फोर्स उपलब्ध नहीं है। फोर्स इलाहाबाद कुम्भ के जा रही है लेकिन बड़े अफसोस से यह कहना पड़ रहा है कि जहां इलाहाबाद का कुम्भ लग रहा है वहां पर चुनाव करवाया गया लेकिन मथुरा का स्थगित कर दिया गया। सरकार चुनाव का लम्बा टालना चाहती थी लेकिन मा0 उच्च न्यायालय के आदेश पर यह चुनाव कराने को कहा। जिला प्रशासन पर सरकार का काफी दबाव है कि किसी प्रकार से अध्यक्ष सत्ता पार्टी को बनाया जाय। उदाहरण लोकदल के वार्ड नं0-13 के जिला पंचायत सदस्य राकेश जाटव के पिता डोरी लाल जोकि लगलानहर मजरा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सहर में प्रधानाध्यापक को जबरियन दबाव बनाने के लिये निलम्बित कर दिया। दूसरी घटना वार्ड नं0-10 के लोकदल के जिला पंचायत सदस्य श्री धर्मवीर सिंह वेलीवाल जोकि किसी काम से बाहर गये थे और स्थानीय पुलिस ने उनके बेटै से जबरन हस्ताक्षर कराके अपहरण की रिपोर्ट लिखवाई और मथुरा पुलिस जबरन धर्मवीर को गन्तव्य स्थान से पकड़कर थाना कोसीकला ले आई। तब धर्मवीर ने कहा कि मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ है। मैं अपने काम से बाहर गया था मेरे बेटे से जबरन दस्तखत कराके रिपोर्ट दर्ज कराई है। तमाम लोगों ने थाना घेरा तो मजबूर होकर स्थानीय पुलिस ने धर्मवीर को उनके घर वालों को सुपुर्द कर दिया। उनकी नियत धर्मवीर को बंधक बनाने को था। इसी प्रकार वार्ड-12 के लोकदल के जिला पंचायत सदस्य श्री कालीचरन बाल्मिकी के पुत्र जोकि सफाई कर्मी सरकारी कर्मचारी उसे भी नोटिस दे दिया उसे भी निलम्बित करवाने की योजना है। इसी प्रकार से नाजायज ढंग से दबाव बनाकर सरकार के इशारे पर प्रशासन के बल पर सत्ता पार्टी को जिला पंचायत अध्यक्ष पद दिलवाना चाहते थे। यह मामला जनहित से सम्बन्धित है।

अतः अविलम्बनीय लोकमहत्व के तात्कालिक प्रश्न पर स्थानीय पुलिस को चुनाव से हटाकर अन्तर्जनपदीय पुलिस के माध्यम से एवं पर्यवेक्षक की देखरेख में चुनाव कराने हेतु सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर देता हूं।

श्री दलवीर सिंह-

नहीं मान्यवर, इस पर कुछ कहलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

ध्यान आकृष्ट का मतलब हो गया कि जवाब आएगा। आप सिंचाई पर गन्ना पर नहीं बोलेंगे ?

श्री दलवीर सिंह-

उसमें बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

बोलेंगे तो उसके लिए भी तो समय चाहिए।

श्री दलवीर सिंह-

सरकार कुछ जवाब, आश्वासन तो दे। मथुरा में पारदर्शी चुनाव होना चाहिए किसी पर्यवेक्षक की देखरेख में चुनाव होना चाहिए। हमारे लोगों के खिलाफ जबरदस्ती एफ0आई0आर0 हो रही है। इसमें कुछ सरकार कह दे।

श्री अध्यक्ष-

चुनाव तो आयोग करवाता है। इसके बाद आठवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के अंतर्गत विकास खण्ड रूदौली व मवई की ग्राम पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों द्वारा राज्य वित्त आयोग व तेरहवीं वित्त आयोग की अवमुक्त धनराशि को खर्च न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के

संबंध में है। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इसके बाद नौवीं सूचना श्री सुदेश शर्मा, श्री त्रिलोकी राम, श्री भगवती प्रसाद की ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के निदेशक/मुख्य अभियंता द्वारा अपनी नियुक्ति संबंधी मूल दस्तावेज लोक सेवा आयोग से गायब कराकर सेवानिवृत्ति की आयु में अवैधानिक ढंग से लाभ उठाये जाने के संबंध में है, इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(श्री जय प्रताप सिंह के खड़े होने पर)

अरे मैं इस पर वक्तव्य मांग लेता हूं। कल परसों तक जवाब आ जाएगा। आपके साथ जो थे वह दो कार्य-स्थगन पर दस्तखत किये थे इसलिए यह नियम विरूद्ध हो गया था लेकिन आपके अकेले हस्ताक्षर को मानते हुए मैं इस पर सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं। शेष सूचनायें मैं अस्वीकार करता हूं।

[1.36] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य), अनुदान संख्या-95, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

*लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन तथा परती भूमि विकास मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 70,10,99,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 29,16,84,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से आज सदन में सिंचाई विभाग का बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

माननीय अध्यक्ष जी, भारत और उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है, इसलिए यहां सिंचाई का विशेष महत्व है, इसलिए मैं आज बहुत सी योजनाओं के साथ आज उत्तर प्रदेश सिंचाई का बजट आपके सामने रख रहा हूं। मैं अवगत कराना चाहूंगा कि प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था का दीर्घकालीन इतिहास है, उदाहरण पूर्वी यमुना नहर की स्थापना वर्ष 1823 तथा अपर गंगा नहर का निर्माण 1854 में हुआ, शारदा सहायक नहर प्रणाली का निर्माण 1928 में पूरा हुआ। प्रदेश में 73997 किमी0 लम्बी नहर प्रणालियां एवं 29595 राजकीय नलकूपों से तथा 28 वृहद् पम्प कैनाल तथा 245 माइनर लिफ्ट कैनाल तथा 65 बड़े जलाशयों के माध्यम से लगभग 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। गत वर्षों में पानी की मांग सिंचाई के अतिरिक्त ऊर्जा उद्योग, पीने के पानी तथा जनजीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है, समयबद्ध किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की उच्च प्राथमिकता है। नहरों के अतिरिक्त प्रदेश में गंगा-यमुना, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, सोन, केन, चम्बल, बेतवा आदि प्रमुख

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नदियां हैं, जो लगभग 7000 किमी0 क्षेत्र में बह रही हैं, जिस पर बड़ी संख्या में जन-संख्या निर्भर है। उत्तर प्रदेश में अनुमानित 40 हजार किमी0 ड्रेनेज व्यवस्था का भी एक लम्बा जाल बिछा है, जिसमें अनुमानित दस हजार किमी0 लम्बी बड़ी ड्रेन हैं तथा 84647 तालाब हैं, जिनमें से 6746 तालाबों का क्षेत्रफल 02 हेक्टेयर से अधिक है। उत्तर प्रदेश में नहरों की टेलों की संख्या 10522 है, प्रदेश में नहरों एवं नलकूपों से अनुमानित 126 लाख हेक्टेयर की सिंचित क्षमता का सृजन किया जा चुका है। वृहद् सिंचाई नहरों द्वारा अनुमानित 86 लाख हेक्टेयर एवं मध्यम नहरों द्वारा 27 लाख हेक्टेयर तथा लघु डाल नहरों द्वारा अनुमानित एक लाख हेक्टेयर तथा राजकीय नलकूपों द्वारा 11.7 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षमता सृजित की गई है तथा इसके सापेक्ष अनुमानित 65 लाख हेक्टेयर वास्तविक सींच हो पा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली यद्यपि उत्तर प्रदेश में है और यह भी सत्य है कि वर्षाकाल में नदियों में पानी की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन उक्त पानी के वैज्ञानिक रूप से संरक्षण एवं संकलन पर कोई समग्र सोच प्रदेश में गत् वर्षों में विकसित नहीं हुई। नदियों में वर्षा से हो रहे सिल्ट जमाव का और उसके कारण नदियों के प्रवाह में वर्षों से हो रहे परिवर्तन के निराकरण हेतु यद्यपि अन्य देशों में वैज्ञानिक रूप से अध्ययन हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस विषय पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। यह भी सत्य है कि नहरों का इतना बड़ा ढंचा होने के बावजूद अभी तक अधिकांश किसानों की सिंचाई पर निर्भरता निजी नलकूपों पर आश्रित है, क्योंकि वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में कमाण्ड एरिया वैज्ञानिक रूप से विकसित नहीं हो पायी है। गूलों में टूट-फूट होने के कारण देखते ही देखते 108 विकास खण्ड अतिदोहित (डार्क) श्रेणी में आ चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी पिछली सरकार के कार्यकाल में यह चिन्ता का विषय है कि लगभग रुपये 7-8 हजार करोड़ व्यय होने के बावजूद भी जहां 25 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन होना था, मात्र 2.5 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित हो पायी, क्योंकि अधिकांश कार्य टुकड़ों में गैर सुनियोजित तरीके से कराये गये। शायद तत्कालीन सरकार में किसानों के हित के स्थान पर ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने की ज्यादा मंशा रही होगी। उदाहरण स्वरूप मैं कुछ ऐसी योजनाओं का सदन के समक्ष वर्णन करना चाहूंगा जिसमें कि रुपयो एक हजार करोड़ खर्च होने के बावजूद एक तरफ उसकी लागत तो कई गुना बढ़ी ही परन्तु किसानों को कई स्थानों पर एक बूंद पानी भी नहीं मिला। बाण सागर नहर परियोजना जिसमें कि तत्कालीन सरकार में रु0 1269 करोड़ व्यय किये गये। मा0 अध्यक्ष जी मैंने स्वयं जाकर देखा कि मिर्जापुर और इलाहाबाद के किसानों को उस योजना का एक बूंद पानी नहीं मिल पाया। सरयू परियोजना जिसमें पिछले 5 वर्षों में रु0 884 करोड़ व्यय किया गया उसमें भी 14 लाख हेक्टेयर के स्थान पर मात्र 1.5 लाख हेक्टयेर की सिंचन क्षमता विकसित हो पायी। मा0 अध्यक्ष जी, लगभग 1400 स्थानों पर नहरों में मुझे स्वयं गैप्स देखने का अनुभव प्राप्त हुआ। शारदा नहर प्रणाली की धनराशि में रुपयो 449 करोड़, लखनऊ में पार्कों एवं स्मारकों के सौन्दर्यीकरण पर बिना शासकीय अनुमति के खर्च कर दिये गये। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिसमें बिना भूमि तथा योजना की स्वीकृति के हजारों करोड़ों के ठेके दे दिये गये जिसके कारण अब विभिन्न समस्यायें पैदा हो रही हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन में सच्चाई भी बताना चाहूंगा कि जहां गैरपारदर्शी तरीके से कार्य कराने की सीमा को लांघते हुये सरकारी धन की बन्दरबांट करते हुये एक-एक कार्य के सौ टुकड़े करके बाढ़ जैसे संवेदनशील मुद्दों के कार्य करा लिये गये जिससे कि आम जनता के

जानमाल के साथ खिलवाड़ हुआ। मा0 अध्यक्ष जी हमारी सरकार के गठन के पश्चात् सिंचाई विभाग द्वारा एक नयी सोच के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये तथा कार्यवाही की गयी, जिसकी चर्चा मैं अब सदन के समक्ष करना चाहूंगा। सिंचाई विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में नहरों में सिल्ट सफाई हेतु खरीफ एवं रबी दोनों फसलों में प्रदेश के इतिहास में नई पद्धति लागू की गयी। उक्त सिल्ट सफाई के लिये वर्ष 2012-13 में लगभग रु0 85 करोड़ विशेष रूप से स्वीकृत किये गये। इसके अतिरिक्त 13वें वित्त आयोग के माध्यम से भी समुचित धनराशि सिल्ट सफाई एवं नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिये उपलब्ध करायी गयी। मैं सदन में मुख्य रूप से कुछ उदाहरण देना चाहूंगा जहां 8-10 वर्षों में पहली बार पानी पहुंचा। उदाहरण स्वरूप जनपद बलिया के सिकन्दरपुर रजवाहा पर लगभग 40 अतिक्रमणों को हटाकर समुचित मात्रा में टेल तक पानी पहुंचाया गया। जिसे क्षेत्र के लोगों द्वारा विशेष रूप से सराहा गया। इसी प्रकार जनपद गाजीपुर में शारदा सहायक कमाण्ड के जनपद आजमगढ़, जौनुपर, चन्दौली तथा अलीगढ़ व बुलन्दशहर के अन्तिम छोर की नहरों में भी जल उपलब्ध कराया गया। इस वर्ष भी सिल्ट सफाई रबी व खरीफ दोनों फसलों में कराने पर सरकार द्वारा वरीयता दी जा रही है। जिस हेतु यथा आवश्यक धन उपलब्ध करा दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इतिहास में पहली बार प्रदेश के किसानों को राजकीय सिंचाई के जितने भी साधन हैं उनसे मुफ्त पानी दिये जाने का निर्णय हमारी सरकार द्वारा लिया गया है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 की भांति वर्ष 2013-14 के बजट में भी रु0 200 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। विभाग के अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिये विशेष प्रयास करके सिंचाई विभाग के समूह-'क', 521 समूह-'ख' के 402 एवं समूह-'ग' के लगभग 1500 अधिकारियों/कर्मचारियों की बाधित प्रोन्नतियों का निस्तारण कराया गया। साथ ही कार्यों में रूचि न लेने वाले 42 अधिकारियों को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही की गयी। 07 अधिकारियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 करायी गयी। 02 प्रकरणों में विशिष्ट आडिट कराने का निर्णय लिया गया, 02 प्रकरणों में सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच कराने का निर्णय लिया गया तथा 01 प्रकरण (बाण सागर नहर परियोजना) की ई0ओ0डब्ल्यू0 से जांच कराने का निर्णय लिया गया है। मान्यवर, विश्व बैंक की टीम ने मुझे अवगत कराया कि सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के इन्जीनियरों द्वारा अमेरिका की नहर प्रणाली को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है परन्तु कालान्तर में यह देखने में आया कि वर्तमान समय में अधिकारियों में डिजाइन के क्षेत्र में समुचित दक्षता एवं अनुभव की कमी है। अतः यह विचार किया जा रहा है कि उच्च पदों पर प्रोन्नति करते समय डिजाइन का अनुभव का भी समुचित संज्ञान लिया जायेगा।

- अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मा0 सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि सिंचाई के लिए संसाधनों में वृद्धि हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उपलब्ध परिव्यय रू0 12895 करोड़ से बढ़कर बारहवीं पंचवर्षीय योजना में परिव्यय रू0 31418 करोड़ का प्राविधान कराया गया।
- वर्षों से अधूरी पड़ी वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं को पारदर्शी व्यवस्था द्वारा समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के लिए नीतिगत निर्णय लिये गये। जिसके अन्तर्गत बड़ी-बड़ी अधूरी परियोजनाओं को आगामी 3-4 वर्षों में टर्न-की के आधार पर पूरा करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

- सरयू परियोजना जिससे कि पूर्वान्चल के 9 जनपद बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, महराजगंज, सन्तकबीर नगर, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर एवं गोरखपुर लाभान्वित होंगे, को भी भारत सरकार से वार्ता करके राष्ट्रीय परियोजना घोषित करायी गयी। जिसके कारण केन्द्र सरकार से अब आने वाले वर्षों में 90 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार से उक्त परियोजना से प्राप्त करनी शुरू हो जायेगी। उक्त परियोजना के पूरा होने में 14 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित होगी। उक्त योजना को पूरा करने के लिए वर्ष 2012-13 में रू0 550 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।
- बाण सागर परियोजना में रू0 250 करोड़ की व्यवस्था करायी गयी, जिससे मिर्जापुर एवं इलाहाबाद को 1.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता उपलब्ध हो गयी है। अब मध्य प्रदेश सरकार से वार्ता करके सारी समस्याओं का हल कर लिया गया है। मुझे सदन में बताते हुए हर्ष है कि जहां बाण सागर परियोजना में पिछली सरकार में एक बूंद पानी नहीं मिल पाया था अब माह अप्रैल, 2013 के अन्त तक लगभग 50 हजार हेक्टेयर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने की कार्यवाही करा देंगे।
- शारदा सहायक पुनर्स्थापना परियोजना को भी वरीयता से पूरा करने का प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। इस हेतु वर्ष 2013-14 बजट में रु0 150 करोड़ प्रस्तावित है। यह भी अवगत कराना है कि लगभग 22 जनपदों में शारदा/शारदा सहायक प्रणाली की पुनर्स्थापना हेतु रु0 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिंचाई विभाग द्वारा बनाकर भारत सरकार/अन्तर्राष्ट्रीय फण्डिंग एजेन्सी को प्रेषित करने के लिए कार्यवाही अन्तिम चरण में है।
- मध्य गंगा नहर प्रणाली जिसका सीधा लाभ जनपद बिजनौर, ज्योतिबाफूलेनगर, मुरादाबाद एवं सम्भल जनपदों को होगा। इसे वर्ष 2013-2014 में आगे बढ़ाने के लिए रु0 300 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
- प्रदेश के सबसे पिछड़े जिले सोनभद्र में वर्षों से अधूरी पड़ी कनहर सिंचाई परियोजना पर भी वर्ष 2013-14 में रु0 300 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र की वर्षों से अधूरी चल रही लहचूरा बांध परियोजना को अब जून, 2013 तक पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है तथा कचनौंथा, जमरॉर, भावनी, भौरट, ऊटारी बांध परियोजनायें जिनसे ललितपुर जनपद की लगभग 20 हजार हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की जानी है, के लिए भी इस बजट में समुचित धनराशि का प्रबन्ध किया गया है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद हमीरपुर, महोबा एवं बांदा में अर्जुन सहायक परियोजना को गति देने के लिए बजट में रु0 200 करोड़ का प्राविधान किया गया है। जनपद फिरोजाबाद में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु जसराना नवीन नहर परियोजना को गति देने के लिए वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में 50 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है।
- गण्डक एवं नारायणी नहर परियोजना में लाइनिंग करने हेतु रु0 100 करोड़ बदायूं सिंचाई परियोजना को गति देने हेतु रु0 169 करोड़ तथा अन्य कई परियोजनाओं के लिए नाबार्ड से धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है।

- मुझे सदन में बताते हुए हर्ष है कि विश्व बैंक की टीम के द्वारा लिखित रूप में उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग द्वारा वाटर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के द्वितीय चरण को रिकार्ड टाइम में बनाकर स्वीकृत के स्तर पर लाने के लिए कार्य किया गया है। उक्त प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रथम चरण में प्रदेश के 16 जनपदों बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, एटा, फर्रुखाबाद, कासगंज, मैनपुरी, कन्नौज, फतेहपुर, कौशाम्बी एवं ललितपुर में आगामी 5 वर्षों में रु0 2835 करोड़ व्यय किये जायेंगे।
- इस प्रकार इन सभी अधूरी परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने का जो बीड़ा सिंचाई विभाग द्वारा उठाया गया है उससे आगामी 4-5 वर्षों में प्रदेश में लगभग 30 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित/सृजित होने की संभावना है जिससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश भारत वर्ष की खाद्य सुरक्षा में विशेष योगदान देने वाला प्रदेश होगा तथा मेरा सोचना है कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में गेहूं, धान, गन्ना, दलहन एवं तिलहन आदि की उत्पादकता विकसित देशों के समतुल्य होने का अवसर बनेगा। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में द्वितीय हरित क्रांति का आवाह्न मैं सदन में करना चाहता हूं।
- मान्यवर, उत्तर प्रदेश में अभी भी लगभग 30-35 जनपदों में लगभग 36 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल बाढ़ की समस्या से प्रतिवर्ष प्रभावित होता है। बाढ़ एक वृहद समस्या है, विशेषकर उक्त समस्या के निराकरण के लिए न केवल अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नैपाल के साथ पहल करनी होगी अपितु इन्टीग्रेटेड बेसिनवार बाढ़ प्रबन्धन बनाते हुए तथा नयी तकनीकी का प्रयोग करते हुए कार्य योजना लागू करनी होगी। माननीय सदस्यों को यह जानकर कदाचित् आश्चर्य होगा कि पहली से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (लगभग 55 वर्ष) तक बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु लगभग रु0 4000 करोड़ खर्च हो पाये हैं, जबकि हाल में ही सिंचाई विभाग के अधिकारियों की वरिष्ठ टीम ने अमेरिका में जाकर यह देखा कि कैट्रीना नामक तूफान की विभीषिका के बाद मात्र एक शहर न्यू-आर्लियांस में रु0 75 हजार करोड़ बाढ़ से बचाने हेतु खर्च किये गये। यह भी एक चिन्ता का विषय है कि मुख्य नदियों का वैज्ञानिक रूप से बीम टेक्नालॉजी के माध्यम से कोई विस्तृत अध्ययन आज तक नहीं किया गया। भारत सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया गया है कि बाढ़ के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की जो कार्य प्रणाली वर्तमान में प्रचलित है वह अत्यन्त जटिल है। जिसमें एस्टीमेट बनाने से लेकर परियोजना स्वीकृत तक धन उपलब्ध होने के लगभग 02 वर्ष लग जाते हैं। सीमित संसाधनों के होने के बावजूद मेरे द्वारा वर्ष 2012-13 में स्वयं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाढ़ से पूर्व 2-3 माह में ही अत्यन्त संवेदनशील बन्धों का निरीक्षण करके यह सुनिश्चित कराया गया कि कोई भी मुख्य बन्धा इस वर्ष की बाढ़ में नहीं टूटा। आगामी बाढ़ के आगमन से लगभग 3-4 माह पूर्व ही 36 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक करके एक वृहद कार्य योजना बनायी गयी है साथ ही यह चिन्ता का विषय है कि अत्यधिक प्रयास करने के बाद भी अभी तक वर्ष 2012-13 में केन्द्र सरकार से किसी भी नयी परियोजना के लिए धनराशि नहीं मिल पायी। यद्यपि लगभग रु0 350 करोड़ की नई योजनायें समुचित स्तर पर भारत सरकार से विशेष प्रयास करके स्वीकृत करायी गयी है। बाढ़ से बचाव के लिए प्रदेश

में पहली बार आधुनिक जियो ट्यूब एवं जियो बैग का भी प्रयोग किया गया है। वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में रु0 725 करोड़ का प्राविधान बाढ़ सुरक्षा कार्यों हेतु किया गया है। मैं यह भी सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों हेतु लगभग रु0 6000 करोड़ धनराशि की व्यवस्था करायी गयी है।

- मेरे द्वारा यह महसूस किया गया कि सिंचाई विभाग में नहरों एवं नदियों तथा डैम में सिल्ट की वास्तविक स्थिति के आंकलन, नदियों के बहाव में परिवर्तन, निर्माण कार्यों के अनुश्रवण, पानी को खेत तक उपलब्ध कराने की जानकारी इत्यादि देने के लिए अभी तक आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं किया गया। इस कारण वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जाकर मैंने इजराइल में स्वयं देखा कि किस प्रकार एक कमाण्ड सेन्टर के माध्यम से सम्पूर्ण जल उपलब्धता की स्थिति का प्रयोग करने की कार्यवाही की गयी है। तद्नुसार विभाग के संसाधनों एवं विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत एक कमाण्ड कन्ट्रोल सेन्टर एवं अवर अभियन्ताओं स्तर तक के अधिकारियों को हैण्ड हेल्ड/टेबलेट उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है। वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से फील्ड के अधिकारियों को जोड़ा जा रहा है।
- जल संरक्षण हेतु ट्रिपल-आर (रिपेयर रेस्टोरेशन एवं रि-नोवेशन) योजना के अन्तर्गत पहली बार सिंचाई विभाग द्वारा रु0 200 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी है जिससे कि प्रारम्भ में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, झांसी एवं ललितपुर जिलों में तथा प्रदेश के अन्य जनपदों में जल संरक्षण का कार्य किया जायेगा।
- राजकीय लघु सिंचाई के अन्तर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना वित्तीय वर्ष 2012-13 से लागू की गयी है तथा राजकीय नलकूप आधुनिकीकरण परियोजना लागू की गयी है। उक्त परियोजना में वर्ष 2012 से आगामी 03 वर्षों में 3000 नये राजकीय नलकूप लगाने तथा 8000 नलकूपों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है। वर्ष 2013-14 में निर्जीव/बन्द पड़े 1054 नलकूप पुनः चालू करने का कार्य भी प्रारम्भ किया जायेगा। वर्ष 2012-13 में 705 नये नलकूपों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है जिसकी 15 मई, 2013 तक पूर्ण होने की उम्मीद है। इसी प्रकार 1520 नलकूपों का आधुनिकीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में रु0 200 करोड़ नवीन नलकूपों के लिए रु0 70 करोड़ आधुनिकीकरण के लिए प्राविधानित है।
- लघु डाल नहरों पर वित्तीय वर्ष 2012-13 मेंजोगापुर पम्प नहर (कौशाम्बी), टुडियार पम्प नहर (इलाहाबाद), बसुहारी पम्प नहर (सोनभद्र) का निर्माण कार्य पूरा किये जाने के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2013-14 में कोटीघाट पम्प नहर (चन्दौली), छतरापुर पम्प नहर (कानपुर नगर), सोगाई पम्प नहर (चन्दौली), बलुआ पम्प नहर (चन्दौली), धनकुवांरी पम्प नहर (चन्दौली) पर निर्माण कार्य प्रस्तावित है। भुपौली पम्प नहर (चन्दौली) एवं डलमऊ-बी पम्प नहर (रायबरेली) के पम्प हाउस का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन द्वारा प्रगति में है। प्रदेश की विभिन्न लघु लिफ्ट नहरों के आधुनिकीकरण हेतु भी कार्य प्रगति में है।

- राजकीय नलकूपों एवं लघु डाल नहरों के विद्युत संयोजनों पर विद्युत देयक के रूप में लगभग रु0 900 करोड़ की धनराशि पावर कारपोरेशन को दी जाती है, क्योंकि विद्युत संयोजन पर ऊर्जा मीटर नहीं लगे हैं अतः ऊर्जा खपत के बेहतर प्रबन्धन हेतु आधुनिक एनर्जी मीटर एवं नलकूपों के संचालन पर ऊर्जा खपत इत्यादि के अनुश्रवण का कार्य वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रारम्भ कराया जाना प्रस्तावित है।
- इलाहाबाद में वर्ष 2013 के कुम्भ मेले के लिए संगम पर समुचित जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था एवं 04 नये घाटों का निर्माण तथा ड्रेजर की व्यवस्था की गई है।
- नहरों एवं नालों के निर्माण के लिए किसानों की भूमि का समुचित मुआवजा देने के बाद ही कार्य शुरू कराने की नीति लागू की गई है।
- 13वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के कार्यान्वयन के अन्तर्गत रु0 635.61 करोड़ लागत की कार्य योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसके सापेक्ष लगभग रु0 260.00 करोड़ की स्वीकृत निर्गत की गयी है। नहरों के अनुरक्षण कार्य प्रगति में है।
- प्रदेश में आवागमन की बेहतरी हेतु हमारी सरकार द्वारा प्रदेश स्तर पर नहर की पटरियों को पक्का कराने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराकर कार्यवाही कराने का निर्णय लिया गया है।
- मान्यवर, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इजराइल जाकर मैंने देखा कि किस प्रकार से सीमित जल संसाधनों से उस देश ने उन्नत तकनीकी का प्रयोग कर सिंचाई के साधन विकसित किये हैं और साथ ही साथ बड़े-बड़े शहरों के मल-जल आदि को रि-साइकिल कर उसकी एक-एक बूंद इस्तेमाल की जा रही है। भविष्य का समय जल संकट की ओर इशारा करता है, इससे निपटने के लिए हमें भी उच्च तकनीकी का इस्तेमाल कर अपने प्रदेश में खेती एवं पीने के लिए प्रचुर मात्रा में जल की व्यवस्था करनी है, जिससे एक ओर जहां सिंचाई, पेयजल हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा वहीं दूसरी ओर भू-गर्भ जल भी रि-चार्ज होगा। इस पर सारे सदन का सहयोग अपेक्षित है।
- अध्यक्ष महोदय सिंचाई सेक्टर की आवश्यकताओं को देखते हुए सिंचाई की निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों हेतु सिंचाई विभाग के बजट में सात हजार इकसठ करोड़ रुपये (7061 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2012-13 की बजट व्यवस्था से एक हजार आठ सौ सत्रह करोड़ रुपये (1817 करोड़ रुपये) अधिक है। तद्नुसार मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मा0 सदन से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रदेश की जनता को सिंचाई का समुचित लाभ उपलब्ध कराने हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए अनुदान संख्या-94 एवं अनुदान संख्या-95 के अन्तर्गत पूंजीलेखा एवं राजस्व लेखा मदों में प्राविधानित कुल धनराशि रु0 10948.3446 करोड़ के प्रस्ताव को पारित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तेजपाल सिंह जी, अनुदान संख्या-94 और अनुदान संख्या-95 दोनों पर एक साथ कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री तेजपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण बजट जो सीधा किसानों और व्यापारियों से संबंधित है, उस पर आपने कटौती प्रस्ताव रखने का जो मुझे अवसर दिया है, इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप पहले कटौती का प्रस्ताव तो रख दें । अनुदान संख्या-94 पर एक बार रखिये और अनुदान संख्या-95 पर एक बार रखिये ।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपयो कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपयो कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री जी बहुत योग्य और विद्वान हैं। कृषि और सिंचाई से उनका पुराना सम्बंध है लगाव भी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं जब वह बजट भाषण पढ़ रहे थे एक बात हम गौर के साथ सुन रहे थे लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने बजट में छोड़ दी। जिनका जिक्र तक नहीं किया गया। मान्यवर, सिंचाई विभाग ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है जिससे किसानों को भी लाभ होता है और व्यापारियों को भी लाभ होता है। मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता हुई जब मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह कहा कि 74 प्रतिशत हमारे खेती और खेती से सम्बंधित कार्यों पर खर्च किया जायेगा। तो यह सिंचाई विभाग खेती से सम्बंधित है। जिस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने 34 प्रतिशत सिंचाई का बजट हमने बढ़ा दिया है। 34 प्रतिशत बढ़ाने के बावजूद बहुत से क्षेत्रों को उपेक्षित छोड़ दिया है बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जिस समय उत्तर प्रदेश नहीं था संयुक्त प्रान्त था अवध और आगरा उस समय ब्रिटिश पीरियड की 160 साल पहले की नहर की योजनाएं हैं। सबसे पहले जो नहर निकाली गयी थी गंग नहर जो हरिद्वार से अलीगढ़ तक आती है। वह पूरी सिंचाई करती थी बाद में उसके एक पटरी पर कानपुर ब्रांच निकाली गई दूसरे पर इटावा ब्रांच निकाली गई यह दोनों मिलकर पूरे मध्य उत्तर प्रदेश की सिंचाई करती है। उसके बाद पश्चिमी क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निचली गंगा नहर निकाली गई जिसमें फर्रुखाबाद ब्रांच भोगनीपुर ब्रांच निचली इटावा ब्रांच कानपुर ब्रांच जो प्रदेश के उत्तरी पूर्वी हिस्से में सिंचाई करती है। इसी तरह से यह पूर्व में घाघरा कैनाल और मरियल ब्रांच का निर्माण कराया गया। जिससे पूर्व के क्षेत्रों में सिंचाई होती है। चौथी एक यह व्यवस्था की गई थी कि यमुना में ओखला में बैराज बनाकर आगरा कैनाल निकाली गई जिससे मथुरा आगरा दोनों जनपदों की सिंचाई होती रही। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे बजट भाषण में कहीं पर भी आगरा कैनाल का नाम तक नहीं लिया गया यहां तक नहीं बताया

गया कि उसकी किसी डिवाइस पर या रजबहों पर किसी तरह का कोई काम करने की व्यवस्था इस बजट में रखी गई है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आगरा में जो ओखला बैराज है वहां से आगरा कैनाल निकलकर आती है इसकी लम्बाई 160 कि0मी0 है इस 160 कि0मी0 में 10 कि0मी0 दिल्ली प्रदेश में पड़ जाती है 69 कि0मी0 हरियाणा में पड़ जाती है और 81 कि0मी0 उत्तर प्रदेश में पड़ती है जो मथुरा और आगरा की सिंचाई करती है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम तो इस बात के लिए जूझ रहे हैं आपके माध्यम से मैं सिंचाई मंत्री जी से कहना भी चाहूंगा सबसे ज्यादा परेशान आगरा और मथुरा का किसान है। क्योंकि अब वहां स्थिति भिन्न हो गयी है। स्थिति यह हो गई है कि हरियाणा में होकर आपकी जो सिंचाई की नहर निकल रही है उसमें हरियाणा के लोग पानी की इतनी चोरी करते हैं कि आपके दोनों जिलों को पानी मिल ही नहीं पाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसमें अण्डर पाइप लाइन डालकर अनधिकृत रूप से जमीन के नीचे पाइप लाइन डालकर सीधे नहर से पानी की सप्लाई कर ले रहे हैं। उसका परिणाम यह हो रहा है कि आगे पानी नहीं जा रहा है। इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई और यमुना नदी में पानी नहीं है। मान्यवर, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ माननीय नेता जी के साथ काम करने का जब मैं सिंचाई मंत्री था। मान्यवर, हमारी सबसे बड़ी परेशानी थी गन्दा पानी आता था नाले में और दिल्ली की गन्दगी उस आगरा कैनाल में आती थी तो माननीय नेता जी ने व्यवस्था की थी जानी स्केव से 5 हजार क्यूसिक पानी गंगा का लेकर आये थे और गंगा का 5 हजार क्यूसिक पानी लाने के बाद उसको हम हिण्डन नदी के माध्यम से ओखला पर लाये। उसके बाद वह ओखला के माध्यम से आगरा कैनाल में गया जिससे मथुरा जनपद की सिंचाई हुई। हम उस समय सिंचाई मंत्री थे जब हमने अनुरोध किया तो माननीय नेता जी 5 हजार क्यूसिक पानी लाये थे लेकिन पिछली सरकार में वह पानी बन्द कर दिया गया है। मुझे तो बहुत खुशी हुई जब माननीय मंत्री जी यहां वक्तव्य दे रहे थे कि पुरानी सरकार की बहुत सी नीतियां ऐसी हैं, जो हमें बदलनी हैं, बहुत सी नीतियां ऐसी हैं जिन पर हमें विचार करना है। मैं तो आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो हिण्डन नदी के माध्यम से जो गंगा का पानी मिलता था उसकी जो नेता जी ने व्यवस्था कराई थी उसे पुनः स्थापित कर लिया जाए ताकि पानी की व्यवस्था हो जाए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हरियाणा में चोरी हो रही है उस चोरी को यदि आप रोकने का इन्तजाम नहीं करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि आपको आगरा कैनाल बन्द करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें पानी रह नहीं जायेगा। दूसरी तरफ आप भरतपुर (राजस्थान) को पानी दे रहे हैं भरतपुर फीडर और डोंग स्केव के माध्यम से। हमारा किसान तड़पता रहता है और राजस्थान को पानी जाता रहता है और यहां इस बात का झगड़ा होता रहता है कि यदि मथुरा में पानी है तो अधिकारी कहते हैं कि हमें आगरा को पानी देना है। इस प्रकार से मान्यवर, मथुरा और आगरा वाले आपस में लड़ते रहते हैं, मान्यवर, यह बड़ी विषम स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। मान्यवर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 1614 लाख रुपयो सिंचाई का आपका हरियाणा पर बकाया है और ढाई सौ लाख रुपयो करीब बकाया है राजस्थान पर। वह हमारा बकाया तो दे नहीं रहे हैं लेकिन हमारे पानी की चोरी और कर रहे हैं। मान्यवर, यदि सिंचाई मंत्री जी इसे गम्भीरता से लेते तो मान्यवर, यह जिले भी इसी उत्तर प्रदेश में हैं लेकिन बजट में जरा भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं एक बात और आपसे बता देना चाहता हूं कि हरियाणा में

62 हजार 798 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है और हमारे यहां 1 लाख 59 हजार 917 आगरा में और 1 लाख 382 हेक्टेयर मथुरा में सिंचित होती है। मान्यवर, हमारा बकाया होने के बावजूद हम उनसे वसूल नहीं पा रहे हैं, हम चोरी को रोक नहीं पा रहे हैं तो मेरा माननीय सिंचाई मंत्री जी से एक सुझाव है जिसे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं यदि वह स्वीकार कर लें किसानों के हित में, पूरे आगरा और मथुरा जनपद के हित में है। तो यह उनकी इच्छा पर है। सुझाव यह है यमुना से ओखला बैराज से जितना पानी उत्तर प्रदेश के हिस्से का हमें मिलता है उस उत्तर प्रदेश के पानी के हिस्से को यमुना में ले आयें और यमुना में लाने के बाद जो दायें तट पर शाहापुर गांव है उसके नीचे एक बैराज बना करके, वहीं आपकी को0सी0 आट्रियल ड्रेन और वरका ड्रेन है, उन दोनों ड्रेनों के बीच में एक ब्रान्च बना करके सेकसाई रेगुलेटर से जहां से आपके राजबहे और माइनरें निकलती हैं। सेकसाई पर अगर ले आयें तो पूरे सेकसाई से सभी राजबहों को माइनरों को उत्तर प्रदेश के हिस्से का जितना पानी है वह पूरा का पूरा मिल जायेगा। अगर यह बैराज बना दें क्योंकि हरियाणा की चोरी रोकना बहुत जरूरी है और ऐसा करने से हमारा पानी सुरक्षित यमुना में आ जायेगा, अपने बैराज पर हम शाहापुर में उसे ले लेंगे और शाहापुर से लेने के बाद उसको हम अपनी ब्रान्च के माध्यम से सेकसाई रेगुलेटर पर ले करके अपनी सप्लाई शुरू कर देंगे। मान्यवर, यह बहुत आवश्यक है इससे हमें पूरा पानी भी मिलेगा और हमारी क्षमता भी बढ़ जायेगी। इसके साथ दूसरी चीज मान्यवर, जो यमुना किनारे के आसपास के गांव हैं। अभी मैं देख रहा था माननीय मंत्री जी बाढ़ और बाढ़ सुरक्षात्मक उपायों पर बहुत लम्बी-चौड़ी रकम का उल्लेख कर रहे थे। मान्यवर, यमुना किनारे पर जो गांव हैं, लगभग 5 सौ हेक्टेयर ऐसी सिंचित भूमि है जिसका यमुना में हर साल कटाव हो जाता है पिछले पांच वर्ष में 5 सौ हेक्टेयर जमीन और कम से कम 100 घर उसमें बहकर चले गये। मैं आपको बता दूँ कि शाहापुर से लेकर स्यारहा, बेहटा, भौगांव पूरा हरियाणा बार्डर से लेकर जहां तक आती है जितने भी गांव हैं आपके यमुना के किनारे के वह तबाह हो जाते हैं। जितने भी गांव यमुना के किनारे हैं तबाह हो जाते हैं, कटान रुक नहीं पा रही है और इन्हीं कटानों को अगर हम रोकेंगे नहीं तो एक दिन यह स्थिति आ जायेगी कि किनारे जो गांव बसे हुए हैं वह उजड़ जायेंगें उन कटानों की कोई व्यवस्था बजट में नहीं की गयी है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि उसकी भी व्यवस्था कोई कर लें। पिछले पांच साल में इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने अगर ध्यान दिया होता तो पांच सौ हेक्टेयर जमीन जो उपजाऊ थी वह कटकर चली गयी, करीब 100 घर बहकर चले गये वह बचाये जा सकते थे। मान्यवर, दूसरी बात कहना चाह रहा था उससे आगे फिर थोड़ा और बढ़ेंगे। बहुत पूज्यनीय महात्मा थे देवराहा बाबा जी, देवराहा बाबा का आश्रम बना है वृन्दावन में। यमुना वृन्दावन पर मोड़ लेती है और देवराहा बाबा का जहां आश्रम बना है सीधी उस पर जाकर टक्कर मारती है। उसमें जब यमुना ने कटान कर दिया तो 10-12 फिट नीचे पानी आ गया स्थिति यह हो गयी कि वह आश्रम भी अब जाने की स्थिति में है। किसी भी समय यमुना उसको अपनी चपेट में ले सकती है। इसके लिए मथुरा में, वृन्दावन में कई बार आन्दोलन भी हुए, कई बार कहा भी गया लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि इसमें कहीं उसका भी जिक्र नहीं किया गया। दूसरी बात, यमुना के बायीं साइड की बात कर रहा हूं, नौझील पड़ता है। नौझील पर आपने बांध बना रखा है, बांध बनाने के बाद आपने 4 स्पर बनाये लेकिन उसमें सबसे बड़ी कमी क्या हो गयी ? 4 स्पर तो आपने बनाये

लेकिन उनकी दूरी इतनी हो गयी, इतना गैप हो गया कि वह कामयाब नहीं हुए। उसका कारण यह हुआ कि अड्डा, फिरोजपुर, मोहिना, जाटव नगला सहित तमाम गांवों को यमुना ने अपने चपेट में ले लिया। मान्यवर, ये 2002 में 4 स्पर बनाये गये थे उसके बाद आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो नौझील की भी स्थिति खराब है। मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप पी0डब्लू0डी0 मंत्री भी हैं। वृन्दावन का महत्वपूर्ण पुल बना हुआ है और आपके विभाग पी0डब्लू0डी0 से बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तेजपाल जी, यमुना से कुछ आगे बढ़िये, गंगा व राप्ती की तरफ।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, आ रहा हूं। जो अपना कष्ट है पहले उसको तो कह लूं। उसके बाद मैं केवल इतना कहना चाह रहा था कि वृन्दावन में जो पी0डब्लू0डी0 का पुल बना हुआ है उस पर कटान हो रहे हैं क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण पुल है जो मांट और वृन्दावन को जोड़ता है। इस पर भी आप कोई गाइड बंधकी व्यवस्था करा देते जिससे पुल का कटाव रुक जाता। इसके साथ दूसरी तरफ जो विषैला पानी आ रहा है, उस विषैले पानी के लिए अब दूसरी तरफ इसके मांट ब्रांच है। मांट ब्रांच में टेल तक पानी नहीं मिल रहा है, टेल तक पानी आपने कही है, टेल तक पानी पहुंचाने की रिपोर्ट अधिकारियों ने भेज दी है लेकिन सब जगह टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। इसके साथ-साथ दूसरी बात मैं कह रहा था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जिसका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया है ट्रिपल आर की। इस योजना का नाम है 'रिपयेर, रिनोवेशन, रेस्टोशन आफ वाटर बाड़ीज विद दि डोमेस्टिक सपोर' यह योजना बड़ी महत्वपूर्ण है। केन्द्र सरकार से वित्तपोषित है इस योजना में मथुरा जिला ऑलरेडी सम्मिलित है लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि ट्रिपल आर योजना का यहां जिक्र किया गया तो उस मथुरा जिले को इसमें भी छोड़ दिया गया। यह तो केन्द्र से पोषित योजना थी जब और जिलों का जिक्र किया गया है तो मथुरा तो पहले से इसमें प्रस्तावित है, उसको भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए था। दूसरी बात, आपने पुलों की बात कही है। दोनों विभाग आपके पास हैं, आप सिंचाई विभाग तथा पी0डब्लू0डी0 विभाग के मंत्री हैं। जनता के सामने सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि जब कोई पुल टूट जाता है तो नहर विभाग वालों के पास जाते हैं तो कहता है कि पी0डब्लू0डी0 वाले बनायेंगे। पी0डब्लू0डी0 वालों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि नहर विभाग वाले बनायेंगें। तो ऐसी स्थिति में आप बजट में कोई सुझाव ले आते जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाती कि किस आधार पर वह पी0डब्लू0डी0 विभाग का पुल होता है और किस आधार पर वह सिंचाई विभाग का पुल होता है जिससे कि स्थिति स्पष्ट हो जाए क्योंकि अधिकारी ऐसे चक्कर लगवाते रहते हैं और पता लगा कि लोगों को दो-दो, चार-चार कि0मी0 घूम कर आना पड़ रहा है तो उसमें इसको भी स्पष्ट नहीं किया गया है। इसी तरह प्रदेश में आपने कहा कि जो आपने कहा कि 73996.74 कि0मी0 लम्बी नहरें हैं इसमें 1106.31 कि0मी0 नहरें दूसरे प्रान्तों में हमारी नहरें हैं जैसा कि मैंने जिक्र किया कि राजस्थान का तो उसमें भी दूसरे प्रान्तों में हमारी नहरें हैं उसके लिये भी यह जिक्र नहीं किया कि दूसरे प्रान्त जब हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं हम कैसे पानी दें कैसे पानी जाने दें। अगली बात मैं कह रहा था मान्यवर, कि यह नलकूपों की बात कही आपने 29,595 नलकूप जिनमें से 24,966 नलकूप

1.5 क्यूसिक क्षमता के हैं और 4629 नलकूप 1 क्यूसिक क्षमता के हैं। जिसमें से कुल 27.28 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है यह आपने उसमें कहा है और 245 लघु डाल नहरें हैं जिनकी क्षमता 3884.50 क्यूसिक है 1.72 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है। इसके अलावा 28 बड़ी और मध्यम पम्प नहरें हैं जो क्रियाशील हैं। बिल्कुल ठीक है, हम आपकी इस बात से सहमत हैं लेकिन हम एक बात आपसे यह पूछना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और उसका आदेश भी बनकर चला गया बड़ी खुशी है लोगों को इस बात की कि आपने आबपासी माफ कर दी, पानी मुफ्त कर दिया बहुत अच्छी बात है क्योंकि किसानों की सरकार आप कहते हैं तो किसानों के हित में आप काम भी कर रहे हैं लेकिन एक चीज बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है क्योंकि किसान जब सिंचाई करता है तो उसके तीन माध्यम होते हैं। मान्यवर, अब बहुत कम खेती तो ऐसी रह गई है जो केवल वर्षा के सहारे है। बाकी तीन माध्यमों से सिंचाई होती है। अब उसमें कुछ काश्तकार ऐसे हैं जिनको नहरी पानी मिल जाता है। कुछ किसान ऐसे हैं जिनको नहरी पानी नहीं मिलता उसको सरकारी नलकूपों से पानी मिल जाता है। कुछ किसान ऐसे हैं जिनको डाल नहरों से पानी मिल जाता है। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनको अपने निजी नलकूपों से अपने खेतों की सिंचाई करनी पड़ती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि जब उन्होंने इतनी बड़ी घोषणा कर दी और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी तो माननीय सिंचाई मंत्री ने कहा कि 200 करोड़ की हमने इसमें व्यवस्था भी की है। तो जब 200 करोड़ की इन्होंने व्यवस्था की है तो उसमें प्राविधान रखा उसमें प्राविधान सरकार ने यह रखा कि यह जो 200 करोड़ की घोषणा की है उसमें आबपासी को यह दूसरे रूप में, सब्सीडी के रूप में किसानों तक पहुंचायेंगे और अब तक जिन किसानों से आबपासी महसूल की वसूली हो रही थी उसकी रिपोर्ट मंगवाकर उसके आधार पर किसानों को सब्सीडी दी जायेगी। तो यह मान्यवर आपने कहा। हम कहते हैं अच्छी बात है सरकार ने अच्छी घोषणा की है आप मुफ्त पानी देते हैं लेकिन हमारा यह अनुरोध है कि जब सिंचाई का पानी मुफ्त दे रहे हो, डाल नहरों का पानी मुफ्त दे रहे हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप यहां पर मौजूद हैं, जो किसान अपने ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहा है, उससे आपकी क्या दुश्मनी है, वह भी तो आपका किसान है। उसका कुछ नहीं तो कम से कम इतना कर दीजिये कि जो किसान अपने नलकूप से स्वयं का पानी दे रहा है, अगर उसका ट्यूबवेल का कनेक्शन सही है तो उस कनेक्शन का ही माफ कर दीजिये तो सब किसान बराबर हो जायेंगें। मैं सही बात कर रहा हूं। अगर आप किसानों का हित चाहते हैं तो उसमें कोई फर्क मत करिये। एक सी बात रखिये सबके लिये। आपने दिया, सही बात है आपने आबपासी माफ कर दिया, ठीक बात है। महसूल माफ कर दिया, ठीक बात है। 200 करोड़ का प्राविधान कर दिया, ठीक बात है। हम माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से दूसरी बात जानना चाहते हैं कि जो योजनाएं आपकी डाल नहर की हैं उसमें कितना खर्चा आ रहा है। पानी लिफ्ट किया जाता है 100-100, 200-200 फिट ऊपर तक। ललितपुर की राजघाट, माताटीला डैम इन योजनाओं में जो नीचे से पानी उठाकर नहरें निकाली गई हैं उसमें कितना खर्च आता है। आपने माफ तो कर दिया ठीक है अच्छी बात है लेकिन उससे भी कम खर्चा इन छोटे किसानों पर आयेगा जो अपने ट्यूबवेल के लिये रोज लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं। उस गरीब का ट्रांसफार्मर भी अगर फुंक जाता है 25 का 16 का तो उसको ट्रासंफार्मर का बिल न भरने की वजह से उस पर दोबारा ट्रांसफार्मर भी नहीं लग पा रहा है, उसकी

फसल भी बर्बाद हो रही है तो हम यह आपके माध्यम से कहना चाहते थे। तीसरी बात आपने कही बाढ़ नियंत्रण के सम्बन्ध में। आप फिर कहेंगे कि हम अपने यहां आ रहे हैं लौट कर। मान्यवर, हरियाणा, राजस्थान से बड़ी मार पड़ती है हम पर। उधर से पानी आता है बाढ़ का, निचला इलाका है, यह स्थिति है मथुरा की। पानी आकर रुक जाता है डिवाटरिंग कराने की कोई व्यवस्था नहीं। सुरक्षात्मक कदमों की बात माननीय मंत्री जी ने कही लेकिन हम केवल इतना चाहते थे कि जो पानी दूसरे स्टेटों से हमारे यहां आ रहा है उसकी व्यवस्था हो जाय और जो हमारा पानी है उसकी डिवाटरिंग नहीं हो पाती है, भरा रह जाता है उसकी कोई व्यवस्था उसमें करा दी होती जिससे डिवाटरिंग होने के बाद किसान उसमें अपनी फसल बो सकता। अगली बात मैं माननीय मंत्री जी से कह रहा था एक बड़े महत्वपूर्ण सवाल पर मैं आ रहा था माननीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा रहे हैं इधर बैठे लोग भी और उधर बैठे लोग भी, बहुत से सीनियर सम्मानित साथी ऐसे हैं जिन्होंने उनके साथ रहने का काम किया उन पर विश्वास किया है, आप तो खुद ही उनके साथ रहे हैं मान्यवर, मैं आपसे क्या कहूं लेकिन मान्यवर, बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर जितनी योजनायें मा0 नेता जी के समय चलाई गई थीं उन सब योजनाओं को बन्द कर दिया गया है। कांवर सड़क पटरी योजना, कांवरियों का जो रोज झगड़ा होता है इसमें यह था कि नेशनल हाइवे से अलग करके पटरियों पर इनको ले जाएं जिससे इनका जो झगड़ा होता है वह नहीं होगा। न कोई एक्सीडेंट होगा, वह योजना नेता जी ने शुरू कराई थी, उस योजना को बन्द कर दिया गया है। कांवर सड़क चौड़ीकरण योजना, यह नावार्ड से पोषित थी इसको बन्द कर दिया गया। यह तो आपकी योजनायें थीं। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह जी ने मान्यवर एक बात कही थी, नहरों पटरियों पर रजवहों किसानों को निकलने नहीं देते थे और स्थिति यह थी मान्यवर कि ट्रैक्टर ले जाना तो बहुत बड़ी बात थी अगर कोई पशु भी निकल जाता था तो चालान हो जाता था। और जो पहले हल ले जाते थे अगर हल का भी निशान बन जाता था तो उसका भी चालान हो जाता था। चौधरी साहब ने यह कहा कि यह जो पटरियां हैं यह किसानों के आवागमन के रास्ते हैं, इन्हीं से किसान आता है, जाता है, इन पर रोक न लगाई जाए बल्कि इनको पक्का किया जाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मा0 नेता जी ने चौधरी चरण सिंह सिंचाई योजना के माध्यम से चौ0 चरण सिंह नहर पटरी विकास योजना चलायी और इस योजना के माध्यम से सड़कें बनीं, पटरियां पक्की हुईं लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस योजना में पिछली सड़कें बनी थी वह बंद कर दी गई और जितना बकाया था वह भी पड़ा रह गया। मान्यवर, जो बचा काम था वह अधूरा रह गया। मान्यवर 2006-2007 तक जो नेताजी के जमाने में सड़कें बन गई थीं वह सड़कें और जो पटरियां पक्की कराई गई थीं वह सब उखड़ गई हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

संक्षिप्त करें।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, इसी तरह से चौ0 चरण सिंह जी के नाम से योजना चलती थी देवकली पम्प नहर की कंकरीट परियोजना इस योजना को बन्द कर दिया गया। मान्यवर, 2006-2007 में इस योजना पर 740.88 लाख की व्यवस्था की गई थी इस योजना के माध्यम से नौ सौ मीटर की लम्बाई में काम

भी चालू हो गया था। इस योजना को भी बन्द कर दिया गया, किन्तु अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर यह योजना पूरी हो जाती तो इससे मान्यवर, आपको 52 हेक्टेयर खरीफ में और 616 हेक्टेयर रबी में अतिरिक्त सिंचाई होती, इस योजना को बंद कर दिया गया 2013-2014 के बजट में इसके लिए कोई प्राविधान नहीं रखा गया। अगली योजना मान्यवर चौ0 चरण सिंह जी के नाम से जमनिया पंप नहर लाइन योजना थी इससे 1616 हेक्टेयर खरीफ में और 12497 हेक्टेयर बाकी जो है उसमें अतिरिक्त सिंचाई होनी थी। 2006-2007 में 1259 लाख रुपयो इसके लिए स्वीकृत भी किया गया था इस पर काम भी हुआ। इसके बाद 1855 किलोमीटर का इसमें काम भी पूरा हो गया, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस योजना को भी बन्द कर दिया गया। 2013-2014 के बजट में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। अगली योजना चौधरी चरण सिंह टांडा पम्प नहर पुनरुद्धार योजना, यह अम्बेडकर नगर की योजना है, तहसील टांडा में, बैहरीपुर गांव से जमुना से अलग हटकर बात आई है, इसको भी सुन लें, यह टांडा पम्प नहर से बैहरीपुर गांव के पास यह घाघरा नदी के दाहिने तटबंध के पास स्थापित पम्प नहर से निकलती है जिसमें दस पम्प लगे हैं जिसकी 560 फीसदी क्षमता है इस योजना को अधर में लटका दिया गया और इस योजना को अधर में इसलिए लटका दिया गया क्योंकि अब पम्प की आयु कम हो गई है क्षमता कम हो गई है नहर में सिल्ट जमा हो गई है अधिकारी गुमराह कर रहे हैं यह कहने से काम नहीं चलेगा कि सिल्ट जमा हो गई है। मैं तो यही कहूंगा कि चौधरी चरण सिंह के नाम से थी, इस योजना को भी लटका दिया गया। अगली योजना थी, चौधरी चरण सिंह यमुना पम्प नहर की क्षमता पुनर्स्थापना योजना, इस योजना के अन्तर्गत भी वर्ष 2013-14 में कोई बजट की व्यवस्था नहीं की गई। अगली योजना चौधरी चरण सिंह डलमऊ-बी पम्प नहर की पुनरुद्धार योजना, यह मान्यवर, शारदा नहर प्रणाली की उन्नाव प्रणाली, इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि उन्नाव और रायबरेली दोनों मिले हुए जिले हैं। उन्नाव और रायबरेली के अन्तिम टेल तक पानी पहुंचाने के लिए इस योजना का प्रारम्भ हुआ और कोशिश की गयी कि इस योजना के माध्यम से जो पानी की कमी है, उसको पूरा करने के लिए पम्प नहर जिसकी कल्पित योजना 300 क्यूसेक पानी की थी तो इसके द्वारा जो उन्नाव को पानी उपलब्ध कराया जाता है, यह पम्प कैनाल जनपद उन्नाव की जो बीघापुर तहसील है, उसके गांव ददुआखेड़ में गंगा नदी के बायें किनारे से निकलती है जो जनपद उन्नाव और रायबरेली को सिंचित करता है। यह बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी और इसके लिए 1001 लाख रुपयो इसके लिए प्रस्तावित भी हुआ था, कुछ काम हुआ लेकिन बीच में रोक दिया गया, मान्यवर, 2013-14 के बजट में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मान्यवर, यह ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो सीधे किसानों से सम्बन्धित हैं। मान्यवर, राजघाट परियोजना जो है, राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर बनी है। बेतवा नदी से पानी लिफ्ट करके आप ललितपुर में सिंचाई करते हैं। मान्यवर, वहां बिजली भी बनती है। लेकिन कहीं भी यह बताया नहीं गया कि वह बिजली जो वहां पानी से बनती है, उस बिजली का कहां उपयोग होता है, कहां जाती है ? उसका कहीं जिक्र नहीं किया, जब राजघाट परियोजना में आप बिजली बनाते हैं तो हमारा आपसे केवल इतना ही अनुरोध था कि जब आप उनको पानी दे रहे हैं तो ट्यूबवेल वालों को भी माफ कर दीजिए। मान्यवर, क्योंकि बुन्देलखण्ड की सबसे बड़ी समस्या है और यह राजघाट परियोजना बुन्देलखण्ड में सिंचाई करती है। बुन्देलखण्ड की सिंचाई के लिए इसकी क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसकी क्षमता को बढ़ायें और उसमें पानी आगे

तक पहुंचायें। मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कुछ ऐसी परियोजनाओं का जिक्र किया, मान्यवर, पिछले बजट में उनके लिए बजट का प्राविधान नहीं किया गया और यह परियोजनाएं एक साल पीछे खिसक गयीं, केवल अधिकारियों की कमी के कारण, मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। आपने अभी सरयू नदी परियोजना का जिक्र किया। मान्यवर, सरयू नदी परियोजना, बाण सागर परियोजना, लहचुरा बांध परियोजना जो बुन्देलखण्ड में आती है, उसका जिक्र किया। कतरौला बांध परियोजना, अर्जुन सागर परियोजना, शारदा सहायक प्रणाली पुनर्स्थापना, मध्य गंगा परियोजना, हरदोई शारदा प्रणाली की सिंचन क्षमता बढ़ाना, कनहर सिंचाई परियोजना, माननीय मंत्री जी ने इनका अभी जिक्र किया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जो कुछ भी किया, उस पर आप मत जाइये लेकिन इन परियोजनाओं में आप एक साल पीछे पिछड़ गए हैं। 2012 में इन परियोजनाओं पर काम नहीं हुआ है। अब आपको उनमें यह प्राविधान करना चाहिए था कि यह एक साल पीछे पिछड़ी हुई जो योजनाएं हैं, जिनकी सिंचन क्षमता की वृद्धि होनी थी, उसको आप कैसे कवर कर पायेंगे, कैसे किसानों को पानी दे पायेंगे, मान्यवर, इसका भी इस बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और मान्यवर, कुछ योजनाएं ऐसी हैं, जो अधर में लटकी है, इनको पूरा करने के लिए 18356 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता थी। अगर यह योजनाएं चल जाती तो हमारे किसानों के सिंचन क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती। धन का अभाव रहा और भूमि का अभाव रहा, उसकी वजह से जो हमारी योजनाएं बन्द हो रही हैं, मैं उनका जिक्र आपसे कर रहा हूं, अगर इनको पूरी क्षमता से चलाना चाहते हैं तो इनके लिए धन की भी व्यवस्था करिए और भूमि की भी व्यवस्था करिए। इन योजनाओं में बेतवा परियोजना, कनहर परियोजना, सोन परियोजना, रामगंगा परियोजना, मध्य गंगा नहर, सरयू परियोजना फैजाबाद, पूर्वी गंगा मुरादाबाद, गण्डक परियोजना, शारदा सहायक परियोजना, इन परियोजनाओं का मैं मान्यवर, इसलिए जिक्र कर रहा हूं, जो परियोजनाएं 2013-14 में पूरी होनी थी, जिन योजनाओं का मैंने जिक्र किया है, अगर उनके लिए धन की व्यवस्था नहीं करेंगे, जमीन आपको मिलेगी नहीं तो इन परियोजनाओं को आप कैसे पूरा करेंगे, कैसे किसानों को इनका लाभ होगा ?

मान्यवर, बहुत अच्छी बात है। डा0 लोहिया बहुत बड़े थे बहुत विद्वान थे और समाज को दिशा दी। डा0 साहब के नाम से नलकूप की योजना जोड़ी है और उसमें यह कहा है कि 2012-2013, 2013-2014 और 2014-2015 में इसके माध्यम से 3000 नलकूपों के माध्यम 220 हे0 अतिरिक्त भूमि का सिंचन करेंगे। यह योजना पहले चौधरी चरण सिंह के नाम से चलती थी उसी को आगे बढ़ाते कौन सी परेशानी आगे आ रही थी। चौधरी चरण सिंह जी का नाम अच्छा नहीं लगा। अगर लोहिया जी के नाम से कोई योजना चलानी थी तो कोई बड़ी योजना और चलाते हम भी उसका सत्कार करते। लेकिन यह योजना जो चौधरी चरण सिंह जी के नाम से पहले से चल रही थी तो उसका नाम बदल देने से कुछ नहीं होगा। आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि ठीक है आप इसको लोहिया जी के नाम से रखें लेकिन जो बाकी योजनायें जो चौधरी चरण सिंह जी के नाम से चलती थीं उनको भी पूरा कर लें।

श्री अध्यक्ष-

बस करें। अभी तो बाद में भी बोलना है। पूरब वाले बाढ़ से परेशान रहते हैं। उस पर बोलेंगे।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, हम बाढ़ से बहुत परेशान हैं। हरियाणा, राजस्थान का पानी हमें मारता है। मैंने पहले भी जिक्र किया है लेकिन हमारी बाढ़ की चिंता नहीं की गयी है। सिंचाई की चिंता नहीं हुयी हमारी बाढ़ की चिंता नहीं हुयी। हमारे यहां कटाव की कोई व्यवस्था नहीं हुयी। हम तो बाढ़ से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। मान्यवर, सरकारी नलकूपों के माध्यम से किसानों को मुफ्त पानी के बारे में कहना चाहता हूं कि इसमें हमारा केवल इतना ही अनुरोध है कि यह जो महत्वपूर्ण योजनायें थीं जिनसे किसानों का भला होना था। एक बात मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो सौ डेढ़ सौ साल पुराने अंग्रेजों के बनाये पुल हैं उनका अब तक कुछ नहीं बिगड़ा है लेकिन अब जो बनते हैं वह 10-20 साल में खण्डित हो जाते हैं। इस पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाये। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो योजनायें आप बना रहे हैं उन योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी किसानों को उसका लाभ मिले। हमें तो बड़ी खुशी हुयी जब आपने कहा कि खेती के लिए 74 प्रतिशत से अधिक बजट आपने खेती और किसानों से संबंधित कामों के लिए किया है। बहुत प्रसन्नता हुयी। मान्यवर, समाजवादी पार्टी भी लोकदल से निकली है। इसी लड़ाई को बहुत पहले से नेता जी भी लड़ते आये थे और साथियों ने भी लड़ी कि किसानों के लिए बजट उनकी संख्या के आधार पर होना चाहिए। जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, यह लोहिया जी का सिद्धांत है। तो मान्यवर, आपने कहा कि हमने 34 प्रतिशत बढ़ा दिया है तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस पर पुनर्विचार कर लें और जो सुझाव हैं उन पर विचार कर लें। आपने समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सोबरन सिंह यादव-

माननीय सदस्य ने कहा कि चौधरी साहब का नाम अच्छा नहीं लगा। हमारे श्रद्धेय नेता जी ने तो कई सौ, डेढ़ सौ करोड़ रुपये लगाकर चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय सैफई में बनवाया। आप ऐसा कहते हो। अभी उनके जन्म दिन पर आदरणीय श्रद्धेय नेता जी, माननीय मुख्य मंत्री जी सब लोग गये, उनका जन्म दिन मनाया गया। शायद आप उनका जन्म दिन भूल गये हों। आप ऐसा कहते हो ?

*श्री नारद राय-

मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूं, मा0 सिंचाई मंत्री जी को जिन्होंनें सिंचाई मंत्री बनने के बाद यह घोषणा करने का काम किया कि हमारी सरकार नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने का काम करेगी। मान्यवर, सिर्फ घोषणा ही नहीं किया बल्कि पैसे का भी इन्तजाम किया और लगभग 85 करोड़ रुपयो सिल्ट की सफाई पर खर्च करने का काम किया। एक नहीं दर्जनों उन नहरों को जिनको बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने कब्जा करने का काम किया था, जिन नहरों पर अपना घर बना लेने का काम किया था, खेती करने का काम कर रहे थे, उन नहरों पर से अतिक्रमण हटाने का काम किया गया और टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया गया, इसलिए मैं मा0 मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, बधाई देना चाहता हूं मा0 मंत्री जी को इसलिए कि जो बाढ़ से प्रभावित जनपद हैं, पिछली

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार ने जो बांध थे, जो बाढ़ से प्रभावित होने वाले बांध थे, उन पर लूट-घसूट करने का काम किया गया, उन पर भ्रष्टाचार करने का काम किया, अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के उन बांधों की हालत जर्जर कर देने का काम किया था।

(इस समय 02 बजकर 42 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुए।)

यह बात सही है, जब हमारी सरकार बनी, मा0 मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि हम किसी भी बांध को टूटने नहीं देंगें, लेकिन मार्च में सरकार बनी, बिगड़ा हुआ माहौल, कामचोर अधिकारी, लापरवाह अफसर, इन सबको लगाम लगाने में समय लगा और तब तक बाढ़ आ गई, लेकिन बांध टूटने नहीं दिया गया। मैं बधाई देना चाहता हूं, मा0 मंत्री जी को जिन्होंनें दिसम्बर के महीने में पूरे 35 जनपद के जिलाधिकारियों को बुलाकर के, बाढ़ अधिकारियों को बुला कर के, आपदा राहत अधिकारियों को बुलाकर के यह सुनिश्चित कराने का काम किया है कि अब उत्तर प्रदेश में कोई भी बांध बाढ़ से प्रभावित नहीं होगा, टूटेगा नहीं, इसके लिए मैं मा0 मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंनें सिंचाई का समुचित इन्तजाम करने का प्रयास किया है कोई भी काम जादू की छड़ी से नहीं हो सकता है। साथ ही मैं मा0 मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं, पिछली सरकार में हिण्डन नदी के किनारे और यमुना नदी के किनारे सैकड़ों एकड़ जमीन अधिकारियों और बिल्डरों को पट्टे पर दे देने का काम किया था जो डूब क्षेत्र की जमीन थी, पट्टे के मुताबिक ही उस जमीन पर खेती करना चाहिए था, लेकिन उन बिल्डरों ने, उन अधिकारियों ने उस जमीन पर फार्म हाऊस बनाने का काम किया है। मैं मा0 मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि उन बिल्डरों के खिलाफ, उन पट्टा धारकों के खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए और अवैध बने हुए फार्म हाऊस को गिरवा कर के हरगिज पट्टे को निरस्त करने का काम करना चाहिए। मा0 मंत्री मैं आपको बधाई देना चाहता हूं आपने प्रयास किया सिर्फ नहरों से नहीं सरकारी ट्यूबवेलों से सिंचाई का काम होता है और दावे के साथ कहना चाहता हूं, माननीय अधिष्ठाता महोदय, पिछली सरकार के कुकृत्यों के चलते जब हमारी सरकार बनी थीं तो 75 परसेण्ट ट्यूबवेल उत्तर प्रदेश के खराब पड़े हुए थे, लेकिन आज बधाई देना चाहता हूं मा0 सिंचाई मंत्री जी को, जिनके प्रयास से आज 80 फीसदी ट्यूबवेल चलने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मा0 मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूं कि जो यह सरकारी ट्यूबवेल डा0 राम मनोहर लोहिया मिनी राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना के तहत लगने हैं, उसमें इसका ख्याल जरूर रखा जाय कि जहां पर नहरें न हों, जहां पर पम्प कैनाल न हो, उस इलाके में प्राथमिकता पर इन सरकारी ट्यूबवेलों को लगवाने का इन्तजाम करना चाहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मा0 मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि बलिया में सुरहाताल पम्प कैनाल है, जो बहुजन समाज पार्टी के जनप्रतिनधि के चलते आज खराब ही नहीं पड़ा है, बल्कि वहां की मशीनें भी बेंच दी गई हैं। वहां कुछ नहीं है, सिर्फ पम्पकैनाल का ढांचा खड़ा है, आग्रह करना चाहूंगा मा0 मंत्री जी से उस पम्प कैनाल को चालू कराने का काम करें। मा0 मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि बलिया का कटहर नाला जो सुरहा ताल से गंगा को जोड़ता है। जब बाढ़ आती है तो रेगुलेटर खोलकर जरूरत के मुताबिक पानी की सिंचाई के लिये हम लोग सुरहा ताल में पानी इकट्ठा करने का काम करते हैं और जब पानी ज्यादा हो जाता है तो उस रेगुलेटर को खोल करके गंगा नदी की तरफ पानी गिराने का काम करते हैं। पिछली सरकार में मा0 मंत्री जी ने कटहर नाले की सिल्ट सफाई कराने का काम किया था और ऐसा नहीं है कि बहुजन

समाज पार्टी के जमाने में सिल्ट सफाई का काम नहीं हुआ। सिल्ट सफाई कागज पर हुयी। करोड़ों रुपयो कटहर नाले की सफाई के नाम पर लूट लेने का काम किया। मा0 मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कटहर नाले की सिल्ट की सफाई भी कराइये और पिछली सरकार में जिन लोगों ने सिल्ट सफाई के नाम पर लूट करने का काम किया है, उनके हाथों में हथकड़ी लगवाने का इंतजाम करने का इंतजाम भी कराइये। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं मा0 मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि मनिया ब्लॉक के ग्राम बुढ़वली, तलहट, मटरघाटन में घाघरा नदी के कटान को अतिरिक्त वृष्टि से जलजमाव के कारण जो नुकसान होता है उस कटान को रोकने के लिये धन देने की कृपा करें। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं मांग करना चाहता हूं कि गाजीपुर के जमानिया घाट पर गंगा नदी पर जो कटान हो रहा है उसको रोकने के लिये बाढ़ विभाग को अनुदान देकर के उस कटान को रुकवाने का काम करें। दो बार एन0एच0-97 का स्वरूप बदलना पड़ा है और आगे न बदलना पड़ें इसका इंतजाम करें। मा0 अधिष्ठाता महोदय, शायद गलती से बत्ती जल गयी है, थोड़ा आग्रह करूंगा। इस देश में बहुत लोगों के सपने टूटे। महात्मा गांधी का सपना टूट गया। देश गुलाम था गांधी ने सड़क पर निकलकर आह्वान किया कि देश के नौजवानों, देश के विद्यार्थियों, देश के किसानों, देश के व्यापारियों सड़क पर निकलो हिन्दुस्तान आजाद हो जायेगा। आपका स्वराज हो जायेगा लेकिन हुकूमत करने वालों ने गांधी के सपनों को तोड़ने का काम किया। एक जमाना आया जय प्रकाश नारायण जी का। जब जय प्रकाश नारायण जी ने एलान किया विद्यार्थियों, नौजवानों, किसानों और व्यापारियों निकलो। इंदिरा गांधी का काला कानून खत्म हो जायेगा तो आपका राज आ जायेगा। जनता पार्टी बनी, साम्प्रदायिक ताकतों की साजिशों के तहत जय प्रकाश नारायण का सपना नहीं पूरा हो सका। तब एक जमाना आया बहुजन समाज पार्टी का जिसमें कोई सम्मान की जिन्दगी नहीं जी सकता था। विकास कोसों दूर था, अपमान की जिन्दगी जीनी पड़ती थी गांव के गरीबों को, गलियों में रहने वाले लोगों को। जब चाहा बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने इशारा करके लोगों के हाथों में हथकड़ी पहना करके, हरिजन ऐक्ट में फंसा करके जेल में भिजवाने का काम किया। तब नेता जी सड़क पर निकले, मा0 मुख्य मंत्री जी जो गरीबों, मजदूरों, किसानों, विद्यार्थियों की आशा की किरण थे। प्रिंस और युवराजों की तरह हेलीकॉप्टर और जहाज से नहीं बल्कि गांव की पगडंडियों से गुजर करके, ऊबड़-खाबड़ रास्तों से गुजर करके लोगों के बीच में एक सपना जगाया। आजम खां ने सपना जगाया, मा0 सिंचाई मंत्री जी ने सपना जगाया। पूरे समाजवादी परिवार ने सपना जगाया कि ऐ उत्तर प्रदेश के नौजवानों, विद्यार्थियों, किसानों और व्यापारियों एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाओ। आपकी तकदीर बदलने का काम किया जायेगा। धैर्य रखो, धैर्य रखो, घुमाओ नहीं दर्द होता होगा। मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता को जिसने भरोसा किया हमारे नेतृत्व पर और पूर्ण बहुमत देने का काम किया। जिस तरह से विद्यार्थी, जिस तरह से नौजवान, जिस तरह से व्यापारी, जिस तरह से किसान, जिस तरह से वकील के साथ वादा किया गया था। वह वादा पूरा किया गया। मा0 अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश का किसान, मजदूर जो अपने खेत की मेड़ पर खड़ा होकर के एक तरफ अपनी मुरझायी हुयी फसल को देखता था तो एक बार आसमान की तरफ देखता था तो एक बार उन नहरों को देखता था, जिसमें की एक बूंद भी पानी नहीं आया था। सपना जगाया हमारे नेता ने, सपना जगाया मुख्य मंत्री जी ने, और सपना जगाया वर्तमान सिंचाई मंत्री जी ने कि हमारे हाथ में हुकुमत आएगी तो प्रदेश के किसानों,

मजदूरों सिर्फ आपके खेत में पानी नहीं पहुंचाया जायेगा, बल्कि मुफ्त में सिंचाई का इंतजाम किया जायेगा। यह कह कर हमारी सरकार ने दिखाने का काम किया है, इसीलिए मैं किसी की बात नहीं करना चाहता, चाहे वह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई बैठा हो, चाहे मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठा हो, देश में किसी के लिए यह नारा नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के लिए नारा लगा, बच्चा-बच्चा उत्तर प्रदेश का बोल रहा है कि ''जो कहा सो कर के दिखाया, उसका नाम मुलायम है, और जिसने कभी न झुकना सीखा, उसका नाम मुलायम है।''

श्री अधिष्ठाता-

मा0 राजनारायण बुधौलिया जी, बोलें।

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

मान्यवर, आपका बहुत-बहुत, धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया शांति बनाए रखें।

श्री नारद राय-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, कृपया एक मिनट का समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, एक मिनट बुधौलिया जी रुकें।

श्री नारद राय-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं मा0 मंत्री जी से यह मांग करूंगा कि गंगा नदी पर कोरंताद्वीप पम्प कैनाल की क्षमता 463 से करने का समय पूरा हो गया है, जल्द-से-जल्द उस पर धन उपलब्ध करवा करके इस कार्य को सम्पन्न कराने का काम करें।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी ने संज्ञान ले लिया है। मा0 बुधौलिया जी, मा0 अध्यक्ष जी की व्यवस्था यह है कि चार मिनट के बाद लाइट जलेगी और उसके एक मिनट के बाद आप अपने आप बैठ जाइये। हम बीच में किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन कृपा करके आप भी सहयोग करेंगे। कृपा करके सहयोग करिए, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, कृपया बैठ जाएं। कृपया शांति बनाए रखें।

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए, मैं आज सिंचाई विभाग की अनुदान मांगों पर मा0 सदस्य तेजपाल सिंह जी, द्वारा लाए कटौती प्रस्ताव पर बल प्रदान करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, जैसाकि अभी हमारे साथियों ने अपनी बात रखी और मा0 सिंचाई मंत्री जी ने अपना प्रस्तुतीकरण यहां पेश किया, उसमें बुंदेलखण्ड की बात बड़े विस्तार से की गई। महोदय, मैं उसी बुंदेलखण्ड से आता हूं, जहां सिंचाई संसाधनों की भारी कमी है। वहां भू-गर्भ जल स्तर अत्यंत नीचे चले जाने के कारण, वहां कई ब्लॉक डार्क-जोन घोषित कर दिए गए। ट्यूबवेल वहां विफल हैं, और बुंदेलखण्ड ऐसा क्षेत्र है मान्यवर, ये अनेक नदियों से घिरा हुआ है, केन है, बेतवा है, घसान है,

सम्बल है, यमुना है, अन्य छोटी-छोटी नदियां भी हैं, लेकिन बुंदेलखण्ड का हाल वही है कि ''समुद्र में घोघा प्यासा।'' बुंदेलखण्ड का किसान एक-एक बूंद पानी के लिए आज तरस रहा है। मा0 मंत्री जी ने बुंदेलखण्ड में जो योजनाएं चल रही हैं, उसके सम्बन्ध में थोड़ा प्रकाश डाला और कुछ आरोप भी बहुजन समाज पार्टी के ऊपर लगाए। एक बात मा0 मंत्री जी ने कही ''कि पिछली सरकार में वहां बड़े घोटाले हुए, अनेक ठेकेदारों को खुश करने का काम किया'', अधिकारियों को बढ़ावा दिया गया और वहां जो सिंचाई योजनाएं चलायीं गईं, उनमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। दूसरी तरफ उन्होंने एक बात कही कि पिछली सरकार में 8000 करोड़ रुपयो, होने के बाद भी बुंदेलखण्ड के क्षेत्र में, सिंचाई परियोजनाओं में काम नहीं हुआ। ''मान्यवर, एक ओर यह आरोप लगाया गया कि बहुजन समाज पार्टी ने पैसे का दुरुपयोग किया, ''दूसरी तरफ एक बात आई कि 8000 करोड़ रुपये होने के बाद वहां कार्य नहीं हुए। जब कार्य ही नहीं हुए तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों पर आरोप गलत लगाए गए।

श्री अम्बिका चौधरी-

यही आरोप है, जब काम नहीं हुआ तो 8000 करोड़ रुपयो गया कहां ?

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

मान्यवर, इन आरोपों का मैं खण्डन करता हूं, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार जाते ही, बुंदेलखण्ड की बहुत ज्यादा उपेक्षा की जाने लगी। मान्यवर सिंचाई परियोजनाओं के अलावा और बहुत योजनाएं बनाई गयी हैं लेकिन उन सब पर प्रगति रोक दी गयी है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां के किसानों के लिए आपने जो योजनाएं संचालित की हैं। उस पर थोड़ा सा गम्भीरता से ध्यान देने का आप काम करें। मान्यवर, बुन्देलखण्ड में दो मण्डल हैं झांसी मंडल और चित्रकूट मंडल। अभी माननीय तेजपाल सिंह जी ने कहा कि मथुरा और वृंदावन में सिंचाई साधनों की बहुत समस्यायें हैं। मान्यवर, बुन्देलखण्ड का इलाका भारत का सबसे पिछड़ हुआ क्षेत्र है। वहां पर सिंचाई, पेय-जल, रोजगार की जो स्थिति है काफी खराब है। यह अच्छी बात है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बुन्देलखण्ड के विकास के लिए चिंता व्यक्त की है। वह चिंता कितनी धरातल पर खरी उतरती है वह देखना होगा। मान्यवर, हमारे बुन्देलखण्ड के लिए राजघाट परियोजना है और बाण सागर परियोजना की बात है। मान्यवर, बुन्देलखण्ड में बांधों का काफी निर्माण होने जा रहा है। मान्यवर, सरकार ने लहचुरा बांध के लिए 200 करोड़ रुपये का प्राविधान करने की बात कही है। मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि इसका स्टीमेट नया बांध जो था उसको सन् 1978 में बनाया गया था जो पुराना बांध है वह 1910 में बनाया गया था। वह जर्जर है। उसके लिए नई योजना बनाई गयी 1978 में। आज पैंतिस साल बाद भी वह योजना अभी तक धरातल पर नहीं उतर पायी है। अभी थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ है। मान्यवर, इसी तरह से अर्जुन सहायक परियोजना का निर्माण होने की बात है इस पर 800 करोड़ रुपये व्यय की बात है। इस पर काम तेजी से शुरू नहीं हुआ है। मान्यवर, महोबा, हमीरपुर, बांदा इन जिलों में इस अर्जुन सहायक परियोजना के लिए किसानों की भूमि के अधिग्रहण का काम किया गया है। जो मुआवजा की बात है उसमें प्रगति धीमी है। उसको लेकर वहां पर तमाम आत्म-हत्यायें हों चुकी है। किसानों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। जिस कारण सिंचाई विभाग वहां जमीन का अधिग्रहण नहीं कर पा रहा है। इस पर सरकार को गम्भीरता से ध्यान देना होगा। इसमें तमाम आरोप अधिकारियों और ठेकेदारों पर लगाये गये हैं।

मान्यवर, चाहे जिसने भ्रष्टाचार किया हो आप उसकी जांच करायें पिछले सत्र में भी हमने यह बात उठाई थी उसमें कुछ कार्यवाही हुई है। बाकी सब कार्यवाही अधूरी पड़ी है। मान्यवर ठेकेदार वहां बाहुबली हैं वह जो चाहें करा लेते हैं। मान्यवर वह पुरानी योजना है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यवर जो हमारे यहां बांध हैं दो बांध हैं। थोड़ी प्रगति है उसमें तेजी से कार्य कराने की आवश्यकता है। मौदहा बांध (ब्रह्मानन्द बांध) और उर्मिल बांध। इसी तरह से हमारे यहां क्योलारी बांध है। रतौली बांध है सिंघपुर बांध है जो मध्य प्रदेश की सीमा पर है। चौधरी चरण सिंह चरखारी पम्प कैनाल नहर है। मान्यवर, इसमें से बहुत से बांधों के पानी का उद्गम स्थल के पानी मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश सरकार चेकडेम बना लेती है। उससे हमारे यहां पानी नहीं आता है। आपने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार से आपकी वार्ता हो गयी है, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हो पायी है। मान्यवर, हम चाहते हैं कि जो लहचूरा बांध है उसका उच्चीकरण करा के जो अर्जुन सहायक परियोजना है और उसकी जो सहायक परियोजनाएं हैं उसको जल्दी पूरा कराने का आप काम करें। जो कबरई बांध है तथा चन्दरावल बांध है उसका भी उच्चीकरण शीघ्र कराकर इन बांधों को भर करके क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधाओं का लाभ पहुंचाने का काम करें। साथ ही साथ अधिग्रहीत जमीनों से सम्बन्धित किसानों को उचित मुआवजा प्रदान करने हेतु किसानों से समझौता करके, इस परियोजनाओं का शीघ्र निर्माण कराने का कष्ट करें।

*श्री जियाउद्दीन रिजवी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सिंचाई विभाग के महत्वपूर्ण बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं अपने लोकप्रिय, कर्मठ और वायदों के धनी अपने सिंचाई मंत्री माननीय शिवपाल जी को तहेदिल से बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने जो कहा वह किया। हमारी घोषणा थी समाजवादी पार्टी की सरकार में आने से पहले, हम सिंचाई को मुफ्त करेंगे, पढ़ाई को मुफ्त करेंगे और दवाई को मुफ्त करेंगे। इस पर सौ फीसदी अमल हमारी सरकार ने किया है और सिंचाई मंत्री जी ने शपथ लेने के बाद एलान कर दिया कि अब किसानों को सिंचाई का पैसा नहीं देना पड़ेगा चाहे वह सरकारी नलकूप से सिंचाई होती हो, चाहे नहरों से सिंचाई होती हो जब किसान ने यह बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक हरियाली आई और नयी मुस्कान आई क्योंकि किसानों की उपेक्षा इस प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में जितनी हुई उतनी आजादी के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुई। किसान अपने को असहाय महसूस कर रहा था कोई ध्यान नहीं था किसानों पर। पहली बार यह सरकार किसानों के हित में इतना बड़ा काम करने जा रही है हर क्षेत्र में करने जा रही है और सिंचाई मंत्री जी के तमाम बजट के हर अवसरों पर चाहे सत्ता पक्ष के चाहे विपक्ष के माननीय सदस्य हों हरेक सदस्यों ने सराहना की है। माननीय सिंचाई मंत्री जी, पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में टेल तक पानी पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो शिवपाल जी ने किया है इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूं सिकन्दरपुर रजबहा जो बलिया जनपद की सबसे बड़ी नहर, रजबहा है। आज 12 साल से सिकन्दरपुर रहबहा में टेल तक पानी नहीं गया, तमाम अतिक्रमण हो गये थे नहरों को नाला बना दिया गया था। शहर के किनारे चूंकि नहर निकलती है लोगों ने मकान बना लिया था, तमाम इन्क्रोचमेन्ट हो गये थे और उससे हजारों हजार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एकड़ जमीन असिंचित रह जाती थी। किसान मांग करता था लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। हमने मांग किया था, धरना प्रदर्शन किया बीएसपी के राज में मगर कोई सुनने वाला नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था किसान की पीड़ा को कोई समझने वाला नहीं था मगर जब हमने अपने सिंचाई मंत्री जी को लिखकर दिया तो उन्होंने कहा कि जाओं हमने एलान कर दिया तुम्हारे यहां टेल तक पानी जायेगा मैं अपने अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं हमारे जनपद के ओझा जी हैं उन्होंने बहुत गम्भीरता से हमारे मामले को लिया और अधिकारियों को हुक्म दिया और तब जा करके हमारा सारा इन्क्रोचमेन्ट जनता के सहयोग से साफ हुआ, इससे 12 साल के बाद किसानों के चेहरे पर हरियाली आई और इन्क्रोचमेन्ट साफ हुआ, नहर में पानी लगातार गया और आज वहां का किसान प्रसन्न है। मैं सिंचाई मंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ कि आज सिकन्दरपुर रजबहा में पहली बार पानी देने का काम आपने किया है जो 12 साल से नहीं किया गया था। आपने नलकूप, जो नलकूप बीमार थे 5 साल से हमारे इलाके में 132 बीडीजी नलकूप जो 5 साल से बीमार था काम नहीं कर रहा था, मैं जिलाध्यक्ष था समाजवादी पार्टी का बलिया का, मैं लगातार अधिकारी के पास गया कि नलकूप को ठीक करा दो वहां कोई सिंचाई का साधन नहीं है मगर 5 साल तक उस नलकूप को नहीं ठीक किया गया इतने बेशर्म लोग थे। उसके बाद मैंने धरना भी दिया उसके बाद प्रदर्शन भी किया, कोई सुनने वाला नहीं था। जब सरकार बदली मैंने वही काम अधिकारी से कहा अब तो दिमाग होश में करो इंजीनियर साहब, व्यवस्था बदल गयी, सरकार बदल गयी, अब उत्तर प्रदेश का निजाम मायावती जी के हाथ में नहीं है अब उत्तर प्रदेश का निजाम अखिलेश यादव जी के हाथ में है और शिवपाल जी के हाथ में है। अब मिजाज को बदलना होगा और इस नलकूप को 3 दिन में ठीक कराते हो कि नहीं, ठीक कराते हो नहीं तो हमें तुमको ठीक करना पड़ेगा।

मान्यवर, 3 दिन भी नहीं लगा, अढ़ाई दिन के अंदर जो नलकूप 5 साल से बीमार था, जो चल नहीं रहा था, शिवपाल जी की हनक उस तक पहुंच गयी और ढाई दिन के अंदर वह नलकूप ठीक हो गया और टेलीफोन करके उस अधिकारी ने बताया कि आपका नलकूप ठीक कर दिया गया। मान्यवर, यह परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन का युग था, यह मैं कहना चाहता हूं। इतना बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन, जो हरित क्रान्ति का सपना देखा था चौधरी चरण सिंह जी ने और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, उसको एक साल के अंदर माननीय शिवपाल जी ने पूरा किया है, इसलिये मैं बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने विदेश जाकर सिंचाई के बारे में अनुभव प्राप्त करके आने के बाद सिंचाई के क्षेत्र में काम किया।

श्री अधिष्ठाता-

रिजवी साहब, कृपया समाप्त करें ।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मैं समाप्त कर रहा हूं मान्यवर, हमारा जिला गंगा और घाघरा के बीच में बसता है। वहां हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ से हजारों हजार एकड़ जमीन गंगा और घाघरा में समाहित हो चुकी है और पिछले पांच साल में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। माननीय शिवपाल जी वहां गये और जाकर पैसा दिया, सिकन्दरपुर और हमारा इलाका कठौड़ा है, सिसोटर है, कुड़ौली है, नौका गांव है, निपनियां हैं, बहादुरा है यहां जबरदस्त कटान हो रही है मनियर का इलाका, सिकन्दरपुर का इलाका

यह कटान से प्रभावित इलाका है और हजारों एकड़ जमीन जो समाहित हो गयी है, घाघरा में, इसको बचाने की मैं आपसे मांग करता हूं। किसान बरबाद हो चुका है, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, मैं माननीय सिंचाई मंत्री से कहूंगा क्योंकि आपके यहां एक नियम है कि बंधे के बाद जो लोग बसे हुये हैं और नदी के बीच में, अगर वह बरबाद भी हो जाते हैं, बह जाते हैं, कटान से प्रभावित हो जाते हैं तो भी उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता। उनको बसाने का कोई मौका नहीं मिलता। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी पिछली सरकार में उनको बसाने का काम किया था। मैं माननीय शिवपाल जी से मांग करूंगा कि ऐसे किसान जो बंधे के नीचे बसते हैं और दरिया के बीच में बसते हैं, अगर वह कटान से प्रभावित होते हैं, उनकी फसल नष्ट हुयी है और उनके मकान नष्ट हुये हैं तो उनको पर्याप्त मुआवजा देकर उनको बसाने का इंतजाम किया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया समाप्त करें, आपका बहुत समय हो गया ।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, जो छोटी-छोटी माइनरें हैं जो नहरों से निकलती हैं, उनकी भी सफाई किया जाये, ताकि वहां पर किसानों की हजारों एकड़ जमीनें सिंचित हो जायें । कुछ काम हुआ है उसमें, सफाई हुयी है, मगर बहुत सारी माइनरों की अभी सफाई नहीं हुयी है। मान्यवर, ड्रेनों की सफाई बहुत आवश्यक हैं और जो हमारे नलकूप हैं, उनकी व्यवस्था इस बार लोहिया जी के नाम पर हुयी है, वह नलकूप जहां लगे, जहां नहर का क्षेत्र नहीं है ताकि किसानों को सिंचाई का इंतजाम हो जाये। मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं कि कुछ डाकबंगले सिंचाई विभाग के हैं, जो खराब पड़े हैं, वहां कोई रहने वाला नहीं है, मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन डाकबंगलों को देख करके उनकी साज-सज्जा का इंतजाम किया जाये ताकि पुराने स्वरूप में वह डाकबंगले वापस आ जायें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दी है, उसमें कृपया सहयोग करें और रिजवी साहब आप कृपया बैठ जायें।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, नदियों की कटान से जमीनों को बचाया जाये। मैं अंत में माननीय सिंचाई मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सिंचाई विभाग में रह करके क्रान्तिकारी परिवर्तन करने का काम किया है, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री बजरंग बहादुर सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आज दूसरी बार समाजवादी पार्टी की सरकार के सिंचाई मंत्री जी ने सिंचाई विभाग का बजट इस सदन के अंदर रखा है। आपसे एक साल पहले जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार चल रही थी, तो निश्चित रूप से प्रदेश की जनता बहुजन समाज पार्टी की भ्रष्टाचारी सरकार से आहत थी और कहीं न कहीं प्रदेश की जनता के मन में यह भी क्षोभ था कि जो सरकार प्रदेश में चल रही है, वह भ्रष्टाचारी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार है। लेकिन आप आये, आपसे प्रदेश की जनता को उम्मीद थी, लेकिन एक वर्ष के अंदर सिंचाई विभाग में अगर कोई बदलाव हुआ हो तो प्रदेश की जनता आपको वाहवाही देती। निश्चित रूप से जान रहा हूं कि आज भी [x x x] किए जा रहे हैं।

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्यों के एक साथ आरोप का विरोध करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया शांत रहें।

श्री बजरंग बहादुर सिंह-

मैं बता दूं मेरे पास नाम है। आप बैठिए मैं नाम बता रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी के शासन काल में सस्पेंड किए गए थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो इनकी पोस्टिंग कर दी गई।

(व्यवधान जारी)

श्री अधिष्ठाता-

सदस्यगण कृपया बैठ जायं। बजरंग बहादुर जी बैठ जायं। मैं व्यवस्था दिए दे रहा हूं। ऐसी कोई बात होगी उसे कार्यवाही से निकलवा देंगे। उसे दिखवाकर कार्यवाही से निकलवा देंगे। लेकिन सब लोग एक साथ न बोलिये। संसदीय कार्य मंत्री जी थोड़ा सहयोग करें। माननीय सदस्य बैठ जायं। बजरंग बहादुर जी बैठ जाइए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

अधिष्ठाता महोदय, यह कोई तरीका नहीं है बार-बार आपके खड़े होने के बावजूद माननीय सदस्य को यह तमीज नहीं है कि उन्हें इस पीठ का सम्मान करना चाहिए। पहली बार आने का यह मतलब नहीं है मान्यवर, मैं समझता हूं कि आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए। बार-बार आपके खड़े होने पर आपके निवेदन पर न सुनना सत्तापक्ष के सभी सदस्य आपने जैसे ही कहा बैठ गए लेकिन विपक्ष के सदस्य ने आपकी बात को नहीं सुना।

श्री अधिष्ठाता-

बजरंग बहादुर जी मैंने उसका संज्ञान ले लिया उसमें कोई ऐसी बात होगी तो उसे निकाल दिया जायेगा। आप लोग सहयोग करिए और कृपया बीच में व्यवधान न करें। बजरंग बहादुर जी आपको जो भी बात कहना हो पीठ को एड्रेस करके कही जाती है।

श्री बजरंग बहादुर सिंह-

जो इधर के सदस्यगण यह कह रहे हैं कि घबरा गए उनको बता देना चाहता हूं कि हम घबराने वाले नहीं हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय आज उत्तर प्रदेश का सिंचाई बजट प्रस्तुत हुआ आज बजट के अन्दर प्रमुख रूप से प्रदेश की जनता को सिंचाई के लिए नहरों के माध्यम से ट्यूबवेल्स के माध्यम से निजी नलकूपों के माध्यम से अभी बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम प्रदेश की जनता को मुफ्त सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। हम मानते हैं कि सुविधा

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मिलनी भी चाहिए और आप कर भी रहे हैं लेकिन निश्चित रूप से बहुत सारे निजी ट्यूबवेल भी प्रदेश के किसान लगाए हुए हैं जहां एक तरफ मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है वहीं दूसरी तरफ प्रदेश का किसान निश्चित रूप से डीजल खरीदता है उस पर 21.6 प्रतिशत वैट लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम मुफ्त सिंचाई देना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं पूर्वांचल से चुनकर आता हूं पूर्वांचल के अन्दर बाढ़ की विभीषिका इतनी जबर्दस्त रहती है कि बाढ़ के समय पूरे पूर्वांचल के अन्दर कोहराम मच जाता है लेकिन एक भी परियोजना पूर्वांचल को बाढ़ से बचाने के लिए इस बजट में नहीं प्रस्तुत की गई है। दूसरी तरफ मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक राजपुर-दौलतपुर बांध है जो विगत 2007 में स्वीकृत हुआ था जिसकी कुल लागत 733 लाख रुपए थी लेकिन आज लगभग करीब 6 वर्ष हो गये हैं आधा बन्धा बना आज तक पड़ा है। मैंने पिछले बजट के समय निश्चित रूप से इसे नियम-56 के तहत् उठाने का भी काम किया था लेकिन उत्तर प्रदेश के जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं उनके कान में जूं नहीं रेंगा और उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरी तरफ हमारे विधान सभा के अन्दर एक भेलसर रिगौली बांध है वह बांध सन् 1989 में टूट गया था और बहुत जबर्दस्त बाढ़ आई थी उस समय मा0 कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री थे बहुत सारी जनता तबाह हुई थी। उस बन्धे के चौड़ीकरण और उच्चीकरण के लिए विगत कई वर्षों से 8 करोड़ का बजट सेंक्शन है लेकिन उस पर भी पैसा नहीं जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले 1 करोड़ रुपयो भेलसर रिगौली बांध के लिए गया था, एक आर0एस0 वर्मा अधिशासी अभियन्ता हैं, एक करोड़ रुपयो अभी गया था, मान्यवर, मैं इस सदन में दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर सिंचाई विभाग का कोई भी अधिकारी इस बात को तय कर देगा कि एक वर्ष के अन्दर भेलसर रिगौली बांध पर एक रुपए का काम भी सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा कराया गया है तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा। एक करोड़ रुपयो तीन महीने पहले गया और आर0एस0 वर्मा, अधिशासी अभियन्ता द्वारा एक वर्ष पहले बनाये हुए बांधों पर उसका भुगतान कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले माननीय मंत्री जी बीगैप बांध पर दौड़ा पर गये थे और एक वर्ष के अन्दर इस बांध पर कोई काम नहीं कराया गया है लेकिन तीन करोड़ रुपयो वहां गया और आर0एस0 वर्मा द्वारा पूरे पैसे का भुगतान कर दिया गया। यह है उत्तर प्रदेश की सरकार जो कहती है कि हम किसान हित में प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, सरकारें बदल गईं लेकिन वही कर्मचारी, अधिकारी आज भी वहीं पर तैनात हैं उनकी नीयत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस नाते मैं निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि आपको बड़ी मेहनत करनी होगी, तहकीकात करनी होगी तब कुछ बदलाव आ सकता है। मैं निश्चित रूप से उन क्षेत्रों से चुन करके आता हूं जिन क्षेत्रों में बाढ़ की बहुत विभीषिका रहती है। बहुत सी योजनाएं हम लोगों की लम्बित हैं लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी उस पर कुछ काम नहीं करना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री बजरंग बहादुर सिंह-

माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप पूर्वांचल के दर्द को पहचानने की कोशिश कीजिए। पूर्वांचल के लोग जो बाढ़ क्षेत्र में रहते हैं उनके भी दर्द को पहचानने का प्रयास कीजिए। हम

आपसे चाहते हैं कि पूर्वांचल को बाढ़ से बचाया जाए, उधर भी सिंचाई की व्यवस्था के लिए इस बजट में कोई न कोई प्रावधान अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सिंचाई विभाग के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के साथियों के पास दूर का चश्मा नहीं है सिर्फ नजदीक का चश्मा है। दूर के चश्मे से वह देखना नहीं चाहते हैं वह नजदीक के चश्मे से उत्तर प्रदेश की तकदीर को बदलना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब सिंचाई के सवाल पर किसानों का सिंचाई कर माफ हुआ तो आपने उसे दूरदृष्टि से नहीं देखा और आपने बड़ाई नहीं किया। उत्तर प्रदेश में किसानों का ऋण माफ हुआ। तो आपने नहीं देखा, आप देखते किससे हैं ? अपने वाले चश्मे से, लूट-खसोट वाले चश्में से। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उस क्षेत्र से मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश की वाण सागर योजना चल रही है। पांच साल तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने उस पर एक पैसे का काम नहीं किया, जेब भरने का काम किया। जब हमारी सरकार बनी तो हमने अपने नेता मा0 सिंचाई मंत्री से निवेदन किया तो इन्होंने जाकर वाण सागर को देखा और 12 इन्जीनियरों को सस्पेंड किया, आपकी दूरदृष्टि नहीं है आपकी छोटी दृष्टि है, जेब भरने वाली दृष्टि है। जब मैं आगे बढ़ा, हमारे नेता पहुंचे तो 12 इन्जीनियरों को सस्पेंड किया उसके बाद आज हमारी हालत क्या है। बाण सागर योजना जो हमारी नदी है जो हमारी खेती है वह लहलहा रही है। पहली बार रामनगर टेल, मांडा टेल पर पांच साल में पानी पहुंचा है, पांच साल के अंदर कभी हमारे टेलों पर पानी नहीं पहुंचा। कभी हमारे नहर में पानी नहीं पहुंचा था। अदवा बंधा को जोड़ने से अदवा बंधा और मेजा डैम को जोड़ने का जो चैनल था आपकी सरकार में नहीं बना, हमारी सरकार ने काम शुरू किया है। बरौंधा जो 102 कि0मी0 की नहर है 05 साल में एक बूंद भी पानी नहीं गया। इस बार पानी आने की व्यवस्था प्रारम्भ हुई है। यह दूरदृष्टि है। अधिष्ठाता महोदय, हमारे तमाम साथी यहां पर बैठे हुए हैं बेलन नदी पर बरौंधा बांध बना हुआ है उस बरौंधा बांध से बेलन नदी आ करके टौंस नदी में मिलती है। अगर उस बेलन नदी पर एक बांध बना दिया जाए तो उससे हमारे पूरे कोरांव की सिंचाई हो सकती है। दूसरा, मैं अपने क्षेत्र के विषय में कहना चाहता हूं। टौंस नदी पर पेयजल योजना कोहडार है, टौंस नदी पर पेयजल योजना शंकरगढ़ है, टौंस नदी पर आपकी लिफ्ट है। टौंस पम्प कैनाल की लिफ्ट है। उसी पर हरई लिफ्ट है, उसी पर भरवारा लिफ्ट है अगर उस नदी पर एक छोटा सा बांध बन जायेगा तो हमारी लिफ्टें ठीक हो जायेंगी और इसी टौंस नदी पर आपका नेशनल थर्मल पॉवर बन रहा है। इसको जोड़ने हेतु मेरा आपसे निवेदन है। इसको अगर आप जोड़ देंगें तो बहुत अच्छा होगा। हमारे यहां पूरी विधान सभा क्षेत्र में 16 लिफ्टें हैं। उसमें से ज्यादातर लिफ्टें नदी पर आधारित हैं चाहे टौंस नदी पर हो चाहे बेलन नदी पर। सिरसा और मांडा लिफ्ट गंगा नदी पर आधारित है। एक लिफ्ट यमुना नदी पर आधारित है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो गंगा नदी पर आधारित मांडा पम्प कैनाल है उसका पानी बेलन नहर में छोड़ दिया जाए जिससे टेल तक पानी आसानी से पहुंच जाए और कोई समस्या न हो। आपसे एक छोटा सा और निवेदन करना चाहते हैं कि बेलन नहर का दफ्तर कमाण्ड एरिया से 70 कि0मी0 दूर इलाहाबाद में

स्थित है। अफसर बैठता है इलाहाबाद में और बरौंधा डैम है 100 कि0मी0 दूर इसलिए मैं चाहता हूं कि बेलन नहर का दफ्तर इलाहाबाद शहर से हटा करके लखनपुर डाक बंगले में कर दिया जाए जिससे किसानों की समस्याओं का हल हो जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यदि बेलन नहर का दफ्तर हटे तो यहां हमारा गेस्ट हाउस बनने जा रहा है वह सिविल लाइन्स में ए0जी0 आफिस के बगल में है उसमें गेस्ट हाउस बनवा दिया जाए। एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं कि मांडा के पास सिंचाई विभाग की 5 एकड़ जमीन पड़ी हुई है जमीन पर गांव वाले कब्जा कर रहे हैं उसको स्टेडियम के लिए दे दिया जाए और मांडा ब्लाक में स्टेडियम बनवा दिया जाए। एक और निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि जब आदरणीय नेता मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो कुंवर रेवती रमण सिंह सिंचाई मंत्री थे हमारे यहां 400 टयूबवेल हैं, 400 टयूबवेलों के लिए कार्यशाला बनवायी गयी थी उस कार्यशाला में कार्य हो रहा था मोटर रिपेयर हो रही थी, बैरिंग बदली जा रही थी, खराद का काम हो रहा था। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आयी तो उस कारखाने को बदल करके इलाहाबाद में कर दिया गया। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वह कार्यशाला पुनः मेजारोड कठौली में कायम कर दिया जाय जिससे कि हमारे क्षेत्र की समस्याएं हल हो जायं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट पर जोरदार समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गेंदा लाल चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई विभाग के बजट की कटौती प्रस्ताव पर मैं बल देता हूं। अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई मंत्री जी ने वर्ष 2013-2014 का बहुत लम्बा-चौड़ा बजट प्रस्तुत किया है, उससे पहले भी सिंचाई मंत्री महोदय ने बहुत-लम्बा चौड़ा बजट प्रस्तुत किया था। बहुत सारे वायदे उस बजट में किये थे और विभिन्न मदों पर खर्च करने के लिये बातें कही थीं। हमारे विपक्ष के साथी, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि सिवाय पिछली सरकार की आलोचना करने के अलावा इनके पास कोई और विषय नहीं है। (शोर) अधिष्ठाता महोदय, इस उत्तर प्रदेश की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत ही ईमानदारी, निष्ठा के साथ पूर्ण मत की सरकार बनाने का मौका दिया और जनता ने यह उम्मीद की थी कि हमें यह सरकार प्रदेश में विकास करायेगी ? लेकिन आज पूरा एक वर्ष होने जा रहा है, इन माननीय सदस्यों को जो सरकार में हैं, इन्हें अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताना चाहिए। आज एक वर्ष हो गया पूरा विपक्ष यहां पर बैठा हुआ है सिवाय बहुजन समाज पार्टी की आलोचना करने के अलावा और कोई बात नहीं है।

अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने एक साल निकाल दिया है, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वह आपको बुद्धि दे और आगे आने वाले चार सालों में उत्तर प्रदेश की जनता की आशा के ऊपर काम करें ताकि आपको दोबारा मौका मिले।(मेजें थपथपाईं) लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आपका यही हाल रहा तो प्रदेश की जनता जानती है और देख रही है। यहां के मीडिया कर्मी आपकी बातों को बाहर जनता में दिखा रहा है। जनता जानती है कि इसके अलावा समाजवादी पार्टी की सरकार के पास सिवाय आलोचना करने के और कोई काम नहीं है, वह सब देख रही है और आपका 2014 का जो मिशन गाड़ियों के पीछे लगा रखा है उसका नतीजा निश्चित मिलेगा। अधिष्ठाता महोदय, जहां तक मंत्री महोदय ने और हमारे सत्ता पक्ष के सदस्य कह रहे हैं कि नहरों की सफाई हो गई, रजवाहों की सफाई हो गई , सिल्ट का कहीं कोई नाम

नहीं है नहरों के किनारे जो पटरियां थीं सब मरम्मत हो गईं। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि यह सब कागजों पर कार्यवाही हुई है । जहां तक मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं। हाथरस विधान सभा से मैं चुनकर आया हूं। जिला हाथरस के अन्दर कई रजवाहे हैं चाहे तमनागढ़ी रजवाहा, कौमड़ी रजवाहा है, रूदाना रजवाहा है इनकी कहीं कोई सफाई नहीं हुई है। अधिष्ठाता महोदय, जहां तक मंत्री महोदय ने अपने बजट में कहा है और हमारे सदस्य गण भी बहुत सारे सत्ता पक्ष के कहते हैं कि टेल तक पानी आया है। मेरी समझ में नहीं आता मेरी विधान सभा का आप निरीक्षण करा लें, मेरे जिले का निरीक्षण करा लें कहीं टेल तक पानी आया हो। अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं आपके माध्यम से मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। यहां पर कौमड़ी रजवाहा में टेल तक पानी नहीं आया। दो-तीन रजवाहे ऐसे हैं जैसे आपका रूदाना रजवाहा है, मंडराक रजवाहा है इनमें रजवाहे बने पड़े हैं लेकिन आज 10 साल से ज्यादा उनकी खुदाई हुए हो गये लेकिन उनमें पानी नहीं आया। सरकार कहती है कि हमारा टेल तक पानी पहुंच गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन रजवाहों में पानी दिलाने की व्यवस्था करें। साथ ही साथ जहां तक हमारे सिंचाई मंत्री पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर भी हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं आपके द्वारा कि हमारे यहां हाथरस पर एक जो नहर निकलती है वहां पर एक ब्रिज बना हुआ है। हाथरस नहर पर कई साल हो गए वह ब्रिज अधूरा पड़ा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उस पुल को बनवाने का कष्ट करें। साथ ही साथ कर्बल नदी जो हमारे विधान सभा क्षेत्र से निकलती हुई जाती है। वहां पर एक टिकारी गांव है, टिकारी गांव से विजयगढ़ कस्बे को जाने के लिए हमारे किसान भाईयों को और जनता को बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ता है। मेरा मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन है कि वहां पर एक छोटा सा पुल बनवाने का कष्ट करें। साथ ही साथ अलीगढ़ ड्रेन जो अलीगढ़ से निकलकर मेरे विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक सासनी से होते हुए हाथरस कस्बे से निकलकर आगे आगरा तक जाती है उसमें बहुत सा सिल्ट जमा हुआ है उसकी सफाई कई वर्षों से नहीं हुई है उसकी सफाई के लिए भी मंत्री जी बजट में व्यवस्था कराने का कष्ट करें। साथ ही साथ जो नहर हाथरस से होकर जाती है उसके किनारे इतने कमजोर हो गए हैं कि वहां आए दिन नहर टूट जाती है और लाखों-लाख रुपये का नुकसान किसान भाईयों का होता है तो उन पटरियों की मरम्मत कराने का कष्ट करें।

(श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता-

इनके बाद बोलिएगा।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

आपकी लगभग सब बातें आ गई हैं।

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।...

श्री गेंदालाल चौधरी-

बहन जी, एक मिनट, मेरी बात सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

शादाब जी, इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए।

श्री गेंदालाल चौधरी-

अधिष्ठाता महोदय, यहां पर विधान सभा का सत्र पिछली बार भी चला, इस बार भी चला, सत्तापक्ष के लोग एक ही बात कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने पत्थरों पर इतना खर्चा किया, स्मारकों पर इतना खर्चा किया, मैं मानता हूं खर्चा हुआ है उन्हें यह मालूम होना चाहिये कि पत्थरों और पार्कों पर जो खर्चा हुआ है वह बजट का एक परसेन्ट भी खर्चा नहीं हुआ है और उससे ज्यादा तो उन पर जो टिकट लगती है पैसा सरकारी खजानों में आयेगा।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

*श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी सामने बैठे हुए मा0 सदस्य कह रहे थे कि सत्तापक्ष में बैठे लोगों को सिवाय बहुजन समाज पार्टी में कीड़े निकालने के कोई काम नहीं आता है और जनता सब जानती है। आपने सही कहा- 'यह पब्लिक है सब जानती है, तभी तो आप इधर से उधर हो गए। अगर जनता सब न जानती होती तो आप यहां से वहां नहीं जाते। हकीकत यही है। अपनी बात रखिए, पत्थर पर लगा, वह क्या लगा यह अलग बात है। मा0 तेजपाल जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा था उसमें कुछ अच्छे सुझाव भी थे लेकिन एक बात आपने कही कि चौधरी चरण सिंह के नाम पर कुछ नहीं किया गया है उस पर भी टोकेन मनी दिया गया है अगर जरूरत होगी तो उस पर ज्यादा से ज्यादा धन आवंटित कर दिया जाएगा। एक बात, आपने जब यमुना का जिक्र किया तो पीठ से भी कहा गया कि यमुना नदी से थोड़ा सा आगे बढ़ें, मैं समझ सकती हूं कि यमुना की लहरों में वह आकर्षण है कि उससे आगे बढ़ पाना संभव नहीं होता है उसके आकर्षण से व्यक्ति विद्ध हो जाता है क्योंकि यमुना की लहरों ने, बाल रूप से लेकर योगीराज अरविन्द के रूप को देखा है, कभी बाल क्रीड़ा को देखा है, कभी कालिया मर्दन को देखा है, कभी योगीराज की वाणी को भी सुना है जो गीता का कर्म का सिद्धान्त था कि-

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा
इति मां योअभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते।

अर्थात् कर्म फल मुझे नहीं बांधता है, मैं केवल कर्म करता रहता हूं और इसी कर्म के सिद्धान्त को आगे बढ़ा करके इतना जन कल्याणकारी बजट रखा जिसमें यह घोषणा की गई है कि किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था होगी और उस हेतु 200 करोड़ रुपयो रखेंगे। यही नहीं उत्तर प्रदेश में जो नहरें हैं वह लगभग 73 हजार 996 किलोमीटर हैं। इसमें से 11 हजार किलोमीटर लम्बी नहरें दूसरे प्रदेशों में पड़ी हैं। इसमें से 11 हजार कि0मी0 लम्बी नहरें दूसरे प्रदेशों में पड़ती हैं। नहरों की सफाई की बात आई, टेल तक पानी पहुंचने की बात आई, क्या वास्तव में इससे पहले नहरों की सफाई हुई थी? क्या सिंचन क्षमता बढ़ी थी ? मान्यवर, ऐसा नहीं हुआ था। इस बार ऐसा हुआ कि खरीफ के समय साढ़े आठ हजार कि0मी0 लम्बी नहरों की सिल्ट की सफाई हुई और रबी के समय लगभग

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

18 हजार कि0मी0 लम्बी नहरों की सफाई करके दिखा दिया गया कि किस तरह से कार्य किया जाता है। कार्य करने का इरादा होना चाहिए। सिंचन क्षमता में वृद्धि हुई और आज हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सिंचित क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे से बढ़ करके तीसरे पर पहुंचा। यह मैं इसलिए कह रही हूं, हमसे आगे दो ही राज्य बचे हैं। 104 प्रतिशत सिंचित के साथ दिल्ली प्रथम स्थान पर है, 97 प्रतिशत सिंचित के साथ पंजाब दूसरे स्थान पर है और हरियाणा पहले आगे था, 80 प्रतिशत सिंचित क्षेत्रफल के साथ में लेकिन आज हमारा स्थान उससे ऊपर हो गया और अभी जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, उसके हिसाब से 80.6 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र हमारा हो चुका है जो कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत है। इसलिए मैंने कहा कि काम करने का जज्बा होना चाहिए। अगर जज्बा होता है तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, खाली बातें बनाने से काम नहीं होता है। आपकी सरकार में काम नहीं किया गया, हालात यह थी कि ''मिल गई मंजिल उन्हें, जो करके हिम्मत चल दिये।'' यह मंजिल यूं ही नहीं मिली है, नहरों की सफाई यूं ही नहीं हुई है, मौका आपको भी मिला था लेकिन माननीय मंत्री जी ने बताया कि चाहे वह बाण गंगा परियोजना रही हो या वह कनहर रही हो या वह सरयू रही हो, सबके अन्दर जो सिंचन क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य था, उसको पूरा नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार में इसे पूरा किया गया है और इसलिए हुआ कि हममें करने की नीयत थी और इसीलिए किसी ने कहा है कि ''मिल गई मंजिल उन्हें, जो कर के हिम्मत चल दिए। गाजिए गुफ्तार बैठे, रास्ता देखा किए।'' जो बात के धनी होते हैं, वह रास्ता देखते रह जाते हैं और जिन्हें कुछ करना होता है, वह आगे बढ़कर कर के दिखाते हैं। मान्यवर, अभी आपने बताया कि सरयू नहर परियोजना जो वर्ष 2014-15 में पूरी होने वाली है और जिसके लिए इस वित्तीय वर्ष में साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था है। पिछली सरकार में 14 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को सिंचित करने का जो लक्ष्य रखा गया था, उसके अगेन्स्ट मात्र 1 लाख के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। लक्ष्य 14 लाख हेक्टेयर का और उपलब्धि 1 लाख हेक्टेयर की। क्यों हुआ ऐसा ? आप खफा हो रहे थे कि लोग पत्थरों की बातें करते हैं, खफा हो रहे थे कि लोग पिछली सरकार को बदनाम करने की बात करते हैं। खुद ही सोचिए कि क्यों हुआ ऐसा ? सोचना पड़ेगा आपको। वाण सागर बांध परियोजना थी, यदि वह समय से पूरी हो जाती और उस पर जो पैसा खर्च हुआ है, उसका सही इस्तेमाल हो जाता तो इलाहाबाद और मिर्जापुर जनपदों में सिंचित क्षेत्रफल बढ़ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हो पाया ? आखिर आपके पास पूरा सरकारी तन्त्र था, पूरी मशीनरी थी, काम करने के लिए पूरी फौज थी लेकिन काम नहीं हुआ क्योंकि एक विभाग का यह हाल नहीं था, क्षमा कीजिएगा, हर जगह हालत वही थी और इसीलिए कहा जाता है कि जब यह हालत हो जाए, खुद माली चमन का अगर दुश्मन हो जाए तो कोई उजड़ने से बचा नहीं सकता है।

मान्यवर, हालत यह थी कि चमन उजड़ रहा था क्योंकि ''बर्बाद चमन के करने को, '' यह मैंने इसलिए कहा है क्योंकि पूरा सरकारी अमला आपके पास मौजूद था, पूरी मशीनरी आपके पास मौजूद थी, मंत्रियों की लम्बी फौज मौजूद थी, वही घाटा हो गया क्योंकि ''बर्बाद चमन के करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठे थे, अन्जामे गुलिस्ता क्या होगा'' मान्यवर, पूरी मशीनरी थी तो गुलिस्ता का जो अन्जाम होना था, वह हुआ। मान्यवर, इस तरह की बात मैं कहती भी नहीं हूं, पूरा तन्त्र आपके पास मौजूद था। उस तंत्र की लगाम खींचने से आपको किसने मना किया था। आप चाहते तो कर सकते थे। क्योंकि वह सरयू नहर परियोजना महत्वपूर्ण परियोजना थी। अगर वह समय से पूरी हो जाती तो अच्छा। इन लोगों ने उसमें सिर्फ धन की बर्बादी की किंतु हर्ष का विषय

है माननीय मंत्री जी ने 550 करोड़ रुपये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में देकर उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी कटिबद्धता दिखायी है। मान्यवर, बाढ़ की बात आ रही थी। बाढ़ नियंत्रण के लिए 725 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी। पहले क्या किया गया। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रही। लेकिन बाढ़ हर साल आती है दैवीय आपदा है एक विभीषिका है। इसे रोकने के लिए एक दीर्घकालिक नीति बनानी होगी और उसके लिए मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि वह नदियां जिनमें नेपाल से पानी आता है खासकर घाघरा, राप्ती में अक्सर होता है कि नेपाल से इतना पानी उसमें छोड़ दिया जाता है कि इनके आसपास की बस्तियां पूरी डूबने लगती हैं। अगर उसको और नदियों जिनमें पानी नहीं रहता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी सतत् नीरा नदियां चाहे वह गंगा रही हो जिसे हम मोक्षदायिनी कहते थे वह मोक्षदायिनी अमृतवाहिनी गंगा रही हो या वह यमुना रही हो जिसके किनारे कभी योगीराज अरविन्द की वाणी गूंजी थी आज सभी नदियों में पानी की कमी है। अगर इसमें इन नदियों को जोड़ दिया जाएगा तो इन नदियों में भी हमेशा पानी रहेगा और बाढ़ से बचने का एक रास्ता सुलभ हो सकेगा।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की बस एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगी। मान्यवर, हमारे यहां टोन्स नदी है। 5 सालों में उस पर कुछ नहीं हुआ। लगातार बंधा टूटता रहता है। इसलिए वहां पर बंधे का निर्माण करा दिया जाये। इसके साथ ही बिरनो माइनर के किमी0 05 से 45 किमी0 तक की सी0सी0 लाइनिंग करा दी जाये क्योंकि वहां पर सीपेज की समस्या है। हालांकि वहां पर पूर्व के सत्ताधारी दल के विधायक थे और फिर कहना पड़ेगा कि आपके ही दल के विधायक थे। लेकिन हुआ केवल इतना है कि नहरों के किनारे टूटते रहे हैं लोग डूबते रहे हैं। उपदेश देना आसान होता है आप लोग जब उंगली दिखाते हैं तो दुःख होता है लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा कार्य न करें जिससे लोगों को उंगली दिखाने का मौका न मिले। मैं केवल इतनी बात कहती हूं कि हमारे क्षेत्र की इन समस्याओं का निराकण किया जाये और मुझे विश्वास है कि यह बजट कल्याणकारी बजट होगा और बजट इसलिए कल्याणकारी होगा कि हमें अपनी मंजिल मिलेगी जरूर।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

*श्री विवेक कुमार सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। मैं उस क्षेत्र से चुनकर आता हूं कि जिस क्षेत्र में कहावत है कि गगरिया न टूटे खसम मर जाये। जब-जब सिंचाई का बजट पेश होता है बुन्देलखण्ड की जनता बड़े गौर से विधान सभा की ओर देखती है कि सिंचाई विभाग उस क्षेत्र के लिए क्या कर रहा है। मैं यह नहीं कहूंगा कि बुन्देलखण्ड में पैसा नहीं पहुंचा है। बहुत पैसा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहुंचा है। माननीय मंत्री जी केवल एक बात कहना चाहता हूं जरा रनगवां और बरियारपुर के डैम को भी देख लीजिए। आज हालत यह है कि अभी अप्रैल से गर्मी पड़ेगी, 50-52 डिग्री से0 तापमान होगा, आपके पास पानी नहीं है। पानी पनगरा में बहा दिया गया।

(इस समय 3 बजकर 52 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

और विधान परिषद् में आप पर आरोप किसने लगाया, जिसने रनगवां और बरियारपुर डैम को बनाया और आप चुप रहे। आप अन्दाजा कर सकते हैं कि सिंचाई विभाग को खिलौना बना दिया गया है। पिछली पांच साल में बेटा नौकरी कर रहा है, बाप को भी नौकरी दे दी गई, बेटे का बेटा बनाकर, 56 साल की उम्र में, जरा जांच करा लीजिए कितने लोगों को भर्ती दी गई है, अपने नाते-रिश्तेदारों को और मान्यवर, यह सिंचाई विभाग बुन्देलखण्ड की पानी की समस्या के समाधान के लिए, लेकिन पांच साल में मेरी समझ में नहीं आता कि जितनी शादी, जितने विवाह होते हैं बांदा में वह जब इनकी सरकार आ जाती है, तभी होते हैं और जितने खतने होने होते हैं, उसी वक्त होते हैं। मैं बड़े गम्भीर शब्दों में आपसे कहना चाहूंगा कि आप अन्दाज नहीं लगा सकते। मध्य प्रदेश पर आरोप लग जाता है, मैं मध्य प्रदेश के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप जरा देखें उस शब्द को, 34 क्यूसेक पानी मध्य प्रदेश से मिलना चाहिए आपके बांदा को, लेकिन हमारी नहर की क्षमता 17 क्यूसेक पानी से ऊपर की नहीं है। जरा पानी आगे बढ़ गया, नहरें आपकी ध्वस्त। मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा कि बुन्देलखण्ड में एक तमाशा और हुआ है, आपने सिंचाई माफ की, लेकिन बुन्देलखण्ड के क्षेत्र में आपके अधिकारियों ने वह कारीगरी की है कि 70 परसेण्ट की वसूली कर रखी है, उसके बाद सिंचाई माफ की है, मेरा ही क्षेत्र देख लीजिए, खुरहेड़ क्षेत्र देख लीजिए, बिसण्डा क्षेत्र देख लीजिए, हमीरपुर देख लीजिए, जिधर देख लीजिए सब तरफ धांधली हुई है, मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी जांच करा लीजिए। जिन अधिकारियों ने इस कार्य को किया है, उनके ऊपर जरा सख्ती कर दीजिए। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, लोक निर्माण विभाग के बजट के वक्त कि नदी की धारा मोड़ी जा रही है, सिंचाई आप कहां से करेंगे। फाकलैण्ड मशीन से पूरी की पूरी बालू निकाली जा रही है, आपका पुल बन रहा है, उसके नीचे से बालू निकाली जा रही है, मौरंग निकाली जा रही है। पूरी केन नदी को बांध दिया गया है चार भागों में और जब इण्डिया टुडे के लोग पहुंचे जिलाधिकारी के पास तो जिलाधिकारी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कहां पर सड़क बनाई गई। मान्यवर, यह बड़ी विषम स्थिति है। बुन्देलखण्ड के साथ बालू के नाम पर वह ठगी हो रही है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 33 सौ रुपये का ट्रक जिसकी आप रायल्टी वसूलते हैं, वह 40-50 हजार पर बांदा से चलता है और एक लाख पर लखनऊ में बिकता है, गुण्डा टैक्स लागू है। मैं एक बात सिर्फ आपसे कहना चाहूंगा, पूरे बुन्देलखण्ड का क्षेत्र आपका इन्तजार कर रहा है, वहां समाजवादी पार्टी का सम्मेलन करने मत जाइयेगा, वहां जाइयेगा जरा वास्तविकता को देखने। हुआ क्या है वहां पर सड़क हो, नदी हो, पुल हो, पुल की तेरही, मेडिकल कालेज बने तो उसकी तेरही, जिसको देखो तेरहवें दिन हर चीज गिर जाती है, यह क्षेत्र आपको देख रहा हूं। मान्यवर, एक शेर मैं आपको पढ़ कर सुना दूं, श्रीमती फातिमा जी बहुत अच्छा शेर पढ़ती हैं-

''कभी उफ, कभी हाय, कभी फरियाद करते हैं,
हमें वह क्यों नहीं मिलते, जिन्हें हम याद करते हैं।''

आपको याद कर रही है पब्लिक, जरा आइये वहां पर और देखिये नजारा क्या हुआ है, क्या खेल हुआ है, क्या अफसरशाही हुई है। आप अन्दाजा कर सकते हैं, इतने काबिल इन्जीनियर इनके सहयोगी हैं, इतने काबिल कि सिंचाई विभाग का इंजीनियर आपके एलडीए में हाथी बनाने आ गया, इतने काबिल इन्जीनियर हैं और बांदा में जहां सूखे का क्षेत्र है, पानी को लोग तरस रहे हैं, वहां आपके अधिकारियों के स्वीमिंग टैंक बने हुए हैं, आपके ही विभाग के अधिकारियों के। मान्यवर, मेरा केवल इतना निवेदन यह है कि बांदा की जनता इन बेईमानों को जेल के अन्दर देखना चाहती है। बांदा की ही जनता नहीं, पूरे बुन्देलखण्ड की जनता। जिन्होंने हजारों लोगों के साथ खेतों के साथ, मजदूरों के साथ में, नहरों के साथ में, कोई शब्द नहीं कह सकता कि बलात्कार किया है और इस हालत तक कर दिया है उस क्षेत्र को कि आपको 5 साल सुधारने में लग जायेंगे। जब तक काबिल इंजीनियर वहां नहीं भेजेंगे और ईमानदार लोग वहां नहीं भेजेंगे तब तक वहां का काम होने वाला नहीं है। बड़ी आशा है आपसे, बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि आप आइयेगा, कांग्रेस का विधायक होने के बावजूद आपका बॉर्डर पर स्वागत करूंगा। आपको ले चलूंगा दिखाने के लिये। कार से आइयेगा, हेलीकॉप्टर से मत आइयेगा। हेलीकॉप्टर से आइयेगा तो बिन्दकी में उतर जाइयेगा, बिन्दकी के बाद कार से चलियेगा, जरा बुन्देलखण्ड देखियेगा। नहरें आपको दिखाता हूं। अध्यक्ष जी का इशारा हो गया है। मैं तो केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप कड़ी कार्यवाही करेंगे। अब हम बहुत बार-बार यह सुनने के आदी नहीं रह गये हैं कि जांच चल रही है। समयबद्ध कर दीजिये, 15 दिन, महीने भर का समय दे दीजिये। लोकायुक्त की जो रिपोर्ट पड़ी है उस पर मुख्य मंत्री के दस्तखत करवा दीजिये। पता नहीं आप में और वर्मा जी में कौन सा प्रेम हो गया है। कौन सा समझौता हो गया है, कल प्रपोज किये हो आप लोग। रिश्तेदारी बता रहे थे, मैं बोला नहीं कुछ। कहीं कोई नई रिश्तेदारी तो नहीं शुरू हो गयी है। वो मौर्या जी, आप लोगों के मैनपुरी की कोई रिश्तेदारी हो रही थी। मैं बोला इसलिये नहीं कि कल मुझको बोलना है। कोई ऐसी रिश्तेदारी तो नहीं कायम हो गयी है कि आप लोकायुक्त की रिपोर्ट को सी0बी0सी0आई0डी0 को भेजकर ही खत्म कर देंगे क्योंकि नहीं सी0बी0आई0 को भेजते। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत आभारी हूं।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

धन्यवाद मा0 अध्यक्ष जी। सिंचाई विभाग के कटौती प्रस्ताव जो मा0 तेजपाल सिंह जी द्वारा रखा गया है, उस पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मा0 अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग का बजट है। चूंकि कौशाम्बी जनपद के सिराथू विधान सभा क्षेत्र से चुन करके आया हूं। कौशाम्बी जनपद के अन्दर जो सिंचाई की समस्या है। जब भी मुझे बोलने का अवसर मिला है, मैंने उसे उठाने का प्रयास किया है। मा0 अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत प्रभावशाली ढंग से नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने की बात कही गयी। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री और सत्तापक्ष के सम्मानित सदस्यों को बताना चाहता हूं कि टेल तक पानी पहुंचाने में अभी आप सफल नहीं हो सके हैं। अभी 2013 में मेरे बहुत लगातार कम से कम 100 बार चाहे सिंचाई विभाग के आला अफसर रहे हों। चाहे मेरे जनपद के एक्स0ई0एन0 रहे हों। मैं कम से कम 100 बार सम्पर्क करके, फोन करके, मिल करके, कह करके जब पूरी तरह थक गया। जब भीषण वर्षा वहां हो रही थी उस समय पानी पहुंचा और मा0 अध्यक्ष महोदय, वह भी टेल तक नहीं पहुंच पाया। मैं सिंचाई विभाग के इस बजट में जो भी व्यवस्था की गयी है। आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, मांग करना चाहता हूं कि जनपद कौशाम्बी जो उद्योग

विहीन है। अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करता है। कृषि के क्षेत्र में इतना परिश्रम करने वाला है। इतनी पैदावार देने वाला है। मैं दूसरे क्षेत्रों के बारे में तो नहीं कह सकता लेकिन इतना कह सकता हूं कि कौशाम्बी जनपद कृषि के क्षेत्र में एक आदर्श उदाहरण है, जहां सिंचाई की सुविधा का भारी अभाव है। मैं नहरों में जो पानी नहीं पहुंच रहा है। सिराथू विधान सभा क्षेत्र सहित जनपद कौशाम्बी की समस्त नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने के लिये जब तक पिथौरा पम्प कैनाल की क्षमता में वृद्धि नहीं की जायेगी, तब तक कौशाम्बी जनपद में सिंचाई की समस्या का समाधान नहीं हो पायेगा इसलिये मैं आपके माध्यम से पिथौरा पम्प कैनाल की क्षमता बढ़ाये जाने की मांग करता हूं। मा0 अध्यक्ष महोदय, नलकूपों की बात कही गयी है। नलकूपों की जो बात कही गयी है, मेरे विधान सभा क्षेत्र के आंकड़ें आए हुए हैं, मेरे सिराथू विधान सभा में ही केवल 40 नलकूप फेल हैं। मैं पहली बार जब सदन में चुनकर आया, प्रश्न लगाया, मैंने सोचा कि मेरे प्रश्न के बाद कुछ गतिविधि होगी, लेकिन 40 नलकूप जो पूरी तरह से फेल हैं, उन 40 नलकूपों में आज तक कोई काम नहीं हो पाया। 32 नलकूप तमाम तकनीकी कारणों से फेल पड़े हैं, सिंचाई का एक व्यापक संकट खड़ा है। मा0 अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग का बजट बहुत बड़ा बजट है, बहुत बड़ी धनराशि की व्यवस्था की गई है, लेकिन आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि सरकारी नलकूप, जिनके ट्रान्सफार्मर जल जाते हैं, कई बार तो 6-6 महीने तक उन्हें बदला नहीं जाता है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी दो मिनट हुआ है, 5 मिनट के लिए आपने कहा था। मा0 अध्यक्ष महोदय, जो राजकीय नलकूप हैं, जब उनके ट्रान्सफार्मर जल जाते हैं, कई बार तो 6-6 महीने, 1-1 साल तक, यह ऊर्जा विभाग हो या सिंचाई विभाग हो दोनों सत्ता पक्ष के पास हैं, लेकिन अगर किसी नलकूप का ट्रान्सफार्मर जल जाता है तो मा0 अध्यक्ष महोदय, उसके लिए मैं सिंचाई मंत्री महोदय, से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट के अंदर प्राविधान करें कि यदि किसी नलकूप का ट्रान्सफार्मर जलता है तो 48 घंटे के अंदर, उसे बदला जाना चाहिए, लेकिन 6-6 महीने नलकूपों की मोटरें जल जाती हैं, मुझे प्रमुख सचिव तक को फोन करना पड़ा, उसके बाद भी कोई असर नहीं होता। 6-6 महीने मोटर नहीं बदली जाती है। सिंचाई का ऐसा संकट है, तमाम ऐसी तुलना करते हैं, किसानों के बड़े समर्थक हैं, बहुत समर्थक हैं आप, पर कैसे मान लिया जाए, अभी बगल के मध्य प्रदेश की चर्चा हो रही थी, अभी आदरणीय विवेक सिंह जी, बुन्देलखण्ड की चर्चा करते हुए, उसकी चर्चा कर रहे थे। क्या कारण है कि मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर 19 प्रतिशत है और हम कहां खड़े हैं? वहां पर किसानों के लिए ईमानदारी के साथ प्रयास किया जाता है, मैं आपके माध्यम से, सिंचाई मंत्री महोदय, यहां से उठकर चले गए हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि जरा कुछ मध्य प्रदेश की सरकार से शिक्षा लीजिए। वह पहाड़ों पर, पत्थरों पर बसा हुआ प्रदेश है, अगर वहां की कृषि विकास दर 19 प्रतिशत हो सकती है तो मेरा उत्तर प्रदेश पीछे क्यों है, इसको भी बराबरी पर लाने का प्रयास करिए। मा0 अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर जो नहरें हैं, उन नहरों के अंदर रोस्टर के अनुसार भी पानी नहीं पहुंच पाता। राम गंगा कैनाल, करारी माइनर की नहरें हैं, यहां मैं देख रहा हूं, दीर्घा में अधिकारी लोग बैठे हैं, वह जानते होंगे मुझको देखकर, मैं कम-से-कम 25 बार....

श्री अध्यक्ष-

दीर्घा का संज्ञान नहीं लिया जाता, सदन में।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कितनी सुनवाई होती है, किसानों के हित की समस्या को ले करके जब कोई विधायक अधिकारियों से मिलने को जाता है, हमें उसका परिणाम नहीं मिलता। हम किसलिए जाते हैं, हम अपने लिए नहीं जाते, हम जनता के लिए जाते हैं, किसान के लिए जाते हैं, कृषि के विकास के लिए जाते हैं। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कह कर मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो ब्लॉक हैं, कड़ा और सिराथू और दोनों ब्लॉकों को डार्क जोन घोषित कर दिया गया। मा0 अध्यक्ष महोदय, डार्क जोन एकदम फांसी पर चढ़ा देने का काम होता है, पूरा ब्लॉक डार्क जोन में नहीं है, कोई सरकारी नलकूप लग नहीं सकते। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से आज यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि यह डार्क जोन घोषित करने की जो व्यवस्था है, पूरे ब्लॉक को फांसी पर मत चढ़ाइये, अगर गांव के अनुसार डार्क जोन घोषित करने की बात है, तो ग्राम सभा स्तर पर उसका सर्वे करा करके गांव को घोषित करिए। नलकूपों के लिए नए कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, जिनकी बोरिंग होनी थी, उनकी बोरिंग नहीं हो रही, हजारों बीघे फसल, जमीन बर्बाद पड़ी है। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकता हूं लेकिन क्योंकि मैं किसान परिवार से जुड़ा हूं, किसान की समस्या जानता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानी अगर नहीं मिलेगा, अमरूद की मैंने कई बार चर्चा की है, मेरे क्षेत्र में जो अमरूद होता है, शायद वह पूरे भारत में कहीं नहीं होता है, इलाहाबादी अमरूद के नाम से जो जाना जाता है, वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में होता है। सिंचाई व्यवस्था उस क्षेत्र की देखिए 4 नलकूप 2 साल से खराब पड़े हुए हैं, निजी नलकूपों के लिए लोगों ने बोरिंग करा ली 2 साल पहले, लेकिन कनेक्शन नहीं मिले हैं। यह सिंचाई विभाग का बजट है, ऊर्जा का नहीं है, लेकिन जुड़ा सब सिंचाई से है, अभी श्री तेजपाल सिंह जी ने अपने कटौती प्रस्ताव में यह बात रखी थी, मैं उस पर बल देते हुए कहना चाहता हूं, अगर आप मुफ्त सिंचाई देने की व्यवस्था किए हैं, तो निजी नलकूप धारक किसानों को भी निःशुल्क बिजली दे करके मुफ्त सिंचाई की सुविधा प्रदान करें। मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

*पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति सिंह वर्मा)-

मान्यवर, आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर जो माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, पांच साल यहां पर लगातार बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही और सबने उनके कामों को देखा। मान्यवर, मैं शाहजहाँपुर से चुनकर आता हूँ। मेरे जिले में चार नदियां निकलती हैं। हमारे यहां गंगा नदी है और रामगंगा नदी है। इनमें बहुत ज्यादा सैलाब आता है। मान्यवर, सबसे पहले जब सरकार माननीय नेता जी के नेतृत्व में बनी थी उस समय मैं जीतकर, मैं विधान सभा में आया था। मेरी मांग पर एक बंधा बुद्धिनगल से ढाईघाट तक का बनाया गया था। उस बन्धे के बनने से 80 राजस्व ग्रामों का विकास हुआ। जो सैलाब में हाहाकार मचता है वह सैलाब से मुक्ति मिली। वहां के लोगों में खुशहाली बढ़ी,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पक्के मकान लोगों ने बनाने का काम किया। लेकिन उस बंधे की मरम्मत के नाम पर पिछली सरकार में कई बार बजट गया। मैं यह भी मांग करता हूं कि उस पर जितना धन रिलीज हुआ है उस बंधे के नाम पर उसकी जांच करायी जाय क्योंकि वह बंधा पहले ही बन चुका था। मान्यवर, मेरे यहां गर्रा नदी है, जो पीलीभीत से आती है। फिर वह शाहजहाँपुर, हरदोई तक जाती है। पिछले पांच सालों में तीन बार वहां पर बाढ़ की स्थिति पैदा हुई। पीलीभीत शहर में भी पानी घुस गया था। मान्यवर, पिछली सरकार में उसको रोकने का काम बिल्कुल नहीं किया गया। इतना ही नहीं मान्यवर, उस बाढ़ की तबाही से शाहजहाँपुर, पीलीभीत, हरदोई के जो भी गांव प्रभावित हुए, फसलों का नुक्सान हुआ, तमाम लोग बर्बाद हुए लेकिन जो सरकार से उसमें पैसा गया वह लोगों को नहीं मिल पाया। आप उसकी जांच करा लें। किसी को भी मकान के लिए पैसा नहीं मिला न फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए पैसा मिला और न ही उस नदी के किनारे पर रहने वाले लोगों को कटान के नाम पर कोई राहत-राशि मिली। मान्यवर, इसी तरीके से मैं यह कहना चाहता हूं कि जब माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे, तो वह बांध बनवाने का काम कोलाघाट में किया गया था। मान्यवर मेरे जनपद में रामगंगा नदी पर लगातार आठ-दस वर्षों के संघर्ष के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पुल 1860 मीटर का वह बनाया गया था। मान्यवर, उस पुल पर टोटल पैसा स्वीकृत हो गया था। फिर दूसरी सरकार आ गयी उस पर गाइडबन्द जो बनना है जिससे कि कटान न हो वह नहीं बन सका है। मेरी मांग है कि वह गाइडबन्द बनाया जाय। मान्यवर, वहां गाइडबन्द बनना बहुत आवश्यक है इसकी व्यवस्था बजट में करायी जाय। मान्यवर, मैं ददौल विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ। वहां गंगा नदी है। मान्यवर वहां अजीजगंज से भरगवां रोड पूर्णतयः कट गया है। वहां पन्द्रह गांव पड़ते हैं। मान्यवर, वहां 2008-2009 में आई बाढ़ में कई गांव कट गये। वहां पचास राजस्व गांवों को जाने वाली सड़के हैं वह भी कट गयी हैं। मैने माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया है कि कृपया इस कार्य को कराने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। धनौरा, सोनी, रुद्रपुर, राईखेड़ा, भरीगमा, गुरा, बमौली यह प्रभावित हैं। इस पर प्रस्ताव तैयार है और शासन की स्वीकृति होनी हैं। इस पर सरकार द्वारा कृपा की जाय। मान्यवर, रुद्रपुर गांव के पास बांध बन जाने से पचास राजस्व गांवों को फायदा होगा। मान्यवर, जब हमारी पार्टी और सरकार की नीति और नीयत साफ है तो ऊपर वाला भी साथ दे रहा है। मान्यवर जबसे सरकार बनी है तबसे कुदरत भी साथ दे रही है। चार बार बारिस हो चुकी है उसका पानी गिरा है उससे गेंहूं और आलू की फसल को हमारे यहां फायदा हुआ है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी मांगों पर माननीय सिंचाई मंत्री जी कृपा पूर्वक स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।

*श्री राकेश बाबू-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विधान सभा क्षेत्र में लारकी, फिरोजाबाद और टूण्डला 3 ब्लाक आते हैं जोकि डार्क एरिया घोषित हैं जिसके कारण नये नलकूपों की बोरिंग पर रोक लगी हुई है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किसानों की सिंचाई के लिए एक फिरोजाबाद डिवीजन है सिंचाई विभाग का उसके अन्तर्गत सकरौली रजबहा आता है। सकरौली रजबहा में काफी समय से पानी नहीं छोड़ा गया है और उस रजबहा के आसपास जितने भी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गांव हैं उसमें खारा पानी है, मीठा पानी नहीं है। तो मैं सरकार का आपके माध्यम से ध्यान दिलाता हूं कि किसानों के हित में सकरौली रजबहा में पानी छोड़ा जाय। मान्यवर, इसी तरह से एक लारकी माइनर है यह भी फिरोजाबाद डिवीजन के अन्तर्गत आती है यह भी काफी समय से बन्द पड़ी है हलांकि सरकार ने इसको चालू करने के लिए अभी पैसा दिया है लेकिन उसकी काम की गति, थोड़ी धीमी गति से काम चल रहा है तो इसमें तेजी लाने का काम करें ताकि किसानों को आगे समय से पानी मिल सके। इसी तरह से मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हमारी विधान सभा में कायका और एकरा रजबहा की ओर दिलाना चाहता हूं इसमें काफी समय से पानी न छोड़ने के कारण वहां के किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान फिरोजाबाद रजबहा की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे जनपद में फिरोजाबाद रजबहा के माध्यम से तीनों ब्लाकों में टूण्डला, लारकी और फिरोजाबाद के ब्लाकों के गांवों में जिससे सिंचाई हुआ करती थी लेकिन मान्यवर, पिछले काफी समय से इस रजबहा में काफी हद तक पानी न छोड़ने के कारण टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है इसलिए सरकार ने पिछली बार इस रजबहा को टेल तक पानी देने के लिए एक समानान्तर हाथरस नहर बनाने का काम किया था वह काम आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान दिलाते हुए कहना चाहता हूं कि इस समानान्तर हाथरस नहर का जल्दी से कार्य पूरा कराने का काम करें जिससे हमारे क्षेत्र के किसानों को टेल तक पानी पहुंच सकें। मान्यवर, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बार-बार जो हमारे सरकारी पक्ष के विधायक हैं, हमारी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने बजट का सारा का सारा धन पार्कों में लगा दिया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे लिये महापुरुष हैं जिनकी वजह से आज हम सम्मान पा रहे हैं। पहले हम कीड़े-मकोड़े की जिन्दगी जीते थे आज हम सम्मान की जिन्दगी जीते हैं। सबसे पहले हमारे लिए महापुरुष है चाहें हमारी सरकार जितनी बार जाये सरकार की चिन्ता नहीं है, महापुरूषों के सम्मान के लिए हम बराबर काम करते रहेंगे। इसी तरह से बार-बार हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक जो बुन्देलखण्ड के थे बोल रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मंत्री ने काफी घपला किया, अधिकारियों ने घपला किया। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के विधायकों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार केन्द्र में हैं। मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से हमें रोजाना घपलों की सूचना मिलती रहती है आज पूरा देश इस बात से त्रस्त है कि कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा केन्द्र में सरकार रहने के बाद, प्रदेश में सरकार रहने के बाद आज काफी समय से हमारे लोगों को जो तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा यह कांग्रेस की देन है साथियों। यह कांग्रेस के विधायक सत्ता पक्ष के विधायक के साथ-साथ यह हम पर आरोप लगाते रहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने बहुत भ्रष्टाचार किया। आपके भ्रष्टाचार की खबर मीडिया के माध्यम से हम लोग और जनता सुनती रहती है। तो मैं इन्हीं विचारों के साथ-साथ आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

*श्री मोहम्मद रमजान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने सिंचाई विभाग के बजट पर समर्थन में बोलने का मौका दिया। मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही जनहित में है, किसान हित में है। हमारी सरकार की यह सोच है कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसानों के खेतों में पानी हर जगह पहुंचे और जब किसान के खेतों में पानी जायेगा, किसान पैदावार ज्यादा करेगा, तो खेतों में फसल लहलहायेगी और जब खेतों में फसल लहलहायेगी तो हमारा किसान खुश होगा और जब किसान खुश होगा तो प्रदेश खुश होगा और जब प्रदेश खुश होगा तो हमारा भारत देश खुशहाल होगा। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ हमारे क्षेत्र की समस्या है। सन् 2006-07 में जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय नेताजी मुख्य मंत्री थे। हमारा विधान सभा क्षेत्र भिनगा और इकौना, जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी से घिरा हुआ है और पहाड़ी नाला के किनारे होने के नाते, नेपाल बार्डर पर होने के नाते यह भी बहुत बहता है। पहाड़ी नाला होने के कारण वहां एक कैन नाला है। एक बार नेताजी ने भाषण दिया था कि जब नदियां पट जाती हैं, नाले पट जाते हैं तभी बाढ़ आती है। बाढ़ से इतना पीड़ित था हमारा क्षेत्र, कि हजारों हजार एकड़ जमीन बरबाद हो जाती थी, किसान बरबाद हो जाता था । उस वक्त हम एम0एल0सी थे, माननीय नेताजी से हमने निवेदन किया, उन्होंने कैन नाला के लिये प्रोजेक्ट दिया और कैन नाला की गहराई और चौड़ाई बढ़ाने के लिये परियोजना बनाई और 7 करोड़ रुपयो बजट एलाऊ कर दिया । यह 2006-07 की बात है, उसी बीच चुनाव आ गया और 2007 में इनकी सरकार बनी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं सच कह रहा हूं कि पूरा 7 करोड़ यह बसपा के ठेकेदार खा गये, टेण्डर हो गया था, न गहराई बढ़ी, न नाले की चौड़ाई बढ़ी। जे0सी0बी0 कहीं-कहीं लगाकर के सिर्फ जरा सा उसको खोद-खोद कर मिट्टी डाल दी, जबकि हमारी योजना थी कि जब बराबर नहर के किनारे मिट्टी डाली जायेगी और उसके ऊपर 21 किमी0 तक सोलिंग लगा दी जायेगी तो हमारा श्रावस्ती एकदम बलरामपुर के किनारे पहुंच जायेगा और बलरामपुर में राप्ती नदी में ही यह नाला मिलने वाला था, लेकिन सारा पैसा यह बसपा के ठेकेदार खा गये फिर हमने शिकायत की इसकी जांच कराई, 14 किमी0 पैदल चलकर जांच कराई, लेकिन उससे कोई फायदा नही हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी आपसे अनुरोध करता हूं कि इस योजना को फिर से चालू करा दें ताकि हमारे क्षेत्र में बाढ़ न आये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

कुंवर कौशल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान पूर्वांचल की गंडक नहर प्रणाली की तरफ ले जाना चाहेंगे । देश की आजादी के बाद पूर्वांचल की सबसे बड़ी गंडक नहर प्रणाली का निर्माण पं0 जवाहर लाल नेहरू जी के द्वारा कराया गया था और आज मैं सिंचाई मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि जिन्होंने महाराजगंज जिले को अपने ध्यान में रखा और उन्होंने अपने बजट भाषण में पढ़ा कि यहीं पर नेपाल से निकलने वाली डांडा नहर प्रणाली और रोहिन नहर प्रणाली जो आठ साल से जीर्णशीर्ण पड़ी हुयी है और जिसका शिलान्यास विगत तत्कालीन मुख्य मंत्री आदरणीय नेता मुलायम सिंह जी ने किया था, जो काम जहां का तहां पड़ा है, अभी पिछली सरकार में रोहिन नहर प्रणाली पर काम किया गया, खंभे खड़े किये गये और खंभे अपने आप झुक गये और आज तक उसकी जांच नहीं हुयी और 35 लाख रुपयो निकाल लिया गया। जहां तक अभी बात हुयी कि धरतीपुत्र मुलायम सिंह जी की, तो निश्चित तौर से सिंचाई का काम धरतीपुत्र का संतान ही कर सकता है। जहां एक तरफ इसी उत्तर प्रदेश में खेत को खोदकर लोग ढेले और पत्थर निकालकर फेंकने का काम करते हैं। विगत सरकारों ने उन पत्थरों को यहां पर लगाने का काम किया। और इसी जगह से संबोधन हुआ कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत में एक दरोगा की लड़की के साथ

बलात्कार हुआ कोई भी शरीफ व्यक्ति उस पार्क में जाकर घूम नहीं सकता है ऐसे पार्कों का निर्माण हुआ उससे निकलने वाले जो लोग हैं तो आप देखेंगे कि यह जो दुराचार की भावना पड़ी है इसका निर्माण वहां से हुआ है। अध्यक्ष महोदय इसके बाद एक चीज और कहना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष-

आप क्षेत्र की समस्या के बारे में तो कुछ कहें।

कुंवर कौशल सिंह-

मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय आजम खां साहब को और इस प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव जी को जो देवरिया में जाकर उस बेवा के साथ जो उन्होंने न्यायसंगत कार्यवाही की आज एक पार्टी के लोग उसको टिकट देकर उसका पैसा भी लूटना चाहते हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा आप से इतना कहना चाहूंगा कि हमारी नहर प्रणाली को सुदृढ़ करने का काम करें। और जो रोहिन की नदी है उसका बंधा बरसात के दिनों में टूटने के कगार पर है इसको भी ध्यान में रखें। बाढ़ आने से क्षेत्र को रोकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री रामपाल यादव-

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया मैं आपका बहुत आभारी हूं। अध्यक्ष जी आप स्वयं जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार बनी हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे सिंचाई मंत्री जी ने अगर कहीं पहला दौरा किया तो वह दौरा शारदा नगर का था जहां से नहर और नदियों का मिलान होता है। वहीं पर जाकर सबसे पहले बाढ़ पीड़ितों का हाल और सिंचाई के लिए नहरों को निरीक्षण करने का काम माननीय सिंचाई मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया। अध्यक्ष जी उसी के साथ जो सरकार ने वायदा किया था कि नहर से टेल तक रजबहों तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे तो माननीय सिंचाई मंत्री जी ने बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति से नहरों की सफाई कराने का काम किया है। जो लखीमपुर से प्रारम्भ होकर बाराबंकी तक आ गया है। माननीय मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जितने भी रजबहे थे चूंकि मेरा क्षेत्र दोनों नहरों और नदियों के बीच से होकर गुजरता है इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि माननीय सिंचाई मंत्री जी ने बड़ी ही उदारता से मेरे लखीमपुर से शुरू करके बाराबंकी तक नहर और ड्रेन की सफाई करवाने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी चूंकि कार्य पूरी गुणवत्ता से हुआ है कार्य में कहीं लापरवाही नहीं हुई है लेकिन माननीय अध्यक्ष जी मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं अभी भी ऊपर के अधिकारी माननीय मंत्री जी से पूरी तरह से डरते हैं लेकिन इंजीनियर और ठेकेदार पर हमें अभी धौंस बनाने की जरूरत है। मैंने कई बार स्थानीय मीटिंग में कहा जो नहर की सफाई करके नहरों के किनारे मिट्टी डालने का काम किया था मैंने कई बार वहां कहा लेकिन नहीं हुआ लेकिन जब मैंनें माननीय मंत्री जी से कहा तो थोड़ा बहुत पिचिंग का कार्य हुआ है। एक सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं जनपद सीतापुर में बहुत से सिंचाई विभाग के सरकारी आवास खाली पड़े हैं मेरी विधान सभा में कम से कम 10 सरकारी आवास खाली पड़े हैं। नहरों के किनारे भी सरकारी आवास बने हुए हैं बड़ी बड़ी कोठियां बनी हुई हैं एकड़ों में जमीन है मैं चाहता हूं कि उन कोठियों को या तो एलाट

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर दिया जाय या नीलाम कर दिया जाय जिससे राजस्व की प्राप्ति होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री गजेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से छोटी काशी अनूप शहर जहां पर गंगा हरिद्वार के बाद बीच शहर से होकर गुजरती है, जहां बरसात में गंगा के किनारे बसे हुए आहार, सिरौरा, मोहम्मदपुर, कल्यानपुर, हसनपुर, पच्चीखेड़ा, शेरपुर, फतेहपुर रूढ़ इन गांवों में कटान करके अन्दर किसानों के घरों में पानी भर जाता है मान्यवर, फसल तो नष्ट हो ही जाती है उनके पूरे के पूरे गांव जलमग्न हो जाते हैं। पिछली बार तो आहार में किसान फंस गये जिन्हें बहुत बड़ी नाव भेजकर निकलवाना पड़ा। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि जो गंगा के किनारे के गॉव हैं उनमें काफी पिचिंग का कार्य हो गया था इन सारे गांवों में पिचिंग का कार्य कराया जाए, बन्धे बनवाये जाएं और जो अनूप शहर जो छोटी काशी के नाम से जाना जाता है जो पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है वहां पर कुछ घाट और बनाने की आवश्यकता है, वहां पर पिचिंग की आवश्यकता है वहां नये पुल से लेकर बस्तरां तक बीच-बीच में जहां पिचिंग रह गई है, वहां पर पिचिंग करा दी जाए। मान्यवर, अगौता ब्लॉक का एक गांव खेड़ी पड़ता है मैंने पिछली बार नियम-56 में इसे उठाया था वहां 3 हजार बीघे जमीन बरसात में पानी से जलमग्न हो जाती है, पूरे वर्ष उस जमीन पर पानी भरा रहता है। यहां से सरकार के निर्देश गये थे और उसका आगणन बन करके आ गया है जो कि मात्र 36 लाख रुपए का है और 7 सौ मीटर नाला पक्का होना है अगर वह पक्का नाला बन जायेगा तो उस गांव की 4 हजार बीघे जमीन जो जलमग्न हो जाती है वह बच जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ मेरा खुद का गांव है जहां बरसात में पानी भर जाता है वहां सिर्फ पोखर की सफाई होनी है, मैं चाहूंगा कि सरकार इन कामों को करा दे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें, यही बातें आपने पिछले सिंचाई के बजट पर कही थीं, मुझे याद है।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे सिंचाई विभाग पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं तहेदिल से आभार व्यक्त करती हूं। यदि सरकार अच्छा काम करती है तो उसे शाबासी देने का काम भी हमें करना चाहिए। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद् देना चाहती हूं कि मैंने पिछले बजट सत्र में हुसैनपुर रजबाहे की खुदाई के लिए आपसे निवेदन किया था और कहा कि सैकड़ों बीघे जमीन जलमग्न है, इस पर आप कार्रवाई करें और आपने उस पर तुरन्त ऐक्शन लिया और खुदाई की। वहां पर साइफन की और समस्या रह गई है, उसका भी समाधान आप करा देंगे इसकी मैं आशा करती हूं। माननीय मंत्री जी आपसे हमें बहुत उम्मीद जगी है कि आप हमारी जो समस्याएं हैं जिनका पिछले बीस सालों से समाधान नहीं हो पा रहा था, आप उनका समाधान करायेंगे। मेरी विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद से एक नाला निकलता है जो कई गांवों से होकर करवन नदी में मिलता है। जहां से नाला निकलता है उसके आसपास किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन है जो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नाले की खुदाई न होने के कारण जलमग्न हो जाती है। इसका लगभग 5 सौ मीटर भाग नगरपालिका सीमा में और शेष भाग खण्ड गंगा नहर बुलन्दशहर में पड़ता है। इसके शुरू के एक किलोमीटर में पक्का तथा शेष लगभग 4 किलोमीटर खुदाई की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करती हूं माननीय मंत्री जी से कि इस पर ध्यान देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, सिकन्दराबाद क्षेत्र से निजामपुर ड्रेन निकलता है जो निजामपुर, सराय दूल्हा आदि गांवों से होकर करवन नदी में मिलता है, इसकी खुदाई न होने के कारण फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी सराय दूल्हा तथा बौडा के बीच किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन में फैल गया है इससे उनकी फसल नष्ट हो गयी, इसकी तुरन्त खुदाई की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से उम्मीद करती हूं कि इसमें शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई करेंगें। हसनपुर रजबहा जो मांट ब्रांच से निकलता है इसकी खुदाई की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

बडौदा रजवाहे की बडौदा गांव के पास इसके तने का लेबिल ठीक न होने के कारण टेल तक पानी नहीं पहुंचता है। माननीय मंत्री जी इन समस्याओं पर ध्यान देंगे। मा0 मंत्री जी, एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं इस सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार बहुत है, यह ठीक है कि पिछली सरकार भी इसमें शामिल रही, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि आप इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगायेंगे। माननीय मंत्री जी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि जब वक्र-आर्डर दिए जांए तो उसका प्रचार-प्रसार होना चाहिए। दूसरे, जब वहां काम शुरू किया जाए तो वहां पर जो जनप्रतिनिधि है चाहे प्रधान हों, चाहे बी0डी0सी0 हों उनको बुलवाकर भौतिक सत्यापन करवाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

अध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन और करना चाहती हूं कि शिल्ट और मिट्टी को निकाल करके नहरों के किनारे डाल दिया जाता है और बारिश ज्यादा होने के कारण वह उसमें फिर से चली जाती है, तो उसको किनारों से हटाकर डाला जाए तो कम से कम जो आपने खुदाई की है उसका ज्यादा प्रभाव रहेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्रीमती रूबी प्रसाद द्वारा सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने के लिए समय देने का आग्रह करने पर)

श्री अध्यक्ष-

रूबी प्रसाद जी, सोनभद्र में पत्थर, सूखा और निर्माण पर बोलो, बाढ़ और सिंचाई पर वहां कम है। अभी आप बैठिये। रोज तो बोलती हो। जो नहीं बोले हैं उनको मौका दे रहा हूं।

श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सिंचाई के बजट पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि अगर कोई सबसे ज्यादा बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित है तो मेरा क्षेत्र सेवता विधान सभा है। तहसील महमूदाबाद, बिसवां और लहरपुर ये शारदा

और घाघरा, कुआंनो और सरयू तथा चौका नदी के मध्य हमारा पूरा क्षेत्र बसा हुआ है और प्रतिवर्ष यह बाढ़ से प्रभावित रहता है। बाढ़ से प्रभावित तो रहता ही है उससे ज्यादा यह कटान से प्रभावित रहता है। मैं सबसे पहले मा0 शिवपाल सिंह जी सिंचाई मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मैं 17 साल से इस सम्मानित सदन में लगातार चुनकर आता रहा हूं, सरकारें आयी हैं और गई हैं, दूसरी सरकारें भी रही हैं। सामने बैठे हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोगों की भी सरकारें थी। मैं मांग करता रहा पांच साल तक निरन्तर चिल्लाता रहा, धरना देता रहा, प्रदर्शन करता रहा लेकिन एक रुपये का काम कहीं भी बाढ़ और कटान के लिए नहीं किया गया। अबकी बार समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही सबसे पहले असईपुर और मल्लापुर, काशीपुर और खमरिहा और शेखुपुर गांव को बचाने के लिए प्राथमिक तौर पर जैसे ही कटान जारी हुआ था, जुलाई महीने में मा0 शिवपाल सिंह जी ने 90 लाख रुपये दिये जिससे कि फौरी तौर पर उन गांवों को कटान से बचाया गया। मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं और इधर मैंने फिर मा0 शिवपाल सिंह जी से और मा0 मुख्य मंत्री जी से भेंट की, माननीय मुख्य मंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी ने अधिकारियों को बुलाकर उनसे योजना बनाने के लिए कहा। मैं एक बार फिर बधाई देना चाहता हूं कि साढ़े तीन करोड़ रुपये फिर स्वीकृत किए हैं उन गांवों को कटान से बचाने के लिए। जो आबादी कट जाती है, कहीं गांव कट जाते जिनके लिए पैसा दिया गया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सेवता विधान सभा क्षेत्र का जो आधा क्षेत्रफल है वह पूरे का पूरा बाढ़ से और कटान से तबाह हो जाता है। मैं आभारी हूं मा0 सिंचाई मंत्री जी का कि आज तक मैं चिल्लाता रहा, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी लेकिन इन्होंने कभी सुनने का काम नहीं किया। मैं इस बात के लिए सरकार को अपनी तरफ से बधाई दे रहा हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री अनीसुर्ररहमान-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे सिंचाई विभाग की बजट चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मान्यवर, मैं ज्यादा वक्त खराब नहीं करूंगा। हमारे सिंचाई मंत्री जी हमारे जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं जब आप जिला योजना की बैठक में मुरादाबाद तशरीफ लाए थे हमारे क्षेत्र के ग्राम महमूद कलपी गोपालपुर में रामगंगा नदी पर बिल्डिंग बनवाने हेतु माननीय मंत्री जी ने उसी वक्त बाढ़ के ई0एक्सीएन राजेश यादव को बुलाकर आदेश दिया था कि इसका इस्टीमेट बना लिया जाय। वह इस्टीमेट बनकर तैयार हो गया और यहां आ भी गया। मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं उन दोनों गांवों का लगातार 10 सालों से कटान हो रहा है लोग बहुत परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं जब पानी आता है तो वहां कटाव होता है, बचाव का कोई रास्ता नहीं मिलात। वहां पर पिचिंग बनवाने की कृपा करें। आपके माध्यम से एक अनुरोध और करना चाहता हूं एक उमरी रजवाहा है जो फोलिडा पट्टी तक जाता है और फोलिडा पट्टी में जहां खत्म होता है वहां से पानी नदी में पहुंचता है। 500 मीटर बीच का रास्ता है वहां कैनाल वालों ने कच्चा नाला खोद दिया है और कच्चे नाले से पूरा रास्ता और पूरी जमीन खराब हो गई है। अगर उस पर पक्का नाला बना दिया जाय तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया लेकिन आपकी इतनी ही सरपरस्ती हमें बहुत है। इसके लिये आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

बहुत समय हो गया है। 5 बजे गन्ने का बजट है। दो मिनट बुलवा लेते हैं आप लोग दो-दो मिनट में अपनी बात कह लें।

*श्री भगवती प्रसाद-

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया। मान्यवर, इसके साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खैर में मध्य गंगा नहर की मांट ब्रांच है जिसकी सफाई की गई है उसके किनारे बनी हुई सड़क पर उसकी मिट्टी डाल दी गई है जिससे आवागमन की असुविधा हो गई है। मैं चाहूंगा कि उस मिट्टी को वहां से साइड में हटवाया जाय। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में यमुना नदी हरियाणा सीमा पर बहती है जिसका कटान उत्तर प्रदेश की तरफ बराबर बढ़ता जा रहा है। हरियाणा की तरफ जो पत्थरों की ठोकर लगी हुई है उसकी तरह मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश की सीमा की तरफ भी पत्थरों की ठोकर लगाई जाय जिससे जो दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं उन्हें रोका जाय। माननीय सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं मैं उनसे बार-बार निवेदन करता हूं कल भी मैंने लिखकर दिया है कि इसके सम्बन्ध में कि अगर वहां के पत्थरों की ठोकर लगा दी जाय तो उससे वहां गांवों का कटान रुक जायेगा।

श्री हेमराज वर्मा-

मान्यवर, आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस बार हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा सिंचाई विभाग ने जिस तरह से हमारे जनपद में नहरों की सफाई का कार्य किया है, पहले इस तरह का काम कभी नहीं हुआ है। जब से नहरें बनी हैं तब से लेकर अब तक किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया जैसा इस बार हुआ है। नहरों की सफाई के साथ-साथ नहरों से निकली हुई सिल्ट से नहरों के किनारे की सड़कें भी रिपेयर हो गई हैं। इस तरह से एक साथ दो-दो काम हो गये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, मेरे क्षेत्र में नानकसागर से निकलकर देहवा नदी निकलती है और वह मेरे क्षेत्र के किनारे बहुत सारे गांवों को काट देती है। इस बार भी बहुत सारे गांव प्रभावित हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में ड्यूनी डैम से लेकर शेखापुर गांव तक जो गांव है उनको बाढ़ से बचाने के लिये एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर उस पर काम किया जाय निश्चित ही वह गांव जब कोई ऐसी कार्ययोजना बनेगी तो वह गांव बाढ़े के प्रभाव से बचाये जा सकेंगे। माननीय मंत्री जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे जनपद में नहर विभाग की बहुत सारी परिसम्पत्तियां हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन है, उन पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, आये दिन लोग उनको क्षति पहुंचाते रहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की जो सिंचाई विभाग की परिसम्पपत्तियां हैं उनके रख-रखाव और देख-रेख के लिये उचित व्यवस्था की जाय ताकि उन परिसम्पत्तियों को नुकसान न पहुंचे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री हेमराज वर्मा-

आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष-

देखिये जो सदस्य न बोल पाये हों वह लिखकर दे दें।

जो मा0 सदस्य न बोल पाए हों वह लिखकर दे दें। मैं सब प्रोसीडिंग में जुड़वा दूंगा प्रोसीडिंग का अंग बन जाएगा।

एक मा0 सदस्य-

यहां बोलने की बात अलग है मंत्री जी सुन लेते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है तो मैं सारी कापियां सिंचाई मंत्री जी को भिजवा दूंगा। बजाय जोड़ने के, वह सब कापी सिंचाई मंत्री जी के पास भिजवा दूंगा अफसरों के पास चली जाएंगी। लिखकर दे दें।

*श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी द्वारा जो बजट आज प्रस्तुत किया गया है उसमें प्रतिपक्ष द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसके समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपको धन्यवाद् कि आपने बोलने का अवसर दिया। मैं सिंचाई मंत्री जी का बड़े ध्यान से उद्बोधन सुन रहा था बजट पर। जब माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था तो पूर्वांचल की उपेक्षा साफ दिखाई दे रही थी और हमें यह उम्मीद थी कि सिंचाई मंत्री जी जब बजट अपने विभाग का रखेंगे । पूरा पूर्वांचल बाढ़ की तबाही से ग्रस्त है।..

(कई मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग लिखकर दे दो। जल्दी खत्म करें।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मैं इस उम्मीद में था कि पूरा पूर्वांचल जो नेपाल से पानी आता है पूरा का पूरा तबाह रहता है उसका कुछ खास ख्याल इस बजट में रखा जाएगा। मैं धन्यवाद् देना चाहूंगा कि आप मंत्री पद संभालने के बाद,मंत्री पद संभालने के बाद आप पूर्वाचल का दौरा किए थे हमने इस बात का जिक्र किया था कोठा से लेकर पूर्वांचल का जो सबसे बड़ा बंधा है, जो 45 किलोमीटर लम्बा है..

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मान्यवर, एक मिनट का समय दे दें।

श्री राजेश त्रिपाठी-

कोठा से लेकर रकहट होते हुए जो है उसका निरीक्षण होना चाहिए मगर आपको समय नहीं मिला। मैं कहना यह चाहता था कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी योजना जो 40 वर्ष पहले से अपेक्षित है कि इसमें कार्यवाही हो, जो जलकुंडी योजना की बात चली थी, मा0 अध्यक्ष जी आपके द्वारा भी इस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परियोजना के बारे में बार-बार उठाया गया था। भारत सरकार को तमाम पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिखे जा रहे हैं।हमें यह उम्मीद थी कि जलकुंडी परियोजना में, जब आपके द्वारा समर्थन किया जा रहा है,तो कोई बात कही जाएगी। (शोर)

श्री अध्यक्ष-

अब खत्म करें ।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

एक मिनट बोलने का समय दे दें।

श्री राजेश त्रिपाठी-

गलत बात है। यह क्या तरीका हुआ बोलने दीजिए। मान्यवर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कोठा से लेकर रकहट तक, आपने कहा था कि मैं इसका संज्ञान लूंगा जो आपने धन मरम्मत के लिए दिया था कोई मरम्मत नहीं हुई है पूरा पैसा अधिकारी डकार डाले।

श्री अध्यक्ष-

खत्म करें।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मैं फिर लिखकर दूंगा। मान्यवर, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक सरजू नहर परियोजना आपने शुरू कराई है धन दिया है। वाराह नगर पम्प कैनाल जो खतरे में है आपको पत्र भी लिखा गया है। इसको बचाया नहीं गया तो सब बेकार हो जाएगा..

श्री अध्यक्ष-

खत्म करें।

(कई मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग लिखकर दे दें। मेरी जिम्मेदारी है। अरे रुबी कल तो आपका भाषण हुआ था। लिखकर दे दो।

(शोर)

(श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया तथा श्री राजेश त्रिपाठी एक साथ बोलने का प्रयास कर रहे थे)

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं एक बात कह कर अपनी बात खत्म करूंगा। हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन को सरयू नदी काट चुकी है और जो ऐतिहासिक राम-जानकी मार्ग है, उस उपजाऊ जमीन को बचाने के लिए जहां पर बंधे बनाये जाने की आवश्यकता है, वहां बंधे बनाये जायें और उस ऐतिहासिक सड़क को बचाने का भी काम किया जाए।

(श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया तथा श्री राजेश त्रिपाठी एक साथ बोलने लगे और कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दिया)

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, जो पंडित राजेश हैं ...

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिए। माननीय तेजपाल सिंह जी, आप शुरू करें, इन लोगों की लड़ाई जारी रहे। आप लोग चाहे जितना बोलोगे, लिखा नहीं जायेगा, कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा तो क्या फायदा। आप लोग बैठिए। आप रोज भाषण करते हो, माननीय हुकुम सिंह जी, इनको समझाइये। बतायें, इनको क्या करें?

(श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया तथा श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा एक साथ जोर-जोर से बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिए। कुछ नहीं लिखा जा रहा है। तेजपाल सिंह जी, आप बोलिए।

श्री तेजपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई विभाग के बजट पर मैंनें जो कटौती प्रस्ताव रखा था, मैं उस पर बल दे रहा हूं। मान्यवर, मंत्री जी ने टेलों की बात कही और उन्होंने यह बताया कि हमारे पूरे प्रदेश में 10222 टेल हैं और उन्होंने टेलों को फीड करने की भी बात कही। बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि टेल फीड हों लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब आपने एक उद्देश्य बनाया कि हम टेल फीड करायेंगे तो मान्यवर, इसकी भी व्यवस्था देखिए कि टेल गूल आपके हैं कि नहीं ? अगर टेल गूल नहीं होंगी तो अगर आपने टेल फीड करा दी तो पानी कहां जायेगा? माननीय मंत्री जी, यह समस्या है। टेल गूल किसानों ने जोत ली, टेल गूल खत्म कर दिए हैं। बहुत सी जगहों पर ऐसा हो रहा है जहां टेल गूल खत्म हो चुकी हैं लेकिन टेल फीड हो गयी हैं, वहां पानी खेतों में फैल रहा है और फसलों को बर्बाद कर रहा है तो उसकी भी व्यवस्था इस बजट में कोई नहीं की गयी है। अच्छी बात है, टेल फीड करिए लेकिन टेल गूल होने चाहिए। मान्यवर, इधर के भी और उधर के भी माननीय सदस्यों ने एक चिन्ता व्यक्त की है। माननीय सिंचाई मंत्री जी के आदेश पर विभाग ने अच्छी तरह से रजबहों की खुदाई भी कराई है, बहुत अच्छी बात है लेकिन अल्पिकाओं की सफाई नहीं कराई और विभाग ने एक और दूसरा काम कर दिया है कि वह रजबहों को साफ कराकर मिट्टी के ढेर वहीं पर लगा दिए हैं। इतनी बड़ी परेशानी आई है, जिन पटरियों पर से किसान ट्रैक्टर लेकर निकलते थे, उनको खेत जाने के और कोई रास्ते थे नहीं, उन पटरियों पर मिट्टी के ढेर लगा दिए गए हैं, जिसके कारण खेतों तक जाना मुश्किल हो गया है। तो हम यह भी माननीय मंत्री जी से चाहते हैं कि अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि जिन-जिन रजबहों की सफाई हुई है और पटरियों पर मिट्टी के ढेर लगा दिए गए हैं, उसकी दरेसी कर दें जिससे किसानों का आवागमन सम्भव हो सके, वे अपने ट्रैक्टर निकाल पायें, उनकी बैलगाड़ी निकल जायें।

उसके साथ में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि एक चीज और हुआ करती थी, जौली फ्लोरा। जौली फ्लोरा की कटाई की क्या व्यवस्था है। इसका बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। पटरियों पर जंगल खड़ा है। सही बात यह है कि सफाई हुयी और अगर किसी पुल से कोई निकलेगा तो निगाह जाएगी तो कहेगा कि हां अच्छी सफाई हुयी है लेकिन 2-3 किमी0 आगे जायेंगे तो वहां

आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैंने दौरा किया था। लखीमपुर खीरी और दो-तीन जिलों में गया तो अधिकारियों ने कहा कि सर देखिये बहुत अच्छी सफाई हो रही है तो मैंने कहा कि मैं खुद 4-5 किमी0 तक अंदर गया तो पोल खुल गयी।

श्री अम्बिका चौधरी-

एक अचानक उत्सुकता हुयी यह जोली फ्लोरा क्या है यह हम समझे नहीं। आप अगर बता दें।

श्री तेजपाल सिंह-

जोली फ्लोरा वह है जो नहरों की पटरियों पर खर पतवार खड़ा हो जाता है उसको कहते हैं। आप नहीं समझ पाये होंगे विभाग के अधिकारी इस चीज को जानते हैं। तो मान्यवर, उन पटरियों को अगर एक सा कर दें नहरों की पटरियों से जोली फ्लोरा को साफ कर दें तो आने-जाने की व्यवस्था हो जाये और अल्पिकाओं की सफाई उसी तरह से करा दें। क्योंकि वह खरीफ, रबी में भी नहीं हो पायी। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि जो हमारी सिंचाई विभाग की कोठियां बनी हैं 60-70 के दशक तक हमने भी देखा है, उन पर पड़ताल हुआ करती थी, उन पर सुनवाई हुआ करती थी, उनकी रख-रखाव और देखभाल हुआ करती थी आज वह सब बर्बाद हो गयीं। उनकी जमीनों पर अनधिकृत कब्जे हो रहे हैं। उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मेरी जानकारी में है कि जहां शहरीकरण बढ़ जाने से हमारी नहर, नाले पर अतिक्रमण कर लोगों ने मकान बना लिये हैं उसको खाली कराने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मान्यवर, कोलाबे पर डेम बनाने की बात होती है, कोलाबे पर कमाण्ड बनाने की बात होती है। आपने जो अभी व्यवस्था की है उसमें यह व्यवस्था भी कर दें कि जो कोलाबे उखाड़ लिये गये हैं उनके बारे में भी कोई व्यवस्था करेंगे। मान्यवर, अच्छी चीज के लिए इनको धन्यवाद भी दिया है। हमने यह भी कहा कि इन्होंने अच्छी चीज की जो इन्होंने आपासी को माफ कर दिया। हमने बहुत धन्यवाद दिया। लेकिन उसके साथ एक व्यवस्था और करनी थी कि इस आपासी से संबंधित जो आपके डी0आर0ओ0 के यहां आपके तावांन के केस चल रहे हैं जिन किसानों पर तावांन के केस चल रहे हैं, जिन पर पटरी कटिंग के केस चल रहे हैं जिन पर फर्जी भराई के केस चल रहे हैं। मैंने आपका वह अध्यादेश पढ़ा है जिसमें सिंचाई माफ करने की बात की गयी है। उस अध्यादेश में कहीं भी यह जिक्र नहीं किया गया है कि जिन किसानों पर यह फर्जी केस चल रहे हैं या उन पर और किसी तरह के दूसरे केस डी0आर0ओ0 सुन रहे हैं। उनके संबंध में उस जी0ओ0 में कुछ नहीं कहा गया। वह अधूरा है। तो हम चाहेंगे कि उसकी भी कोई व्यवस्था बना देनी चाहिए। दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि हमारी माननीय सदस्या विरमा जी कह रही थीं कि चौधरी चरण सिंह योजनाओं पर टोकन मनी देने की बात कही। हमें बड़ा अफसोस होता है। चौधरी चरण सिंह जी की योजनायें टोकन मनी के लायक रह गयी हैं। उन पर टोकन मनी दिया जाएगा। अफसोस है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, टोकन मनी से क्या होता है। अगर उनको करने की भावना थी तो उसमें बजट देना चाहिए था।

मान्यवर, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक जिक्र मैंनें किया था आपसे पहले कि जो वृन्दावन का महत्वपूर्ण पुल था, उसके बारे में मैंने कहा कि कट गया है और पूरा रास्ता बन्द हो रहा है, तो उस पर मान्यवर, एक गाईडबन्द बनना बहुत जरूरी है, तो वहां गाईडबन्द की व्यवस्था करवा दी जाय और मान्यवर, आखिर में अपनी बात समाप्त करते हुए एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी पूरे देश ने और प्रदेश ने देखा है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र का एक लड़का शहीद हुआ बार्डर पर हेमराज और खागर में यमुना के किनारे उसका गांव पड़ता है शेरनगर, मैंने मान्यवर, इस बात का जिक्र किया है कि जो यमुना नदी से कटाव हो रहे हैं उस गांवों में तो कम से कम आपके माध्यम से मैं मा0 सिंचाई मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन गांवों के कटान को आप रोकेंगे, उन गांवों को कटान से रोकने की जो आप व्यवस्था कर रहे हैं तो कम से कम उस शहीद के नाम पर, शहीद हेमराज के नाम पर उस शेरनगर गांव की व्यवस्था तो करा दीजिए, जिससे कम से कम उसका कटान रुक जाय। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण है, मा0 मुख्य मंत्री जी वहां हो आये हैं, उसके घर पर और वहां ग्राम में जाकर सब देखा है, तो कम से कम शेरनगर जो शहीद हेमराज का गांव है, उसका ही कटान रोकें, उसके आस-पास के गांवों का कटान रोकें। इसी के साथ मैं पुनः अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंनें पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है, इसलिए सिंचाई का विशेष महत्व है और अभी सिंचाई पर बहुत ही गम्भीरता से विचार हुआ। मा0 सदस्य और पूर्व मंत्री सिंचाई, तेजपाल सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा और बहुत से सत्ता पक्ष के विपक्ष के मा0 सदस्यों ने भी इस पर गम्भीर विचार दिये हैं, लेकिन मा0 पूर्व मंत्री सिंचाई ने यह भी उचित नहीं समझा कि सबको धन्यवाद भी दे दूं, लेकिन मैं सबको जो गम्भीर विचार दिये हैं, उसके लिए मैं सत्ता पक्ष के विपक्ष के सभी मा0 सदस्यों को बधाई देता हूं । वैसे तो इस पूरे बजट में आपने देख भी लिया और सबने सुना भी होगा कि लगभग-लगभग 70 जिलों की इस बजट में व्यवस्था मैंनें दी है। आजादी के बाद 70 जिलों में इतनी व्यवस्था शायद कभी हुई हो, मैंनें तो बहुत बार देखा, पढ़ा, लेकिन मुझे कहीं नहीं देखने को मिला, मैंनें एक साथ 70 जिलों में लगभग व्यवस्था करने का हमने प्रयास किया है और यहां तक कि मैंनें 36 जिले जो बाढ़ की चपेट में आते हैं और जो बुन्देलखण्ड को सूखाग्रस्त बना रखा है, बना दिया गया है और जबकि मैंने तो निरीक्षण किया है, एक साल से लगातार मैंने निरीक्षण किया है, बंधों का भी निरीक्षण किया है, बुन्देलखण्ड का भी मैंनें निरीक्षण किया है, लेकिन मैं दावा कर रहा हूं कि बुन्देलखण्ड में भी पानी की कमी नहीं है, केवल मैनेजमेण्ट की कमी रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पानी की कोई कमी नहीं है, जहां पर प्रकृति तीन महीना इतना पानी देती हो, जो हमारे 36 जिले बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, गंगा मइया पानी देती हैं और यहां तक की ऊपर से बादल भी पानी देते हैं तीन महीना लगातार और फिर हम पानी के लिए तरस रहे हैं। और हम तेजपाल सिंह जी को भी याद दिलाते हैं

कि ये पूर्व सिंचाई मंत्री भी रहे हैं और 2003 से लेकर के 2006 तक पूरा सिंचाई विभाग इन्हीं के हाथों में रहा, पूरा विभाग। आपकी जानकारी में है, आप इस कुर्सी पर उस समय भी थे। पूरा विभाग इन्हीं के पास रहा तो ये केवल आगरा और मथुरा के आसपास ही घूमते रहे जबकि हमारा आगरा और मथुरा से भावनात्मक रिश्ता है। ये जानते हैं बहुत आना जाना भी है। ये जानते हैं, मथुरा में मैंने काम भी किया है और करेंगे भी। पानी का भी प्रबन्ध करेंगे, खारा पानी है मुझे पता है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 माथुर साहब, पूरन प्रकाश जी बोलने दो, आगे गन्ने का बजट है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जो समस्यायें इन्होंने बतायीं, मेरी जानकारी में हैं। मैंने केन्द्रीय सरकार से बातचीत की है। एक बार नहीं, मैंने कई बार बातचीत की है। हरियाणा के पानी के बारे में बात की है। यहां तक कि मैंने तो प्रधानमंत्री जी की बैठक में भी यह बात उठायी थी, मैंने बात उठायी। जल संसाधन मंत्री की जानकारी में है। मैंने सफलता भी प्राप्त की है ऐसा नहीं है कि सफलता प्राप्त नहीं की है। मैं यहां पर कहना चाहता हूं सिंचाई के बारे में। हमारे जो महान नेता थे मा0 स्व0 डा0 राम मनोहर लोहिया, उन्होंने भी लोकसभा में कहा था कि एकाग्र शक्ति का प्रयत्न होना चाहिये सिंचाई में। वे अर्थशास्त्री थे, चिन्तक थे, चौधरी साहब भी अर्थशास्त्री थे, बहुत काम किया है, बहुत अनुभव था। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर डा0 लोहिया के नीतियों पर, उनके सिद्धान्तों पर और चौधरी साहब की नीतियों पर सिंचाई नीति, कृषि नीति बनी होती तो आज हमारे प्रदेश की स्थिति और ही होती, मैं दावे के साथ कहता हूं। इसकी जरूरत है। मान्यवर, इसलिये मैं कहना चाहता हूं, वैसे तो मैंने सहारनपुर से शुरू किया है। बाढ़ में इस वर्ष मैंने कोई जिला छोड़ा नहीं है इसलिये बताना चाह रहा हूं। जहां जहां बाढ़ का असर है। सहारनपुर में आवण्टन किया है 22 करोड़, बुलंदशहर में 2 करोड़, मुजफ्फरनगर में 40 लाख, गाजियाबाद में 3 करोड़ 72 लाख, गौतमबुद्ध नगर में 4 करोड़, रामपुर में 6 करोड़, पीलीभीत में 2 करोड़ 40 लाख, बदायूँ में 35 करोड़, श्रावस्ती में 7 करोड़, लखीमपुर खीरी में 26 करोड़, बहराइच में 25 करोड़, गोण्डा में 8 करोड़, फैजाबाद में 2 करोड़, बाराबंकी में 6 करोड़, सिद्धार्थनगर में 14 करोड़, संत कबीर नगर में 14 करोड़ 49 लाख, गोरखपुर में 21 करोड़, कुशीनगर में 11 करोड़ 76 लाख, देवरिया में 13 करोड़ 21 लाख, मऊ में 1 करोड़ 50 लाख, बलिया में 20 करोड़ 69 लाख, महाराजगंज में भी कर देंगे लेकिन मैं इतना आश्वासन देना चाहते हैं। आजमगढ़ में 1 करोड़ 20 लाख। लखनऊ में 25 लाख, इलाहाबाद घाट पर 22 करोड़, फर्रूखाबाद में 7 करोड़, कानपुर में 50 लाख, मिर्जापुर में 50 लाख, वाराणसी में 85 लाख, मेरठ में 21 लाख, मुरादाबाद में 15 लाख, बिजनौर में 6 करोड़, बरेली में, बलरामपुर में, कांसगंज में 11 करोड़, जे0पी0 नगर में 19 करोड़, बस्ती में 2 करोड़, तो ये हैं 37 जिले हो गए।

(श्री नीरज कुशवाहा मौर्य एवं श्री वीर पाल राठी के खड़े होने पर)

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, शाहजहांपुर के लिए बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 राठी जी बैठ जाएं, मा0 नीरज मौर्य जी आप भी बैठ जाएं। पटेल जी बैठ जाएं,

श्री शिव पाल सिंह यादव-

अभी बहुत कुछ देना है।

श्री पूरन प्रकाश-

सारे फण्ड पर बजट होय तो नहीं गयो है अभी।

श्री शिव पाल सिंह यादव-

जैसे तुम्हारे बोल, वैसा तुम्हारा पारितोषिक।

(सदन में हंसी, मेंजों की थपथपाहट)

यह तुम काहे भूल जाते हो।

(श्री पूरन प्रकाश के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

पूरन प्रकाश जी, आगे बढ़िए, गन्ना नहीं है, मथुरा में गन्ना नहीं है क्या।

श्री शिव पाल सिंह यादव-

देखिए, मैंने पहले ही कहा, मथुरा ही से शुरू किया था। मथुरा में अभी तो जमुना में भी काम करना है, गंगा पर भी काम करना है। अभी जितना मांगोगे, मांगोगे तो घाटे में रहोगे।

श्री वीरपाल राठी-

मा0 मंत्री जी, बागपत का तो बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष-

अरे राठी साहब क्यों डिस्टर्ब करते हैं, जो मिलना होगा मिल गया होगा, अब अलग से थोड़ा मिलेगा, बैठें।

(कई मा0 सदस्यों के एक साथ बोलेने से व्यवधान)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वैसे तो गंगा-जमुना, इन पर बहुत काम करना है, करना है, इन्होंने जो चिंता व्यक्त की है मा0 सदस्यों ने जो चिंता की है, जमुना में पानी नहीं है। इस वर्ष जमुना में पानी की कमी नहीं है। मेरी जानकारी में है लेकिन अभी यह कम है।

(देखिए आकर, की आवाज आई)

अभी पानी की नहीं कमी है, अभी तो थोड़ा समय हुआ है, हम लोगों को....

श्री वीर पाल राठी-

मा0 मंत्री जी बागपत का तो बता दो नहीं तो बहिष्कार करें हम।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, चर्चा जारी रखें।

(श्री वीर पाल राठी के खड़े होने पर)

श्री शिव पाल सिंह यादव-

आप लिख कर दे देना।

श्री अध्यक्ष-

इन्होंने लिखकर मुझे भेजा है, मैं भिजवा दे रहा हूं।

(मा0 राठी साहब, उन्हें बोलने दें।)

श्री शिव पाल सिंह यादव-

तो देखिए जो अभी मा0 तेजपाल सिंह जी ने कहा था, हमारी जो नई योजना का नाम बदल दिया है। मैंने नई नलकूप योजना जो 12वीं पंचवर्षीय नलकूप योजना है, जिसमें हमें तीन साल में 3000 राजकीय नलकूप लगाने हैं। यह नई योजना है, इसका नाम नहीं बदला है। मान्यवर, तो यह नाम मैंने नहीं बदला है। इस वर्ष लगभग 750-800 नये नलकूप हमें लगाने हैं। यह हमारी नयी योजना है। मान्यवर, तीन साल में बहुत कुछ हो सकता था । बागपत, मुजफ्फरनगर में मथुरा में बहुत काम हो सकता था सिंचाई विभाग में बहुत काम हो सकता था। हमारी सरयू नहर परियोजना है। यह 1977 में प्रारम्भ हुई थी तब इसकी लागत थी 78 करोड़ रुपयो और आज लागत है सात हजार दो सौ सत्तर करोड़ रुपये। वर्ष 2012-13 में इस परियोजना को राजकीय परियोजना में सम्मिलित कर लिया गया है। इस राजकीय परियोजना में कई जिले सम्मिलित हैं जिसमें सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर आदि सम्मिलित हैं। इससे चौदह हजार चार सौ हैक्टेयर सिंचन क्षमता और सृजित हो जायेगी। यह पूरी योजना 2016 में पूरी हो जायेगी। मान्यवर, इसमें जो बजट रखा है 550 करोड़ रु0 का बजट का प्रस्ताव रखा है। और दूसरी हमारी योजना बांधसागर नगर परियोजना है। 1997 में यह प्रारम्भ हुई थी तब इसकी लागत थी 330 करोड़ रुपये और इस समय इसकी लागत है तीन हजार एक सौ उन्चास करोड़ रुपये है। आज दस गुनी लागत बढ़ गई है। इसे भी हमें इस निर्धारित समय में पूरा करना है। इस योजना पर अभी तक खर्च कितना हो गया है द्वे हजार दो सौ आठ करोड़ पच्चीस लाख रुपये। और इसमें अभी तक इलाहाबाद और मिर्जापुर में एक बूंद पानी नहीं है। पिछली सरकार में इस पर खर्च हुआ है 12सौ करोड़ रुपये तब भी वह पूरी नहीं हुई है। इसमें धन का दुरुपयोग हुआ है। जब हमने इसमें वहां पर दौरा किया तो 12 अधिकारी और कर्मचारी सस्पेंड भी हुए हैं। इसे हमें अगले तीन साल में पूरा करना है। इस वर्ष हमने दो सौ पचास करोड़ रुपये का प्रावधान इसमें रखा है। मान्यवर, अर्जुन सहायक परियोजना वर्ष 2008 में प्रारम्भ की गयी थी। तब इसकी लागत थी। 741.80 करोड़ रुपये और इस पर वर्ष 2012-13 में 200 करोड़ रुपये दिये जाने का प्रस्ताव है। यह परियोजना वर्ष 2015 तक पूरी हो जायेगी। और यह बांदा जनपद में 44.38 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता को पूरा करेगी। इसी तरह से शारदा सहायक परियोजना, यह परियोजना 2009-10 में प्रारम्भ हुई थी इसकी लागत तब थी 317.25 करोड़ और अब हमने रखा है 2013-14 में 150 करोड़ और इसकी क्षमता है, 790 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता है तो यह भी राष्ट्रीय परियोजना स्वीकृत हो गयी इसमें केन्द्र सरकार का 90 प्रतिशत और 10 प्रतिशत प्रदेश सरकार का है। मध्य गंगा नहर द्वितीय

चरण यह परियोजना 2007 में प्रारम्भ हुई थी इसकी लागत थी 972.49 करोड़, अब हमने इस पर 2013-14 में 300 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की है। और यह परियोजना 2016 तक पूरी कर दी जायेगी और यह परियोजना है बिजनौर, ज्योतिबाफुले नगर और मुरादाबाद। इसकी क्षमता है 140. 53 हजार हेक्टेयर, सिंचन क्षमता है। कनहल सिंचाई परियोजना इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1973 में इसकी मूल लागत थी तब 17 करोड़, इस परियोजना का कार्य 1985 से बन्द पड़ा है। वर्तमान में 2011-12 से कार्य प्रारम्भ किया गया। अब लागत है इसकी 652.58 करोड़ अब इस योजना में हमने 300 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है और यह योजना अब पूरी हो जायेगी 2016 में। इसकी सिंचन क्षमता है 27.89 हजार हेक्टेयर क्षेत्र। कचनौदा बांध परियोजना, यह परियोजना वर्ष 2009 में प्रारम्भ हुई थी और इसकी मूल लागत थी 88 करोड़ अब इसकी लागत पहुंच गयी है 423.45 करोड़ अब शेष कार्य की लागत है 43 करोड़ इसे मार्च 2014 तक पूरा करना है। यह ललितपुर का लगभग 10.85 हजार सिंचन क्षमता है, इससे लोग लाभान्वित होंगे। तो इस तरीके से देखिये कितना इस पर लागत बढ़ी है उसकी वजह से दिक्कतें तो हैं ही, बजट का प्रबन्ध करना ही है।

अब महत्वपूर्ण यह नलकूपों वाला और है। अब वित्तीय वर्ष 2012-13 में नलकूपों का 29500 नलकूपों का, 29500 जो नलकूप हैं जब हमने देखा था जब हमें सिंचाई विभाग मिला तब लगभग लगभग इसमें खराब थे 75 प्रतिशत, खराब थे।

लेकिन मैनें प्रयास किया है, अब इस समय 75 प्रतिशत ठीक हो गये होंगे । यह आपकी जानकारी में होंगे, नहीं तो हमें बता देना, निश्चित ठीक होंगे । ट्यूबवेल के लिये हमारी योजना और भी है जो बिजली की अभी दिक्कत हो रही है, उसमें हम विचार कर रहे हैं कि ट्यूबवेल में बिजली की दिक्कत न हो । जो हमारी लिफ्ट पंप कैनाल हैं, उसमें भी बिजली के अभाव में बहुत दिक्कत होती है, इस पर भी हमारी योजना है। हम ऐसी व्यवस्था करना चाह रहे हैं, अभी तो केवल विचार में है, इसलिये अभी हम यहां पर घोषणा नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस पर हम बिजली का भी प्रबन्ध करायेंगे, इतना हम आपको आश्वासन देते हैं। हम खुद पैदा करें बिजली, इसके लिये हम अलग से व्यवस्था करेंगे, ऐसा इंतजाम करेंगे ताकि यह सभी ट्यूबवेल चलें, गर्मियों में सबसे ज्यादा बिजली की दिक्कत होती है, तो हम ऐसा प्रबन्ध करेंगे, जिससे दिक्कत न हो और ट्यूबवेल चलें और एक भी ट्यूबवेल बंद न हो। इस पर भी हम विचार कर रहे हैं और अभी माताटीला में राजघाट डैम पर कोई पानी का लिफ्ट नहीं किया जाता, केवल बांध बनाकर जलाशय के माध्यम से बुन्देलखंड क्षेत्र में नहरों के माध्यम से पानी दिया जाता है। जो चौधरी चरण सिंह के नाम पर लहचूरा डैम बनाया जा रहा है ।

श्री तेजपाल सिंह-

नीचे बेतवा नदी पर जो राजघाट बना है, उसमें लिफ्ट करके पानी आता है, ऊपर नहर है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माताटीला पर भी लिफ्ट नहीं है और राजघाट पर भी लिफ्ट नहीं है। मैनें खुद देखा है, फिर देख लेंगे वैसे लिफ्ट करके ऊपर नहीं जाता है। मैं बता रहा था कि जो चौधरी चरण सिंह के नाम पर लहचूरा डैम बनाया जा रहा है, ट्रिपल योजना के अन्तर्गत मथुरा जनपद को शामिल किया गया है। इसके प्राचीन तालाबों को विकसित करने हेतु योजना भारत सरकार को भेजी गयी है। हमें मथुरा की

आपसे ज्यादा चिन्ता है। मथुरा से हमें भावनात्मक लगाव है। राजनारायण बुधौलिया ने जो 8 हजार करोड़ का पिछले पांच वर्षो में खर्च का उल्लेख किया था उसके संबंध में बताना चाहता हूं कि बुन्देलखंड के लिये, बुन्देलखंड क्षेत्र की परियोजनाओं पर जो कार्य कराये हैं, ये बहुत ही अनियमित और टुकड़ों में बांटकर कराये गये हैं और जो काम स्वीकृत नहीं थे उसमें भी धन का दुरुपयोग हुआ तो माननीय अध्यक्ष जी, भ्रष्टाचार प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है क्योंकि जो छोटे-छोटे टुकड़े करके सिंचाई धन का किस तरीके से बंदरबांट किया गया है। यह टुकड़े-टुकड़े करके 6 करोड़ के कार्य को 4 हजार बांड बनाकर सम्बंधित सहायक अभियन्ता द्वारा कराया गया । कोई एक हजार का कोई डेढ़ हजार का कार्य इस तरह से 4 हजार बांड बनाए गए। इस तरह से बंदरबांट किया गया। अध्यक्ष महोदय यह हम आपके पास भेज देंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप इसकी उच्चस्तरीय जांच करवा लीजिए हमारे पास न भेजिए।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

हम जांच तो करा लेंगे। लेकिन यह संग्रहालय में रखवा दीजिए। यह हम एक नमूना दे रहे हैं इस तरीके से न जाने कितने कार्य हुए। बहुत से ऐसे काम हैं अध्यक्ष जी एक ललितपुर में एक भौरट बांध है जिसमें छोटे-छोटे टुकड़े बांटकर 6.24 करोड़ के जिस पर 28 करोड़ खर्च हो चुका है और लगभग 9 करोड़ की देनदारियां अभी भी हैं। मैंने स्वयं मौके पर जाकर देखा 28 करोड़ का बिल बन गया 9 करोड़ की अभी भी देनदारियां हैं और मौके पर जाकर देखा जाय तो 28 लाख का भी काम नहीं हुआ मैंने स्वयं मौके पर जाकर देखा है। माननीय सदस्य ने अभी चौधरी चरण सिंह का नाम लिया मैंने कहा कि अगर उन्हीं के विचारों पर चला गया होता उन्हीं के सिद्धान्तों पर उन्हीं के विचारों पर सिंचाई नीति बनी होती उन्हीं के विचारों पर कृषि नीति बनी होती उन्हीं के विचारों पर अगर ईमानदारी की गई होती अगर तीन साल भी की गई होती इसीलिए मैंने कहा कि सिंचाई विभाग पूरा आपके ऊपर था । माननीय बजरंग बहादुर कहां चले गए उन्होंने जो कहा हम दोनों इंजीनियर की जांच करा देंगे जो ए0के0 सिंह अधिशासी अभियन्ता और आर0एस0 वर्मा की जो उन्होंने बात कही है हम उसकी जांच करा देंगे। हम ठेकेदारों की भी जांच करा देंगे। इंजीनियर को भी सजा मिलेगी चाहे सिंचाई हो चाहे पी0डब्लू0डी0 हो हम जांच करा देंगे हो सकता है कि उनकी बात में दम हो। अभी जो यहां उदाहरण दिए हैं भ्रष्टाचार के हमने तो रोका है यहां तक हमने तो खुले आम कहा था कि विभाग में डेढ़ सौ से दो प्रतिशत कमीशन लिया जा रहा था हो सकता है कि अब भी थोड़ा बहुत हो मैंने रोका है और बहुत नीचे ले आया हूं मैंने भ्रष्टाचार खत्म करने का प्रयास किया है और हम सख्त कार्यवाही करेंगे।

मान्यवर, बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं जानता हूं भ्रष्टाचार और बेईमानी के बहुत से उदाहरण हैं। पिछली बार भी मैंने ठेकेदारों और इंजीनियरों को जेल भेजा था। पांच साल में कितने लोग जेल गये, यह सही है कि जाना चाहिए था जो विवेक सिंह जी कह रहे थे मैं अभी नहीं पहुंचा हूं लेकिन मैं सख्त कार्रवाई करना चाहता हूं, हम इसकी जांच भी करेंगे और सख्त कार्रवाई भी करेंगे। मान्यवर, कई बांध हैं वैसे तो बाराबंकी गोण्डा में कई बांध हैं मा0 योगेश जी को पता है, मैं उस बांध पर गया था एल्गेन चरसरी बांध, वह 2006 में कम्प्लीट हुआ था और उसकी लागत थी लगभग

13 करोड़ रुपए और वह बांध 2007 में नहीं टूटा, 2008 में नहीं टूटा, 2009 में नहीं टूटा और मान्यवर, आपकी जानकारी में है कि बांध को तीन साल तक खतरा रहता है। वह बांध फिर 2010 में टूट गया और उसकी मरम्मत में खर्च हो गये 43 करोड़ रुपए और फिर बांध का कुछ पता नहीं। एक और बांध गोण्डा में सकरोर भिखारीपुर, उसकी भी यही हालत हुई, पांच करोड़ का बना और मरम्मत में चले गये 13 करोड़ रुपए और बांध भी चला गया। जितने बांध हैं हमने सभी बाँधों पर प्रयास किया है, चाहे बलिया का बांध हो या जो भी बांध हो सभी बांधों के लिए मैंने पैसा प्रस्तावित किया है। हमने इन बांधों को पक्का कराना चाहते हैं और नहरों की पटरियों को भी पक्का कराना चाहते हैं। यह योजना हमारी बनकर तैयार हो गई है और मैंने इसे कहीं-कहीं प्रस्तावित भी किया है। जितने भी बन्धे हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बार एक भी बन्धा नहीं टूटेगा, पिछले साल भी नहीं टूटा था जबकि पिछली बार मुझे कम समय मिला था, धन भी कम मिला था उसके बावजूद भी कोई भी बन्धा नहीं टूटा था। मैं अभी आपको इतना ही आश्वासन दूंगा कि अगले वर्ष तो टूटने का कोई सवाल ही नहीं है। जो मैंने बजट में कहा है कि ''जियो बैग जियो ट्यूब'' हम जो नई टेक्निक लाना चाहते हैं और जो मैंने उदाहरण दिया था इस बजट में, आजादी के बाद अभी तक बाढ़ पर 4 हजार करोड़ रुपयो कुल खर्च हुआ है। मैंने अपने अधिकारियों को भेजा था अमेरिका में, वहां एक शहर को बाढ़ से बचाने में 75 हजार करोड़ रुपयो खर्च हो गया। हमारी योजना है कि गंगा स्वच्छ रहे यमुना में कोई गन्दा पानी नहीं जाना चाहिए, गंगा और यमुना को स्वच्छ रहना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और जितना भी गन्दा पानी है, मैंने तो इजराइल में जाकर देखा है छोटा सा देश है और पानी की कमी है, अपने यहां तो पानी की कोई कमी नहीं है और यहां के लोग कितना गन्दा पानी पीते हैं इसीलिए तो सबके पेट खराब रहते हैं मैंने देखा है कि वहां किसी का पेट ही खराब नहीं रहता है। किसी का पेट खराब नहीं रहता है इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि ऐसी तकनीक आनी चाहिए। (ब0स0पा0 की तरफ से आवाज आई की आप ऐसी तकनीक लाईये) चिंता मत करिये हम लोग ला रहे हैं, बहुत जल्दी ला रहे हैं। जितने भी गंगा और यमुना के किनारे के शहर हैं उनका गंदा पानी गंगा और यमुना में न जाने पाये। जितना भी गंदा पानी है उसको साफ करके सिंचाई के लिए जाना चाहिए। गंगा और यमुना में स्वच्छ पानी हो। आगरा और मथुरा को स्वच्छ पानी पीने के लिए देना चाहते हैं। जितने भी खारे पानी वाले जिले हैं चाहे अलीगढ़ हो, फिरोजाबाद हो, जितने भी हैं, हम उनको बहुत जल्दी ही शुद्ध पानी पिलाने का काम करेंगे। तो इसलिए हम तेजपाल सिंह जी से कहेंगे कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

(श्री प्रदीप माथुर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अभी मंत्री जी बोल रहे हैं। मथुरा और यमुना पर पूरा कटौती का प्रस्ताव घूमता रहा, अभी कुछ बाकी रह गया है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

हमने राजकीय नलकूपों को इस वर्ष 60 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। लघु डाल नहरों पर 8 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। वृहद् व मध्यम पम्प नहरों को 16 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। डा0 राम मनोहर लोहिया 3000 नवीन नलकूप निर्माण परियोजना पर

141 करोड़ रुपये का बजट और 8000 नलकूपों के आधुनिकीकरण परियोजना पर 54 करोड़ रुपये का बजट और लघु डाल नहरों के आधुनिकीकरण के लिए 26 करोड़ रुपये का बजट दिया है। मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत नलकूपों के निर्माण हेतु 30 करोड़ रुपये के बजट का प्राविधान किया है। राजकीय नलकूपों के जीर्णोद्धार हेतु 45 करोड़ रुपये का बजट प्राविधानित किया है। नलकूपों के गूलों के, जीर्णोद्धार के लिए जिनका अधूरा काम है उसके लिए 79 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। राजकीय नलकूपों और लघु डाल नहरों, जो वृहद पम्प नहरों का विद्युत ऊर्जा संबंधी भुगतान हेतु 900 करोड़ के बजट का आवंटन किया है। जब इतने बजट का प्राविधान कर रहे हैं और करीब-करीब हमने 70 जिले ले ही लिये हैं और जो शेष बचे हैं, ज्यादा ही जरूरी हो गया तो अनुपूरक बजट में ले लेंगे। इसलिए हमारा मा0 तेजपाल सिंह जी से अनुरोध है कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें। बहुत ही शानदार बजट है, आप तो पूर्व सिंचाई मंत्री रहे हैं, इतना बढ़िया बजट कभी नहीं आया है इसलिए कटौती का प्रस्ताव वापस ले लो और सर्व-सम्मति से इसे पास करो।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद तो हम दे ही रहे हैं पर मामला यह है कि सिंचाई विभाग का कार्य घाट बनवाने का भी है। मथुरा और वृन्दावन अन्तर्राष्ट्रीय दर्जे के शहर हैं, वहां यमुना के किनारे घाटों की बहुत दुर्दशा है, सिंचाई मंत्री जी वृन्दावन और मथुरा में आ जाएं और इन घाटों की स्थिति को देखें। क्या आप उन पुराने घाटों का जीर्णोद्धार करवायेंगे और नये घाटों का निर्माण कराने की कोई योजना है।

श्री अध्यक्ष-

हो गया। अरे आप मिलकर बात कर लीजियेगा।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, आने दीजिये उत्तर दे रहे हैं मंत्री जी।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय माथुर साहब ने जो कहा मेरी योजना है मथुरा वृन्दावन और काशी और संगम के लिये। इसमें हमको केन्द्र सरकार की जरूरत पड़ेगी। (हंसी) क्योंकि हम इसलिये बताना चाहते हैं सिंचाई के प्रति केन्द्र सरकार का नकारात्मक दृष्टिकोण है, इसलिये आपके मदद की, आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। मैंने बहुत प्रयास किया है और वैसे तो प्रयास करेंगे ही तो मैंने बताया कि मथुरा वृन्दावन से लेकर इलाहाबाद और काशी भी अयोध्या में भी घाट बनाने की हमारी योजना है। अगर आपका सहयोग रहेगा और केन्द्र सरकार जो नकारात्मक दृष्टिकोण है उसको बदलने में सहयोग रहा तो निश्चित बनेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, अयोध्या में जो राम की पैड़ी बन रही थी, काफी कुछ बन भी गया था। यात्रियों को जब सरयू का पानी नीचे चला जाता है तो स्नान में दिक्कत होती है। आपने भी देखा है, सिंचाई विभाग का है, अगर उसको पूरा करा दिया जाय तो एक बहुत अच्छी बात अयोध्या के लिये होगी।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

इस पर मैंने पैसा दिया है और काम शुरू है, हम इसको दिखवा लेंगे और इसमें तेजी ला देंगे।

(दो तीन माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपका तो उन्होंने बता दिया बुधौलिया जी। अरे गन्ने का बजट है आगे।

श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

मान्यवर, एक सवाल सिंचाई पर पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि ए0पी0 तटबन्ध का एक्सटेंशन और ए0पी0 तटबंध और अमुवा तटबंध पर 6 परियोजनाएं स्वीकृत हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इन परियोजनाओं के लिये धन समय से पूर्व आवंटित करने की व्यवस्था आपके द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ? दूसरा हमारे यहां जो मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर है उसकी परियोजना जो है 2007-2008 में भारत सरकार ने स्वीकृत किया है वह परियोजना 217 करोड़ की है और पूरा जो मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर का जो पूरा कैनाल है वह जगह-जगह टूटा हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उन परियोजनाओं को स्वीकृत कर उन परियोजनाओं में धन आवंटित कर उसमें काम कराया जायेगा और एक अन्तिम सवाल जो हमारे शाखाएं और माइनर हैं उसके सारे गेट टूटे हुए हैं और उन गेटों के पुनः स्थापना के लिये भी कई बार आवेदन और पत्रक दिये गये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ? इसके लिये भी धन आवंटित किया जायेगा ? माननीय मंत्री जी जवाब दे दें तो बहुत मेहरबानी हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

जब आपने कह दिया वह जवाब दे न दें। आपकी बात लिख गई है।

(दो-तीन माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

अरे भाई अब आगे चलने दीजिये। गन्ने पर भी कहोगे कि हमारी मिल बन्द है। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपयो कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 70,10,99,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपयो कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 29,16,84,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[5.45 बजे] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-23, गन्ना विकास विभाग (गन्ना), अनुदान संख्या-24, गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षा दल, व्यावसायिक शिक्षा मंत्री (श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23- गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,16,60,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष-

दूसरा भी प्रस्तुत कर दें।

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24- गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,69,,98,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है तथा गन्ने की खेती एवं चीनी मिलें प्रदेश की अर्थव्यवस्था तथा विकास की मुख्य धुरी हैं चीनी, गुड़,खाण्डसारी उद्योग के साथ-साथ शीरा, खोई आदि उप-उत्पादों पर आधारित अनेक छोटे-बड़े उद्योगों से करोड़ों लोगों को रोजी-रोटी के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश का 50 प्रतिशत गन्ना क्षेत्रफल एवं 27 प्रतिशत चीनी उत्पादन करने वाला राज्य है। प्रदेश में संस्थापित 124 चीनी मिलों जिनमें सहकारी क्षेत्र की 23, निगम क्षेत्र की एक, निजी क्षेत्र की 100, की दैनिक पेराई क्षमता 7.67 लाख टी0सी0डी0 है। प्रदेश के 30 लाख से अधिक गन्ना कृषक चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करते हैं तथा गन्ना फसल ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन भी है।

(इस समय 05 बजकर 49 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुए।)

मान्यवर, गन्ना किसानों को लाभकारी गन्ना मूल्य प्रदान किये जाने के उद्देश्य से गत पेराई सत्र में 2011-12 की अपेक्षा वर्तमान पेराई सत्र 2012-2013 के लिए 40 रुपयो प्रति कुन्तल अधिक बढ़ाते हुए अगौती प्रजातियों के लिए 290 रुपयो तथा सामान्य प्रजातियों के लिए 280 रुपयो तथा अनुपयुक्त घोषित प्रजातियों के लिए रु0 275/- गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य निर्धारित किया गया

है। गत पेराई सत्र में गन्ना कृषकों को लगभग 18,200 करोड़ रु0 का गन्ना मूल्य के रूप में भुगतान किया गया है। सरकार द्वारा उपरोक्तानुसार गन्ना मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप वर्तमान पेराई सत्र में 21000 करोड़ से भी अधिक गन्ना मूल्य के रूप में गन्ना किसानों को वितरित किया जायेगा, जो गत वर्ष अपेक्षा लगभग 3000 करोड़ अधिक होगा। मान्यवर, प्रदेश के विकास हेतु शासन के एजेण्डा के अन्तर्गत गन्ना विभाग द्वारा 02 बिन्दुओं यथा-उन्नतशील प्रजातियों के गन्ने के बीज का उत्पादन एवं गन्ना सूचना प्रणाली-गन्ना किसानों की समस्याओं का ई-समाधान का निर्धारण किया गया है। मान्यवर, प्रदेश सरकार गन्ना उत्पादन एवं चीनी परता में वृद्धि हेतु तथा किसानों को उन्नतिशील बीज गन्ना उपलब्ध कराये जाने हेतु कटिबद्ध है। इस हेतु उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर, जो प्रदेश का अग्रणी गन्ना शोध संस्थान है, द्वारा नवीन प्रजातियां विकसित कर खेती हेतु अवमुक्त की गयी है। वर्श 2012-13 में गन्ना शोध परिषद् शाहजहांपुर द्वारा विकसित प्रजाति को0शा0 08279 (मध्य देर) को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य बुवाई हेतु स्वीकृत की गयी तथा अन्य प्रजाति को0से0 05451 (नारायणी) को उत्तर मध्य क्षेत्र में रिलीज करने हेतु भारत सरकार की वैराइटल आइडेन्टीफिकेशन कमेटी, 2012 द्वारा आइडेन्टीफाई किया गया है। मान्यवर, गन्ना विकास विभाग में गन्ना क्षेत्रफल, उत्पादकता एवं गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए सघन गन्ना विकास की योजना एवं कृषि विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रमुख रूप से तथा गन्ना किसानों के गन्ने को क्रय-केन्द्रों एवं चीनी मिलों तक आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु विभाग की अन्तर्ग्रामीण सड़क निर्माण योजना संचालित है। वर्ष 2012-13 में माह फरवरी, 2013 तक शोध परिषद् शाहजहांपुर के फार्म तथा वैज्ञानिकों की देखरेख मे कृषक फार्मों पर उत्पादित 96110 कुन्तल अभिजनक बीज की आपूर्ति की गयी। उक्त बीज से कृषक प्रक्षेत्र पर माह फरवरी, 2013 में 1430 हे0 आधार पौधशालायें तथा 4287 हे0 प्राथमिक पौधशालायें स्थापित करायी गयीं, जिससे लगभग 8600 कृषक लाभान्वित हुये हैं। विभाग के अधीन सघन गन्ना विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में रु0 7 करोड़ की धनराशि का प्राविधान करके प्रदेश में आधार पौधशाला, प्राथमिक पौधशाला उत्पादन, बीज यातायात, बीज भूमि उपचार आदि कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए इन कार्यक्रमों हेतु रु0 14 करोड़ की व्यवस्था की गयी है ताकि गन्ना उत्पादकता में यथेष्ठ वृद्धि हो सके। विभाग द्वारा विशेष प्रयास करके कृषि विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत रू0 10 करोड़ की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2012-13 में की गयी, जिससे प्रदेश के आधार पौधशाला स्थापन, प्राथमिक पौधशाला उत्पादन, बीज यातायात, बीज/भूमि उपचार, पेड़ी प्रबन्धन, जैव/वर्मीकम्पोस्ट का प्रयोग, क्षेत्र प्रदर्शन, कृषि यन्त्र वितरण, माइक्रोन्यूट्रियन्ट वितरण, कृषक जागरूकता हेतु किसान गोष्ठियों का आयोजन, कृषक/कर्मचारी प्रशिक्षण इत्यादि कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन कृषि विभाग के माध्यम से और अधिक धनराशि प्राप्त करके उक्त कार्यक्रमों को गति प्रदान की जायेगी। वर्ष 2012-13 के लिये 64 मैट्रिक टन प्रति हेक्टेयर गन्ना उपज, 9.92 प्रतिशत चीनी परता तथा 1500 लाख टन गन्ना उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार की प्राथमिकताओं के दृष्टिगत गन्ना किसानों को गन्ने की उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान किये जाने, गन्ने की उत्पादकता में वृद्धि किये जाने, खाद, कीटनाशक आदि की

आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु वर्तमान में संचालित योजनाओं के स्वरूप को विस्तारित करते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष प्रयास किये जाने की रणनीति निर्धारित की गयी है।

मान्यवर, गन्ना किसानों द्वारा उत्पादित गन्ने का चीनी मिलों तक समुचित परिवहन की सुविधा हेतु विभाग द्वारा अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिए अन्तरग्रामीण सड़क निर्माण योजना संचालित की जा रही है। गन्ना विकास विभाग की शासन द्वारा अनुमोदित मार्ग नीति के अनुरूप वर्तमान में शासन एवं लाभान्वित संस्थाओं यथा गन्ना विकास परिषदों, गन्ना विकास समितियों, चीनी मिलों एवं गन्ना कृषकों से क्रमशः 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत अंशदान के आधार पर सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु जहां गत वित्तीय वर्ष में शासकीय अंशदान रुपये 44.53 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया वहीं वर्ष 2013-14 हेतु योजनान्तर्गत 60 प्रतिशत शासकीय अंशदान रुपये 63 करोड़ का प्राविधान कराया जाना है जिसके सापेक्ष 40 प्रतिशत लाभान्वित संस्थाओं के अंशदान रुपये 42 करोड़ प्राप्त करते हुए कुल रुपये 105.00 करोड़ से चीनी मिलों क्षेत्रों में यातायात सुविधा हेतु 300 किमी0 सम्पर्क मार्गों के निर्माण का प्रस्ताव है। मान्यवर, आयोजनागत मद में कृषक हित अनुदान तथा गन्ना उत्पादन एवं चीनी परता में वृद्धि के दृष्टिगत सघन गन्ना विकास योजना तथा गन्ना किसानों के गन्ने को क्रय-क्रेद्रों एवं चीनी मिलों तक आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु अन्तरग्रामीण सड़क निर्माण योजना के अंतर्गत जहां वित्तीय वर्ष 2012-13 में 51.53 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था वहीं वित्तीय वर्ष 2013-14 में 77.00 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। मान्यवर, आयोजनेत्तर मद में वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-23 मद में रुपये 146.6246 करोड़ रुपये तथा अनुदान संख्या-24 आयोजनेत्तर में कुल रुपयो 46998.14 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। जिसमें 400 करोड़ का सहकारी चीनी मिल संघ की पेराई सत्र 2012-13 में अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु 20 करोड़ रुपयो सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को उनके आफ सीजन मरम्मत, रख-रखाव एवं संचालन हेतु ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। मान्यवर, गन्ना आपूर्ति हेतु गन्ना किसानों को त्वरित संचार सुविधा उपलब्ध कराने तथा चीनी मिलों को ताजा गन्ने की आपूर्ति हेतु गन्ना विकास विभाग द्वारा पेराई सत्र 2010-11 में गन्ना सूचना प्रणाली प्रारम्भ की गयी है।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने गन्ने के विभाग से संबंधित साहित्य प्रदान कर लिया है। हम लोग उसको पढ़कर अपना ज्ञानवर्धन कर लेंगे। बजट प्रस्तुत कर ही दिया है। हम चाहते हैं कि अब कटौती का प्रस्ताव रखवा दिया जाये। तो ठीक रहेगा।

श्री हुकुम सिंह-

नहीं नहीं।

श्री अधिष्ठाता-

बजट भाषण हो जाने दीजिए।

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

मान्यवर, बस दो मिनट और, अब तक तो मैं बोल लिया होता। मान्यवर, 2010-11 में गन्ना सूचना प्रणाली प्रारम्भ की गयी है। इसके अंतर्गत प्रत्येक चीनी मिल द्वारा वेबसाईट तैयार कर

अपने क्षेत्र के कृषकों के गन्ना सर्वे से लेकर पर्ची निगमन, गन्ना आपूर्ति, तौल एवं गन्ना मूल्य भुगतान से संबंधित समस्त सूचनायें अपलोड करायी गयीं। किसानों को एस0एम0एस0 के माध्यम से 16 करोड़ से अधिक सूचनायें उपलब्ध करायी गयीं तथा मिलों द्वारा प्रदत्त आई0वी0आर0एस0 टोल फ्री सुविधा से 49 लाख काल्स के माध्यम से किसानों द्वारा उपयोगी सूचनायें प्राप्त की गयीं। पेराई सत्र 2012-13 में गन्ना क्षेत्र के सर्वेक्षण कार्य शुद्धता एवं पारदर्शिता के उद्देश्य से लगभग 10.30 लाख हेक्टेअर गन्ना क्षेत्र का सर्वेक्षण जी0पी0एस0 द्वारा कराया गया है। हस्तधारित कम्प्यूटर (एच0एच0सी0) एवं इलेक्ट्रानिक तौल कांटा की व्यवस्था कराये जाने के फलस्वरूप किसानों को तौल संबंधी सूचना तत्काल तथा एस0एम0एस0 के माध्यम से उपलब्ध होने लगी है। पेराई सत्र 2012-13 में 25 प्रतिशत (लगभग 626) को इलेक्ट्रानिक तौल कांटों का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके सापेक्ष 1279 इलेक्ट्रानिक तौल कांटे स्थापित किये गये हैं। आगामी पेराई सत्र 2013-14 में जी0पी0एस0 से गन्ना क्षेत्र का सर्वेक्षण तथा क्रय केन्द्रों पर इलेक्ट्रानिक वे-ब्रिज की स्थापना शत-प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) (25वां संशोधन) नियमावली 2013 द्वारा उक्त व्यवस्था को वैधानिकता भी प्रदान कर दी गयी है।

मान्यवर, प्रदेश की गन्ना सूचना प्रणाली (एस0आई0एस0) को भारत सरकार द्वारा ''नेशनल अवार्ड फॉर ई-गवर्नेन्स, 2011-2012'' का गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है तथा इस प्रणाली को गत वर्ष अक्टूबर माह में राष्ट्रकुल देशों के द्विवार्षिक समारोह में अर्न्तराष्ट्रीय पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है।

मान्यवर, कर्मचारी हित में राज्य सरकार द्वारा प्रभावी पहल करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर गन्ना समितियों के कर्मचारियों को सुदृढ़ गन्ना समितियों में स्थानान्तरित/समायोजित करने के साथ-साथ गन्ना समितियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी लम्बित चल रहे देयों के भुगतान हेतु रू0 16 करोड़ 90 हजार की व्यवस्था शासन द्वारा ऐसी 40 गन्ना समितियों को ऋण के रूप में प्रदान की गयी है। इस व्यवस्था से ऐसे लगभग 1200 कर्मचारियों को सेवा सम्बन्धी आर्थिक मदद प्राप्त होगी, जिन्हें कमजोर समितियों में तैनाती के कारण सेवा सम्बन्धी भुगतान प्राप्त हो पा रहे थे।

मान्यवर, प्रदेश में निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु चीनी उद्योग, को-जेनेरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति 2013 प्रख्यापित की गयी है, जिसके द्वारा प्रदेश के पूर्वी एवं बुन्देलखण्ड के जनपदों में नई चीनी मिलों की स्थापना के साथ को-जेन इकाई एवं डिस्टलरी को प्रदेश में कहीं भी स्थापित किये जाने पर जोर दिया गया है। इस हेतु पूंजी निवेश की इच्छुक कम्पनी/इकाई को विभिन्न करों में छूट/रियायतें दिया जाना प्रस्तावित है। इससे जहां प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में चीनी मिलों की स्थापना सुनिश्चित होगी, वहीं को-जेन के माध्यम से ऊर्जा सेक्टर का भी विकास सम्भव हो सकेगा तथा साथ ही साथ रोजगार के नये अवसर भी प्राप्त होंगे। मुख्य रूप से नई चीनी मिलें स्थापित होने से गन्ना कृषकों को अधिक गन्ना मूल्य वितरित होगा एवं लाभदायक गन्ना खेती को बढ़ावा मिलेगा।

मान्यवर, चीनी मिलों की कमी वाले ऐसे जनपद जिनमें चीनी मिलों को स्थापित करने की सम्भावना है, उन्हें चिन्हांकित कर दिया गया है, वह जनपद हैं- देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, अमेठी, रायबरेली, बदायूं, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, एटा, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, फर्रूखाबाद, फिरोजाबाद, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन तथा ललितपुर ।

उक्त जनपदों के अतिरिक्त किसी अन्य जनपदों में इस नीति के तहत नई चीनी मिल शासन की पूर्व अनुमति से लगाय जाने की भी व्यवस्था की गई है।

मान्यवर, विभाग द्वारा माह फरवरी, 2013 तक राजस्व वसूली के लक्ष्य के अन्तर्गत माह फरवरी 2013 के अन्त तक चीनी मिलों व खाण्डसारी इकाईयों से प्राप्त क्रयकर की धनराशि क्रमशः रु0 10729.36 लाख व रु0 127.14 लाख है।

मान्यवर, मैं इतना ही कहूंगा, कटौती के प्रस्ताव माननीय मौर्य जी मा0 हुकुम सिंह जी, मा0 कांग्रेस और मा0 लोकदल। मैं यही चाहूंगा कि जो कटौती का प्रस्ताव आप लोगों ने रखा है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी, अभी कहां रखा है।

श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी-

रखेंगे, कटौती प्रस्ताव रखेंगे। मैं समझता हूं कि किसानों की बात आप लोग हमेशा करते रहे हैं। ये कटौती का प्रस्ताव अपना मत रखिये और किसानों की बहबूदी के लिये आप लोग इस बजट को स्वीकृत कराने में सहयोग करिये।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-23, गन्ना विकास विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपयो कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-24, गन्ना विकास विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपयो कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मा0 मंत्री जी की पीड़ा मैं देख रहा था, चेहरे पर झलक रही थी। वास्तव में गन्ने के किसान के लिये वो बहुत ही ज्यादा चिन्तित हैं, ये तो लग रहा है मुझे और वो चिन्ता उनके भाषण से भी झलक रही है। मैं उनको इसलिये बधाई देता हूं कि पहले मंत्री हैं जिन्होंने अपने भाषण की कापी हमें पहले ही दे दी। किसी और की नहीं आयी, इसलिये भी मैं आपको बधाई देता हूं कि जितना भी आपने साहित्य दिया है मान्यवर, वो है मेरे पास में, ये इनकी अच्छी बात है। पूर्ण है इनका, इससे बाहर नहीं जायेगा। जो कुछ लिखा था, पढ़ के सुना दिया। यही एक अच्छी निशानी है और निश्चित रूप से आप गन्ना किसानों के लिये बहुत कुछ करेंगे, ऐसा मुझको लग गया आज आपके भाषण से। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा विषय पर आ जाऊं। बहुत ज्यादा भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है। मैं एक दो सवाल इनसे पूछना चाहता हूं। जो साहित्य इन्होंने दिया और उस साहित्य में इन्होंने गन्ना विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य दिया है और मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के 10 बिन्दु दिये हैं इन्होंने कि कैसे-कैसे विकास करेंगे। आप भी देख लें क्योंकि आपके भी पास है। पहले बिन्दु में है विभिन्न गन्ना विकास कार्यक्रमों द्वारा प्रति इकाई भूमि, जल एवं मानक उर्वरकों के उपयोग से अधिक से अधिक गन्ना उत्पादन प्राप्त करना। ये उद्देश्य आपका है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये आपकी क्या योजना है?

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिख दिया ये उद्देश्य इन्होंने नम्बर एक पर मान्यवर लेकिन कहीं आपने उल्लेख किया उस योजना और मान्यवर, इसी में आगे क्योंकि उत्तम बीज आप उपलब्ध करायेंगे तभी तो गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा और गन्ना किसान का फायदा भी होगा। इसी में इन्होंने लिखा है कि इनका लक्ष्य क्या है गन्ना बीज के उत्पादन का, एक लाख कुण्टल और किसान कितने हैं, आप ही के साहित्य में। 30 लाख परिवार हैं उस एक लाख कुण्टल को 30 लाख परिवारों में बांट दीजिये आप। अगर एक गन्ना भी पूरा किसी के हिस्से में आ जाये तो। मान्यवर, इसी में है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। परिवार हैं 30 लाख जो गन्ने की खेती में लगे हुये हैं। गन्ना बीज के उत्पादन का इनका लक्ष्य है एक लाख कुण्टल का, टन का नहीं है, कुण्टल का है। मैं हिसाब लगा रहा था कि गन्ना किसान हूं। किसके हिस्से में कितना-कितना आयेगा। किसी के हिस्से में आधा गन्ना आयेगा, पूरा गन्ना किसी के हिस्से में नहीं आयेगा। उस आधे गन्ने का बो करके इनका लक्ष्य पूरा होगा कि ये उत्तर प्रदेश में गन्ने की उपज बढ़ायेंगे। मैं बीज की ही बात कह रहा हूं। मेरे ख्याल में गन्ना बीज से ही होता होगा, मुझे तो पता नहीं था। मान्यवर, मैंने इस गन्ने की खेती से शुरुआत की और थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि जब मैंने पहली खेती गन्ने की सेना से आने के बाद में। उस समय 9 रुपये कुण्टल गन्ने का भाव था। 9 रुपये क्विटल और इत्तेफाक से उस वर्ष गन्ना मिल इतनी गन्ने से भरी हुई थी कि वह 9 रुपये क्विंटल में भी लेने का तैयार नहीं थे, मुझको खुद 5 रुपये क्विंटल में क्रेशर पर गन्ना बेचना पड़ा, बहुत साल। चौधरी साहब, मा0 चौधरी चरण सिंह जी, हमेशा किसानों को समझाते थे कि एक तरफ ध्यान मत दो, अलग-अलग खेती करो, फायदे में रहोगे, चूंकि उस वक्त कैश क्राप हम लोग कहते थे, तो कैश क्राप की वजह से हर किसान, गन्ना, गन्ना बढ़ाता गया, जब तीन रुपये क्विंटल पर भी गन्ना नहीं बिका तो मान्यवर, किसान गए दिल्ली और चौधरी साहब से कहा साहब क्या करे, वह दुःखी थे ही, चौधरी साहब पहले से कष्ट में थे, कि मैं तो खुद समझा रहा था तुमको, मजबूर होकर उनको कहना पड़ा, तुम लोगों को समझाया था उस दिन मेरे सिर पर गन्ना बोओ अब आ के। ऐसा दुखी होकर के उनको कहना पड़ा, लेकिन किसान भी उन पर इतना फिदा था, तब भी उनकी जय बोली- ''गन्ना बिक गया पौने छः, बोल चौधरी चरण सिंह की जय'' ऐसा क्यों आस्था थी लोगों के मन में, प्यार था, लगाव था, उनके प्रति और गन्ने की वह दुर्गति होती हमने देखी मान्यवर। आज कम-से-कम एक संतोष है, एकमात्र कैश क्राप ऐसी है, हालांकि मांग तो कभी हम गेहूं की भी करते है, इसके भी दाम बढ़ा दिए जाएं। हम धान की भी माग करते हैं कि इसके भी दाम बढ़ा दिए जाएं, लेकिन एकमात्र कैश क्राप उत्तर प्रदेश में ऐसी है कि हर राजनैतिक दल के लिए मजबूरी है, जो सत्ता में आएगा, कुछ-न-कुछ तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, मैं देख रहा हूं, बहुत दिन से, सरकार में भी बहुत दिन रहा हूं और यहां पर भी बहुत दिन बैठने का मौका मुझे मिला। अब यह राजनैतिक आधार, राजनैतिक स्थान बनाने के लिए मजबूरी हो गई और मैं बधाई देता हूं कि कम-से-कम 30 लाख किसान परिवार इतने प्रभावी हुए, कि उनको अब नजरअंदाज करना संभव नहीं है। अब सवाल केवल इतना आता है, विभाग के रूप में आप क्या करें, देश में क्या औसत है हमारे, जो खेती करते हैं गन्ने की हम कितने प्रतिशत है। यह आपने साहित्य दिया है, आपने पढ़ा भी है, कुछ याद हो तो बता दो। 47 प्रतिशत हमारा औसत है मान्यवर, अगर देश में 100 एकड़ में खेती होती है, तो 47 उत्तर प्रदेश में है और चीनी का क्या है 23 प्रतिशत, 25 एक जगह लिख दिया है, वह गलत लिखा है, इसमें 23 प्रतिशत

लिखा है। अगर हमारी स्थिति अच्छी रही होती, जब 47 प्रतिशत औसत है हमारा, जमीन में गन्ना बोने का, तो हमारा चीनी का औसत 23 क्यों आता। यह इन्हीं के साहित्य में है। इसका मतलब है कि कमी है कहीं-न-कहीं आप को दोष इसलिए नहीं देता क्योंकि गन्ने में एक साल में या दो साल में तो आप क्रांति नहीं ला सकते हैं, लेकिन आप पहली बार तो आए नहीं, 10 साल से सत्ता आपके और इनके बीच में है और गन्ने की हालत आप लोगों ने मिलकर क्या की है? थोड़ा संक्षेप में मैं आपके सामने रखूंगा। मान्यवर, जब भी गन्ने के भाव की बात आती है, मिल-मालिकों की मीटिंग होती है। अभी घोषणा नहीं हो रही है, अभी और घोषणा में समय लगेगा, पर हम जैसा सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति बार-बार किसानों को समझाता है कि तुम चिंता मत करो, जब तक मिल वालों की और सरकार की आपस की सहमति नहीं हो जायेगी, तब तक गन्ने का भाव नहीं घोषित होने वाला। मान्यवर, हमने वह भी दिन देखे हैं, एक जगह है, ओखला डाक बंगला, शिव पाल जी आप ही का तो है, शायद वह।

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं सहकारिता मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)-

मेरा नहीं है, सिंचाई विभाग का है।

श्री हुकुम सिंह-

हां, सिंचाई विभाग का ही मैं कह रहा हूं, आपका मतलब सिंचाई विभाग से ही है, बहुत अच्छा स्थान है, वहां पर मिल मालिकों की मीटिंग होती है और मा0 तत्कालीन गन्ना मंत्री वहां होते हैं, मिल मालिक इस विश्वास में जाते हैं, कि आज हमें कुछ सहूलियत मिलेगी। आज कैसे इस उद्योग को, आगे बढ़ाया जाए, कैसे इस उद्योग का आधुनिकीकरण किया जाए, कुछ सरकार हमें इसमें मार्गदर्शन करेगी। सीधा-सीधा बात होती है, गन्ने का भाव तय होना है, 8 रुपये प्रति क्विंटल भाव से अलग आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल वह नजारा दिखा रहा हूं, जो वहां पर हो रहा है। एक मिल मालिक को बीमारी थी कि वह अपने आपको बड़ा गांधीवादी मानता था। उसने कहा कि मैं तो दे नहीं पाऊंगा। उसने कहा ठीक है, तुम चले जाओ यहां से मीटिंग से, तुम से बाद में निपटेंगे और बाद में निपटने का यह हुआ कि उसकी रिफाइनरी बंद हुई। उसकी फैक्टरी पर ताला लगा दिया गया, गन्ना उसका डायवर्ट कर दिया गया और मजबूर होकर क्योंकि वह फैक्टरी ऐसी थी, जो सबसे अच्छी चीनी उत्तर प्रदेश में बनाने वाली थी, शुगर क्यूबस, जो सबसे अच्छी चीज होती है मान्यवर, सप्लाई होती है। विदेशों में भी वह एक्सपोर्ट्स होती है।

मान्यवर, यह जब हमारी एप्रोच होगी, सोच होगी, तो हम गन्ना उत्पादकों को क्या दे पायेंगें। मान्यवर, जिस बिन्दु पर मैं आ रहा हूं वह यह है कि क्या किया जाय। करना सम्भव है, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। गन्ना गन्ना मिल पर जाये या कोल्हू पर जाये, जो खोई होती है जिसे बगास कहते हैं कोल्हू पर गन्ने का 200-250 रुपये रेट है, बगास का रेट है, जो पेपर मिल में जा रहा है। गन्ने का कोई हिस्सा नहीं बचता है। जिसे प्रेसमेण्ट कहते हैं वह खाद के रूप में प्रयोग होती है भट्टे पर जलाने के काम आती है वह अलग बिक रही है। उसका हिसाब नहीं लगता है। आज स्थिति यह है कि आपने 280-285-290 का रेट दिया। रेट अच्छा है आपने वाह वाही भी लूटी इसमें कोई सन्देह नहीं है। रेट देना एक पक्ष है, गन्ने का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाय प्रति कुन्टल वह अलग पक्ष है। हमारे गन्ने का उत्पादन क्या है ? हम महाराष्ट्र से बराबरी नहीं कर पा रहे हैं आन्ध्र प्रदेश की बात

छोड़ दीजिए हम तमिलनाडु के बराबर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बिहार से नीचे हमारा उत्पादन आ गया है।

मान्यवर, देश में जो प्रदेश हैं गन्ना उत्पादक, शायद हम नीचे के स्थान पर हैं। चीनी की रिकवरी में। अगर यह रिकवरी भी घटती गयी एक एकड़ में गन्ने की पैदावार उतनी नहीं हो पायी तो कैसे काम चलेगा। मान्यवर, उत्पादन जब कम हो चाहे 280 का आप रेट दे दें। अगर उत्पादन अधिक हुआ होता तो गन्ना किसानों की इनकम डबल हो जाती है। मान्यवर, आपने शोध-केन्द्रों की बात कहीं। पिछले दस साल में एक गन्ने की प्रजाति आप बता दें जो किसान के उपयोग में आने लायक आपने उसे उपलब्ध कराई हो। इन सारे केन्द्र का आपने जिक्र किया। शाहजहाँपुर में है, मुजफ्फरनगर में है, और लाल बहादुर शास्त्री शोध केन्द्र है। एक भी प्रजाति को आप विकसित नहीं कर पाये जिसे आप किसान को दे सकें। आपने सात सौ अड़सठ वरायटी का जिक्र किया वह सूख गयी आगे कोई लेने वाला उसे नहीं है। रिकवरी ज्यादा थी लेकिन पैदावार कम होती चली गयी। मान्यवर हम किसानों को उनकी उपज का लाभ नहीं दे पा रहे हैं। उनकी उपज नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो किसान आगे कैसे तरक्की करेगा। मान्यवर, सरकार और किसानों के बीच आपके अधिकारी और कर्मचारी होते थे, कामगार होते थे, वह किसानों को बताते थे कि कौन सी प्रजाति ठीक है और कौन सी नहीं है। लेकिन वह पिछले दस सालों में काफी लोग रिटायर हो गये हैं जगह खाली है। आपने उस एक एक छोटे कर्मचारी को तीन-तीन सोसाइटी दे दीं हैं। फैक्ट्री दे दी हैं। तो वह काम कैसे कर लेगा। आपकी भर्ती बन्द है। तो जो किसान के बीच में जाकर काम करता था, आपके शोध केन्द्रो के प्रगति की जानकारी किसानों को देता था वह जानकारी देने वाला सन्देश देने वाला कोई अधिकारी कर्मचारी अब नहीं है। मान्यवर जो आपका लखनऊ में गन्ना आयुक्त का कार्यालय है उनके बारे में आपने बताया कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। वह क्षेत्र बांटते हैं। मान्यवर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं होता है प्रतिवर्ष तो हर साल जो यह क्षेत्र बांटने की दुकान लगती है हमारे लखनऊ में उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। गन्ना मिल मालिकों को बताया जाता है कि तुम्हारे दस सेन्टर इस बार कम किये जाते हैं या दस सेन्टर बढ़ाये जा रहे हैं। मेरा सुझाव है, मैंने अपनी सरकार में भी सुझाव दिया था, कुछ कार्यवाही शुरू भी हुई थी कि चीनी मिल मालिक किसानों से जुड़कर के कैसे विकास का काम करायेगा, सड़क बनवायेगा, खोज भी करायेगा और किसानों की मदद भी करेगा, उन्हें प्रजाति और बीज के बारे में भी बतायेगा, जब तक उस पर यह तलवार लटकती रहेगी। इसीलिए मैने यह सुझाव दिया था कि हर साल जो यह लखनऊ में केन कमिश्नर कार्यालय में जमावाड़ा लगता है, उसको खत्म करते हुए दस साल के लिए क्षेत्र आवंटित कर दीजिए ताकि गन्ना मिल मालिक के मन में यह बात न रहे कि अगले वर्ष इस क्षेत्र का गन्ना उसे मिलेगा या नहीं। अगर उसके मन में शंका नहीं होगी तो वह उस क्षेत्र में सड़क बनवा देगा और विकास का काम करायेगा। अगर उसके मन में तलवार लटकती रहेगी प्रतिवर्ष तो वह कैसे आगे आयेगा। मान्यवर यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन का। राजनीतिक रूप से, इस उद्योग को हमको पता नहीं कि नम्बर 1 पर कौन सा है लेकिन आम तौर पर इस चीनी उद्योग को नम्बर एक पर रख़ते थे कि राजनीति रूप से यही काम हमारे आयेगा। चुनाव हमारा यही लड़वायेगा, खर्चा हमारा इसी से आयेगा उस खर्चे ने ही ऐसा कर दिया कि इनको इतना नियंत्रण कर दीजिए कि हमारे नियंत्रण मे ंरह करके आगे यह बढ़ न पायें, कुछ कर न पायें। और उसका परिणाम पूरा प्रदेश

भुगत रहा है उसका परिणाम 30 लाख परिवार भुगत रहे हैं। संख्या क्यों नहीं बढ़ती है मान्यवर, कैश क्राप है यह जैसा मैंने बताया यह है इसलिए किसान इससे हटता भी नहीं है। उसकी 100 मजबूरी हों वह गन्ने से नहीं हटेगा क्योंकि गन्ने में एक बार लगाने के बाद में बढ़ गया बस पानी पानी लगाना, कभी थोड़ा बहुत कुछ बात आ जायेगी और हर कोई खेती करने के उसमें हैं कि एक साल में उसे पैसा मिल जाता है। अब इसके बारे में आप विचार करें। इस उद्योग के बारे में आप विचार करें।

आपने 24 जनपदों के बारे में उल्लेख किया जहां पर आप चाहते हैं कंसेशन देकर के चीनी मिल लगवाना, उसमें 5 प्रतिशत में आप उनको सरकार की ओर से ऋण देंगे। यह विरोधाभास नहीं है क्या, गन्ना किसान को ऋण मिलेगा 8 प्रतिशत पर और उद्योगपति को मिलेगा 5 प्रतिशत पर और वह ऋण भी आप अपने खजाने से देंगे। यह न्याय है क्या उद्योगपति को ऋण 5 प्रतिशत पर और गन्ना किसान को 8 प्रतिशत पर। यह समाजवादी सरकार है ? आप ही की नीति आई है यहां निकल करके। इस पर विचार कीजिए और जो 24 जनपद आपने दिये हैं, हमारे सिंचाई मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं उन 24 जनपदों पर निगाह मार लीजिए आप। उन 24 जनपदों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई क्या आपने जो गन्ना हो जायेगा वहां पर। कई मंत्रियों ने जिनके हाथ में यह विभाग रहा है पहले प्रभावशाली मंत्री रहे अपना प्रभाव डाल करके अपने क्षेत्रों में चीनी मिल लगवाई 5 साल नहीं चल पाई मजबूर हो करके फिर बन्द करनी पड़ी ऐसा तो नहीं है यह। इन बातों पर एक अच्छा विचार होना चाहिए। कौन क्षेत्र किसके लिए उपयुक्त है। आज आगरा कैनाल की बात आपकी तरफ से हो रही थी जब आगरा कैनाल नहीं थी तब आगरे की स्थिति देखिये आगरा ज्यादा खुशहाल था क्यों, वहां पर तिलहन की, दलहन की खेती होती थी और मंहगी बिकती थी जा करके। आज आप बुन्देलखण्ड में जा रहे हैं कि हम गन्ना पैदा कर देंगे और वहां पर जो ट्रेडिशनल क्राप्स हैं वहां की, व्यवसायिक क्राप्स तो होती आई हैं, प्रतिवर्ष होती आई हैं। उरई में चले जाइये मूंग और मसूर वहां की इतनी मशहूर है कि पूरे हिन्दोस्तान की भरपाई करती हैं। इसलिए हमें सोचना यह चाहिए केवल काम बढ़ाने की बात नहीं है, केवल संदेश देने की बात नहीं है छूट देंगे, इतना कंसेशन देंगे, मिल लगवायेंगे, मिल को लगाने वाला नहीं कोई वहां, आप को-आपरेटिव से लगवा लो तो लगवा लो अपने पैसे से वहां, कोई उद्योगपति वहां आने वाला नहीं है उद्योगपति तो वहां सारे सर्वे करने के बाद तभी आयेगा, केवल लुभावनी यह सूचना है कहीं इसका कोई अर्थ नहीं है। कहीं इस बीच का मतलब नहीं है। मान्यवर, मैं संकोच में कहूंगा कि अभी आपके पास में टोटल 124 चीनी मिलें हैं इसमें 100 निजी क्षेत्र की, 23 सहकारिता की और एक बची बचाई निगम की है जो बेच दी उनकी जांच चल रही है कभी लोकायुक्त जांच करते हैं कभी कहीं जांच जाती है। बेचने वाले, मैं कहता नहीं हूं उनके बारे में कुछ, कहने की बात नहीं है ये लगाने की बात कर रहे हैं। जब कभी आपको मौका मिलेगा आप कुछ और बात करेंगे पता नहीं अब तो मेरे ख्याल में हो लिया जो होना था। हो लिया जो कुछ होना था। मैं गन्ने तक सीमित रहना चाहता हूं। इस गन्ने को मान्यवर, वास्तव में अगर कोई भी सरकार सकारात्मक सोच की हो तो बहुत कुछ करने की गुंजाइश इसमें है।

बिन्दु नं0-1, यह 6 महीने का उद्योग है, 6 महीने मिल चलता है। फिर इसके कर्मचारी बेकार हो जाते हैं और उद्योग में जो पैसा लगा हुआ है, वह आता नहीं । हमने क्यों नहीं इस किस्म की कार्य योजना बनाई कि यह साल भर चले। जैसे हम बाहर से रा शुगर मंगाते हैं, कच्ची चीनी

मॅगायेंगे वहां से, उसको रिफाइंड करेंगे, हम वह शुगर क्यों नहीं बनाकर रख सकते हैं अपने पास में । हम क्यों नहीं मिल वालों से बात करके यह करते कि आप इतनी रा शुगर बना लीजिये ताकि साल भर यह उद्योग चलता रहे और यह मजदूरों को मजदूरी मिलती रहे। मान्यवर, हमें धोखा देने के लिये, मैं नाम तो उनका नही लूंगा, लेकिन कई अवसर ऐसे आये, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के किसानों को पीसने के लिये बाहर से रा शुगर मंगाई गयी और वह शुगर मंगवा करके एक क्षेत्र विशेष की शुगर मिलों को चलवाया गया। क्योंकि वहां पर सूखा पड़ गया था, बाहर से शुगर मंगाकर बेची गयी, उसका परिणाम यह हुआ कि चीनी के दाम गिरे और चीनी के दाम गिरने का परिणाम यह हुआ कि किसानों को पैसे नहीं मिल पाये। हम क्यों न यह योजना बना लें कि हमारी सारी की सारी मिलें बजाय 6 महीने के साल भर चले। यह संभव है, अगर आप बैठेंगे, विचार करेंगे तो इसका रास्ता निकल आयेगा। साल भर चलेगा तो मान्यवर, बात ही कुछ और होगी। इस दिशा में तरक्की जरूर होगी। यहां मान्यवर, कोई ऐसी गन्ने की वैराइटी नही है कि जो परमानेंटली 4-5 साल से ज्यादा चल जाये। बदलाव आता है, उसमें इतनी शक्ति नहीं रहती आगे चलने की। महाराष्ट्र में एक बार गन्ना बो दो तो वह 6-7-8 साल तक चलता है। हमारे यहां लगायेगें पेड़ी, मुश्किल से 2-3 साल तक चलती है। कारण क्या है, क्यों नहीं हम इस किस्म की वैराइटी जाकर लाते, अभी कुछ महाराष्ट्र के किसान हमारे यहां आये थे और वह हमारी फसल को देखकर हंस रहे थे। उनका कहना यही था कि उनकी खुशहाली का आधार केवल गन्ने की खेती हो गया और हम जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले हैं, हम उनकी तुलना में गन्ने की खेती को आगे नहीं बढ़ा पाये। इस बात को एक सोच होनी चाहिये और सोच होगी तो निश्चित रूप से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। आपने कई तरीके बताये कि ट्रेन्च खुदवाकर हम गन्ना बुवायेंगे, अब यह 25 साल से तो मैं देख रहा हूं, ट्रेन्च की खेती कामयाब क्यों नहीं होती। इसलिये कामयाब नहीं होती कि न तो हमारे पास इक्यूपमेंट हैं और न ही हमारे पास वह वैराइटीज हैं। जहां ट्रेन्च की खेती होती है, वह क्षेत्र ही अलग होता है। यह बात तो हम किसानों के ऊपर छोड़ दें, जैसी खेती वह करना चाहे, करें। क्योंकि खेती करते-करते उनका अनुभव इतना हो गया कि वह आपके तथाकथित जो वैज्ञानिक हैं, उनसे ज्यादा जान गये हैं। केवल व्यवस्था यह कर दें कि समय पर उनको दवाई मिल जाये, समय पर छिड़काव हो जाये क्योंकि पूर्व में भी मैनें यह सवाल उठाया था, आपके दूसरे साथी थे, वह उत्तर दे रहे थे कि यह बीमारी तो ऐसी कि इसका कोई इलाज नहीं। जब इस बीमारी का इलाज नहीं तो फिर विभाग किसलिये बैठा है और काहे के लिये वैज्ञानिक बैठे हुये हैं। उसका परिणाम यह हुआ कि हमारी फसल साढ़े 7 प्रतिशत पर रूक कर चली गयी। आज हमारे यहां रिकवरी कहां है, साढ़े 8 प्रतिशत आपके हिसाब से है।

भारत का औसत क्या है, साढ़े 10 प्रतिशत । हम क्यों नहीं उसके बराबर में आ रहे हैं। 2 प्रतिशत का औसत कहीं से कहीं ले जाता है। उत्तर प्रदेश में साढ़े 8 से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, क्या कारण है। आप पढ़िये जो आपने लक्ष्य लिखा है, इनका लक्ष्य है कि हम यह सुविधा देकर साढ़े 13 प्रतिशत तक रिकवरी को ले जायेंगे। साढ़े 8 से ऊपर आप बढ़ नहीं पा रहे हैं बल्कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम अंचल में गत वर्ष रिकवरी पौने आठ पर जाकर रुक गयी। इसी कारण से, कि बीमारी लगी और उसका इलाज कुछ हो नहीं सका। इस साल हमारा औसत साढ़े 8 पर आने की उम्मीद है। इस बात को हमें समझना चाहिये। मान्यवर, गन्ने की खेती के रूप में जब आगे बढ़े तो

आपको भी ध्यान होगा कि एक समय ऐसा था जब उत्तर प्रदेश का गुड़ पूरे देश में जाता था, खासतौर से जिस जनपद से हम आते हैं, शामली हो या मुजफ्फरनगर हो, वहां के गुड़ की खपत, महाराष्ट्र में, गुजरात में थी और हमारा गुड़ विदेश तक जाता था, आज पंजाब हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, उस गुड़ का कहीं प्रवेश नहीं हैं। वह अब केवल शराब बनाने के ही काम आता है, क्यों नहीं, हमारी बेईमानी अधिकारियों से मिलकर हम लोगों ने अपनी मानसिक स्थिति को खराब कर लिया है। इतना मसाला उसमें डालने लगे। इतने कैमिकल उसमें डालने लगे कि गुड़ खाने लायक रहा नहीं। आज हमें इस बात की चिन्ता नहीं होनी चाहिए। कि जिन प्रदेशों में गन्ने का नाम नहीं होता था आज उन प्रदेशों का गुड़ उत्तर प्रदेश में आने लगा। विदेशों में हमने देखा कि महाराष्ट्र का गुड़ पैक होकर विदेशों में माल में बिक रहा है। अमेरिका में बिक रहा है तो उत्तर प्रदेश का क्यों नहीं जा सकता। हमने इसको प्रोत्साहन दिया हम केवल गन्ने के बारे में केवल चीनी मिल पर निर्भर न रहें उसका भी तो विकल्प सोचना चाहिए। उसका विकल्प क्या है। आपने जो साहित्य दिया है उसमें गुड़ खाण्डसारी का जिक्र है लेकिन गुड़ खाण्डसारी को प्रोत्साहित करने के लिए आपने क्या किया। मिलों के लिए आपने कहा कि स्टाम्प ड्यूटी में पांच प्रतिशत की छूट देंगे हम बैनामा भी उसका ऐसे करा देंगे लेकिन गुड़ खाण्डसारी की इकाइयों को जिनको गांव के गरीब कश्यप लोग और पिछड़ी जातियां जो इस पर निर्भर करती हैं उनके लिए आपने कोई योजना बनाई है। आपके बजट साहित्य में उनके लिए योजना का जिक्र नहीं है। अगर उसकी योजना नहीं है तो विकल्प क्या है। वह इकाइयां अगर विकसित हो गई होती तो शायद इस बीमारी पर कंट्रोल रहा होता । आपने उसकी लाइसेंसिंग प्रणाली के बारे में बताया इस लाइसेंसिग प्रणाली की वजह से ही हमारी जितनी इकाइयां थीं जितने हमारे सल्फर के प्लांट थे शाहजहांपुर से लेकर आगे तक आपने देखा होगा हर तीन कि0मी0 पर एक सल्फर का प्लांट लगा था सारे के सारे समाप्त क्यों हो गए। वह इसलिए बंद हो गए कि उनका उत्पीड़न इस हद तक किया गया इतना शोषण उनका किया गया कि बंद होने की सतह पर आ गए। लाइसेंस लेने के लिए यहां लाइन लगती थी। बड़ी-बड़ी रकम उनसे वसूल की जाती थी जिस वजह से बंद हो गए । आज हमें इस पर चिन्ता नहीं करनी चाहिए।

अगर कोई आदमी गुड़ बनाने के लिए या खाण्ड बनाने के लिए कोल्हू लगा ले तो कितने विभाग छापा मारने के लिए तैयार खड़े हैं। बिजली वाले अलग प्रदूषण वाले अलग गन्ना विभाग वाले अलग मिल वाला तो सेठ है वह तो इनको अच्छे से चाय पिलाता है और वह लिफाफे में रखकर भी देता है लेकिन उस गरीब आदमी को जो अपनी पत्नी को वहां रखकर अपनी माता को वहां रखकर अपने बच्चों को वहां रखकर अपनी बहन को वहां बिठाकर तीन महीने के लिए चार महीने के लिए व्यवसाय करता है। परिणाम क्या हुआ कि जो लोग इसमें विशेषज्ञ थे जो काफी समय से काम कर रहे थे आज वह बाहर पंजाब में हरियाणा में गुजरात में जाकर काम कर रहे हैं। हमने अपने प्रदेश से उनको निकाल दिया है। आपने कोई नीति बनाई आप अपने भाषण में कम से कम एक शब्द तो कहते कि हम उनको पुनर्जीवित करते हैं। मान्यवर, दो ही विकल्प हो सकते हैं या तो मिल हों या वह हों। मिल के बारे में मैंने बताया आप मिल वालों को जिम्मेदारी दीजिए कि वह अपने क्षेत्र के विकास के लिए भी जिम्मेदार हैं आप उनसे कहिए कि आगे के पांच 10 साल तक आपका क्षेत्र सुरक्षित रहेगा और इसमें आपको यह यह काम करने हैं आपको सड़कों की रिपेयरिंग करनी है। यह उनका व्यवसाय

है अगर नहीं विकसित कराएंगे तो आमदनी नहीं होगी उनके ऊपर हर साल की तलवार लटकाकर हम उन लोगों को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। हतोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। इस पर जरूर विचार होना चाहिए। बस एक दो बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हमारे यहां प्रति परिवार के हिस्से में आधा हेक्टेयर आता है यह हमारी स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए ही हमें कार्य योजना बनानी चाहिए। हमारे पास पंजाब वाले बड़े बड़े फार्म नहीं हैं जब सिंचाई विभाग का बजट चल रहा था तो उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि नहर की सफाई टेल तक होनी चाहिए। और नहरें बन जायें। मान्यवर, आज चुनौती है यह गन्ना किसान के लिए भी और हर किसान के लिए भी। अगर इस विधि में परितर्वन नहीं होगा तो आगे आपको पानी मिलने वाला नहीं है। गन्ने में तो और ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। बाकी राज्यों ने ड्रिप इरीगेशन के लिए बड़ी-बड़ी सब्सिडी देनी शुरू कर दी है उत्तर प्रदेश बिल्कुल पीछे है। इस बार कुछ घोषणा होने वाली थी पता नहीं वह हो पाई कि नहीं हो पाई लेकिन जहां तक मुझे बताया गया था वह 30 या 35 प्रतिशत की है। हरियाणा में 75 प्रतिशत सब्सिडी है ड्रिप इरीगेशन पर, लोग लगा रहे हैं। हम क्यों नहीं लगा सकते, आप इन बातों पर विचार कीजिए हमने केवल सुझाव के लिए यह बिन्दु रखे हैं, समय भी हमें और आपको ऐसा ही मिला बात करने का मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यगणों के भी विचार आ जाएं, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त कर रहा हूं।

*श्री राधेश्याम सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे गन्ना बजट पर बोलने का अवसर दिया। माननीय मंत्री श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी ने 2013-14 का जो गन्ना विकास और चीनी उद्योग का बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका बिन्दुवार समर्थन करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि भारत कृषि प्रधान देश है और देश का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 1935 में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की स्थापना हुई और देश की आजादी के पहले पूर्वांचल में प्रतापपुर चीनी मिल 1903 में ही स्थापित हुई। उन्होंने पहचाना उत्तर प्रदेश की माटी को और जब हम गुलाम थे तो उन्होंने चीनी उद्योग लगाया कि किसानों के घर खुशहाली आयेगी। किसान गन्ने की खेती से अपनी बेटी की शादी करता है, बेटे की पढ़ाई करता है, परिवार की दवाई करता है। गन्ना एवं चीनी उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था की भी धुरी है। हम आपसे कहना चाहते हैं, अभी कटौती का प्रस्ताव बहुत ही वरिष्ठ सदस्य माननीय हुकुम सिंह जी रख रहे थे, इनको अवसर भी मिला है पदों पर रहने के लिए। इनके अच्छे सुझाव भी आये हैं लेकिन इनका कुछ आरोप भी लगा है समाजवादी पार्टी पर, इन्होंने कहा कि 10 सालों में आपने क्या किया है।

मैं निवेदन करके पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 10 साल में समाजवादी पार्टी ने क्या किया, हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में किसान प्राथमिकता पर है और जब-जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है तो किसान हित में काम हुआ है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है तो गन्ने का लाभकारी गन्ना मूल्य मिला है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है तो एक नहीं बल्कि दर्जनों चीनी मिलें स्थापित की गई हैं। हम पूछना चाहते हैं चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, सिर्फ एक बात बता दें कि जब इन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता ने अवसर दिया तो गन्ना किसानों के लिए और चीनी उद्योग के लिए इन लोगों ने क्या किया है। हम 2-3 बिन्दु कहना चाहते हैं कि 1996 से चीनी मिलों की बन्दी का दौर शुरू हुआ है। 1996 में किसकी सरकार थी, कौन मुख्य मंत्री थे, 1996 में चीनी मिल बन्द हुआ।

1998-99 में और 1999-2000 में कौन मुख्य मंत्री था, किसकी सरकार थी ? 1996 के बाद चीनी मिल बंद किया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। चीनी मिल बंद किया गया 2007 से 2012 के बीच में जब ब0स0पा0 की सरकार आयी। अभी मा0 वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि 124 चीनी मिल उत्तर प्रदेश में बची हैं। हम इस पर विचार करें कि 165 चीनी मिल उत्तर प्रदेश में थे, किनकी गलती से, किनकी सरकार में हम 165 से घट करके हम 124 पर आ गये। हम जब आजाद हुए तो उद्योग बढ़ना चाहिए लेकिन हमारे यहां उद्योग बंद हो रहे हैं। वर्ष 2007 से 2012 के बीच में एक बार 21 चीनी मिल को बंद किया गया ब0स0पा0 की सरकार में। हम कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार नई चीनी मिल लगवाती है, हमारी सरकार ने जो गन्ना मूल्य बढ़ाया है अर्ली वैराइटी का 50 रुपये और सामान्य वैराइटी का 40 रुपये, जिसका स्वागत हमारे आदरणीय सदस्य जी ने भी किया है। हम कहना चाहते हैं कि उत्तरांचल को छोड़ करके कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जो उत्तर प्रदेश के बराबर गन्ने की कीमत दे रहा हो। हमारी सरकार की प्राथमिकता है जब 34 रुपये प्रति किलो चीनी थी तो गन्ने का दाम तय हुआ 290 रुपयो अर्ली और सामान्य वैराइटी का 280 रुपयो प्रति क्विंटल। हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि गन्ने का दाम बाकी है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है जो चीनी मिल मालिक गन्ने का दाम नहीं देगा, उसकी जगह चीनी मिल का बंगला नहीं, बल्कि जेलखाना होगा। जो चीनी मिल मालिक गन्ने का दाम नहीं देगा उसे जेल जाना पड़ेगा। हम आपसे कहना चाहते हैं कि गन्ना किसानों की तमाम समस्याओं के संबंध में इन्होंने कहा है कि नई वैराइटी लायी जाए। हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि जो गन्ना शोध केन्द्र मुजफ्फरनगर है या गन्ना शोध केन्द्र, गोरखपुर है या गन्ना शोध केन्द्र गोला खीरी है, गन्ना बीज सम्बर्द्धन केन्द्र, लक्ष्मीपुर कुशीनगर तथा गेंदा सिंह गन्ना शोध केन्द्र व गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान, सेवरही, गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान, गाजीपुर, गन्ना बीज अनुसंधान संस्थान, सुल्तानपुर और बलरामपुर में हमारे शोध केन्द्र हैं। सरकार आये हुए अभी एक साल हुआ, गन्ने की वैराइटी के लिए हायतोबा मची हुई है। जब इन्हें अवसर मिलता है तो यह उन्हें गन्ना मंत्री बनाते हैं जिनके क्षेत्र में पत्थर होता है, वह गन्ने के दर्द को क्या जानेंगे ? इसलिए आलोचना करने से और उसका समाधान करने से जो व्यक्ति समाधान करता है वह किसान हित की बात करता है। गन्ना मूल्य की बात हमारे तमाम साथियों ने कई अवसर पर कही। हम कहना चाहते हैं कि 1996 में गन्ना मूल्य के लिए रामकोला में गोली चलायी गई, किसकी सरकार थी ? पड़रौना में गोली चली, मुण्डेरवा में गोली चली, किसकी सरकार थी ? किसानों की हिमायती बनने वाली ब0स0पा0 और भा0ज0पा0 की सरकार को हम एक लाइन में कहना चाहते हैं कि-

तूने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे,
उन किसानों के आंसू, तेरी आंखों से निकल सकते थे।
तुम तो ठहरे रहे एक झील के पानी की तरह,
दरिया बने होते तो बहुत दूर निकल सकते थे।।

नेता प्रतिपक्ष जब पड़रौना में चुनाव लड़ने गये थे तो उन्होंने कहा था कि हम चुनाव जीत जायेंगे तो कटकुईयां की चीनी मिल चलवा देगें। नहीं चलवाया उन्होंने कटकुईयां की चीनी मिल। हम आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जो गोरखपुर, आनन्द नगर, धुरियापार, पिपराइच, रामकोला, खेतान, लक्ष्मीगंज, छितौनी, गौरीबाजार, बैतालपुर, देवरिया, भटनी और सरदारनगर, कटकुईयां, पड़रौना जो पूर्व की सरकारों में बंद हुए उन चीनी मिलों को चलाया जाए ताकि पूर्वान्चल के किसानों का उद्धार हो और जो चीनी मिलें बंद हैं उनको चला दिया जायेगा तो गन्ना किसानों का भला होगा। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने जो भी बजट प्रस्तुत किया है वह किसान हित में किया है। 400 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है सहकारी गन्ना संघ के चीनी मिलों के लिए। एक चीनी मिल निगम की चल रही है, बाकी निगम की मिलों को किसने बेचा, इसकी जांच भी चल रही है। यह चीनी मिल बैतालपुर की बिकी है 13 करोड़ रुपये में 13 करोड़ में, भटनी बिकी है 4 करोड़ में देवरिया बिकी है 13 करोड़ में, शाहगंज बिका है 9 करोड़ में आपका बरेली बिका है 14 करोड़ में, रामकोला बिका है 4 करोड़ में, छितौना बिका है 3 करोड़ में, हरदोई बिका है 8 करोड़ में, बाराबंकी बिका है 12 करोड़ में, घुघली बिका है 3 करोड़ में। इन बिक्री करने वालों की जांच कराई जाय। जो चीनी मिलें बेची गई हैं जहां 100-100 करोड़ रुपये चीनी मिल की लागत है, जहां 30 से 40 एकड़ आज भी वहां जमीन है। अगर चीनी मिल की क्षमता बढ़ा दी गई होती जो सरकार बनी थी। अगर चीनी मिल की क्षमता बढ़ी होती तो चीनी मिल बन्द नहीं हुई होती तो किसान का भी विकास होता। आज उपज बढ़ा दिया गया।

हमारी सरकार सम्वेदनशील है। अभी पडरौना का चीनी मिल मालिक गन्ना छोड़ करके चीनी मिल बन्द कर दिया उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, कार्यवाही की जायेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई चीनी मिल बन्द नहीं हुई। समाजवादी पार्टी की सरकार ने नई चीनी मिल लगाई और हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को 350 सौ करोड़ रुपये की लागत से हमारे कुशीनगर जनपद में ढाणा में चीनी मिल स्थापित कराने का काम किया। आज ढाणा में चीनी मिल नहीं होती । मैं पूछना चाहता हूं कि पिपराई की चीनी मिल बन्द करने वाले, घुघली की चीनी मिल को बन्द करने वाले, बैतालपुर, देवरिया, भटनी, और गौरीबाजार, पडरौना और सरदार नगर की चीनी मिल को बन्द करने वाले लोगों का गन्ना कहां जाता। इसीलिये क्षेत्रफल कम हो रहा है कि जब चीनी मिल बन्द होती गई तो हम अपना गन्ना बोना कम करते गये। हमें क्षेत्रफल बढ़ाने के लिये, गन्ने की उपज बढ़ाने के लिये हमें नई चीनी उद्योग नीति बनानी होगी और नई चीनी उद्योग के साथ तमाम जिलों का नाम माननीय मंत्री जी ने लिया माननीय मंत्री जी उन जिलों में नई चीनी मिल स्थापित करेंगें। हम आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि कुशीनगर में 9 चीनी मिलें थीं जिसमें से 5 बन्द हो गई। उसमें से लक्ष्मीगंज में जहां जमीन भी है, चीनी उद्योग के स्थापित होने के लिये गेट एरिया भी है, गन्ना क्षेत्रफल भी है वहां एक चीनी मिल स्थापित की जाय। आपने बोलने का अवसर दिया धन्यवाद। एक बार फिर माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

*श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर, आपने मुझे गन्ना विभाग के बजट पर माननीय हुकुम सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं पेशे से किसान हूं इसलिये किसानों की पीड़ा मैं यहां पर बताने आया हूं और गन्ने के लिये जो भी सुझाव देने हैं और आलोचना करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, गन्ना किसान अपने खेतों में जुताई बोवाई करके महंगा डीजल, महंगी खाद, महंगे आधुनिक उपकरण खरीदने के बाद में गन्ने का बीज डाल करके गन्ना बोवाई का काम करता है। गन्ने का बीज अलग से नहीं आता। वही गन्ना जो चीनी मिलों में पेरा जाता है उसको मान्यवर, हम गन्ने के बीज के रूप में बोते हैं। गन्ना बोने में हमको तरह-तरह की परेशानियां होती हैं। उन्नतशील बीज लेने के लिये जब हम जाते हैं चाहे समितियों में जायं, चाहे चीनी मिल में जायं हमको उन्नतशील बीज नहीं मिलता। उसके बाद यह कहा जाता है कि रिकवरी नहीं आ रही। रिकवरी तो तब ही आयेगी जब अच्छा उन्नतशील बीज हम लोगों को प्रदान किया जायेगा। मान्यवर, इस गन्ना किसान में घाघ की कहावत पहले कभी सही बैठती थी आज वह बिल्कुल निष्प्रयोज्य हो गई। घाघ जी कहते थे-

उत्तम खेती मध्यम बान

निषिध चाकरी भीख निदान

(इस समय 06 बजकर 48 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

लेकिन आज खेती और किसान को किस दृष्टि से देखा जा रहा है। सब बैठे हुए है। हमारे 90 प्रतिशत साथी ग्रामीण अंचल से आये लोग हैं। कोई भी नहीं कहेगा कि खेती आज उत्तम है। खेती आज उत्तम नहीं रह गई इसके लिये दोष है। मैं यह बताना चाहता हूं कि चीनी मिल मालिक और किसान के बीच में काम करने का काम समितियों का था। इसके लिये उनकी स्थापना की गई थी। उनको दायित्व दिया गया था कि वह गन्ना किसान की बात, गन्ना किसान की परेशानियों को चीनी मिल मालिकों को बतायेंगें। पहले गन्ना किसानों का सत्ता बनाने का काम, सर्वे करने का काम, पर्ची देने का काम, पेमेंट देने का काम वह समितियां करती थीं लेकिन अब यह अधिकार इन गन्ना समितियों के पास नहीं हैं अब उन्हीं चीनी मिल मालिकों के पास है और उन्हीं के सहारे हम लोग है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपकी जो विकास दर है, चाहे मंहगाई दर हो, चाहे सकल घरेलू उत्पाद हो, चाहे शेयर बाजार हो, चाहे प्रति व्यक्ति आय हो, आज सब कुछ कृषि पर निर्भर करता है। 35 प्रतिशत आय कृषि के द्वारा होती है। मान्यवर मैं आपको बताना चाहता हूं केन्द्र का मूल्य निर्धारण करने का एक जो एस0ए0पी0,स्टेट एडवाइजरी प्राइज, और केन्द्र का रेट 170 रुपये घोषित हुआ है और इस साल 290 रेट अगड़ी प्रजाति के लिए और सामान्य के लिए 280 और 275 रुपये, यह जो रेट बढ़े 2006 और 2007 में, गन्ने के दाम 123 रुपये अगली प्रजाति का और सामान्य प्रजाति का मान्यवर 118 और 115 रुपये था, वह रिजेक्ट वैरायटी का था, मान्यवर इस तरीके से डेढ़ सौ रुपये गन्ने का दाम बढ़ाने का काम 2007 में किया, सरकार संभालने के बाद 2012 के बीच हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने किया। मान्यवर, जैसा कि 1966 का शुगर केन कन्ट्रोल एक्ट है जिसमें 14 दिन बकाए के बाद 15 परसेन्ट ब्याज का प्राविधान है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पहली बार ब्याज दिलाने का काम हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने किया। मान्यवर, जैसा कि हमारे हुकुम सिंह जी ने बताया कि गन्ना समितियों में गन्ना पर्यवेक्षकों की कमी हैं। दस हजार पद पर्यवेक्षक के हैं उसके सापेक्ष में 3200 हैं।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया-

140 पद हैं उसके सापेक्ष 157 हैं एक चीज आपके माध्यम से बताना चाहता हूं इन सोसायटीयों के पास भी.....

श्री अध्यक्ष-

अब बैठें।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया-

मान्यवर, हमें रखना था कटौती का प्रस्ताव, उस हिसाब से रखे हैं मौर्या जी ने कहा है, बोलने का समय दीजिए, महत्वपूर्ण बात है इसलिए कह रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष-

अपने क्षेत्र का बताओ।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया-

हम तो पालिसी की बात बतायेंगे। मान्यवर, कृषि सोसायटियों के पास कृषि फार्म हैं और 168 गन्ना सोसायटी हैं तकरीबन पचास गन्ना सोसायटियों के पास फार्म हैं। मैं ऐसी बहुत सी कृषि सोसायटियों को जानता हूं जिनके पास 16-16 एकड़ 20-20 एकड़ जमीन है और उन पर अतिक्रमण है मैं कहना चाहता हूं कि उन पर पौधशाला बनाई जाए, बीज उगाने का काम किया जाए, तो हमें अच्छा खासा बीज मिल सकता है। मान्यवर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि रिकवरी के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई कि रिकवरी कम है। महाराष्ट्र में रिकवरी साढ़े दस है और हमारे यहां की रिकवरी नौ है। मान्यवर, जब समय से किसानों को पर्ची नहीं मिलेगी, गन्ना नहीं काटा जाएगा वह गेहूं नहीं बो पाएंगे वह दलहन, तिलहन नहीं बो पाएंगे वह अपना गन्ना काटकर रख देते हैं पर्ची के इंतजार में मान्यवर,

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया-

जाम लगा रहता है उनको समय से पर्ची नहीं मिलती है यह उन्नतशील बीज नहीं देते हैं। एक और गम्भीर समस्या है रिजेक्ट प्रजाति, क्योंकि मिल गेट पर कोई भी समिति का प्रतिनिधि कर्मचारी नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष-

सोलंकी जी आप बैठिए आप सिंचाई पर बोल चुकी हैं।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया-

गन्ने में डिफरेंस जो है वह मान्यवर, क्रय केन्द्रों का और मिल गेट का साढ़े आठ रुपयो है।

श्री अध्यक्ष-

अरे अब बैठिए।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया-

पूरी बात तो आने दीजिए हमने अध्ययन किया है पूर्व में साढ़े ग्यारह बजे तक, सदन चला है। मान्यवर, साढ़े आठ रुपये का जो अन्तर है यह तीन और चार रुपये होता था। सेन्टर 15-16 किलोमीटर दूर है मान्यवर, और उनका अन्तर बहुत ज्यादा है। इसको कम किया जाए। समिति का कमीशन तीन परसेन्ट आता है इस प्रकार 170 रुपये पर पांच रुपये दस पैसा आता है उसमें 75 परसेन्ट समिति को जाता है और 25 परसेन्ट कौंन्सिल को, सड़कें बनाने के लिए जो मा0 मंत्री जी ने कहा 300 किलोमीटर सड़कें परिषदों द्वारा बनेगी 140 परिषदें हैं एक परिषद पर सवा दो किलोमीटर पड़ा और एक समिति के अन्दर सौ से ऊपर गांव हैं।तो एक-एक मीटर एक गांव में नहीं आएगा। तो मान्यवर मैं यह कहना चाहता हूं स्टेट एडवाइजरी जो प्राइज है..

श्री अध्यक्ष-

अब खत्म करें।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया-

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष-

शेरू जी, अब आप बैठिए। मदन चौहान जी, आप बोलिए।

(श्री मदन चौहान ने बोलना प्रारम्भ कर दिया, लेकिन श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या बोलते रहे, माइक ऑफ कर दिए जाने के कारण उनकी बात सुनाई नहीं दी)

*श्री मदन चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं, आपने मुझे गन्ना विभाग के बजट पर माननीय मंत्री जी के द्वारा जो रखा गया है, उसके समर्थन में बोलने का मौका दिया। मान्यवर, काफी अर्से के बाद मुझे बोलने का मौका मिला है। सभी लोग जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि किस तरह से गन्ने की आपूर्ति होती है और गन्ने का रेट किस प्रकार से मिलता है। मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं है,

(श्री मदन चौहान, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या तथा कुछ अन्य सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था)

श्री अध्यक्ष-

शेरू भैय्या, जो कुछ बोलने से रह गया हो, उसे आप लिखकर दे दीजिए।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, जब तक हमारा गन्ना किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक प्रदेश तरक्की नहीं कर सकेगा और गन्ना किसानों की खुशहाली के लिए नीयत साफ होनी चाहिए। मान्यवर, इसके पहले की सरकार की नीयत साफ नहीं रही है।

श्री अध्यक्ष-

शेरू भैय्या, आप जिद्द न करें, बैठें। आप लिखकर दे दीजिए। जो कटमोशन रखता है, उसे ज्यादा समय मिलता है। अब आप कहें कि जितना हुकुम सिंह जी बोलेंगे, उतना ही मैं बोलूंगा तो यह कैसे सम्भव है। अब आप बैठिए। आप प्रक्रिया को भी समझिए, आप विधायक हैं। आप अपने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आचरण से इसकी गरिमा को भी बढ़ाओ। आप लिखकर दे दीजिए, जो कुछ रह गया है, उसे आपका कोई दूसरा साथी बोल देगा।

(श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या लगातार बोलने का प्रयास करते रहे लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया)

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, जब तक गन्ना किसान खुशहाल नहीं रहेगा तब तक हमारी सरकार का बने रहना औचित्यपूर्ण नहीं है। मान्यवर, जब तक नीति और नीयत साफ नहीं होगी, तब तक हम किसी भी किसान को चाहे गन्ने का किसान हो, चाहे गेहूं का किसान हो, उसकी खुशहाली नहीं हो सकती है। नीयत की बात मान्यवर, मैं इसलिए कह रहा हूं, जब पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो काफी गन्ना मिल लगे। एक वह सरकार थी जिसकी नीयत किसानों के प्रति इतनी खराब थी, जिसने लगे लगाये चीनी मिल बेच दिए और उसमें इतना बड़ा घोटाला किया, उन गन्ना किसानों का नेवाला छीनने का काम पूर्व की सरकार ने किया है। मान्यवर, मैं नीयत की बात कर रहा हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है, 27 प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, 30 लाख किसानों का भविष्य इस पर निर्भर करता है, उनके परिवारों का भविष्य निर्भर करता है। मान्यवर, आज जिस रेट में चीनी बिक रही है, उसके अनुपात में आज जिस तरह का रेट समाजवादी पार्टी की सरकार ने, हमारे मुखिया ने दिया है, उसका उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता है। मान्यवर, समस्याएं हैं, जब तक गन्ना किसान, समिति और शासन तथा मिलों के बीच में समन्वय नहीं होता तब तक गन्ना किसान खुशहाल नहीं हो सकता है। मान्यवर, हमारे 3-4 सुझाव हैं, उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कई-कई दिनों तक गन्ने की लदी ट्राली मिलों पर खड़ी रहती है, 3-3, 4-4 दिन तक किसान मिल पर रहता है, मान्यवर, उसमें मिल वालों की मोनोपॉली चलती है, उस मोनोपॉली को रोकने के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसान आए, अपनी ट्राली, अपनी बुग्गी पल्टे और तुरन्त अपने घर चला जाए वह जो वहां पर ड्रिल लगाकर उसको माल में डालने का काम है वह मिल का होना चाहिए। मान्यवर, सुरक्षा के नाम पर आज भी गन्ना किसानों का शोषण है। यह शासन की मिलीभगत से होता है। मैं अपने यहां का उदाहरण देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका हो गया। अब आप बैठिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे गन्ना के बजट पर कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

(इस बीच श्री मदन चौहान बोलते रहे लेकिन माइक आफ होने के कारण उनका भाषण सुनाई नहीं दिया)

(श्री अभय नरायन सिंह पटेल जी अपने स्थान से कुछ बोलते रहे लेकिन उनका माइक आफ था, विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

दीक्षित जी बैठिये। सुनिये, आप हमको मत धमकाइये। इस धमकी से बोलोगे। बैठिये। माननीय मदन चौहान जी बैठ जाइये। माननीय लल्लू जी बोलिये।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर शोर)

(शोरशराबे के मध्य)

(श्री अभय नरायन सिंह पटेल कुछ बोलते हुए सदन से चले गये। श्री अम्बिका चौधरी के कहने पर वह सदन में वापस आ गये)

श्री अध्यक्ष-

अरे आप बैठो। माननीय मदन चौहान जी बैठ जाइये। जब आपको कह दिया कि बैठ जायें तो आपको बैठ जाना चाहिए और आप ही ऐसा करेंगे तो विपक्ष के लोगों को और मौका मिलेगा।

(श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया के खड़े होकर अपनी बात कहने पर उनका माइक आफ था।)

श्री अध्यक्ष-

बैठो, शेरू भैय्या बैठो न। हम उनको भी मना करते हैं। आपके चिल्लाने से फायदा नहीं है।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, कभी-कभी सदन में कुछ एक-आध वाक्य ऐसे हो जाते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि सत्तापक्ष या विपक्ष के किसी भी माननीय सदस्य से गलती से ऐसे शब्द निकल गये हों जिससे पीठ पर किसी तरह का आक्षेप होता है उसको कार्यवाही से निकाल दीजिएगा। हम लोगों में किसी की मंशा ऐसी नहीं थी।

श्री अध्यक्ष-

मैं कार्रवाई से तो निकाल दूंगा लेकिन कोई अगर जानबूझकर बोलता है।

(श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया के अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैं आपसे नहीं कह रहा हूं। क्या चाहते हो। गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। इसके लिए नियम हैं और नियम का कड़ाई से जब पालन होने लगेगा तो चिल्ला नहीं पाओगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

ऐसे चिल्लाने से काबिल विधायक नहीं होता है। कभी-कभी शांत रहना होता है।

श्री अध्यक्ष-

कहा जाता है तो आपको शांत रहना चाहिए। आप बैठिये। आपको बैठना पड़ेगा।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जैसाकि आप जानते हैं कुशीनगर जनपद गन्ना, गण्डक और गरीबी से भरा क्षेत्र है और पूरा क्षेत्र गन्ना पर आधारित है वैसे ही मैं एक ऐसे पिछड़े विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज से उस विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने आया हूं। जैसा आप जानते हैं अभी हमारे विधायक श्री राधेश्याम सिंह जी ने पडरौना चीनी मिल का जिक्र किया। पडरौना चीनी मिल का जनान्दोलन इस बात का गवाह है जब इस चीनी मिल को चलाने के लिए जनान्दोलन हुआ था उस समय मैं छात्रसंघ का अध्यक्ष हुआ करता था। उस समय चीनी मिल में मैं कुंवर आर0पी0एन0 सिंह

जी के नेतृत्व में जो इस समय भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री जी हैं, 17 दिन जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सौभाग्य इसलिए कहता हूं कि उस इलाके के क्षेत्र की समस्या के लिए जेल जाने का अवसर हमें मिला था। उस समय, जो इस समय की मुख्यि हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी भी मौके पर आई थीं और एक भुल्लन नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी पुलिस की गोली से। आज भी यह स्थिति है कि पडरौना चीनी मिल और कठकुइयां चीनी मिल दोनों बन्द हैं । पिछले साल तो पडरौना चीनी मिल जैसे-तैसे चला, लेकिन इस साल पडरौना चीनी मिल की स्थिति यह है कि वह चीनी मिल जिसका जिलाधिकारी ने उद्घाटन भी किया और उद्घाटन होने के बाद वह चीनी मिल बन्द हो गई और उस चीनी मिल में जो मजदूरों का बकाया 1997-98 में चार करोड़ रुपयो था और इस साल का एक करोड़ रुपयो कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपयो मजदूरों का बकाया है, 11 करोड़ रुपयो 1997-98 में किसानों का बकाया था और चार करोड़ रुपयो इस साल का, कुल मिलाकर 15 करोड़ रुपयो किसानों का और पांच करोड़ रुपयो मजदूरों का बकाया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, आज की डेट में वह चीनी मिल नीलाम होने जा रही है। उस इलाके के लोग गन्ने पर आधारित हैं, वहां के क्षेत्र के नौजवान का भविष्य, वहां के क्षेत्र के लोगों का भविष्य गन्ना चीनी मिल पर आधारित है, अगर गन्ना चीनी मिल बिक गया तो वहां के इलाके के लोगों को खाने के लाले पड़ जायेंगें और उस इलाके के लोगों को ढेर सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारे बीच में प्रमुख सचिव भी बैठे हैं, इनसे चर्चा हुई थी, गन्ना अनुसंधान केन्द्र का एशिया स्तर का दूसरा गेंदा सिंह अनुसंधान केन्द्र हमारे विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में स्थित है और स्थिति यह है कि वह उपेक्षा का शिकार है, वहां पहले डायरेक्टर हुआ करते थे, वहां वित्त की व्यवस्था थी और आप भी जानते हैं, गेंदा सिंह जी का नाम गन्ना सिंह रखा जाता था और आज की डेट में वह गन्ना अनुसंधान ठप पड़ा है। वहां डायरेक्टर से लेकर उप डायरेक्टर तक की नियुक्ति नहीं है और किसी तरह वहां निदेशक के बजाय वहां के तमाम लोग उस कार्यालय को चला रहे हैं, आज भी अभी देख लीजिए आप, समाचार पत्रों से तमाम चीजों की जानकारी रख सकते हैं वहां आज इसी साल में उसको अच्छी गन्ने की प्रजाति पैदा करने के लिए उसे अवार्ड भी दिया गया है। ऐसे में मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि वहां डायरेक्टर की व्यवस्था की जाय और वहां वित्त की व्यवस्था की जाय, जिससे वह गेंदा सिंह गन्ना संस्थान ठीक-ठाक ढंग से चल सके। मान्यवर, एक सुझाव आपके माध्यम से देना चाहता हूं, गन्ना घटतौली के बारे में, यह सारे सदन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। गन्ना की घटतौली पर मा0 अध्यक्ष जी जानते हैं आज केवल ढाई सौ रुपये जुर्माना है। अगर चीनी मिल मालिक पकड़ा जाता है तो उससे मात्र ढाई सौ रुपयो जुर्माना लिया जाता है, नियम यह है, जबकि वह हजारों-हजार कुन्तल गन्ना खाकर, मात्र ढाई सौ रुपये जुर्माना देकर छूट जाता है और व्यक्ति अगर किसी तरह का काम करता है तो उसके विरूद्ध 3/7 का मुकदमा दर्ज किया जाता है। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि ऐसे मिल मालिक जो घटतौली में पकड़े जाते हैं तो कम से कम इनके ऊपर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना किया जाय ताकि कोई भी गन्ना घटतौली करता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सके। मान्यवर, इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि गन्ना जो हम लोगों के शुगर

फैक्ट्री सेवरही में है या तमाम जगहों पर है, एक प्राविधान है, नियम है कि अगर 15 दिन के अन्दर वह गन्ना किसानों का भुगतान नहीं करता है या यार्ड में दो से तीन दिन तक अधिक गन्ना खड़ा रहता है तो उसका उसको मुआवजा मिलना चाहिए या 15 दिन से अधिक करता है तो उसके ऊपर ब्याज लग कर उसका पैसा मिलना चाहिए नहीं तो उस मिल के खिलाफ मुकदमा लिखना चाहिए। उठाकर देख लीजिए पूरे प्रदेश की चीनी मिलों का हमारी सेवरही चीनी मिल का जो हर साल ठीक रहता था, पता नही इस साल क्या हो गया कि अभी डेढ़ महीने का गन्ना भुगतान बाकी है और किसान दर-दर की ठोकर खा रहा है, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से मांग करूंगा कि तत्काल जो व्यवस्था है शासन में, नियम है, उसके अनुसार गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाय। मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

*श्री अभय नारायण सिंह पटेल-

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से गन्ना विकास एवं चीनी मिल के बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत गन्ना विकास विभाग के बजट पर बोलने के लिये मुझे अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं आजमगढ़ जनपद की सगड़ी विधान सभा सीट से चुनकर आया हूं जो प्रदेश का काफी पिछड़ा क्षेत्र है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आदरणीय लोकमान्य तिलक जी ने कहा था कि ''हिन्दुस्तान में किसान राष्ट्र की आत्मा है'' और दूसरे हमारे लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि ''अगर धरती पर किसी को सीना तानकर चलने का अधिकार है तो धरती पर धन्य-धान्य पैदा करने वाले किसान का है।'' मैं इसी के साथ अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुये कहना चाहता हूं कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र सगड़ी में गन्ने की खेती का पर्याप्त क्षेत्र है। घोसी मिल पर सबसे ज्यादा गन्ना हमारे क्षेत्र से ही जाता है। यही कारण है कि प्रदेश की पहली शुगर मिल मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सटे हुये जनपद देवरिया में वर्ष 1903 में स्थापित हुयी थी। मा0 अध्यक्ष जी, वर्ष 1948-49 में उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास परिषदों के गठन के उपरान्त गन्ने के क्रय-विक्रय सम्बन्धी क्रिया-कलापों और गन्ने की खेती पर काफी प्रभाव पड़ा। मान्यवर, हमारी सरकार गन्ना विकास समितियों के माध्यम से गन्ने के विपणन की व्यवस्था कराती है तथा ऋण सुविधा मुख्यतः उर्वरक, गन्ना बीज, कीटनाशक तथा जमाव वर्धन आदि की सुविधायें उपलब्ध कराती है। मा0 अध्यक्ष जी, हमारी सरकार द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से गन्ना किसानों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया जाता है। मान्यवर, सम्पूर्ण भारतवर्ष के कुल गन्ना क्षेत्रफल का लगभग 43 प्रतिशत क्षेत्रफल अकेले उत्तर प्रदेश में है। गन्ना विकास विभाग द्वारा अन्तर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि किसानों को चीनी मिलों तक गन्ना ले जाने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के अन्दर गन्ने की ऐसी प्रजातियां विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है कि अगैती तथा पिछड़ी दोनों प्रजातियों का गन्ना पैदा किया जा सके और चीनी का पर्ता अधिक से अधिक आये। मान्यवर, मेरी सरकार द्वारा अन्तर ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-23 में रु0 5,750 लाख तथा अनुदान संख्या-83 में रु0 550 लाख अर्थात् कुल 6,300 लाख रुपये की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवस्था की जा रही है, जो पूर्ववर्ती सरकारों की अपेक्षा काफी अधिक है। इससे लगभग 300 कि0मी0 लम्बी सड़कों का निर्माण कराया जाना अनुमानित है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अन्त में मैं एक अनुरोध करते हुये अपनी बात को विराम दूंगा। मेरे क्षेत्र में घाघरा नदी के किनारे एक बांध बना हुआ है, जो महुला-गढ़वल बांध के नाम से जाना जाता है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उक्त महुला-गढ़वल बांध पर हैदराबाद से इस्माइलपुर तक अधूरे कि0मी0 मार्ग को उक्त योजनान्तर्गत पिच करवाने का आदेश देने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत गन्ना विकास विभाग के बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

श्री लोकश दीक्षित जी।

श्री लोकेश दीक्षित-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया।

(तत्पश्चात् बहुजन समाज पार्टी के मा0 सदस्य श्री लोकेश दीक्षित के साथ मा0 सदस्य श्री रोशन लाल वर्मा के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप दोनों तय कर लो कि कौन बोलेगा।

श्री लोकेश दीक्षित-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मेरा नाम ले दिया, मेरा नाम पुकार दिया।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अरे, भाई रोशन लाल वर्मा जी, आप उनसे कह दीजिये कि बैठ जायें, आपके साथी हैं। आपको भी बुलवा देंगे उनके बाद।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग जितने इधर बैठे हैं। हम लोगों का नाम ''डाट खां'' रख दीजिये। आप जितना हम लोगों को डांटते हैं अध्यक्ष जी। आप जो निर्देश देते हैं, हम लोग आपका सम्मान करते हुए आपकी बात मानते हैं। मैं मा0 नेता भाजपा, मा0 हुकुम सिंह जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देने लिए आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको बहुत-बहुत, बधाई देता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, हमारे जनपद शाहजहांपुर में एक डालमिया चीनी मिल, एक रोजा चीनी मिल, एक तिलहर सहकारी चीनी मिल है। मा0 अध्यक्ष जी, एक प्राविधान है कि राजस्व नियमावली में कि एक काश्तकार, के पास जमीन 5 हेक्टेयर से ज्यादा जमींदारी उन्मूलन के अंतर्गत नहीं हो सकती है। मा0 अध्यक्ष जी, जिनके पास एक हेक्टेयर जमीन भी नहीं है मा0 अध्यक्ष जी, ऐसे लोगों ने, जिनके पास एक बिसवां जमीन नहीं है, मैनें शिकायत की थी, मा0 अध्यक्ष जी, मा0 इन्हीं के अधिकारीगण बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

उनका संज्ञान नहीं लिया जाता है।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मैंने वहां भी शिकायत की, लेकिन किसानों के प्रति इनकी सरकार के अधिकारी और यह सब इतने उदासीन हैं, हम सबूत देने को तैयार हैं। मा0 अध्यक्ष जी, यह किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं और उसकी जांच करायी गई, मा0 अध्यक्ष जी। यह इसी सरकार के अधिकारियों की जांच है, जिनके पास एक बिसवां भी जमीन नहीं है, मा0 अध्यक्ष जी, एक-एक नाम से 10-10 हजार कुन्तल के सट्टा फर्जी गन्ना माफियाओं द्वारा बनवाएं गए। क्या माफियाओं को इस सरकार को संरक्षण प्राप्त है उनमें इनके बड़े-बड़े कुछ नेताओं का भी हाथ है। आखिर क्या वजह है जो माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही नहीं का जा रही है। मा0 अध्यक्ष जी, किसान विरोधी यह सरकार, जो किसानों के बल पर यहां पर आई है, किसानों की ही बदौलत यहां आई थी, और किसानों का शोषण अब बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, हमारे पास जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट है। यह उदाहरण के तौर पर क्षणिक जांच है। इसमें जांच करायी गई, मा0 अध्यक्ष जी।

(सत्ता पक्ष से आवाज आईं कि इनकी भी जांच करायी जाए।)

आपके ही अधिकारियों की जांच है, जिनकी शून्य जमीन है, जिनके पास एक बिसवा भी जमीन नहीं है मा0 अध्यक्ष जी, हजारों फर्जी पट्टा माफियाओं द्वारा बनवाये गये हैं और उसकी जांच रिपोर्ट मेरे पास है, गन्ना माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही न करके डालमिया चीनी मिल के छोटे कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई।

(सत्ता पक्ष की तरह से आवाज आई, मा0 विधायक की भी जांच होनी चाहिए।)

जांच करा दीजिए कौन मना कर रहा है, जेल भिजवाइये जो गलत हो, हम गलत हो तो हमें भी जेल में भिजवाओ। हमारा जनपद, शहीदों की नगरी के नाम से जाना जाता है मा0 अध्यक्ष जी, ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां जिस जनपद में पैदा हुए हो और उस जनपद के किसानों का क्या इस तरीके से शोषण किया जायेगा ? यह उन्हीं क्रांतिकारियों की बदौलत है कि हम सब लोग चाहे इधर के लोग हो, चाहे उधर के लोग हो उनकी बदौलत ही आज हम यहां बैठे हैं। हम तो कह ही रहे हैं कि जांच कराइये। मा0 अध्यक्ष जी, मेरे पास सारे रिकार्ड हैं, सारे प्रूफ हैं, जांच रिपोर्ट आप के अधिकारियों की है, हमारे अधिकारियों ने तो जांच करायी नहीं।

(सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों के बीच में टोकने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य श्री रोशन लाल जी आप अपनी बात रखिए।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, इनको ज्यादा घमण्ड करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा घमण्ड करेंगे तो हम तो इधर तब भी आ गए, ये अगली बार इधर भी नहीं पाएंगे, कहीं बाहर बैठे होंगे। हम इधर तब भी आ गए हैं, आप अगली बार बाहर बैठे होंगे, बाहर। मान्यवर, आप कृपया सदन को

व्यवस्थित कराने का कष्ट करें। मान्यवर हमारे यहां सन्डा क्रय केन्द्र है। मान्यवर एक ही खेत में पहले धान बोया गया फिर गन्ना बो दिया गया यह कैसे हो सकता है। उन माफियाओं ने कृषकों को डरा-धमका कर यह कार्य कराने की बात की। इसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है। मान्यवर, आप भी किसान हैं मैं भी किसान हूँ और मैंने हल जोता है यह कैसे सम्भव है कि धान की खेती के बाद उस पर गन्ना लग जाये।

श्री अध्यक्ष-

जो आपकी शिकायतें हैं लिख करके दे दीजिए। हम माननीय मंत्री जी के पास भिजवा देंगें।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, जो हमारे यहा सहकारी बैंक की जिला शाखा निगोही में है और बैंक आफ बड़ोदा की संण्डा में शाखा है उसमें आप फर्जी खातों की जांच करवा लें। वहां बड़े पैमाने पर फर्जी खाते खुलवाये गये हैं और करोड़ों रुपये का पेमेण्ट निकाला गया है। आखिर इसका कारण क्या है इसकी जांच होनी चाहिए, और इसमें दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी होनी चाहिए (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैंठे। माननीय राममूर्ति वर्मा जी बोलना चाहते हैं।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुवें कातिल में है। वक्त आने दें। हम बता देंगे। अभी से क्या बतायें कि क्या हमारे दिल में है।

श्री अध्यक्ष-

मैं यह चाहता हूं कि पक्ष के माननीय सदस्य तो माननीय मंत्री जी से मिलकर अपनी बात कर लेंगें विपक्ष के दो-तीन सदस्य जो बोलना चाहें वह बोल लें और प्रस्ताव को पारित करा दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अगर आपके आदेशों का पालन नहीं होगा तो मान्यवर यह कार्यवाही कैसे चलेगी। कोई भी सदस्य हों आपसे अनुमति लेकर ही बोल सकते हैं अब यह जिद करेगें तो मान्यवर यह तो ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

श्री रोशन लाल जी अब आप बैठ जांय। आप लिखकर के दे देंगे।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल यह है, मान्यवर, मैं कोई व्यवधान नहीं चाहता हूं मेरे ऊपर विनम्रतापूर्वक कृपा कीजिए । यह माननीय बहुजन समाज पार्टी के लोग....

श्री राम मूर्ति वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी,

श्री अध्यक्ष-

माननीय राममूर्ति जी बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाह रहा हूं, सदन है इसकी गरिमा है, सबको पूर्ण अधिकार है बोलने का और प्रतिपक्ष की तरफ से ही बहुत माननीय सदस्य बोलें हैं और संसदीय परम्पराओं में मान्यवर, यह भी होता है यदि कोई ऐसी बात आती है तो हम लोग सवाल पूछ सकते हैं जानकारी ले सकते हैं। और इन बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहन जी के भाई जो यहां पर बैठे हुए हैं इन्होंने पूरे प्रदेश की चीनी मिले बेची जैसे दहेज में मिली हों इनको।

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान बना रहा)

(व्यवधान के मध्य)

जैसे दहेज में मिली हुई हों, इन्होंने यही काम किया है हमेशा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राणा साहब, चलने दीजिए।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

आप हमारी बात सुनिये। जिन्होंने मिले बेच ली हो, जिन्होंने गन्ना मिले बेच ली हो, जिन्होंने किसानों की इज्जत बेच ली हो, जिन्होंने किसानों की आबरू बेच ली हो, इन्हें गन्ने का क्या पता कि गन्ना क्या होता है, इनके नेता को नहीं पता।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आप मंत्री हैं हमसे कम जिम्मेदारी आपकी नहीं है सदन चलाने की। इसको, दो चार लोग बोलने वाले हैं बोलकर बजट पास करा दें और हम सब चलें। सब ऊब रहे हैं दिन से बैठे हैं इसलिए आपसे मेरा आग्रह है आप शांति से बैठे।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, गन्ने की 4 वरायटी रौशन लाल जी बता दें, नाम बता दें, बस समझ में आ जायेगा कि गन्ने के बारे में कितना जानते हो, गन्ना कितने इंच पर बोया जाता है यह बता दो और गन्ने के कौन-कौन से बीज होते हैं 4 नाम बता दो, सुन ले तो समझ लें कि गन्ने के बारे में कितना जानते हो।

(श्री रोशन लाल वर्मा एवं अन्य माननीय सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

रोशन लाल जी बैठ जायें, राम मूर्ति जी को बोल लेने दो तब बोलना।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, सुबह से बहुत ही संयमित और अनुशासित तरीके से सदन चल रहा है। पीठ किसी एक पक्ष का नहीं होता आपके संरक्षण में सभी हैं। सदन में व्यवधान डालने के लिए जानबूझ करके श्री राणा जी बार-बार ओछी हरकते करते हैं और साथ ही साथ इनको शायद यह नहीं मालूम कि जिस बहन मायावती की बात करते हैं हाथी की बात करते हैं, डा0 अम्बेडकर की बात करते हैं, मान्यवर कांशीराम की बात करते हैं, उन्हीं की दया पर पहली बार इस सदन में आने का इनको मौका मिला है और ऐसी घटिया मानसिकता के लोग इतने नमक हराम हो जायेंगे, हम नहीं समझते हैं, इस प्रकार की बात करते हैं। इसलिए मान्यवर, आपसे मैं केवल इतना निवेदन करता हूं कि

अगर हम अनुशासन में रहते हैं तो सत्तापक्ष को भी अनुशासन में रहना चाहिए और मान्यवर, अगर सत्तापक्ष अनुशासन तोड़ेगा तो हम यहां चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे हैं उसका जवाब हम देने का काम करेंगे इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपका संरक्षण मिलना चाहिए और इस प्रकार का सदन को अव्यवस्थित करने का काम नहीं करना चाहिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष का हम बहुत आदर करते हैं । यह बात ठीक नहीं है कि किसी बात पर अनावश्यक उत्तेजना पैदा करने की बात कोई भी सदस्य करता है तो यह बात अनुचित है लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष बहुत सम्मानित हैं उनको इतनी जल्दी इतने तैश में आना उनके मर्यादा के अनुरूप नहीं है और यह कहना कि हम चूड़िया पहन के नहीं बैठे हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, युद्ध का मैदान यह नहीं है, जहां कोई ऐसी बात करने की आवश्यकता हो आप करें, आप नेता हैं यह आपकी मर्यादा के अनुरूप यह शब्द नहीं है यह मैं निवेदन माननीय अध्यक्ष जी करना चाहता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

हम यहां अपमान झेलने के लिए नहीं बैठे हैं सत्तापक्ष अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके अगर यहां माननीय सदस्यों का अपमान करने की कोशिश करता है तो हम अपमान सहने के लिए यहां नहीं हैं। मैं अपने नेता विरोधी दल कक्ष में टी0वी0 पर यह आपत्तिजनक बात सुनकर ही यहां आया हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, हम दुबारा से कहते हैं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष के चीख देने से उनके शक्तिशाली होने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। हम तो पूरी विनम्रता से उनका सम्मान करते हुये यह कहना चाहते हैं कि आप तो कम से कम मर्यादा रखिये यदि किसी से कोई त्रुटि भी हो गयी हो और आप ही जब महन्त जी के यहां जायेंगे। आप मुझे आधा मिनट दे दीजिये, एक किस्सा बता दूं। मान्यवर, एक शिकायत हुयी कि एक मठ पर एक शिष्य वह दूसरी दिशा में खड़ा होकर पेशाब कर रहा था तो उन्होंने कहा कि यह तो बड़ा अनुचित हो गया, आप महन्त जी के यहां चलिये । तो महन्त जी घूम-घूमकर कर रहे थे तो सदस्यों के आचरण की जहां बात हो और नेता प्रतिपक्ष खुद चीखने लगें तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। मैं पूरी विनम्रता से यह कहना चाहता हूं आप बांह मत चढ़ाइये। हम आदर कर रहे हैं, कोई अनुचित बात नहीं कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि उत्तेजना में कोई भी शब्द कहें जायें, यह ठीक नहीं है और नेतागण खासतौर से इस बात का ध्यान रखें। नेता प्रतिपक्ष तो पूरे विपक्ष के नेता हैं और इतनी जल्दी नमकहराम जैसे शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। दूसरा मान्यवर, मेरा यह कहना है कि अगर सर्टीफिकेट कहीं कमजोर हो रहा हो और कहीं नौकरी जाने का खतरा हो तो आप कह सकते हैं, तब कोई एतराज नहीं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, हम केवल इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि जब हम अनुशासित तरीके से बैठते हैं तो मैं अनुशासित रहने की अपेक्षा भी करता हूं। माननीय राणा जी कोई नये सदस्य नहीं हैं, माननीय राणा जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हो गये। माननीय राणा जी सरकार में माननीय मंत्री भी हैं, इसलिये माननीय मंत्री को भी अपने आचरण का ख्याल रखना चाहिये और जब माननीय मंत्री जी अपने आचरण का ख्याल रखेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनके सम्मान का ख्याल केवल सत्ता पक्ष नहीं,

बल्कि विपक्ष भी रखेगा। इसलिये मान्यवर, सम्मान अपने से बढ़ाने से बढ़ता है और अपने से सम्मान खोने से गिरता है।

(श्री राजेन्द्र सिंह राणा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

राणा जी, अब हो गयी बात, अब सदन चलाना है कि नहीं। राणा साहब, आप बैठ जाइये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, राणा साहब ने कोई अनुचित बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि बहन जी ने बेचा यह उनका प्रचलित नाम है। हम लोग नहीं कहते बल्कि आप लोग ही कहते हैं। अगर वह यह बात कहते हैं कि आपकी सरकार में मिलें बिकी हैं तो उसकी मुखिया को उन्होंने यह कहा तो यह कोई अनुचित बात नहीं है और यह कोई असंसदीय बात भी नहीं है। मेरा यह कहना है कि अगर वह इसके साथ कोई दूसरी टिप्पणी करें तो अनुचित होता। राणा साहब ने तो कोई गलत बात तो नहीं कहीं। अध्यक्ष जी, आप तो हम ही लोगों को डांट रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

यह तो वही बात हो गयी कि आप लोगों के सामने माननीय मुख्यमंत्री जी पर कोई टिप्पणी कर दूं, माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कोई टिप्पणी कर दूं तो वह आपको बर्दाश्त नहीं होगा इसीलिये जब आप अपने नेता के लिये कोई अमर्यादित शब्द नहीं सुन सकते तो हम भी नहीं सुन सकते। इसीलिये मर्यादा में सत्ता पक्ष भी रहे और मर्यादा में विपक्ष भी रहेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

किसने मिलों को बेचा क्या यहां यह चर्चा नहीं होगी ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, कोई भी बात कहने का एक मर्यादित तरीका होता है, आप उस तरीके में कुछ भी कहिये। लेकिन अमर्यादित तरीके से आचरण होगा तो उसका विरोध होगा।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा टोकाटाकी किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप सत्ता पक्ष के लोगों को तो शान्ति रखनी चाहिये।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सदैव पीठ का सम्मान किया है, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष का सम्मान किया है। उनकी दल की जो नेता है, उनको भी मैंने आज भी बहन जी कहकर संबोधित किया है। सदन में बात आती है तो माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार है।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन बिना मेरी अनुमति के नहीं रख सकते।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

कृपया मेरी बात विनम्रतापूर्वक सुन लीजिये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे ही कह रहा हूं कि उस दिन मैंने भाषण दिया और उस दिन चर्चा में अपनी बातें रखीं और माननीय नेता प्रतिपक्ष

माननीय हुकुम सिंह जैसे लर्नेड, संसदीय ज्ञान के सबसे ज्यादा अनुभवी, माननीय प्रमोद तिवारी जी, माननीय अम्बिका जी ....

श्री अध्यक्ष-

यह क्या बोल रहे हैं आप ...

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शांत नहीं हो रहे हैं मैं बजट पास करा देता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

माननीय अध्यक्ष जी आज सदन में मैंने केवल यह कहा कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी आपकी सरकार में आपकी मुख्य मंत्री जी ने बहन जी ने मिलों को बेचा और आपके लोगों को शर्म नहीं आई अभी भी गन्ना पर बोल रहे हैं। जब उधर के एक माननीय सदस्य गन्ने पर बोल रहे थे तो मैंने कहा कि आप किसान हैं तो आप गन्ने की चार वैरायटी के नाम बता दें। इसमें मैंने क्या गलत कहा। नेता प्रतिपक्ष ने मुझे नमक हराम कहा।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप किसकी अनुमति से बोल रहे हैं मैंने अनुमति नहीं दी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

कुत्तों के भौंकने से हाथी की रफ्तार रुकने वाली नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी आपके बार-बार मना करने के बावजूद मंत्री जी बैठ नहीं रहे हैं यह पीठ का अपमान है।

श्री लोकेश दीक्षित-

मान्यवर, मैं भी दो मिनट में अपनी बात रखूंगा।

श्री अध्यक्ष-

दीक्षित जी आप अपनी बात लिखकर दे दें। वह कार्यवाही का अंग माना जाएगा।

अब बजट पास करने दें।

*श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आभारी हूं। किसानों का जो 3800 करोड़ रुपयो बकाया है किसानों के पेमेंट का उसकी मैं सरकार से मांग करता हूं। एक मेरा निवेदन यह है अभी मेजें थपथपाई गईं भाव वृद्धि पर तो 280-290 के भाव पर मेजें थपथपाई गईं मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि किसानों का जो 3800 करोड़ रुपए बकाया है उसका सरकार पेमेंट करे। दूसरा मेरा निवेदन है कि 2009-2010 का जो मूल्य का अन्तर है वह मूल्य का अन्तर चूंकि 185 रुपए से पर्ची बननी शुरू हुई थी और 260 तक गई थी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हुए हैं कि उस अंतर का पेमेंट हो वह धनराशि लगभग पांच हजार करोड़

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रुपए बैठता है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं 26 फरवरी से मेरठ में हजारों किसान धरने पर बैठे हैं उसकी भी मैं पेमेंट की मांग करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

पहाड़िया जी आप लिखकर भी दे गए और बोलेंगे भी।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मैंने बोलने के लिए लिखकर दिया है।

श्री अध्यक्ष-

आपने लिखकर दिया है। मुझे दूरभाष पर पार्टी नेता माथुर जी ने अवगत कराया कि आप अध्यक्ष जी को गन्ना पर बोलने के लिए नाम प्रस्तुत कर दें। आपका नाम था नहीं तो आप लिखकर दे गए।

श्री वीरपाल राठी-

आदरणीय अध्यक्ष जी कटौती प्रस्ताव से पहले मैं थोड़ी सी व्यवस्था की बात कहना चाहता हूं। व्यवस्था की बात यह है कि गांव में हमने पंचायत देखी और पंचायत के अध्यक्ष के विपरीत कोई व्यक्ति नहीं जाता है माननीय अध्यक्ष जी सदन के नेता और विपक्ष के नेता दोनों से उत्तर है जो आचरण जब तक आप कड़े नहीं होंगे और किसी को दण्डित नहीं करेंगे तब तक यह सदन समुचित नहीं चलेगा इसलिए आप दण्डित कीजिए। मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए निवेदन करना चाहता हूं, बहुत से माननीय सदस्यों ने यहां गन्ने पर बात कही, गन्ने की बहुत चर्चा हुई। कटौती प्रस्ताव में माननीय हुकुम सिंह जी ने तो ए से ले करके जेड तक तमाम बातें कह दीं, हमारे लिए कुछ शेष नहीं बचा। बजट की तरफ से और कटौती प्रस्ताव की ओर से एक बात भी आई। मैं एक दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि पेमेंट में जो 14 दिन का नियम है, नियम यह है कि 14 दिन तक अगर गन्ने का पेमेंट नहीं दिया जायेगा तो उसे ब्याज सहित वसूला जायेगा। दि किंग इज एबव द लॉ। कानून की परिधि के अन्तर्गत देश का प्रधानमंत्री भी है तो यह मिल-मालिक क्यों नहीं। केवल इस बार ही नहीं बल्कि प्रतिवर्ष ऐसा कोई साल नहीं होगा जब बिना आन्दोलन के गन्ने का पेमेंट मिला हो। मान्यवर, ऐसी व्यवस्था बनाओ जिससे कि गन्ने के पेमेंट के लिए लड़ाई न लड़नी पड़े। मेरा यह सुझाव है कि गन्ने के पेमेंट के लिए अगर किसान पर्ची ले करके जाता है और 14 दिन का नियम है तो क्यों न उसे पहले ही 14 दिन का चेक दे दिया जाए। आप क्यों वसूली की बात करो, आप पहले उसे चेक दे दो और अगर चेक बाउन्स हो जाए तो चेक देने वाले के खिलाफ कार्रवाई करो, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाते गन्ने के पेमेंट की। यह भी व्यवस्था हो सके कि पहले 20 प्रतिशत 30 प्रतिशत हमने बजट दिया है यहां, 4 सौ करोड़ रुपए का बजट दिया, सरकारी चीनी मिलों को तो हमने बजट दे दिया लेकिन यह कभी माननीय मंत्री जी ने नहीं बताया कि कितने गन्ने का पेमेंट है, किस मिल का कितना पेमेंट है, बस हमने 4 सौ करोड़ रुपए दे दिया। प्राईवेट चीनी मिलों पर तो हमने कोई चर्चा ही नहीं की, प्राईवेट चीनी मिलों में गन्ने के पेमेंट में हम यह भी व्यवस्था कर सकें कि उन मिल-मालिकों से हम 20 प्रतिशत पहले पैसा जमा करा लें ताकि किसान को समय से पेमेंट मिल सके। अगर किसान को गन्ने का पेमेंट नहीं मिलेगा तो कोई गन्ना नहीं बोयेगा और अगर गन्ना नहीं बोयेगा तो यह बजट

किस बात का है, बजट तो अपने आप ही समाप्त हो गया। इसमें से बहुत से लोग ऐसे बोलने के लिए खड़े हो रहे हैं जो गन्ने की ए, बी, सी, डी जानते नहीं, अभी राजेन्द्र राणा जी ने कहा चार प्रजातियां बता दो गन्ने की, वह तो बता नहीं सकते और बात करेंगे गन्ने की। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं हमें गन्ने पर प्रैक्टिकल बोलना चाहिए। गन्ने की तरक्की तब होगी, अभी ब्राजील का एक पैटर्न है कि एथनॉल बना लें। यहां भी आप बना लें, कीजिए चालू आप एथनॉल को, 5 परसेंट का तो आदेश है, 20 परसेंट एथनॉल बना लें अपने आप तरक्की हो जायेगी। मान्यवर, गन्ने के बीज की बीमारी की चर्चा की, 10 साल तक, 20 साल तक गन्ने की कोई नई प्रजाति नहीं आई। मैं इस सरकार को नहीं कोसना चाहता, इससे पहले भी सरकारें रही होंगी क्या कोई व्यवस्था दी सरकार ने कि किसान किस कदर से लुट रहा है वह सौ-डेढ़ सौ रुपए प्रति क्विंटल के भाव से अपना गन्ना बेच रहा है। किसान को पेमेंट तो समय से होता नहीं है और जो उसको देय देने हैं जैसे बिजली और अन्य देय हैं उनके लिए किसानों को जेल जाना पड़ रहा है। मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि मेरी बात पर ध्यान दिया जाएगा और किसानों का पेमेंट कराया जाएगा।

*श्री लोकेश दीक्षित-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय हुकुम सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, मैं बागपत जिले से आता हूं जहां गन्ने की पैदावारी 95 परसेंट होती है। पूरे उत्तर प्रदेश में जमीन के हिसाब से सबसे ज्यादा चीनी पैदा करने वाला हमारा जिला है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां एक मलकपुर चीनी मिल है, एक बागपत है, कनाउनी है परन्तु उनका आलम यह है कि कभी वह टाइम से पेमेंट नहीं करते और मलकपुर मिल पर तो यहां के माननीय विधायक 96 दिन तक धरने पर बैठे रहे, उनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई नहीं गया। आलम यह रहा कि पंचायत पर पंचायत, पंचायत पर पंचायत होती रही, बड़ी मुश्किल से उस मिल वाले ने किसानों को रुला-रुला करके किश्तों में पैसे दिये, माननीय विधायक जी भी हार कर घर चले गये। मेरा आपसे कहने का मतलब यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गन्ने में महारत हासिल है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में कहीं नम्बर-1 न हो जाए, पर नम्बर-1 हो नहीं सकता, उसके लिए मुख्यमंत्री की जरूरत है और उसका नाम है बहन कु0 मायावती। (सत्तापक्ष के कई मा0 सदस्यों के द्वारा कुछ बोलने पर शोर) यह लिखतम है। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि लिखतम के सामने वक्तम नहीं चलता। जब देश आजाद हुआ था, तब से 2007 तक, जब इनसे सत्ता हमने ली थी तो रेट था 115 रु0 प्रति क्विंटल का। 2007 तक सारी सरकारें आयी और चली गयी। कांग्रेस ने भी एकतरफा राज किया और चले गये ये भी क्योंकि किसानों की बद्दुआ थी, कांग्रेस मुड़कर उत्तर प्रदेश में नहीं आ सकती, यह मेरा दावा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर किसानों का हितैषी कोई है तो उसका नाम बहन कु0 मायावती हैं। जिन्होंने अपने शासनकाल में गन्ने का दाम 115 रुपये से बढ़ाकर मात्र 5 साल के अन्दर 250 रुपये क्विंटल करने का काम किया। मुझे इस बात पर गर्व है। यह सरकार बड़ी-बड़ी बातें करती है लेकिन किसान विरोधी यह सरकार है। गन्ना विरोधी इस सरकार ने प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। सारे चैनल अगर किसी को दिखा रहे हैं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो आपकी सरकार की बखिया उधेड़ रहे हैं। ज्यादा शोर मचाने से कुछ नहीं होता। ज्यादा तुम्हें प्राब्लम है, तुम कहते हो कभी बाहर लड़ लो, कभी अंदर लड़ लो। हम डा0 बी0आर0 अम्बेडकर साहब के सिपाही हैं, हम कानून में विश्वास रखते हैं, हम लोकतंत्र प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मलकपुर और बागपत मिल है वह ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट नहीं चलाता और गन्दा पानी डालता है जिसकी वजह से एक पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज है बागपत के अंदर, उसकी गंदगी से कई बच्चियां और बच्चे बेहोश हो जाते हैं इतना गंदा पानी वहां से आता है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक मलकपुर मिल है एक बहुत बड़े सेठ मोदी की मिल है। उस मिल ने इतना जहरीला पानी छोड़ दिया नाले में जिससे पूरे मलकपुर में इतना गंदा पानी चला गया। अगर उस पानी को भरकर रख दो दस मिनट में तो वह यलो कलर का हो जाता है। इससे ज्वाइंडिस, पीलिया, मलेरिया सहित तमाम बीमारियां होती है और तो और हमारी माताओं और बहिनों का गर्भपात तक हो जाता है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इतने बड़े-बड़े सेठ जो मिल चला रहे हैं उन पर तुम लगाम कसने का काम करो। हमारे लोक निर्माण और सिंचाई मंत्री जी बैठे हुए हैं पिछली बार इन्होंने कहा था कि बीस-बीस कि0मी0 हर विधायक के क्षेत्र की सड़क गड्ढामुक्त हो जायेगी, लेकिन एक इंच भी नहीं हुआ।

(सत्तापक्ष के मा0 विधायकों ने आपत्ति की कि गन्ने का बजट है लोक निर्माण विभाग का नहीं जिससे शोर उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष-

दीक्षित जी, गन्ना विभाग का बजट है, गन्ने पर बोलिये।

श्री लोकेश दीक्षित-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बीज किसान को नहीं मिलता। जब वह गन्ना बो लेता है तो सूखे हुए गांडे मिलते हैं हमारे यहां गन्ने को गांडा कहते हैं। उनको किसान क्या बेचेगा ? शर्म आनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मनोज कुमार पारस)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मुझे गन्ना व चीनी उद्योग पर बोलने का अवसर मिला इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष जी, अभी ब0स0पा0 के सम्मानित सदस्य ने घुमा-फिरा करके एक बात कही कि बहन जी और इनकी मुखिया गन्ना किसानों की हितैषी हैं। मैं बहुत लम्बी-चौड़ी बात आप लोगों के बीच में नहीं रखना चाहता। क्योंकि पक्ष ने और विपक्ष ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही हैं, सुझाव दिये हैं। लेकिन इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि जब इन्होंने कहा कि हमने रेट बढ़ाने का काम किया, सारे समाचार-पत्रों में पिछली सरकार के बारे में छपा होगा कि जब किसानों ने मांग की थी तो इनकी मुखिया ने कहा था कि हमारा वोटर गन्ना नहीं बोता, मैं इसका रेट नहीं बढ़ा सकती। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि कितनी हितैषी हैं? यह तो आखिरी बार में जो इन्होंने रेट बढ़ाये वह सिर्फ चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बढ़ाने का काम किया। नहीं तो यह कितनी हितैषी किसान के हैं.....

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लोकेश दीक्षित-

जहां तक हमारी सरकार के बारे में माननीय सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं गन्ना मंत्री जी ने अभी बजट प्रस्तुत किया। मैं इस पर जोर देते हुए बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं कि यह लोग अपने आचरण को देखें, अपनी बात को देखें, अपने नेता की बात को देखें कि कितना झूठ यह लोग बोलते हैं। धन्यवाद।

(माननीय सदस्य श्रीमती बिमला सोलंकी, श्री बंशी सिंह पहाड़िया तथा श्री नीरज कुशवाहा मौर्य के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

सोलंकी जी, आप अभी बोली है। आपके नेता ने आपको लिखा नहीं, आप लिख रही हैं कि मुझको टेलीफोन से कहा गया है कि बोला जाय। अब बैठिये। हुकुम सिंह जी आप बोलिये। आप लिखकर दे दो कुशवाहा जी, हम कर देंगे। अब आज बात मानो सब लोग। अब आप सब लोग बैठ जाओ, हुकुम सिंह जी को बोलने दो। पहाड़िया जी आप बड़े संजीदा आदमी हो, संजीदा विधायक हो, बैठ जाओ।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मान्यवर, एक मिनट में कह दूंगा। मिलों को लगाने का काम किसने किया ? मिलों को बेचने का काम बसपा ने किया।

(दो, तीन माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

सोलंकी जी, आप अपने नेता हुकुम सिंह जी से कह दीजिये आपकी बात वह कह देंगे। हुकुम सिंह जी को दे दो कागज वह अपने जवाब में बोल देंगे। अभी आप कल बोली हैं, सिंचाई पर भी बोली हैं। पहाड़िया जी, अब नहीं बैठिये। माननीय हुकुम सिंह जी को बोलने दीजिये, वह तो आप ऐसे बोलते रहेगें तो आपका लिखा नहीं जायेगा। नहीं-नहीं अब बिल्कुल नहीं। अब आप शान्त हो जायं। अरे भई शान्त हो जाओ। मेरा आपसे आग्रह है कि अब आप डिस्टर्ब न करिये फिर आप कहते हैं कि मैं कड़ा बोलता हूं। आप मानते नहीं है। आप चाहे जितना बोलो, वह लिखा नहीं जायेगा न कोई अखबार वाला लिखेगा केवल ऐसे ही रह जायेगा। बैठो।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, बहुत ही उत्साह और कभी-कभी अति उत्साह के साथ में माननीय सदस्यगण ने भागीदारी की इसमें और मान्यवर, काफी जोश नजर आ रहा था ज्यों-ज्यों समय निकलता जा रहा था, गन्ने का जो एक बाई प्रोडक्ट है उसका ज्यादा ध्यान आ रहा था आप लोगों को। मान्यवर, शुरूआत हुई माननीय राधे श्याम सिंह जी से। अरे अब इधर ही ध्यान दे दो, आपका ध्यान इधर उधर रहता है।

श्री अध्यक्ष-

गन्ने के उत्पाद का असर इस समय बहुतों पर पड़ गया होगा।

श्री हुकुम सिंह-

मुझे मालूम है मान्यवर, यह गन्ना आन्दोलन से आते हैं और संघर्ष किया है गन्ना किसानों के लिये । एक बात उन्होंने मुझसे पूछी कि आपकी सरकार ने क्या किया ? मैं इतना ही बताना चाहता हूं बहुत ही संक्षेप में कि आपको ध्यान होगा कि मैं भी गन्ना आन्दोलन में से हूं। मान्यवर, जब गन्ना भुगतान के लिये जाते थे, गन्ने के लिये सोसाइटी में तो दो-दो दिन लग जाते थे लाइन में लगे हुए और आज जो कानून-व्यवस्था है, जो स्थिति बनती जा रही है अगर आज आप गन्ना किसान का पेंमेंट लेकर जेब में जायेंगें तो आप गांव तक पहुंच पायेंगे कि नहीं, यह आप जानें। यह भाजपा के कार्यकाल में ही हुआ था जब गन्ने का भुगतान सीधे किसान के खाते में मिल में गया था। (मेजें थपथपाई गई) अब मान्यवर, बहुत बात कही आपने, पहली बार और मेरे ख्याल से अंतिम बार क्योंकि सरकार तो बहुत आई पार्टी भी बहुत आई। मिल वाले ने जिसने किसान के भुगतान में देरी की और वह बहुत प्रभावशाली राजनैतिक रूप से, आर्थिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति था देवबंद मिल का मालिक, राजेन्द्र जी यहां बैठे हैं। अगर उसको किसी ने जेल में भेजने का काम किया था तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था केवल इस कारण से कि उसने गन्ने का भुगतान नहीं किया।

श्री पूर्णमासी देहाती-

आपकी सरकार ने रामकोला मिल में गोली चलवाई थी।

श्री अध्यक्ष-

अरे आप बैठिये।

श्री हुकुम सिंह-

रामकोला का भी मुझे मालूम है। जो माननीय सदस्यों ने बात उठाई थी मैं उसी तक सीमित रहना चाहता हूं अंताक्षरी से काम नहीं चलता है। कई माननीय सदस्यगण ने अपने विचार रखें। माननीय शेर बहादुर जी, मैं जानता हूं कि वह बहुत तैयारी के साथ आये थे मुझे दुःख है कि उन्हें उतना समय नहीं मिल सका जितना मिलना चाहिए था। फिर भी बहुत अच्छे सुझाव दिये उन्होंने। मदन चौहान जी हैं, उन्होंने भी काफी मिल लगने की बात कही। अजय कुमार लल्लू जी कुशीनगर के हैं मान्यवर, यह बात सही है मान्यवर, घटतौली की बात चल रही है। घटतौली की समस्या है यह एक आध मिल की नहीं पुरानी घटतौली और आज की घटतौली में जमीन अन्तर आ गया है हम लोग खुश होते हैं कि दाम बढ़ा दिए लेकिन दाम बढ़ाने के बाद मिल वाले नुकसान में चलाने वाले नहीं है उसने अपने तरीके निकाल लिए हैं यह वैज्ञानिक युग है। इलेक्ट्रानिक कांटे लगे है उस इलेक्ट्रानिक कांटे में आप जरा सा अन्तर डाल दीजिए जरा से अन्तर से बात कहीं की कहीं जाती है। मान्यवर, आज आप औसत निकलवा लें अपवाद को छोड़कर बहुत बड़ी संख्या में 100 कुन्तल गन्ना अगर दे रहे हैं तो हमको दाम 75 और 80 कुन्तल के मिल रहे हैं। कहा जाता है कि दाम बढ़ा दिए, दाम बढ़ा दिए, लेकिन षडयंत्र तरीके से सुनियोजित तरीके से किसान का शोषण हो रहा है आपके एक आध छापे से काम चलने वाला नहीं है। आप टैक्निकल आदमी को लगाईए और चेक कराइए। सामान्य व्यक्ति उसको चेक नहीं कर पाएगा। बहुत वैज्ञानिक तरीके से उन कांटों में फेरबदल किया हुआ है और किसानों का शोषण हो रहा है। मान्यवर सेन्टर्स से जो गेट पर गन्ना जा रहा हैं मिल मालिकों की भी

दिक्कत है बीच में गन्ना बेचते हैं पत्थर लादते हैं पता नहीं कितनी उनकी बैल्ट टूट चुकी हैं लाखों लाख रुपये का उनका भी नुकसान हो चुका है। यह बीमारी बहुत घर कर चुकी है इसका भी इंतजाम होना चाहिए। मान्यवर, यह रोशनलाल वर्मा जी अधिकारियों की शिकायत कर रहे थे, अपनी वेदना व्यक्त कर रहे थे कि कोई सुनता नहीं है बात सही है अगर कोई नहीं सुनता है तो सुनवाने की व्यवस्था होनी चाहिए, बार-बार आश्वासन देने से काम नहीं चलता है। अगर यहां पर कोई बात आई है, रिकार्ड पर कोई बात आई है तो उसका संज्ञान लेना चाहिए मान्यवर, वह भावुक हो गए, चले गए शायद यहां से, वैसे समय भी हो गया था उनके जाने का, गन्ने पर आकर के क्या बतायें क्या हमारे दिल में है, गन्ने का रस था, या गन्ने का गुड़ था, क्या उनके दिल में था, वह अपनी बात की अभिव्यक्ति करना चाह रहे थे वह कर नहीं पाए। जो आरोप उन्होंने लगाए वह सही थे अपनी जगह, फर्जी सट्टे की बात भी उन्होंने कही थी। फर्जी सट्टे की बात एक जगह नहीं है यह न जाने कितनी जगह है क्योंकि आज तरीका यह हो गया है कि जिस आदमी के हाथ में थोड़ी सत्ता आ गई है थोड़ी हुकुमत आ गई उसका दुरुपयोग करना चाहता है। ऐसे न जाने कितने लोग माफिया मिलेंगे जिनके पास एक बिस्वा जमीन नहीं है और उनके पास ट्रैक्टर ट्राली की दो-दो सौ, ढाई-ढाई सौ पर्चियां हैं उसमें लोगों से पैसा लेते हैं। डेढ़ सौ रुपयो लेते हैं और मिल में 280 पर 285 पर बेचते हैं। इसका कोई समाधान निकल पाएगा ? मंत्री जी रुचि लेंगे मुझे विश्वास है। यह जो सट्टे वाली बात है आम किसान तो दो-दो पर्ची के लिए तड़प रहा है और यह माफियाओं की सांठ-गांठ है कि वह पर्ची लेकर सबका किसानों गन्ना खरीदते हैं और बेचते हैं। कैसे इस नम्बर दो के काम को रोका जाए। इसमें अधिकारी भी लिप्त हैं बगैर अधिकारियों के लिप्त हुए यह काम होने वाला नहीं है। मान्यवर, राममूर्ति जी ने कहा था यह सुझाव देना चाह रहे थे, सुरेश राणा जी ने भुगतान की बात कही, मान्यवर, हम केवल भाव घोषित करने तक न रहें आगे भी पहुंचे। वीरपाल राठी जी गन्ना क्षेत्र से आते हैं उनको भी जानकारी है, शायद चले गए, उनका भी जाने का समय शायद हो गया था, मान्यवर, दीक्षित जी हमारे मिलकपुर की बात कर रहे थे, बात इनकी बिल्कुल सही है, मैं इनकी बात की हिमायत करता हूं वह मिल कुछ राजनीतिज्ञ लोगों के संरक्षण में काम करके जिस प्रकार किसानों का शोषण करता है आज से नहीं कर रहा है प्रतिवर्ष कर रहा है और हर जगह उसकी शिकायत है। हमारी बुलन्दशहर की विधायक इनके यहां बेव मिल है यह पूरी सीरिज है उसकी, मॉल भी है, मिल भी है बेव भी है पूरी सीरिज है यहां पर भी बेव फैलाई उसने कभी बंद होता है कभी चलता है। 100 कि0मी0 से दूर है, मान्यवर, जो किसान 100 कि0मी0 दूर से अपने गन्ने की आपूर्ति कर रहा है, उसको कुछ मिलेगा क्या ? उनकी आपूर्ति की प्रतिपूर्ति करने की कोई व्यवस्था है, क्या ? आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि वह मिल चले और न चले तो उसके विरूद्ध कार्यवाई हो। मान्यवर, ऐसी स्थिति में जो सुझाव आए हैं, वह सुझाव केवल यहीं तक सीमित न रहें, उन सुझावों पर काम भी हो और निष्ठा और मेहनत के साथ हम सभी काम करें। मनोज पारस जी, हमारे मंत्री जी हैं, उन्होंने भी कुछ बातें आपके सामने, हमारे सामने रखी हैं, लेकिन गुस्से में ज्यादा थे, थोड़े सुझाव कम आए, गुस्सा उनका ज्यादा था। मैं चाहता हूं कि जो सुझाव आज आए हैं, इन पर विचार किया जाए। आप कटौती के प्रस्ताव वापस लेने की अपील करेंगे, मैं वापस ले लेता लेकिन जिस प्रकार से आधे-अधूरे मन से आपने बजट प्रस्तुत किया है, यह कहीं न कहीं कमी रही होगी, जिन्होंने आपको जिम्मेदारी दी, उनकी कमी रही होगी या आपने इसमें रूचि नहीं ली होगी। आप जोश लाइये, उत्साह लाइये, उत्साह के साथ में काम कीजिए क्योंकि

इतना अच्छा काम किया कि जो आपने कहा वह लिखकर हमको दे दिया तो उससे हमको सहायता भी मिल गयी। लेकिन यह लिखा हुआ यहीं तक सीमित न रह जाए, यह आगे बढ़े क्योंकि इसमें लिखना तो अधिकारियों का काम है, भाषा भी बहुत अच्छी होती है, अलंकृत भाषा भी होती है, डाटा भी ठीक होती है, आंकड़े भी सही होते हैं लेकिन यह आंकड़े केवल इस किताब तक सीमित न रहें, इनका कुछ परिणाम धरातल तक पहुंचे। इसी सुझाव के साथ मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि काफी चिन्तित दिखायी दे रहे हैं, नेता भाजपा, माननीय हुकुम सिंह जी, और काफी वरिष्ठ सदस्य हैं, अनुभवी हैं। उन्होंने जो सुझाव दिया है, उस सुझाव में जहां रचनात्मक है, उसमें विचार किया जायेगा लेकिन मैं इतना कहूंगा कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि उद्देश्य क्या है ? मान्यवर, उद्देश्य के लिए कैसे हम गन्ना की प्रजातियों को विकसित करायें, उर्वरक का किस भूमि पर कितना प्रयोग की आवश्यकता है, उसके लिए हम 15 चीनी मिलों में 50 प्रतिशत अनुदान देकर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना किए हैं। दूसरा उद्देश्य है, बीज की उपलब्धता, आपने कहा कि एक लाख कुन्तल, 30 लाख किसान, मैं कहता हूं कि एक लाख आधार पौधशाला के लिए और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से 10 लाख 80 हजार कुन्तल गन्ना बीज की व्यवस्था की गई। जहां तक गन्ने की प्रजातियों की बात है, गन्ना प्रजातियों में जो पहले से स्वीकृत 26 हैं, 2 और शाहजहांपुर की शोध संस्थान की, यह और जो आइडेण्टीफाई हुई हैं, भारत सरकार ने किया है, वह हमारी और बढ़ी हैं, यह हमने कहा है।

श्री अध्यक्ष-

अरे, मंत्री जी को बोलने दीजिए।

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

गन्ना विभाग में पर्यवेक्षक संवर्ग काफी पहले था यह मृतप्राय है। लेकिन हम इसको पुनर्जीवित करने का विचार कर रहे हैं। यह किसानों की हित में है। मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया कि आप सभी किसानों के हित की बात करते हैं तो अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले लीजिए और किसानों के हित के लिए बजट को सर्वसम्मति से स्वीकृत कराइये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपयो कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 02 अरब, 16 करोड़, 60 लाख, 46 हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपयो कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 04 अरब, 69 करोड़, 98 लाख, 14 हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[08.07 बजे] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

दिनांक 07-03-2013 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 61 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें पहली सूचना श्री शमशेर बहादुर शेरू भैय्या की जनपद-लखीमपुर खीरी के धौरहरा क्षेत्रान्तर्गत ऐरा चीनी मिल में मिल प्रबन्धन द्वारा गन्ना तौल का कार्य कर रहे कर्मचारियों को निर्धारित वेतन न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

दूसरी सूचना श्री जियाउद्दीन रिज़वी की जनपद-मुरादाबाद के कुन्दरकी प्राथमिक विद्यालय में मृत सहायक अध्यापक के स्थान पर मृतक आश्रित की नियुक्ति किए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

तीसरी सूचना श्री ममतेश शाक्य की जनपद-कासगंज के क्षेत्र अमाँपुर के अन्तर्गत ग्राम-मोहनपुर कस्बा से गंजडुडवारा मार्ग का नव-निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

चौथी सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की जनपद गोरखपुर की तहसील गोला में छात्रों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमती राजकली सिंह इण्टर कालेज, अरांव जगदीश को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

पांचवीं सूचना श्री रामहेत भारती की जनपद सीतापुर में जिला योजना अन्तर्गत स्पेशल कम्पोनेंट योजना के अन्तर्गत स्वीकृत गांव में सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

छठी सूचना श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की झांसी के बबीना क्षेत्र में नहर पटरियों का पुनर्निर्माण कराये जाने एवं सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

सातवीं सूचना श्री कृष्ण कुमार ओझा की बहराइच के मोहल्ला घसियारीपुरा में जलभराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

आठवीं सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की जनपद कुशीनगर में ए0पी0 तटबन्ध का एक्टेंशन नरवाजोत व अमवाखास बंधे पर बाढ़ खण्ड में स्वीकृत परियोजनाओं पर बजट आवंटित कर समय पहले कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

श्री अजय कुमार'लल्लू'-

मान्यवर, मेरी सूचना को वक्तव्य में स्वीकृत कर लें।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, आप इस पर भाषण में बोल भी चुके हैं आप इस पर मंत्री जी से सवाल भी किया है। मुझे याद है। आपकी सूचना केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत है।

नौवीं सूचना श्री गजेन्द्र सिंह की जनपद बलिया, थाना कोतवाली गाजीपुर के ग्राम बिन्द निवासी सीताराम भारती हत्या की नियत से किये गये हमले की नामजद एफ0आई0आर0 होने के बावजूद भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाती है।

दसवीं सूचना श्री गेंदालाल चौधरी की जनपद लखनऊ के आलमबाग निवासी श्री गिरजा शंकर के मकान पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाती है।

ग्यारहवीं सूचना श्री वीरपाल राठी की उ0प्र0 के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षकों के परीक्षा बहिष्कार से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाती है।

बारहवीं सूचना श्री हुकुम सिंह की हीवेट पालीटेक्निक, महानगर लखनऊ में प्राचार्य की हठधर्मिता के फलस्वरूप छात्र छात्राओं पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, तथा श्री अमरपाल शर्मा गाजियाबाद के साहिबाबाद में उ0प्र0 अपार्टमेंट ऐक्ट 2010 का अनुपालन न कराये जाने से हो रहे अवैध निर्माण के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाती है।

तेरहवीं सूचना श्री अमरपाल शर्मा की गाजियाबाद के साहिबाबाद में उ0प्र0 अपार्टमेंट ऐक्ट 2010 का अनुपालन न कराये जाने से हो रहे अवैध निर्माण के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं :-

1-डा0 अरूण कुमार,

2-श्री लोकेन्द्र सिंह,

3-श्री उमाशंकर सिंह,

4-श्री उत्कर्ष वर्मा 'मधुर',

5-श्री धर्मपाल सिंह,

6-श्री विजय बहादुर यादव,

7-श्री जगराम पासवान,

8-श्री बब्बन सिंह चौहान,

9-श्री भगवान सिंह कुशवाहा,

10-श्री छोटेलाल वर्मा,

11-श्रीमती पूजा पाल,

12-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह,

13-श्री अगयश राम सरन वर्मा,

14.-श्री रविन्द्र भड़ाना,

15-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया,

16-श्री संगीत सिंह सोम,

17-श्री रामचन्द्र यादव,

18-सुश्री सावित्री बाई फूले,

19-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले),

20-श्री रोशन लाल वर्मा,

21-श्री जय प्रताप सिंह,

22-श्री मुकुट बिहारी वर्मा,

23-श्री रामचन्द्र चौधरी,

24-श्री मो0 आसिफ जाफरी,

25-श्री राधेलाल रावत,

26-श्री दीपक पटेल एडवोकेट,

27-डा0 धर्मसिंह सैनी,

28-श्री अनुसुर्रहमान,

29-श्री प्रमोद तिवारी,

30-श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट,

31-श्री मनीष असीजा,

32-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी,

33-श्री गंगा सिंह कुशवाहा,

34-श्री अजय मिश्रा 'टेनी',

35-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

36-श्री राकेश बाबू,

37-श्री उमेश पाण्डेय,

38-श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,

39-डा0 धर्मपाल सिंह,

40-श्री कुलदीप सिंह सेंगर,

41-श्री आलम बदी,

42-श्री प्रदीप माथुर,

43-श्री संजय कपूर,

44-श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज,

45-श्री सुरेश बंसल,

46-श्री गोरख पासवान,

47-श्री सुरेश राणा तथा

48-श्री पंकज कुमार मलिक।

लखनऊ-हरदोई रोड स्थित ग्राम बरावन कला में दबंगों द्वारा बन्द की गयी सरकारी नाली की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्त प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम बरावनकलां चौराहे से त्रिलोकी सिंह इण्टर कालेज....

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

सूचना	वक्तव्य
[तक सूडा द्वारा निर्मित जल निकासी की नाली को कतिपय दबंगों द्वारा अतिक्रमण करके मिट्टी से बन्द कर दिये जाने के फलस्वरूप सड़क गड्ढा युक्त हो गयी है। सड़क टूटने से राष्ट्रीय सम्पत्ति के नुकसान के साथ-साथ गन्दगी व मच्छरों की भरमार के कारण संक्रामक रोगों के फैलने की आशंका प्रबल हो गयी है। उल्लेखनीय है कि माननीय महापौर नगर निगम, लखनऊ द्वारा श्री सुरेश चन्द्र तिवारी तत्कालीन विधायक के पत्र पर जोन-6 के जोनल अधिकारी को दिनांक 19-8-2011 को ''कृपया	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम बरावनकलां चौराहे से त्रिलोकी सिंह इण्टर कालेज तक निर्मित नाली पर अतिक्रमण हटवा कर नाली की सफाई कराने हेतु दिनांक 6-3-2013 नियत की गयी है। उक्त स्थान से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में तत्कालीन मा0 विधायक श्री सुरेश चन्द्र तिवारी के पत्र पर मा0 महापौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-8-2011 तथा श्री कौशल किशोर, मा0 पूर्व विधायक के पत्र पर मा0 महापौर के आदेश दिनांक 27-8-2012 का

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतिक्रमण कार्यों के विरुद्ध कार्यवाही कराते हुए नाली की सफाई करवायें'' तथा श्री कौशल किशोर पूर्व विधायक के पत्र पर दिनांक 27-8-2012 को ''तत्काल अतिक्रमण परीक्षणोपरान्त हटवा कर सफाई करवायें'' आदेशित किया था किन्तु दोनों अधिकारी की उदासीनता के कारण वहां की स्थिति यथावत् है। माननीय महापौर के उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित न कराने जोनल अधिकारी अनुशासनहीनता होने के कारण लखनऊ में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे उक्त अधिकारी का अन्य जनपद में स्थानान्तरण कराकर इनके कृत्यों की जांच तथा सरकारी नाली बन्द करने के दोषियों के विरुद्ध जुर्माना लगाकर सफाई कराया जाना अपेक्षित है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व प्रश्न पर माननीय अध्यक्ष पीठ से प्रभावी निर्देश दिये जाने की मांग करता हूं।	अनुपालन न किये जाने हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित कर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। उल्लेखनीय है कि मा0 महापौर के आदेशों का अनुपालन न किये जाने के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर शासन को अवगत कराये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या-673/9-7-13-44 नियम/13, दिनांक 6-3-2013 द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को निर्देशित कर दिया गया है।]

श्री अध्यक्ष-

मा0 श्री सन्त प्रसाद जी, आपको कोई स्पष्टीकरण पूछना है ?

श्री सन्त प्रसाद-

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि त्रिलोकी सिंह इण्टर कालेज, बरावनकलां के सामने जो दबंगों द्वारा गोबर का ढेर लगाया गया है, क्या उसे तत्काल साफ कराया जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसमें निर्देश दिये जा चुके हैं।

जनपद रायबरेली के ग्राम दौलतपुर स्थित आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण पाण्डुलिपियों, पुस्तकालय एवं आवास को सांस्कृतिक धरोहर घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी सूचना पर संस्कृति मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब अगली मद लेते हैं।

यह मद स्थगित है।

जनपद मथुरा की एक मात्र चीनी मिल न चलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं सदन में उपस्थित न होने पर)

जनपद प्रतापगढ़ में रामपुर के ग्राम देउम तथा थरिया में लिफ्ट कैनाल बनाकर सई नदी का पानी डाले जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं अगली मद ले रहा हूं।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं सदन में उपस्थित न होने पर)

बहराइच-रूपईडीहा 4 लेन हाई-वे का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती माधुरी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं अगली मद ले रहा हूं।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं सदन में उपस्थित न होने पर)

अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं हेतु प्रदेश में तकनीकी शिक्षा केन्द्रों में बढ़ोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में डा0 मो0 मुस्लिम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं अगली मद ले रहा हूं।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं सदन में उपस्थित न होने पर)

जनपद जौनपुर विधान सभा क्षेत्र 372 केराकत के अन्तर्गत विकास खण्ड डोभी में बजरंगनगर बाजार के बीचो बीच लगे बिजली के पोल एवं तार बाजार के बाहर स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाब चन्द्र द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं अगली मद ले रहा हूं।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय सदस्य, विधान सभा की उक्त सूचना में किया गया उल्लेख निम्नवत् है....

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[''विधान सभा क्षेत्र 372 केराकत, जौनपुर में बजरंगनगर बाजार के पास एक गन्ना मिल लगभग 40 वर्ष से बन्द पड़ा है तथा उसमें बिजली संचालित हेतु बाजार के बीचो-बीच पोल एवं तार

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

खींचा गया है जबकि गन्ना मील की कोई आवश्यकता नहीं है, उस तार बिजली से कई जनहानि/दुर्घटना हो गयी है सिर्फ तार में बिजली दौड़ाई जाती है, उसका जनहित में कोई आवश्यकता नहीं है तथा दुर्घटना से इन्कार नहीं किया जा सकता, जनहित में तार पोल बाजार के बाहर करना नितान्त आवश्यक हो गया है।''

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत कराना है कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड डोभी में बजरंग नगर बाजार में स्थापित गन्ना मिल हेतु एच0टी0 लाइन का निर्माण कई वर्ष पूर्व किया गया था। गन्ना मिल लगभग 40 वर्ष से बन्द पड़ी है।

एच0टी0 लाइन के पास वर्तमान में लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से दुकान एवं आवासीय मकान बना लिया गया है। पूर्व में स्थापित एच0टी0 लाइन से ही बजरंग नगर बाजार एवं आस-पास के क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति भी की जा रही है। विद्युत दुर्घटनाओं की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए लाइन के नीचे गार्डिंग कराने की व्यवस्था की जायेगी, जिससे भविष्य में कोई दुर्घटना की संभावना न हो।

तकनीकी दृष्टि से आबादी होने के कारण एवं उपयुक्त स्थान न होने के कारण वर्तमान में एच0टी0 लाइन के शिफ्टिंग का कार्य किया जाना संभव नहीं है।]

विधान सभा क्षेत्र तिलहर जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के थानाध्यक्ष द्वारा गरीब जनता व किसानों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं सदन में उपस्थित न होने पर)

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् में कार्यरत नियमित कार्य प्रभारित कर्मचारियों की मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रित सदस्यों को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र भड़ाना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं अगली मद ले रहा हूं।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं सदन में उपस्थित न होने पर)

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के कार्य को तत्काल पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभू दयाल बाल्मीकि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं अगली मद ले रहा हूं।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं सदन में उपस्थित न होने पर)

जनपद इलाहाबाद के कोरांव क्षेत्रान्तर्गत तहसील मेजा में अग्निशमन केन्द्र के भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजबली जैसल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं अगली मद ले रहा हूं।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह अवगत कराया गया है कि विधान सभा क्षेत्र 265.....

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[कोरांव, जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत तहसील मेजा में अग्निमशन केन्द्र के भवन का निर्माण विगत वर्ष काफी तेजी से हो रहा था। निर्माण का कार्य काफी हद तक हो चुका है परन्तु इस समय निर्माण कार्य पूरी तरह से रोक दिया गया है जिससे लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि अब अग्निशमन केन्द्र के भवन का निर्माण नहीं होगा जबकि उक्त भवन का निर्माण हो जाने से अग्नि से होने वाली क्षति को काफी आसानी से रोका जा सकता है। क्योंकि अभी किसी भी प्रकार का अग्निकाण्ड हो जाने पर अग्निशमन की गाड़ी जिला मुख्यालय से ही मंगानी पड़ती है जब तक गाड़ी पहुंचती है तब तक पूरी तरह जलकर के बरबाद हो जाता है। कार्य रोके जाने के कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष आक्रोष व्याप्त है। अतः मा0 सदस्य द्वारा लोक महत्व के उक्त अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-4295/67-पु-7-10-167/2009, दिनांक 19-3-2010 द्वारा जनपद इलाहाबाद के अग्निशमन केन्द्र, मेजा के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु रु0 1,9385,000/-की लागत के सापेक्ष धनराशि रु0 64,61,000/-की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। पुलिस मुख्यालय के पत्र दिनांक 4-2-2013 द्वारा उक्त निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्राप्त होने पर शासनादेश संख्या-411/6-पु-7-13-167/2009, दिनांक 26-2-2013 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रु0 64,61,000/-की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गयी है। द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की सूचना प्राप्त होने पर यथाशीघ्र अन्तिम किश्त की धनराशि अवमुक्त कराते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराकर अग्निशमन केन्द्र क्रियाशील करने का लक्ष्य है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल दिनांक 8-3-2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 08 बजकर 12 मिनट पर दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 07 मार्च, 2013

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0प्र0सं0-50 का उत्तर पीछे पृष्ठ-53-54 पर)

तहसील-मोहम्मदी, जनपद लखीमपुर खीरी

गेहूं जले लाभार्थियों में वितरित सहायता की सूची

वर्ष 2010-11

क्रमांक	ग्राम का नाम	लाभार्थी का नाम पिता/पति का नाम	वितरित की गयी धनराशि (रुपये में)
1	2	3	4
1	बाईकुआं	देवकी नन्दन पुत्र शिवशंकर	7500/-
2	बाईकुआं	सन्तोष कुमार तिवारी पुत्र बालकराम	10,000/-
3	बाईकुआं	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र पैकरमादीन	7500/-
4	बाईकुआं	गोपाल शंकर पुत्र सुन्दर लाल	7500/-
5	बाईकुआं	सावित्री देवी पत्नी प्रेमचन्द्र	7500/-
6	सेमरावां	रामासरे पुत्र कंधई लाल	10,000/-
7	कस्ता	अनिल कुमार पुत्र त्रिलोकी नाथ	7500/-
8	कस्ता	रामेश्वरी देवी पत्नी त्रिलोकी नाथ	7500/-
		कुल योग	**65,000/-**

वर्ष 2011-12

क्रमांक	ग्राम का नाम	लाभार्थी का नाम पिता/पति का नाम	वितरित की गयी धनराशि (रुपये में)
1	2	3	4
1	वेहडा जोरावर	गुरुपाल सिंह पुत्र सोहन सिंह	7500/-
2	कैमहरा	श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी कृपा सिंह	10,000/-
3	सिकन्दरिया पोस्ट लिधियाई	रामविलाश पुत्र राम प्रसाद	14,000/-
		कुल योग	**31,500/-**

नत्थी 'ख'

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ.....पर)

श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू-

मान्यवर,

आपका आभार प्रकट करते हुए मैं सिंचाई विभाग के वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के बजट के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

1-गत वित्तीय वर्ष (2012-13) में सिंचाई विभाग का पूरा बजट व्यय नहीं हो पाया है। अतः जो निर्माण कार्य अपेक्षित थे पूर्ण नहीं हुए या रोक दिये गये। जैसे मघछप्पर राजबाहे को कम्पाउण्ड/कवर निर्माण करने का कार्य रोक दिया गया है। ग्राम हसनपुर दिल्ली रोड से पन्त बिहार के पुल तक कार्य रुका हुआ है।

2-गत वित्तीय वर्ष (2012-13) में (अपर खण्ड) पूर्वी यमुना नहर से निकलने वाले माइनर/राजबाहों पर कोई निर्माण कार्य (सड़क पुल) नहीं किया गया है। ग्राम रेडीमलकपुर से रामपुरम निहारान तक माइनर पर पटरी व छोटे पुल के निर्माण की आवश्यकता है।

3-पूर्वी यमुना नहर से निकलने वाले राजबाहों माइनरों का पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता। विभाग उदासीन है।

4-मान्यवर, मेरे क्षेत्र के ब्लाक नागल व बलियाखेड़ी को डार्क जोन घोषित कर दिया गया है। चूंकि डीजल के दाम बहुत बढ़ गये हैं। इसलिये किसानों का शोषण राजनीतिक द्वेषभावना के चलते हो रहा है।

अतः मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि मान्यवर इन सभी विषयों पर गम्भीरता से संज्ञान लिया जाये व प्रभावी कार्यवाही की जाये।

धन्यवाद।

श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू-

मान्यवर,

आपका आभार प्रकट करते हुए मैं गन्ना विभाग के वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के बजट के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

1-मेरे विधान सभा क्षेत्र (06 रामपुर मनिहारान, जनपद सहारनपुर) में गत वित्तीय वर्ष (2013-14) में कोई सड़क अथवा पुल का निर्माण नहीं कराया गया। चूंकि गत वर्ष का पूरा बजट खर्च ही नहीं हो पाया तो इस बजट का कोई औचित्य नहीं है।

2-मेरे विधान सभा क्षेत्र के किसानों का गन्ना मुख्यतः चार चीनी मिलों में जाता है जिन पर अरबों रुपये किसानों का बकाया है। यह क्षेत्रीय किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है एवं उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। जिन मिलों पर भुगतान बकाया है विवरण निम्न प्रकार है :-

(i) हिन्दुस्तान बजाज शुगर मिल, गांगनौली-लगभग 90 करोड़ रु0

(ii) त्रिवेणी शुगर मिल, देवबन्द-लगभग 85 करोड़ रु0

(iii) बिड़वी शुगर मिल-लगभग 200 करोड़ रु0

(iv) ननौता शुगर मिल-लगभग 80 करोड़ रु0

3-चीनी मिलों के मालिक/संचालक निरंकुश है। खुले आम घटतौली की जा रही है। किसान को एक कुन्टल गन्ने पर लगभग 5 से 10 किलो तक गन्ने का नुकसान होता है।

अतः मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि मान्यवर इन सभी विषयों पर गम्भीरता से संज्ञान लिया जाये व प्रभावी कार्यवाही की जाये।

धन्यवाद।

श्री महावीर सिंह राणा-

मा0 अध्यक्ष जी,

आपके माध्यम से मा0 गन्ना मंत्री जी मैं अनुरोध करता हूं। मेरी विधान सभा बहेट नं0 01 में शाकम्भरी शुगर मिल टोडरपुर की (गन्ना विभाग) की सड़कें जिनकी संख्या 35 है। ग्रामीणों को सड़कों के टूटने के कारण असुविधा हो रही है। मेरा मा0 मंत्री जी से अनुरोध करता हूं। इन गन्ना विभाग की सड़कों को दोबारा बनवाने की कृपा करें ताकि ग्रामवासियों को लाभ हो जाए।

श्री सन्तराम कुशवाहा-

आदरणीय अध्यक्ष जी,

आप द्वारा कटौती प्रस्ताव पर कहने का मौका दिया। कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। सम्पूर्ण अनुदान की मांग की राशि को घटाकर एक रुपयो कर दिया जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना एवं सुझाव देना है। आदरणीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि आज से 10-15 वर्ष पहले एक माधौगढ़ विधान सभा से चीनी मिल नीलाम कर दी गयी थी जबसे आज तक किसी सरकार ने नई चीनी मिल की स्थापना नहीं की है। अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि संस्था की आज की जमीन सुरक्षित है। पुनः चीनी मिल की स्थापना कर दी जायेगी तो माधौगढ़ विधान सभा एवं जनपद के किसानों को सरकार शोषण से बचा लेगी क्योंकि जनपद जालौन के किसानों के गन्ने की खरीद 100 रु0 कुन्टल से 140 रु0 कुन्टल की खरीद की जा रही है। जनपद में कोई दूसरा चीनी मिल नहीं है। लगभग 200 कि0मी0 तक चीनी मिल नहीं हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि जनपद जालौन के किसानों को शोषण से बचाने, कृषि उपज का लाभ जनपद से पलायन रोकने एवं गरीबी से छुटकारा पाने में यह सरकार मददगार होगी।

धन्यवाद।

श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमें गन्ना विभाग के प्रस्तुत बजट पर नेता भाजपा मा0 श्री हुकुम सिंह जी द्वारा प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखने के लिये समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। मान्यवर, हम गन्ने के विषय पर बहुत अधिक न कहते हुए सरकार का ध्यान गोरखपुर जनपद के धुरियापार किसान सहकारी चीनी मिल की जो वर्षों से बन्द पड़ी हैं उसकी तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। सरकार ने अपने पार्टी के चुनावी घोषणा-पत्र से लेकर सरकार के गठन के उपरान्त यह घोषणा की थी कि कोई भी चीनी मिल बेची नहीं जायेगी। ऐसी दशा में हम सरकार से मांग करते हैं कि धुरियापार चीनी मिल को सरकार आरम्भ कराये और अगर सरकार के सामने उक्त चीनी मिल को स्वयं चलाने में कोई बाध्य हो तो निजी हाथों में ही सही परन्तु उसे चलाया जाये उसे किसी भी दशा में कबाड़ में न बेचा जाये। उक्त मिल को चलाने में गन्ने की उपलब्धता का मामला बार-बार उठता है इस बावत तक सरकार को सुझाव देना चाहते हैं कि बगल के जनपद आजमगढ़-मऊ गन्ना क्षेत्र से आच्छादित हैं अगर गोला तहसील के घाघरा नदी के बेवरीघाट पर पुल का निर्माण करा दिया जाये जिसका प्रस्ताव स्टीमेट शासन के पास विचाराधीन है तो धुरियापार चीनी मिल क्षेत्र निजी आजमगढ़ के रौनापार से जुड़ जायेगा जिससे गन्ने की उपलब्धता आसन हो जायेगी। ऐसी दशा में हम सरकार से मांगते हैं कि धुरियापार चीनी मिल के निर्माण में किसानों ने अपनी वेशकीमती जमीनें सरकार को सौंपी थी उसे उम्मीद थी कि चीनी मिल का निर्माण व चलने से उसका जीवन स्तर सुधर जायेगा। किसानों के परिवार को नौकरी मिलेगी। आज मिल बन्द होने से उन किसानों के सपने टूट रहे हैं। इसलिये किसानों की हितैषी बनने वाली सरकार से मांग करना चाहूंगा कि उक्त चीनी मिल किसी भी दशा में बेची नहीं बल्कि चलवायें।

श्री अनीसुर्रहमान-

आदरणीय अध्यक्ष जी,

आपने मुझे गन्ने के बजट की चर्चा में हिस्सा लेने का मौका दिया। आपका धन्यवाद। मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र कांठ गन्ना 70% उत्पादकता का क्षेत्र है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में इतना गन्ना पैदा होता है कि दिवान शुगर मिल्स अगवानपुर गन्ना मिल्स स्योहारा एवं त्रिवेणी मिल्स शईनागल के अतिरिक्त बाहर भी गन्ना जाता है। मान्यवर, सभी गन्ना क्रय केन्द्रों पर किसानों को घटतौली कर आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाता है। इस पर मान्यवर सत-सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। मेरे क्षेत्र में मान्यवर ग्राम सदरपुर से मतलबपुर रेलवे स्टेशन तख्क का मार्ग गन्ना विभाग ने बनाया था। इस समय यह सड़क टूटी पड़ी है। जगह-जगह यह क्षतिग्रस्त है। जनता का चलना दूभर है। मान्यवर मैं मंत्री से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि उक्त मार्ग की मरम्मत, नवनिर्माण कराया जाना जरूरी है तथा इस निर्माण के साथ-साथ गांव सदरपुर के अन्दर उक्त सड़क के दोनों ओर नाले भी बनवाने का कष्ट करें। मान्यवर मैं आपके माध्यम से यह भी मा0 मंत्री से अनुरोध करूंगा कि मेरे क्षेत्र कांठ में लोहा शाह मजार से ग्राम सलेमपुर तक लगभग 2000 किमी0 सड़क मरम्मत माह जनवरी, 2013 में की गई थी जिस पर 2600 लाख रु0 खर्च किया गया है। उक्त सड़क एक हफ्ते पर ही उखड़ गई थी। मैंने Ex4 व FE से बात की तो उन्होंने कहा कि इस मार्च में दोबारा बनवा दीजिये। मान्यवर, इसकी अभी तक मरम्मत शुरू नहीं की गई है। मान्यवर इसकी जांच भी करा लें और दोबारा ठेकेदार से इस मार्ग का निर्माण कराने का कष्ट करें तथा साथ ही यह बता भी आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के दो क्रय केन्द्र स्योहरा मिल से हटाकर त्रिवेणी मिल में लगा दिये। जबकि दोनों क्रय केन्द्र कासमपुर B व कासमपुर C और त्रिवेणी मिल रानी नागल के बीच रामगंगा नदी है तथा घूमकर 40 कि0मी0 दूर जाना पड़ता है। अतः मैं चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी मेरे क्षेत्र कांठ के गन्ना क्रय केन्द्र कासमपुर B व कासमपुर C को त्रिवेणी मिल रानी नागल से हटाकर गन्ना मिल स्योहारा में लगाया जाये।

श्री रामचन्द्र चौधरी-

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष जी,

माननीय अध्यक्ष जी आपकी आज्ञा से गन्ना बजट पर अपने विचार पटल पर रखते हुए मंत्री द्वारा गन्ने बजट का स्वागत करता हूं। यह किसानों के हित में है। मान्यवर कुछ सुझाव देना चाहता हूं जिससे गन्ना किसान उत्साहित हों।

1-गन्ना किसानों को प्रोत्साहन हेतु गन्ने की प्रदर्शनी हो। ब्लाक स्तर पर जमाकर किसानों को प्रोत्साहित किया जाय।

2-गन्ना किसानों का सर्वे सुपर वाइजर द्वारा पहले से ये मैं जाकर करना चाहिए जिससे किसानों को पर्ची दिक्कत न उठे। पेड़ी के गन्ने की पर्ची पहले दी जाये।

3-मान्यवर पूर्वांचल विकास निगम द्वारा पूर्वांचल में तमाम चीनी मिलें थीं जिसमें एक हमारे विधान सभा क्षेत्र कादीपुर में भी जिसमें तत्कालीन मुख्य मंत्री कल्याण सिंह ने पूर्वांचल की मिलों को बन्द कर दिया। जीवन हमारे गांव के किसानों की थी उसे बसपा के पूर्व विधायक बाउन्ड्रीवाल तोड़कर ईंट को अपने मकान में जमा लिये या बेच दिये। मेरे कहने का मूल उद्देश्य यह है कि सरकार उसे कब्जा कर या तो स्टोर बनाये या कोई दूसरा उद्योग धंधा सरकार जमवा दे जिससे लोगों को रोजगार मिल सके।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया-

मा0 अध्यक्ष जी,

मान्यवर, कैलेण्डर में पर्चियों की संख्या दिखायी जाती है उसे कुन्तल में दिखाया जाय तथा पारदर्शी तरीके से पर्चियां जारी हों।

10-11 में E गवर्नेस में जो राष्ट्रीय पुरस्कार गन्ना सूचना प्रणाली में मिला है वह हमारी सरकार के समय का है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन 2012-13 में मांग दस करोड़ का प्रावधान है वह कम है मान्यवर उत्तर प्रदेश देश का लगभग आधा गन्ना क्षेत्रफल देता है परन्तु चीनी 27 % देता है कभी गन्ना कैश क्राप होती थी आज किसानों का लगभग पांच हजार करोड़ बकाया है जबकि यह एक वर्ष की फसल है। दुनिया का एकलौता रा-मटीरियल है जो उधार तथा किसान लेकर फैक्ट्री जाता है। वहां पर किसानों को बैठने की, पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती है। बैलगाड़ी के जानवरों के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि किसानों की पर्चियां, भुगतान, तौल पारदर्शी तरीके से हो। प्रायः यह देखा जा रहा है कि चीनी मिलें बड़े पैमाने पर घटतौली कर रही हैं उसको रोका जाय बड़े पैमाने पर प्रजाति (गन्ना) के आधार धांधली करके बहुत शोषण करके अनुपयुक्त श्रेणी में दिखाया जा रहा है। अभी तक किसानों का 35-40% गन्ना चीनी फैक्ट्रियां पेरती हैं।

महाराष्ट्र की भांति गन्ना कृषकों का गन्ना किसानों के खेतों से उठाया जाय। गन्ना विभाग का आधा बजट विभागीय सैलरी व अन्य खर्चों में खर्च हो जाता है। मान्यवर, प्रदेश के गन्ना किसानों के लगभग तीस लाख किसानों को सिर्फ समितियों के माध्यम से पर्ची पेमेन्ट दिलाया जाय। मान्यवर, कुछ फैक्ट्री सीधे कम दामों में गन्ना खरीद रही हैं उन्हें रोका जाय तथा फर्जी तरीके से पर्चियों के मिल द्वारा जारी करने पर जांच करायी जाय। कम्प्यूटर समिति पर रखकर पर्ची जारी करायी जाये। मान्यवर, भुगतान यदि यथाशीघ्र न मिला तो किसान आत्महत्या करने पर बाध्य होगा।

आपने मुझे मौका दिया।

धन्यवाद।

श्री उमाशंकर-

परम् आदरणीय

अध्यक्ष जी,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को यह अवगत कराना है कि जनपद बलिया में मात्र एक उद्योग के नाम पर मात्र एक चीनी मिल है जो माधोपुर रसड़ा में स्थित है लेकिन वह चीनी मिल अपने बहाली पर आंसू बहा रही है। मान्यवर, आपके माध्यम से यह अवगत कराना है कि इस साल की चीनी मिल की पेराई सत्र का उद्घाटन मेरे द्वारा किया गया और वहां पर कार्यरत मजदूर अपने काफी दिनों से वेतन न मिलने से आन्दोलित थे और मिल को चालू करने के खिलाफ थे उनकी मांग भी जायज थी मौके पर मौजूद चीनी मिल जी0एम0 से मैंने कहा कि यहां पर जो बकाया राशि हो उसकी विस्तृत जानकारी हमें उपलब्ध करा देवें पर आज तक इन्होंने उपलब्ध नहीं कराया गया इससे इनके कार्यक्षमता में प्रश्नचिन्ह लग गया क्योंकि इनके पास जी0एम0 की योग्यता नहीं है। इसलिये मान्यवर यहां पी0सी0एस0 अधिकारी को जी0एम0 बनाया जाना चाहिए। यही नहीं मान्यवर चीनी मिल भी इतनी जर्जर हैं कि हर घण्टे ब्रेक डाउन रहती है। मान्यवर, किसानों का गन्ना खेतों में ही सूख जाता है किसी तरह गन्ना लेकर मिल पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि चीनी मिल कई दिनों से खराब पड़ा है। मान्यवर, एक आग्रह करना चाहता हूं कि एक बार चीनी मिल रसड़ा बलिया की सारी जर्जर मशीनें बदलकर किसानों को यह संदेश दिया जाय कि अब चीनी मिल ब्रेक डाउन नहीं होगी तो जो किसान अपनी गन्ना की फसल तैयार करने में संकोच नहीं करेंगे यही नहीं मान्यवर वहां कार्यरत कर्मचारियों को पुराने जमाने से कम रेट पर कार्य करते थे आज के महंगाई के हिसाब से उनका भी वेतन मिलना चाहिए।

मा0 बहुत धन्यवाद।

श्री हेमराज वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी,

विधान सभा,

उ0 प्र0।

महोदय,

अवगत कराना है कि मा0 मंत्री जी द्वारा गन्ना विकास विभाग व चीनी उद्योग विभाग जो बजट पेश किया है। वह बहुत ही सराहनीय है। साथ ही अपने जनपद व अपने विधान सभा क्षेत्र के विषय में बताना चाहता हूं कि एक महिला मुख्य मंत्री के कार्यकाल में मसोला सहकारी चीनी मिल शुरू हुई थी तथा दूसरी ब0स0पा0 की महिला मुख्य मंत्री के समय में यह शुगर मिल व डिस्टलरी बन्द हो गयी जिससे गन्ना किसानों व मिल के कर्मचारियों के समक्ष भारी संकट उत्पन्न हो गया है तथा जनपद का विकास भी प्रभावित हुआ है। पिछले वर्ष 2012-13 के बजट सत्र में मैंने उक्त समस्या को सदन में रखा था। मा0 अध्यक्ष जी हमारा जनपद गन्ना उत्पादन में अग्रणी जनपद है। किसानों की मुख्य फसल गन्ना ही है। जनपद में उक्त चीनी मिल के अलावा सहकारी क्षेत्र की दो व दो मिलें प्राइवेट क्षेत्र की हैं। गन्ने की अधिक पैदावार होने के कारण तथा मिलों की कमी होने के कारण किसानों का बहुत ही शोषण होता है।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त मसोला सहकारी चीनी मिल व डिस्टलरी को अविलम्ब चालू कराने तथा सहकारिता क्षेत्र की अन्य दोनों चीनी मिलों क्रमशः पूरनपुर सह0 चीनी मिल व बीसलपुर सह0 चीनी मिल की क्षमता वृद्धि कराने का कष्ट करें जिससे गन्ना किसानों की महत्वपूर्ण समस्या का समाधान हो सके।

सादर।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी,

जनपद बुलन्दशहर में शुगर मिल स्थापित है। मेरी विधान सभा का अधिकतर गन्ना क्षेत्र इसी मिल के क्षेत्र में आता है। लेकिन बड़े दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि इस सीजन में उक्त चीनी मिल को इसके मालिकों ने बहुत कम चलाया है। ब्रेक डाउन के नाम से लगभग रोजाना मिल बन्द रहती हैं। इसके कारण गांव चोला, बचोवली, धमैड़ा, नारा केन्द्र आदि गांवों के किसानों का गन्ना अभी तक उनके खेतों में खड़ा है। मजबूरी में इन गांवों के अधिकतर किसान अपने गन्ने को लगभग 125 कि0मी0 दूर यदु चीनी मिल बिसौली में ले जाने को मजबूर हैं। इसके कारण दो दिन पहले गांव कोंदू के एक किसान की गन्ना ले जाते समय बबराला पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी। मेरी विधान सभा का किसान गन्ना न उठने के कारण भुखमरी के कगार पर है। 125-150 कि0मी0 दूर गन्ना बेचने को मजबूर है तथा रोज अपनी जान जोखिम में डाल रहा है और सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गवां रहा है। मैं सदन के माध्यम से वेवची चीनी मिल के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करती हूं तथा मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि जब तक क्षेत्र के किसानों का पूरा गन्ना मिल उठा न ले बन्द न की जाय। दूसरे गन्ना ले जाते समय गांव कोंदू के जिस किसान की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है उसके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाय।

श्री लक्ष्मीकान्त (पप्पू) निषाद-

माननीय अध्यक्ष जी आपने गन्ना बजट पर बोलने का अवसर दिया आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं माननीय अध्यक्ष जी मेरा देश कृषि प्रधान देश है समाजवादी पार्टी की सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। मेरे प्रदेश में गन्ना किसान हैं गन्ने की खेती से किसानों को अच्छी आय प्राप्त होती है। माननीय अध्यक्ष जी जो गन्ना का बजट हुआ है गन्ना किसानों के हितों का ध्यान बखूबी रखा गया है। माननीय अध्यक्ष जी मेरे युवा मुख्य मंत्री जी ने सरकार बनने के बाद 40 रुपयो बढ़ा दिया था। इसलिए गन्ना बजट का समर्थन करता हूं। मा0 अध्यक्ष जी मेरे विधान सभा में आमी नदी है। रूधौली बजाज चीनी मिल लगी है मील अपना विषैला पानी छोड़ देता है जिससे गाय, भैंस नदी में पानी नहीं पी पाते हैं। पीने पर बीमार होकर मर जाते हैं तथा माननीय अध्यक्ष जी मेरा समाज निषाद नदी से मछली मारकर जीविका चलाता है जहरीला चीनी मिल के पानी से मछली नदी में नहीं मिलती जहरीले पानी से मर जाती हैं। आपसे अनुरोध है कि रूधौली चीनी मिल को सख्त निर्देश देने की कृपा करें।

समय देने पर आपको धन्यवाद।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

माननीय अध्यक्ष आपने मुझे गन्ना के बजट पर बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार की नीयत में कोई खोट है लेकिन गन्ना क्रय केन्द्रों पर मिल कर्मचारियों द्वारा घटतौली की शिकायतें टूट नहीं रही हैं और गन्ना पर्ची का जारी करने का तरीका मिल मालिकों द्वारा मनमाना ढंग अपनाया जा रहा है। गन्ना खेतों में खड़ा है। औसत से अधिक पैदावार हो रही है प्राइवेट तरीके से किसान बीज, खाद की पूर्ति कर रहा है मिलों द्वारा किसानों को लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में गन्ना मिलों द्वारा गन्ना की ढुलाई में सड़कों को क्षति पहुंचाई जा रही है। गन्ना विभाग कोई सड़कें नहीं बना रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के अन्तर्गत उक्त चीनी मिल तत्कालीन 88 में कांग्रेस की सरकार ने स्थापित लेकिन 22-23 वर्षों में इस सहकारी चीनी मिल जहांगीरपुर केवल 50-60% हुआ जो विगत 10 वर्ष से निर्माण न तकनीकी कार्य बन्द पड़ा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि उस अधीनस्थ चीनी मिल जिसका क्षेत्रफल 200 एकड़ है किसी चीनी मिल ग्रुप को चलाने हेतु नीलाम कराई जाय। मैं बजट में कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

पी0एस0यू0पी0-एल0 38 विधान सभा (78)-18-6-2013-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।